राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का द्वितीय दिवस संख्या--2

बुधवार

दिनांक 3 जुलाई, 1985,

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 31

श्री डूंगरराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शिवचरण सिंह।

वन विभाग का विपणन ढांचा

32. **श्री शिवचरण सिंह (करौली) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन विभाग के अन्तर्गत मार्केटिंग का जो प्रशासनिक अंग है, उसके क्या-क्या कार्य हैं?

(2) इस पर कितना व्यय व कितनी आय होती है?

(3) गत दस वर्षों में कितनी लकड़ी, कोयला, कत्था बनाया व बेचा गया?

(4) वन विभाग की इस शाखा ने अब तक कितने पेड़ काटे व कितने पेड़ लगाये?

(5) इनके कितने डिपो कहां-कहां हैं? इनके खोलने का क्या आधार है व लकड़ी कोयला की कीमत नियत कौन करता है?

वन मंत्री (श्री शीशराम ओला) : (1) वन विभाग के अन्तर्गत मार्केटिंग का अलग से कोई प्रशासनिक अंग नहीं है। ठेकेदारी प्रथा के समाप्त होने के पश्चात् वनों का विदोहन व वन उपज का निस्तारण विभागीय कार्य योजना शाखा द्वारा किया जाता है। स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वन विदोहन, काटे गये वनों की सुरक्षा एवं वन में वृक्षों का फिर से लगाया जाना व विकसित करना मुख्य कार्य है।

(2) विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत गत दस वर्षों में हुई आय व व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत गत दस वर्षों में लकड़ी, कोयला, बांस व कत्थे के उत्पादन का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रत्येक वर्ष उत्पादित वन उपज का लगभग 3/4 भाग उसी वर्ष विक्रय हो जाता है।

(4) विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्रों (कूपों) में वृक्षों का कटान

(२)

(श्री शीशराम ओला)

विभागीय रूप से किया जाता है जिसके दौरान काटे गये वृक्षों की गणना नहीं की जाकर कितना हैक्टेयर क्षेत्र काटा, वह दर्शाया जाता है। गत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष काटे गये वन क्षेत्र का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत वृक्षों के फिर से लगाने व विकसित करने के कार्य के दौरान गत दस वर्षों में लगाये गये पौधों का विवरण भी सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) वन उपज की बिक्री हेतु विभाग के बिक्री केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। विभागीय बिक्री केन्द्र खोलते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :–

(अ) क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वन उपज

(ब) उत्पादन क्षेत्र से दूरी (लीड)

(स) मांग एवं आपूर्ति

बांस और कत्था केन्द्र स्थापित करते समय थोक बिक्री की मंडियों का भी ध्यान रखा जाता है। लकड़ी व कोयले की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत समिति द्वारा तय की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री शिवचरण सिंह : प्रश्न के भाग (4) में मैंने यह सूचना माँगी है कि वन विभाग में अब तक कितने पेड़ काटे गये। आपने पेड़ लगाने की सूचना तो दी है लेकिन कितने पेड़ काटे गये, इसकी सूचना नहीं दी है।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य आपने जो चाही थी उसकी सारी सूचना दे दी है।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने प्रश्न (4) में काटे गये पेड़ों की संख्या मांगी है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात स्वयं वनों के काटने का कार्य शुरू किया? आपको मालूम होगा कि सन् 1980 में एक फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आया है। पेड़ काटने के लिये आपको प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी भारत सरकार से लेकिन आपने भारत सरकार से कोई परमीशन नहीं ली है...

श्री शीशराम ओला : हमने भारत सरकार से क्या लेना चाहिए था और क्या नहीं, यह तो सरकार का कार्य है। यह आपने पूछा भी नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने पूछा है। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को फारेस्ट मंत्री नहीं जानते तो वह इसके योग्य नहीं हैं।

श्री शीशराम ओला : आप तसल्ली से सुनिये और कहिये। आपने जो सूचना चाही वह आपको दे रहा हूं। आप सुनने की चेष्टा कीजिए। आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने प्रश्न पूछा उसका मतलब यह है कि आपका जो मार्केटिंग डिविजन काम कर रहा है, वह इल्लीगल काम कर रहा है। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का वायोलेशन है। 1980 में आपको

(श्री शिवचरण सिंह)

पाबन्द कर दिया कि कोई पेड़ों को नहीं काट सकता। जब राज्य सरकार ही कानून को तोड़ती है तो आम आदमी क्यों नहीं तोड़ेगा ? उत्तर दीजिए मुझे। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 एक सेन्ट्रल एक्ट है। मैं पढ़कर सुना देता हूं....

श्री शीशराम ओला : आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने दिया है। मैंने यह नहीं कहा है कि पेड़ों को काटा नहीं जाता है। पौधे जो वन विभाग द्वारा काटे जाते हैं वह एकड़ में काटे जाते हैं और लगाये भी जाते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने माना है कि आपने लगाये हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप पेड़ कटवा रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : आपने प्रश्न पूछा और मैंने उसका जवाब दे दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने इसलिए पूछा कि आपका जो मार्केटिंग डिविजन है वह पेड़ कटवा रहा है और बेच रहा है। कोयला और लकड़ी का व्यापार कर रहा है। यह व्यापार इल्लीगल है। आपने सारे फारेस्ट को डेस्ट्राय करवा दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री शीशराम ओला : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैंने सही-सही उत्तर दिया है। उसमें आप कहीं कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रश्न को पढ़िये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट की धारा को पढ़ूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। यह तरीका नहीं है माननीय सदस्य। यह प्रश्न आपका इससे संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

कृपया बैठें। माननीय सदस्य आप पृथक से प्रश्न पूछ लीजिए।

नेक्स्ट।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कुल पेड़ों की संख्या, जो काटे गये हैं। आपने तो माननीय सदस्य को उत्तर दिया होगा, लेकिन उन पेड़ों की संख्या बतायें, कितने पेड़ आपने काटे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब स्पष्ट है। पेड़ों की संख्या नहीं लिखी जाती है। हैक्टेयर बताया है।

श्री मानिकचन्द सुराना : कितने हैक्टेयर में पेड़ काटे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बता दिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : सदन को सूचना देती है। कितने हैक्टेयर में पेड़ काटे गये ?

श्री अध्यक्ष : कितने हैक्टेयर में पेड़ काटे, यह बता दिया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री शीशराम ओला : 6500 हैक्टेयर में ।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, 6500 हैक्टेयर में पेड़ काटने वाली सरकार को क्या यह मालूम है कि वह जो कुछ कर रही है वह कानून विरोधी कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जवाब दे दिया है ।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह तो 1984–85 का है । बाकी और सालों का विवरण इस प्रकार है :

1975–76	8,831 हैक्टेयर
1976–77	8,097 ,,
1977–78	10,774 ,,
1978–79	10,119 ,,
1979–80	9,902 ,,
1980–81	9,530 ,,
1981–82	8,601 ,,
1982–83	8,656 ,,
1983–84	5,838 ,,
1984-85	6,500 ,,

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, लकड़ी बाजार में नाजायज तौर पर बेची जाती है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : कोयले के डिपो कितने हैं ?

श्री शीशराम ओला : यह प्रश्न इससे संबंध नहीं रखता । फिर भी 37 डिपो हैं ।

श्री खंगार सिंह चौधरी : आप रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दूसरा चल रहा है । नाजायज कटाई की बात नहीं हो रही है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)*: क्या फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार पर पाबन्दी लगाई थी कि पेड़ नहीं काटें ?

श्री शीशराम ओला : इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

(व्यवधान)

आप सुनने की चेष्टा कीजिये । इससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे संबंध नहीं है ?

श्री मानिकचंद सुराना : इस प्रश्न से उसका पूरा संबंध है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो मंत्री महोदय समझ पायेंगे, मैं भी समझ पाऊंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप निर्णय करें मेरा सवाल वाजिब है या नहीं ।

श्री शीशराम ओला : फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसका मतलब....

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब पाबन्दी नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप पढ़िये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि पेड़ काटने की कार्यवाही भारत सरकार की अनुमति से की है ?

श्री शीशराम ओला : भारत सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारे वन विभाग की प्रक्रिया है, उसके तहत किया गया है। पौधे लगाये जाते हैं, जो काटने योग्य होते हैं, वे ही काटे जाते हैं। वहीं पर और लगा दिये जाते हैं। भारत सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 यहां लागू है ?

श्री शीशराम ओला : आप अलग से पूछेंगे तो जानकारी दूंगा। आज मेरे पास यही जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : सब बातें हो गई।

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह) : क्या यह सही है कि 1980 में जो सेण्ट्रल फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने पेड़ काटने की अनुमति ली ?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले पूछ लिया गया है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सेन्टर से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। क्या राज्य सरकार ने पूर्व में अनुमति ली है ?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है। नेक्स्ट।

श्री शिवचरण सिंह : 1980 के बाद ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : 1980 से 85 तक जितने पेड़ काटे और मार्केटिंग के जरिये बिकवाये....

श्री शीशराम ओला : हमने...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : जितने पेड़ कटवाये, यह सारे के सारे गैर कानूनी हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज नेक्स्ट।

सेटेलाइट व रेफरल अस्पतालों का स्टाफ

33. श्री जयकिशन तोसावड़ा : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में विगत 5 वर्षों में कितने सेटेलाईट व रेफरल अस्पताल कहां कहां खोले गये हैं, इनमें कितने अस्पताल कहां कहां चालू हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन अस्पतालों के लिये विभिन्न पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो किन-

(श्री जयकिशन तोसावड़ा)

किन अस्पतालों में किन-किन पदों के कर्मचारी लगा दिये हैं और किन-किन अस्पतालों में किन-किन पदों के कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं ?

(3) ऐसे अस्पताल कहां कहां चालू नहीं हुए हैं और क्या उनके लिए स्वीकृत स्टाफ से अन्यत्र काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य– (श्री छोगाराम बाकोलिया) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : इस प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में आ जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : बड़ा लम्बा समय है। नेक्स्ट। श्री दाऊदयाल जोशी।

कोटा जिले में अवाप्त भूमि का मुआवजा

3५ **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद एवं सांगोद के तहत कब-कब किस-किस व्यक्ति की कितनी–कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत किस भाव से अवाप्त की गई ?

(2) क्या उक्त व्यक्तियों से प्राप्त भूमि को बाजार भाव से वितरित कर दिया गया ? यदि हां, तो किस किस को किस भाव से कितनी कीमत में कितनी–कितनी वितरित की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त पूर्व भू स्वामियों को अवाप्त भूमि का मुआवजा दे दिया गया ? यदि हां, तो किस–किस को कितना–कितना मुआवजा कब–कब दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष को मुआवजे का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(4) उक्त पूर्व भू स्वामियों को मुआ–वजा सही सुविधाजनक तरीके से प्राप्त हो जावे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (1)(2)(3) में जो सूचनायें मांगी हैं, वे व्यापक हैं। दोनों तहसीलों की यह सूचना मांगी है कि किन–किन लोगों की जमीन ली गई, किस भाव में ली गई, किसको दी गई, कितने में दी गई, किसको मुआवजा दिया गया। इसलिये इसको पोस्टपोन करने के लिये अनुमति मांगी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी सत्र में आ जायेगा ?

श्रीमती कमला : 17, 18 तारीख को जब बैठक हुई थी, यह सवाल नोटिस में आया था, मैंने खुद ने मांगी है कि वह सूचना मुझे दें। हम इसका निपटारा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी सत्र चालू हुआ है, खत्म थोड़े ही हो रहा है।

नेक्स्ट। श्री भैरुंलाल भारद्वाज।

जमुवा रामगढ़ क्षेत्र के नदी नालों पर एनीकटों का निर्माण

35 **श्री भैरुलाल भारद्वाज** (जमुवा-रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुओं के गिरते हुये भूजल स्तर को रोकने के लिये लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्या सरकार जमुवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र के नदी नालों पर छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(2) पूर्व व वर्तमान सिंचाई मंत्री जी के अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी निम्नलिखित एनीकटों के निर्माण कार्य में प्रगति क्यों नहीं हो रही है और अब कब तक इन एनीकटों का निर्माण कार्य सरकार पूरा करा देगी : –

(क) आंधी (ख) मानपुरकलां (ग) सिरोही (घ) सरजाली ।

(3) जमुवारामगढ़ बांध के फालतू पानी को रोकने के लिये कच्चे बंधा के नाम से जो एक पुराना एनीकट रियासत काल से इस बांध के नीचे बना हुआ था, उसके नष्ट हो जाने पर हुई हानि की क्या सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या और कब उपाय किये ? यदि नहीं, तो कब तक एनीकट बना दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी नहीं । सिंचाई विभाग लघु सिंचाई के अन्तर्गत छोटे एनीकटों का निर्माण नहीं करवाता है । परन्तु सरकार अकाल राहत कार्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, इत्यादि के अन्तर्गत ऐसे एनीकट बनाने का विचार रखती है । क्षेत्र के सभी एनीकट बनाने का समय बतलाना संभव नहीं है ।

(2) आंधी एवं मानपुरकलां एनीकट्स का कार्य अकाल राहत के तहत प्रारम्भ कर दिया गया है और सिरोही एनीकट का कार्य ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति पर है । सरजोली एनीकट का कार्य भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है । इन सभी कार्यो को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जा सकेगा ।

(3) जी हां । इस जगह फिर से इसी प्रकार का एनीकट बनाने का तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम सूत्र सिंचाई का है । बजट में भी इस मद के हिसाब से जमुवारामगढ़ क्षेत्र में इस सूत्र के हिसाब से बराबर काम नहीं कर सकते, राजस्थान नहर का हिस्सा नहीं ले सकते । लेकिन जिन कुओं से हम रोटी रोजी पैदा करते हैं, पेट भरते हैं, लघु सिंचाई के अन्तर्गत इनके लिये कोई सुझाव नहीं है, यह बेहद अफसोस की बात है । कुओं का पानी सूख रहा है खास तौर से पूर्वी राजस्थान और पूर्वी जिलों में यह स्थिति नुकसानदेह है । इसके लिये सरकार क्या सोच रही है ? इसके लिये एक बहुत बड़ी रकम रखी जाय ताकि जिन लोगों के कुओं का पानी सूख गया है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, आप तो सुझाव दे रहे हैं ।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : क्या सरकार पुनर्विचार करेगी ? सिंचाई जैसे बड़े मद में लघु सिंचाई के अन्तर्गत छोटे नदी नालों पर एनीकट बनाने पर विचार करना चाहिये ?

(श्री भैरुलाल भारद्वाज)

दूसरी बात मैं यह यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सात्री परियोजना और दूसरी नदियों के पेटों के लिये परियोजनायें बनाई गई उसी प्रकार से ढूंढ के पेटे के लिये परियोजना बनाने का विचार रखती है ?

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई एक ऐसा मसला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुओं के सूखने के कारण खेती बर्बाद होती है, इससे मेहनत मजदूरी का सवाल जुड़ा है, वो लोग बेरोजगार हो जायेंगे, उन लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी या रोजगार की कोई और व्यवस्था करने जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जिन तालावों से 50 एकड़ से अधिक की सिंचाई संभव हो सकती है उन तालाबों से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पिलाई का कार्य हाथ में लिया जाता है।

जैसा कि मैंने निवेदन किया एनीकट के काम यद्यपि प्राय: सिंचाई के काम में नहीं आते हैं लेकिन एनीकट कुओं का जल स्तर ऊंचा करने का काम करता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न योजनायें हैं, राष्ट्रीय योजनायें हैं, भूमि विकास की योजनायें हैं, पशुओं के कार्यक्रम हैं– इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनमें एनीकट के काम हाथ में लिये जाने की राज्य सरकार की नीति है। इस नीति के अन्तर्गत अकाल राहत के अन्तर्गत तीन कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अकाल राहत के कार्यों की समाप्ति के बाद एन०आर०ई०पी० के काम हाथ में लिये जायेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : ये तीन कार्य कौनसे हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ये तीन कार्य, आन्धी भानपुरकलां, दूसरा सिरोही....।

श्री भंवर लाल शर्मा : ये तो इन्हीं के क्षेत्र के कार्य हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न इन्हीं के क्षेत्र से सम्बन्धित है। पूरे राजस्थान का न तो पूछा गया है और न जवाब दिया गया है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : प्रश्न यह है, श्रीमान् सिंचाई मंत्री जी, लघु सिंचाई के अन्तर्गत इन कार्यों को न लेने का कारण क्या राज्य सरकार ने यह तय कर रखा है कि बी० सी० रेशयो की योजनायें लाभ की नहीं होती जिसके कारण नहीं लेते हैं ? परन्तु जो नई स्थिति बदली है उसमें जयपुर राज्य के लिये गये साल राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया है कि बी० सी० रेशयो के अन्तर्गत जो छोटे एनीकट नहीं लिये जाते थे, उनको खत्म कर दिया जाय। अब राजस्थान सरकार लघु सिंचाई योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। पहले तो यह बताया कि बी० सी० रेश्यो वाले कार्य अनुत्पादक हैं और जब बाधा हट गई तो लघु सिंचाई के मद में क्या व्यवस्था हुई। लघु सिंचाई के मद में क्या व्यवस्था हुई ? लघु सिंचाई के मद में क्या कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत एनीकट बनाने के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुनिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र का तो जीवन मरण का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है नीति मूलक प्रश्न है। इसमें नीति निर्धारण करना होगा। अब बजट आने वाला है, उसमें आप सुझाव दीजिये। प्रश्न में जो पूछा गया है उसका ही उत्तर दे पायेंगे। नीति के बारे में तो नहीं बता पायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठें, कृपया बैठ जाय।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : भविष्य में मंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं क्या ? सिंचाई मंत्री जी उसको पेश करेंगे।

(व्यवधान)

मेरा तीसरा पूरक प्रश्न और है। रियासत काल में जब जमुवारामगढ़ का बन्धा बना था तब दो किलोमीटर पर एक कच्चे बांध का भी निर्माण किया गया था। उसमें सीपेज हो रहा था और दूसरा पानी जो फालतू बहने वाला था, इकट्ठा हो जाता था। कालान्तर में वह टूट गया। उस छोटे बान्ध के टूट जाने के बाद सिंचाई विभाग सो गया। एक तरफ तो एक एक बूंद पानी के लिये तड़पा जा रहा है और दूसरी तरफ वह सारा पानी बेकार बहकर जा रहा है। जमुवारामगढ़ का फालतू पानी बहकर चला जा रहा है उसके लिये राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। रियासत काल में जो किया गया था उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है ? राज्य सरकार सुझाव देने के बाद भी विचार नहीं कर रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सरकार ही × × × है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही है कि रियासत काल में एक कच्चा बान्ध बना था जो काफी पूर्व टूट गया। लेकिन वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद नहीं होने से उसको बनाने का विचार नहीं है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय मंत्री महोदय, बांध के नीचे से पानी बह रहा है। माननीय मंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि रामगढ़ के पानी के भराव में कीचड़ से तो पानी निकालकर दिया जा रहा है और जो पानी इकट्ठा करके काम में लिया जा सकता है, उसको नहीं कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह मालुम होना चाहिये कि जब यह जमुवारामगढ़ का बन्धा बना था तब उसके सारे एरिया और उसके आगे दौसा तक सिंचाई की व्यवस्था हो सके, ऐसी व्यवस्था थी। अब चूंकि जमुवारामगढ़ का पानी पीने के काम में आता है

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

तो जैसा माननीय विधायक ने कहा वह पानी तो यहां आने लग गया, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसके लिये अब आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई योजनाओं का मापदण्ड क्या है। बी०सी० रेश्यो में अब...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 50 एकड़ से अधिक जहां सिंचाई हो सकती है, उन सब योजनाओं को लघु सिंचाई में माना जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का भी इसमें सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

प्रश्न काल में नीति मूलक प्रश्न नहीं हो सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ....सिंचाई के साधन नहीं हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न से बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं। कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री नाथूसिंह : साहब जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जाय।

श्री विश्नोई।

प्रोसेसिंग एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां

36. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसी कितनी प्रोसेसिंग तथा मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां हैं जिनमें राज्य सरकार की एक लाख रुपये से अधिक पूंजी लोन तथा शेयर कैपिटल के रूप में लगी हुई है ?

(2) इनमें पिछले पांच सालों में कितना घाटा अथवा लाभ हुआ ? इनमें हुए घाटे के क्या कारण रहे व कौन अधिकारी इस घाटे के लिये जिम्मेदार रहे ?

(3) अब इन इकाइयों को घाटे से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में काफी जानकारी चाही गई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह स्थगित सरकार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह भाटी।

हरिजनों के पदों के विरुद्ध सवर्णों की नियुक्ति

37. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पी.बी.एम. हास्पिटल, बीकानेर के अधीक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक 4042 दिनांक 14-3-1984 के द्वारा हरिजन पद के विरुद्ध एक सवर्ण को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर एटेण्डेण्ट के कार्य के लिये लगाया गया है ? यदि हां तो क्या वह नियम विरुद्ध नहीं है ? कृपया उक्त पत्र की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) पी.बी.एम. हास्पिटल व सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में अब तक कितने हरिजनों के पदों के विरुद्ध सवर्णों को नियुक्ति दी गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने उक्त नियम विरुद्ध नियुक्ति के लिये किसको दोषी मानते हुए क्या कार्यवाही अब तक की है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) अधीक्षक, पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति बावत आदेश क्रमांक 4042 दिनांक 14-3-1984 जारी ही नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

(2) आदेश दिनांक 9-3-84 के द्वारा हरिजन फर्राश के पदों के विरुद्ध निम्न दो सवर्ण व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है :—

1. श्री हरि रतन पुत्र भैरू बक्श व
2. श्रीमती बुद्धी पत्नी सीताराम।

(3) उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत नियुक्त कुल 26 व्यक्तियों में से 14 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं, जिनका प्रतिशत आरक्षित पदों के प्रतिशत से कहीं अधिक है। अतः उक्त नियुक्तियां नियम विरुद्ध नहीं हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने गलत उत्तर दिया है, जिसका सबूत मेरे पास है। इन्होंने बताया है कि 14-3-84 को कोई आदेश नहीं हुए हैं। इसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है जिसमें अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है दिनांक 14-3-84 को सुपरिन्टेंडेंट आफिस से आदेश निकले हैं जिसकी भाषा है—

"Shri Khema Ram S/o Shri Moda Ram, newly appointed Class IV employee against the post of Sweeper may please be assigned the duties of Attendant. He is not Harijan."

यह आदेश सुपरिटेंडेंट आफिस से जारी हुआ है। क्या यह गलत है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नियुक्ति के आर्डर

(श्री छोगाराम बकोलिया)

के लिये कहा है। यह तो इन्टरनल डायरेक्शन दिया गया है, नियुक्ति पत्र नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : एपाइण्टमेंट पत्र की परिभाषा बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : इनकी नियुक्ति 9-3-84 को हुई जिसका अपाइन्टमेट नम्बर दूसरा है। उसमें खेमा राम पुत्र खोडा राम हरिजन का मतलब शिड्यूल्ड कास्ट का है। कोई सवर्ण जाति का नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बिलकुल स्पष्ट है कि He is not Sweeper. He is not Harijan.

श्री अध्यक्ष : यहां लिखा है कि स्वीपर की पोस्ट पर हरिजन ही रहेगा और किसी दूसरी जाति का व्यक्ति वहां जा नहीं सकता।

श्री छोगाराम बकोलिया : स्वीपर नहीं फर्राश है। उसके अन्दर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जाति विशेष की बात नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : क्या यह नियुक्ति नियोजन कार्यालय से नाम मंगाकर और उनका इन्टरव्यू लेकर ही की गयी थी ?

श्री छोगा राम बकोलिया : यह अलग से प्रश्न है।

श्री देवी सिंह भाटी : कैसे अलग से है ? इसमें इन्होंने बताया कि 26 पद हैं जिनके ऊपर सिर्फ हरिजनों की ही नियुक्ति आवश्यक है, यह स्पष्ट निर्देश है। इन्होंने यह भी बताया है कि 26 में से 14 पर ही हरिजनों को स्वीपर की ड्यूटी पर लगाया गया है। तो जिन बाकी सवर्ण लोगों को ड्यूटी पर लगाया गया है, क्या वे लोग स्वीपर की ड्यूटी करने के लिए तैयार होते हैं ? इसके लिए कई मैमोरेण्डम भी मिल चुके हैं कि हम लोग स्वीपर की ड्यूटी पर काम करने को तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : जब वहां ऐसा कर रहे हैं तो क्यों नहीं नगरपालिकाओं में भी सवर्ण लोगों को नौकरी दी जाती है ? वहां भी दूसरी जाति के व्यक्तियों को लगायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, यह जाति से हरिजन नहीं बल्कि जाति से ब्राह्मण है जिसको स्वीपर की पोस्ट पर लगाया गया है। स्वीपर की पोस्ट पर स्वीपर ही लगना चाहिए। सवर्ण लोगों को जो लगाया जा रहा है यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नैक्स्ट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्वीपर की पोस्ट पर किसी ओर जाति के व्यक्ति को यदि एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज से नाम मंगवाकर लगाया जाता तो किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं होता। सामान्य रूप से लगा दिया लेकिन उसको लगाकर फिर दूसरी पोस्ट पर लगा दिया तो यह एक प्रकार से बेईमानी है। एक व्यक्ति को लगाकर दूसरी जगह ट्रांसफर किया, मुख्य मुद्दा यह है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप खुद समझ रहे हैं कि स्वीपर की पोस्ट पर किसी अन्य व्यक्ति को लगाया। अन्य व्यक्ति को तो किसी भी पोस्ट पर लगाया जा सकता है। उसके लिए एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज से नाम लेना पड़ेगा। पोस्ट स्वीपर की हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वीपर की पोस्ट पर ही काम करेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसीलिए दूसरा सवाल किया था कि क्या एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज से एप्लीकेशन्स आयी हैं। स्वीपर की पोस्ट पर सामान्य रूप से हरिजन का एपाइण्टमैण्ट किया गया, इसलिए बिना एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज से नाम मंगाये कर दिया। अब चूंकि वह बात ध्यान में आ गयी इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अगर स्वीपर की पोस्ट थी तो...

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : अगर ब्राह्मण को लगाया गया है, स्वीपर की, हरिजन की जगह पर तो ××× बनाया गया है। फिर आप उसमें हरिजन को इन्वाल्व कर रहे हैं। इस काम से उन्हें छुटकारा दिलाना चाहते है या और धकेलना चाहते हैं उनको ? इसमें जाटों को भी आने दो, बामनों को भी आने दो।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें कहा है कि सामान्यतया ऐसा किया जाता है। इसमें कोई रूल्स की बाइन्डिग नहीं है। सामान्यतया हरिजन के पद पर हरिजन नियुक्त होना चाहिए। फर्राश की पोस्ट पर कौन-कौन काम करते हैं क्या हरिजन लगा रखे हैं तो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बैकडोर एण्ट्री की गयी है, रिश्वत खायी गयी है साथ साथ हरिजन का बहाना लगाकर नियुक्त कर दिया और बाद में ट्रांसफर कर दिया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : ब्राह्मण स्वीपर बनने के लिए रिश्वत देगा। जिसको रिश्वत देनी पड़े, स्वीपर बनेगा क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में कोई इस प्रकार की सूचना मुझे नहीं मिली है कि इसमें अनियमितता बरती गयी है या पैसा देने का प्रश्न आता है। फर्राश की पोस्ट पर मेघवाल लगा है, वह भी अनुसूचित जाति का है। इसके अन्दर अनियमितता बरती गयी है तो मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। अगर स्वीपर की पोस्ट पर किसी सवर्ण को लगाया जाय है तो समझ में आता है। मगर स्वीपर की जगह किसी दूसरी जाति का व्यक्ति काम करे तो हमारी पालिसी क्या है कम से कम दूसरी सर्विसेज में भी मौका दिया जाय ? मगर आपने एक गैर हरिजन को स्वीपर की जगह लगाकर दूसरे स्वीपर का मौका मारा है। यही बात है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शोपत सिंह : मेघवाल कम हरिजन है।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या राज्य सरकार स्वीपर्स की सारी पोस्टों को सवर्णों

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के लिए खोलने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ;

नेक्स्ट । श्री हीरा लाल आर्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूं इस उत्तर से । अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने कहा था कि ...

श्री शोपतसिंह : स्वीपर की पोस्टें दूसरी जातियों के लिए खोलना चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं समझता हूं आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे....

श्री अध्यक्ष : अगर आप अन्य कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसको अन्य तरीके से पूछ लीजिए । अगर कुछ पूछना चाहते हैं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब आर्डर के अन्दर स्पष्ट लिखा है कि ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी ने कहा है कि अगर कोई अनियमितता हुई है तो जांच करा लेंगे । यह कहा है फिर कोई बात बचती ही नहीं ।

आर्डर प्लीज । नेक्स्ट ।

पीपल्दा क्षेत्र में पुलियाओं का निर्माण

38. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 198:-85 में पीपल्दा क्षेत्र में कुछ पुलियाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां तो किन-किन पुलियाओं का तथा उन पर कुल कितने रुपये खर्च किये जाने थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों के निर्माण हेतु टेण्डर भी मांगे गये थे तथा स्वीकृत भी किये गये थे ?

(3) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस किसका ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता देकर सम्पन्न कराने की व्यवस्था करेगी ?

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां ।

10 पुलियाओं के निर्माण पर 2.65 लाख रुपये का खर्चा प्रस्तावित था । पुलियाओं के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. अयाना, लुहावद ग्राम की मुख्य सड़क पर डी. आर. डी. का निर्माण ।

2. लुहावद ग्राम के पास मेन ड्रेन पर काज वे का निर्माण ।

3. मांगरोल ग्राम के पास वाण गंगा नदी पर मोघे बढ़ाने का कार्य ।

4. लुहावद से चरनिया के रास्ते पर मेन सब ड्रेन नं० 3 पर पुलिया का कार्य ।

5. विजयपुरा से अरनिया ग्राम के रास्ते पर पुलिया का निर्माण ।

6. विजयपुरा से कंवल्दा आदि ग्रामों के रास्तों पर पुलिया का निर्माण ।

(१५)

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

7. मेन सब ड्रेन नं० 5 ग्रार० डी० 1320 पर पुलिया का कार्य ।

8. मेन सब ड्रेन न० 5 ग्रार० डी० 2050 पर पुलिया का निर्माण ।

9. मेन सब ड्रेन नं० 5 पर 2550 पर पुलिया का निर्माण कार्य ।

10. खातौली से करवाड़ के रास्ते पर पुलिया का निर्माण कार्य ।

(2) जी हां ।

(3) कुल 10 पुलियाओं का निर्माण कराना था जिसमें से मांगरोल ग्राम के पास वाण गंगा नदी पर मोधे बढ़ाने का कार्य, लुहावंद से ग्ररनिया के रास्ते पर मेन सब ड्रेन नं० 3 पर पुलिया का काम एवं खातोली से करवाड़ के रास्ते पर पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, शेष पर कार्य ग्रधूरा है ।

(4) जी हां । बजट उपलब्ध होने पर कार्य पूरा करवा दिया जायेगा ।

श्री हीरालाल ग्रार्य : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा, पीपल्दा क्षेत्र में इटावा सब-डिवीजन ग्रौर मांगरोल सब-डिवीजन, दो सब डिवीजन हैं. ग्रापने एक सब-डिवीज़न, मांगरोल सब-डिवीजन के बारे में बताया । मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदया से कि इटावा सब-डिवीज़न के ग्रन्तर्गत कितनी पुलियाग्रों का निर्माण किया जाना था, उसमें कितने रुपये खर्च किये जाने थे ग्रौर उनमें से कितनी पुलियाग्रों का निर्माण हुग्रा ?

श्रीमती कमला : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने यह तो लिखा नहीं कि पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र या पीपल्दा पंचायत समिति क्षेत्र या पीपल्दा तहसील क्षेत्र । ग्रापने पीपल्दा क्षेत्र का पूछा है तो हमारा जो क्षेत्र है पीपल्दा का, उसका मैंने बता दिया ।

श्री हीरालाल ग्रार्य : पीपल्दा क्षेत्र का क्या मतलब ? यह तो है ही निर्वाचन क्षेत्र ।

श्री ग्रध्यक्ष : ये सी. ए. डी. में क्षेत्र बने हुए हैं ।

श्री हीरालाल ग्रार्य : पीपल्दा नाम से कोई क्षेत्र नहीं हैं सी. ए. डी. का । मांगरोल क्षेत्र का पूछता ग्रौर इतने का जवाब देते तो वाजिब था....

श्रीमती कमला : पीपल्दा क्षेत्र का मतलब पीपल्दा एरिया के ग्रन्दर जो ग्राता है । ग्रापने जो पूछा वह हमने दस पुलियाग्रों वगैरह का बता दिया । उसमें से बन चुकी हैं वह बता दीं, जो बाकी हैं वह बता दी ।

श्री हीरालाल ग्रार्य : इटावा भी पीपल्दा में ग्राता है ।

श्रीमती कमला : पीपल्दा तहसील में, पंचायत समिति में या निर्वाचन क्षेत्र में ग्राता है ?

श्री हीरालाल ग्रार्य : तहसील में भी है । निर्वाचन क्षेत्र भी पीपल्दा है ग्रौर तहसील भी वही है ।

श्रीमती कमला : पीपल्दा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र से मतलब है ग्रापका ?

श्री हीरालाल ग्रार्य : हां, ग्रौर पीपल्दा तहसील भी है ।

(16)

श्रीमती कमला : पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र चूंकि आपने नहीं लिखा था इसलिये मैंने पीपल्दा का बताया। अगर निर्वाचन क्षेत्र में इटावा भी आता है, उसका आप जानना चाहते हैं तो मैं बाद में बता सकती हूं, अभी तो है नहीं मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट प्रश्न पूछ लीजिये। अपने प्रश्न को स्पष्ट बना कर आप दुबारा पूछ लीजिये। इससे तो स्पष्ट नहीं हुआ। आपका प्रश्न अपने आप में स्पष्ट नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मांगरोल में दस पुलियाएं बनायी जानी थी, आपने फरमाया कि उनमें से तीन पुलियाएं बन चुकी हैं बाकी पर निर्माण कार्य अधूरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या सात पुलियाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जो अधूरा है?

श्रीमती कमला: मैंने कहा ना, काम चालू है।

श्री हीरालाल आर्य : चालू ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 30 तारीख को विजयपुरा गांव में गया था....

(व्यवधान)

कब हो गया? आज तो तीन तारीख ही है। वहां पर गांव वालों ने मुझे दिखाया कि सारे रास्ते अवरुद्ध हैं एम. एल. ए. साहब, हमारा आना जाना कहीं होता नहीं है, हमारा गांव नरक बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा, इस वर्ष में संभवत: ये कार्य पूरे हो जायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : कितनी तारीख को चालू हुए, यह बता दीजिये आप?

श्रीमती कमला : आप सूचना दे रहे हैं सदन में, आप कह रहे हैं कि यह जो कार्य निर्माणाधीन हैं उनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें काम शुरू ही नहीं हुए हैं। आप मेहरबानी करके मुझे बताइये, मैं भी अपनी तरफ से पूछूंगी। उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि तीन पुलिया कम्पलीट हो गयीं और बाकी का काम चालू है। अगर यह सूचना गलत है तो दुबारा जांच करके मैं अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लूंगी। और अगर कार्य चालू हुआ, बीच में बंद हो गया और आगे नहीं हो रहा है तो उसको तत्परता से चालू कराने की कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नैस्ट। श्री मानिक चन्द सुराना।

बीकानेर जिले के कुओं व ट्यूब वैल्स का विद्युतीकरण

39. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में पिछले 3 साल में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने किन-किन गांवों के ट्यूब वैल्स व कुओं पर विद्युत् मण्डल के अनुमानों के आधार पर कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कुएं व ट्यूब वैल के लिये जमा करा रखी है, तथा किस-किस गांव के ट्यूब वैल व कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं? कृपया तारीखवार व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धनराशि जमा कराने के बावजूद शेष कुओं व ट्यूब वैल्स पर अब तक विद्युत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सम्बन्ध न देने के क्या कारण हैं जबकि इन गांवों का विद्युतीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल को यह निर्देश अब तक भी नहीं दिये हैं कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रार्थना-पत्रों पर विद्युत सम्बन्ध प्राथमिकता के आधार पर दिये जायं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) बीकानेर जिले में पिछले तीन वर्ष में (1982–83, 83–84, एवं 84–85) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कुए / ट्यूब-वैल, जिनकी धनराशि मार्च, 85 तक जमा कराई गई एवं कनेक्शन दिये गये, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर जिले में वर्ष 1982-83, 83–84 एवं 84–85 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ट्यूब वैल्स/कुएं जिनकी धनराशि मार्च, 85 तक जमा कराई गई एवं कनेक्शन देना तथा शेष कनेक्शन की सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार एवं मण्डल द्वारा समय समय पर यह निर्देश दिये गये हैं कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रार्थना पत्रों पर विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जायं। मुख्य अभियन्ता (परिसंधा) द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र क्रमांक 1651 दिनांक 13.6.85 के द्वारा पुनः निर्देश दिये गये हैं कि पेयजल योजनाओं के कनेक्शन्स को उच्च प्राथमिकता के आधार पर दे दिया जाय।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, 70 जगह पर आपने कनेक्शन दिये, कुल 87 कनेक्शन की मांग थी। 82–83, 83–84, 84–85 तीन साल की अवधि में करीबं 18 से 20 पर्सेन्ट के बीच 17 जगह पर कनेक्शन न दिये जाने के मुख्य कारण क्या थे ? आपने जो कारण लिखे हैं उनको मैंने देख लिया है।

क्या यह सही है कि विद्युत विभाग द्वारा मैटीरियल सप्लाई न किये जाने के कारण स्थानीय अधिकारी इन कनेक्शन्स को देने में असमर्थ रहे हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं।

17 कनेक्शन में से एक ऐसा है जिसकी धनराशि 21.2.83 को जमा हुई, शेष की अधिकांश राशि मार्च, 1985 में जमा हुई है। मैंने जो कारण दिये हैं उसमें भी स्पष्ट लिखा है। इसी तरह नम्बर 6 पर जो कनेक्शन के लोड की बात कही है उस पर उनको आलरेडी कनेक्शन मिला हुआ है। उन्होंने लोड बढ़ाने की दरख्वास्त दी है। इसी तरह से कुछ 1985 और 1984 के हैं। एक कनेक्शन को छोड़कर सारे कनेक्शन रिलीज कर दिये हैं। जो 17 कनेक्शन बाकी रहे गये हैं, जिनका पैसा मार्च, 1984 में जमा हुआ है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगस्त माह तक यह सारे कनेक्शन रिलीज कर दिये जायेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या यह सही है कि नम्बर 6 पर इसलिये लोड नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बढ़ रहा है कि यहां 100 के. वी. ट्रांसफार्मर देने में विद्युत मंडल आज भी असमर्थ है ? 5 ट्रांसफार्मर 100 के.वी. की मांग एक्स. ई एन. बारबार वहां कर रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नम्बर 6 पर जो लोड एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसका ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चालू है और शीघ्र ही ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा ।

श्री मानिक चन्द सुराना : ट्रांसफार्मर जयपुर में रख छोड़ा है या बीकानेर पहुंच गया है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहुंच गया ।

श्री मानिक चन्द सुराना : कहां पहुंच गया ? आप तो वैसे ही कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब पहुंच जायेगा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अगस्त तक ये सारे 17 कनेक्शन रिलीज कर दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यही आश्वासन मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में इसी हाउस में दिया था कि पी. एच. ई डी. के ट्यूब वैल जोड़ने के लिये जो कनेक्शन पैण्डिंग हैं, इसके लिये जो सामान की कमी है उसकी व्यवस्था करके शीघ्र कनेक्शन चालू कर दिये जायेंगे । एक महीने का समय दिया था, इस हाउस के अन्दर पिछले सत्र में । अब ये इनको ले जा रहे हैं अगस्त और अक्टूबर के अन्दर । पता नहीं ये कौनसे साल तक ले जायेंगे ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद तो कितने ही कनेक्शन रिलीज किये हैं और आज डे-बाई-डे कनेक्शन दे रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट कह रहे हैं कि सामान की कोई कमी नहीं है । फिर क्यों नहीं ये तुरन्त आज ही रवाना कर देते हैं वहां पर ट्रांसफार्मर और जो भी सामान की आवश्यकता है ? हकीकत यह है कि इनको डिपार्टमेंट ने बारबार लिखा है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है इसके लिये आप तुरन्त व्यवस्था करें । सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि बिजली बोर्ड के अन्दर ट्रांसफार्मर की कमी है, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । पानी की सबसे पहली आवश्यकता है उसके लिये तरसा रहे हैं । ट्यूबवैल के कनेक्शन आपने पूरे प्रदेश में बंद कर रखे हैं, इसका मेन कारण यह है कि आपके पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं हैं । ये गलतबयानी कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा सामान इकट्ठा है, ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं । ऐसा करके ये गलत बयान दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट आश्वस्त किया है कि अगस्त महीना....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यही आश्वासन पिछले सत्र में दिया था, उसका क्या होगा ? आश्वासन आश्वासन

(श्री देवीसिंह भाटी)

कमेटी में 15 साल से पेण्डिंग हैं। उन आश्वासनों को हम चाटें, क्या करें ? या तो यह कहें हम आज ये ट्रांसफार्मर रवाना कर देंगे, तब तो हम मानें।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बीकानेर डिवीजन या बीकानेर ही नहीं सारे राजस्थान में कमी है। कहीं भी ट्रांसफार्मर नहीं है। हैं वे बिलकुल खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्नकाल है। यह प्रश्नकाल है, इसका खयाल रखें। प्रश्नकाल है।

श्री खंगारसिंह ।

श्री मानिकचन्द सुराना : क्या मंत्री जी 7–8–9 नम्बर की तरफ ध्यान आकर्षित करके यह बतायेंगे, जो 2 लाख 11 हजार रुपया विद्युत मंडल में जमा कराया है बिजली की लाइन एक गांव में खींचने के लिये, इस बिजली की लाइन का पूरा रुपया ले चुके हैं, यह कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बीकानेर का प्रश्न है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 7–8–9 यह पेण्डिंग ट्रांसफार्मर का पूछ रहे हैं ? 7–8–9 खुडाला नल कूप, खुडाला पम्प हाउस के बारे में हैं। मैंने इसमें निवेदन किया है कि इसका जो मांग पत्र भेजा गया था उसका पैसा मार्च, 1985 में जमा हुआ है। हमारा कार्य, प्रगति पर है। अभी तक पी.एच.ई.डी. ने हमको एल फार्म जमा नहीं कराया है। हमने उन्हें लिखा है कि एल फार्म जमा करायें, हम कनेक्शन रिलीज कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : एल फार्म का नीचे दे रखा है। आपने गलत पढ़ दिया, यह तो 10 से संबंधित है। कार्य प्रगति पर है, आपका विभाग यह बता रहा है। आप कम से कम नीचे के अधिकारियों से पूछ लीजिए। कुछ भी काम नहीं चल रहे हैं। आपको गलत सूचना दी है विभाग ने 7, 8, 9 के लिए मैं निवेदन करूंगा, इसकी जांच करें। अगर गलत बयानी की है तो, संबंधित अधिकारी के, विभाग के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ जानकारी नहीं है। मैंने 27 मार्च को मंत्री जी को पत्र दिया था कि बीकानेर जिले में जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया है उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इस पर आपने आदेश दिया कि शीघ्र सामान भिजवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो यह बहस तो बाहर भी कर सकते हैं। चेयर का भी कर्तव्य है कि हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। मंत्री महोदय गलत उत्तर देते हैं। अगले सेशन में भी यही जवाब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ऐसी कोई बात हो तो मैं पूछूंगा मंत्री जी से, आप बैठिए।

अगला प्रश्न।

खारची व देसूरी तहसीलों में बांध व एनीकटों का निर्माण कार्य

40–**श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी प्रोग्राम के तहत 1980 से 1985 तक तहसील खारची व देसूरी में कौन-कौन सी जगह कौन-कौन से बांध एनीकट व खडीनों की सर्वे की गई व किन-किन कार्यों की स्वीकृति दी गई ?

(2) स्वीकृत कार्यों पर आज तक कितना कार्य हुआ, कितनी-कितनी रकम खर्च हुई व अधूरे कितने कार्य हैं ? सरकार उनको कब तक पूरा कराएगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त सर्वेशुदा कौन-कौन से कार्य हैं जिनकी स्वीकृति नहीं हुई है ? स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री शीशराम ओला): (1) खारची व देसूरी तहसील में खडीन व बांध के कार्यों की सर्वे नहीं की गई । एनीकटों के कार्यों में तहसील देसूरी में कोट व लापी एनीकट सर्वे कर स्वीकृत किये गये हैं। तहसील देसूरी में ही बीरमपुरा माताजी ढालोप एनीकट का कार्य सर्वेशुदा है पर अभी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(2) स्वीकृत कार्यों में से आज तक किये गये कार्य का विवरण, खर्च की गई रकम, अधूरे कार्यों की सूचना एवं पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) तहसील देसूरी में बीरमपुरा माताजी ढोलोप एनीकट के कार्य सर्वेशुदा है । धनराशि की उपलब्धि होने पर ही इस कार्य को लिया जा सकेगा ।
लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सहायता करिए आप ।

श्री शीशराम ओला : आप ध्यान से नहीं सुनते ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री खंगार सिंह चौधरी : पांच सालों में कितने मंजूर हुए हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि दो कामों की स्वीकृति दी गई है, एक तहसील देसूरी में कोट और दूसरा लापी में । इन पर कितना बजट खर्च हुआ है, इसका कोई तखमीना नहीं है । इन्होंने लिखा है कि एक माह की अवधि में कार्य पूरा होना सम्भावित है, परन्तु वहां पर कोई कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है । जहां आपने बताया कि 80 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं, वहां आठ हजार का भी खर्चा नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, आपने भी मौका देखा है क्योंकि यह क्षेत्र आपके नजदीक है। वहां पर साधन की बहुत गुंजाइश है परन्तु राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यह खर्चा फर्जी बताया है ।

श्री शीशराम ओला : मैंने यह निवेदन किया है कि दोनों कार्य प्रगति में चल रहे हैं । एक लाख सत्तावन हजार में से अस्सी

(श्री शीशराम ओला)

हजार तीन सौ का खर्चा किया गया है और संपूर्ण कार्य एक माह में पूर्ण होने की आशा है।

श्री खंगार सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 80 हजार नहीं लगे हैं। इसकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री खंगारसिंह चौधरी : फर्जी बिल बने हैं, मैं साबित करने को तैयार हूं।

श्री शीशराम ओला : अगर वहां 80 हजार खर्च नहीं हुए हैं तो जिसभी अधिकारी ने गलत सूचना दी है वह कल से सस्पेण्ड...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप स्वयं मौके पर पधार कर देख लें।

श्री शीशराम ओला : मैंने सुन लिया। वहां 80 हजार का अगर खर्चा नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री मानसिंह देवड़ा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों के सन्दर्भ में उपलब्धि

41—श्री माधवसिंह दीवाना (सोजत)
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण के प्रचार, प्रसार व कार्य में सरकार ने कितनी राशि प्रोत्साहन, टी. ए., डी.ए. व प्रचार वगैरह पर व्यय की? कृपया मदवार विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) राजस्थान में जिलेवार कितने आपरेशन का टार्गेट केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया था तथा कितना अचीव हुआ और प्रति आपरेशन कितना व्यय हुआ? जिन जिलों में टार्गेट बहुत कम अचीव हुआ, वहां पर कार्यरत लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्यमंत्री चिकित्सा (श्री छोगाराम बाकोलिया : (1) पिछले तीन वर्षों के प्रचार व टी.ए., डी.ए., एवं प्रोत्साहन में खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

	वर्ष 82-83	83-84	84-85
प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय			
केन्द्रीय	238.31	269.19	360.00
राज्य योजना	113.13	106.79	105.25
विशेष केन्द्रीय सहायता	—	22.50	20.00
टी.ए., डी.ए. एवं यात्रा व्यय	20.15	33.50	47.50
प्रचार प्रसार विज्ञापन	9.99	26.27	27.89

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) केन्द्र सरकार द्वारा पूरे राज्य के लिए लक्ष्य तय किया जाता है तथा उसके अनुरूप जिलेवार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा आवंटित किये जाते हैं। अतः केन्द्र सरकार द्वारा जिले वार आपरेशन के लक्ष्यों को तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1982-83, 83-84 एवं 84-85 में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि संबंधी जिलेवार आंकडे देते हुए सूची सदन पटल पर रख दी गई है। उक्त वर्षों में प्रति आपरेशन व्यय निम्न प्रकार है।

वर्ष	1982–83,	83–84 एवं	84–85
रु.	346.38	413.62	540.73

वर्ष 82–83, 83–84 के जिलेवार लक्ष्यों से कम स्वैच्छिक जागृति होना एवं लक्ष्यों का अधिक आवंटन होना व अन्य स्थानीय समस्याओं जैसे, लेपरोस्कोप व अन्य उपकरणों की कमी व उस पर प्रशिक्षित सर्जन के न होने के भी कारण मुख्यतः रहे हैं।

वर्ष 1984–85 में जिन जिलों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम रही उनके कारणों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इस अध्ययन के परिपेक्ष्य में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही बाबत विचार किया जाएगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट--4 देखें)

(12.00 म.प.)

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो टार्गेट दिये गये थे जिसकी उपलब्धि पूरे प्रान्त में कहीं भी शत–प्रतिशत नहीं बताई गई, एक जगह भी शत–प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई है, उसके क्या कारण हैं ?

जो राशि आवंटित की गई है वह क्या जितना टार्गेट बताया गया है उसी के अनुसार खर्च हुई या पूरी राशि खर्चकरदी गयी ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई सारे विधायकों के द्वारा देने के कारण से इसका उत्तर बहुत डिटेल में दिया है। प्रश्न के उत्तर में मैंने कारण भी पूरे दे दिये हैं। इसके अलावा जिलेवार सूची भी मैंने सदन में दे दी है।

श्री अध्यक्ष : मुख्यतः एक बात बता दीजिये। जिस अनुपात में आपके टार्गेट पूरे हुए हैं क्या राशि भी उसी अनुपात में खर्च हुई है या पूरी की पूरी राशि खर्च हो गयी ?

श्री छोगाराम बकोलिया : पूरी राशि खर्च होने का प्रश्न ही नहीं था। उसके अन्दर लक्ष्य से कम काम हुआ तो राशि भी कम खर्च हुई है।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, कहीं भी शत–प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण हैं ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : शत-प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई, उसके कारण मैंने मुख्यतः उत्तर के अन्दर बताये हैं।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि परिवार कल्याण के कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार किनवर्गों में आप करना चाहते हैं ? जैसे जब 10 बच्चे हो जाते हैं, तब उनके बीच में प्रचार और प्रसार किया जाता है। मेरा उनसे यह निवेदन है कि सरकार, कालेजों और विश्वविद्यालय के युवकों के बीच इसका प्रचार-प्रसार कर इसे लोकप्रिय बनायें ताकि अधिक बच्चे होने की नौबत ही न आये। जब 10 बच्चे हो जाते हैं तब आपके यहां से प्रचार प्रसार होता है।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

काफी महत्व का सवाल है। देखिये, सुनिये।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : यह जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है यह मुख्यतः युवक युवतियों के बीच में होना चाहिए न कि....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : तो, क्या सरकार यह कराने का विचार रखती है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि नसबन्दी के लिये प्रोत्साहन हेतु वर्तन दिये जाते हैं, अगर दिये है तो ओसियां क्षेत्र में, पंचायत समिति में कितने गांवों के लोगों को वर्तन दिये गये हैं, कितनों को नहीं दिये गये हैं? यह बताया।

श्री अध्यक्ष : आपने जनरल प्रश्न पूछा है, इसको बताने में ये मजबूर हैं।

श्री नारायणराम बेड़ा : प्रोत्साहन के सम्बन्ध में जो खर्चा हुआ है उसके बारे में पूछ रहा हूं। परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहन के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : एक-एक पंचायत समिति का प्रश्न पूछेंगे तो यह अभी बता नहीं पायेंगे। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए क्या मुख्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री स्वयं आपरेशन करवा कर इसके अन्दर सहयोग देने का विचार रखते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थाना रावतसर में दर्ज सीमेंट का प्रकरण

31. **श्री डूंगर राम पंवार (टीबी) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या दिनांक 30-7-1984 को थाना पुलिस रावतसर में श्री राजेन्द्र सिंह जे. ई. एन. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सी. ए. डी. के विरुद्ध सीमेंट घोटाला केस दर्ज हुआ? यदि हां तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह सही है कि उप-महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर को भी इस

(२६)

(श्री डूंगर राम पंवार)

सीमेन्ट घोटाला काण्ड की शिकायत हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि संविधान विभागीय अधिकारियों को इस काण्ड की शिकायत की गई ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा धारा 102 जा०फौ० के अन्तर्गत सीमेंट जब्त कर जांच प्रारम्भ की गई थी ।

(2) जी हां । इस संबंध में अभियोग सं० 15 दिनांक 1·3·85 धारा 379/411 दर्ज किया जाकर अभियोग अनुसंधानाधीन है ।

(3) जी हां । शिकायत में उठाये गये मुद्दों की जांच पूर्णरूप से करवाई जा रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लाड़पुरा क्षेत्र में हैण्डपम्प्स की मरम्मत

36. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र लाड़पुरा में अब तक कितने हैण्ड पम्प्स लगाए गए हैं ? इन कुल हैण्ड पम्प में मंडाना पटवार क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में कितने हैण्ड पम्प्स लगाए गये हैं ?

(2) क्या सभी हैण्ड पम्प्स चालू हालत में है ? यदि कुछ खराब हैं तो कहां कहां के और उनकी कब तक मरम्मत करादी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लाड़पुरा में अब तक 200 हैण्ड पम्प लगाये गये है । मण्डाना पटवार क्षेत्र में मात्र गांव मण्डाना आता है जो पाइप जल योजना द्वारा लाभान्वित हैं । साथ ही इस गांव में 2 हैण्ड पम्प भी लगाये हुए हैं ।

(2) जी नहीं । खराब हैण्ड पम्पों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है । धन की उपलब्धि के अनुसार इनको ठीक करवाया जा सकेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

मीठड़ी फिरवासी क्षेत्रीय जलदाय योजना

37. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्षेत्रीय जलदाय योजना, मीठड़ी फिरवासी तहसील लाडनूं कब चालू हुई ? उसमें कौन कौन से गांव कितनी कितनी आबादी के थे और कितने कुए कितनी क्षमता के थे ?

(2) अब इस योजना में सम्मिलित कौन कौन से कितनी, कितनी आबादी के गांव हैं ? कौन कौन से गांव में पानी बराबर दिया जा रहा है और कौन कौन से में नहीं दिया जा रहा है और कब कब से ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हरजी राम बुरड़क)

(3) क्या यह सही है कि इस योजना में सारा पानी एक उच्च जलाशय जो कि फिरवासी गांव में बना है उसी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है जो अत्यन्त ही छोटा है ? यदि हां, तो दूसरा उच्च जलाशय ग्राम मीठडी में क्यों नहीं बनाया जाता जिससे मीठडी से आगे के गांव में पानी आसानी से पहुंच सके ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम मीठडी के एक दानदाता ने मीठडी में उच्च जलाशय बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये का दान देने की पेशकश की थी ? यदि हां, तो उक्त राशि क्यों नहीं ली गई ?

(5) इस योजना से लोगों को पानी सुचार रूप से मिले इसके लिए स्थानीय सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता आदि ने सरकार को क्या-क्या सुझाव दिए और उस पर क्या-क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

(6) अधीक्षण अभियन्ता, नागौर ने इस योजना का कब कब निरीक्षण किया और अपने स्तर से क्या क्या कार्यवाही की तथा उच्च अधिकारी स्तर पर क्या कार्यवाही की जाने की पेशकश की ? कृपया निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(7) उक्त योजना में कितने कर्मचारी किस स्तर के तैनात हैं और उनके कार्य की समीक्षा किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब कब की गई और उनके कार्य के बारे में क्या राय रही ?

(8) क्या इस योजना में तकनीकी कोई दोष है, यदि हां, तो क्या-क्या और उन्हें दूर करने के क्या-क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो इस आशय की जांच कब किस के द्वारा की गई ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मीठडी फिरवासी वर्ष 1972 में चालू की गई थी। गांवों के बारे में विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है ।

(2) विवरण सदन को पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) पत्र जिलाधीश नागौर के मार्फत प्राप्त हुआ था, किन्तु दानदाता द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है ।

(5) कनवई के कुए में बोरिंग हेतु 0.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिनसे लालासरी एवं जेसलाना ग्रामों के वितरण में सुधार हो सकेगा ।

(6) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है ।

(7) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है । मीठडी में कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय है जो कि हमेशा ही स्टाफ पर नियंत्रण रखते हैं । सभी कार्यरत कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक है ।

(8) जी नहीं । योजना संधारण अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, व कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में होता है । अत: जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरणों के लिये कृपया परिशिष्ट—7 देखें)

कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों की सड़कों का मास्टर प्लान

39. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है ?

(2) यदि हां तो जनवरी, 1979 के बाद मास्टर प्लान से अलग हट कर कितनी सड़कें बनायी गईं जिनमें राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ी ? गंगानगर जिले से सम्बन्धित ऐसी सड़कों की सूची मय दूरी व खर्चा राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनवरी, 1979 के बाद प्लान से हटकर लगभग 460 सड़कें बनाई गई जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली गई।

गंगानगर जिले से संबंधित सड़कों की सूचना मय दूरी व खर्च राशि के विवरण के साथ संलग्न हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें).

जयपुर नगर की पहाड़ियों से खनन के पट्टे

40. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की किस किस पहाड़ी पर कितने पत्थर कटाई के परमिट दिये हुए हैं, तथा कब से किस किस को ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कटी हुई पहाड़ियों से जयपुर नगर के सौन्दर्य पर पड़े प्रभाव पर गौर किया है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार खनन पट्टों के परमिट्स को रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) परिशिष्ट "क" सलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

नगरपालिका पाली में चुंगी दरें

41. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली नगरपालिका द्वारा किन-किन वस्तुओं पर तोल अथवा मूल्य पर चुंगी लगाई हुई है ?

(2) क्या नगर पालिका द्वारा चुंगी दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और उन

(सुश्री पुष्पा जैन)

पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि पाली नगर पालिका द्वारा प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं से अधिक चुंगी लगाई हुई है ? यदि हां, तो किन किन वस्तुओं पर और क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार अन्य नगरपालिकाओं के समकक्ष लाने हेतु पाली नगर पालिका की चुंगी दरों में संशोधन का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली नगर में जिन आयातित माल पर चुंगी तोल से तथा मूल्यानुसार लगाई जाती है, उसकी सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । नगरपरिषद पाली से चुंगी संशोधन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है । व्यापार संघ द्वारा अवश्य चुंगी संशोधन हेतु लिखा गया है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(3) यह सही नहीं है कि पाली नगर मे चुंगी की दरें प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं से अधिक है, वास्तव में पाली नगर चुंगी की दरें प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं के मुकाबले में कुछ आईटमों पर अधिक व कुछ में कम है ।

(4) राज्य की सभी नगरपालिकाओं में चुंगी की दरों में समानीकरण के प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कठूमर में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति

42. **श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में देवस्थान विभाग के मन्दिर तथा देवस्थान की भूमि व सम्पत्ति कहां कहां है ?

(2) क्या देवस्थान की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है, यदि हां तो कहां कहां किन किन व्यक्तियों का कब्जा है ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित व नियंत्रित कोई राजकीय मंदिर, भूमि अथवा सम्पत्ति नहीं हैं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा भू-खण्डों की नीलामी से न्यास को हानि

43. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)** : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 1982–83 में भूखण्ड की नीलामी की बोली प्रतिग्रहण में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेने से न्यास के कोष को रु. 84,878.79 की हानि पहुंचाई जिसका वर्णन लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने ऑडिट आक्षेप संख्या 21 में किया ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(2) यदि हां तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 (ए) के अनुसार उक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लोकल फण्ड आडिट ने अपने आक्षेप में वित्तीय वर्ष 82-83 में भूखण्डों की बोली प्रतिग्रहण में 84, 878/79 की हानि होना बताया है।

(2) नगर विकास न्यास से प्रति पालना रिपोर्ट मंगवायी गयी है। न्यास का उत्तर एवं आडिट आक्षेप का परिक्षण करने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

कोटा-लाखेरी, कोटा-खटकड़ मार्गों हेतु बस परमिट

44. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा-लाखेरी मार्ग एवं कोटा खटकड़ मार्ग पर निजी बसें कितनी कितनी चलाई जा रही हैं ? कृपया बसों के परमिट धारियों को सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त मार्गो पर नये परमिट देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कितनी बसों के ?

(3) क्या यह सही है कि परमिट दी गई बसें उक्त मार्गों पर संचालित नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा लाखेरी मार्ग पर 6 एवं कोटा खटकड़ मार्ग पर 3 परमिटों का स्कोप निर्धारित है। परमिट धारियों की सूची निम्नानुसार है :—

कोटा लाखेरी मार्ग :

1. मसंद ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रा० श्री ज्ञान चन्द मसन्द।
2. श्री हीरालाल मसन्द।
3. मैं० आवतराम पुरसवानी एण्ड संस
4. श्री श्रीनाथ शर्मा
5. श्री मोहनलाल मेवाडा
6. श्री ब्रिजेन्द्र कुमार गुप्ता।

कोटा-खटकड़ मार्ग :—

1. श्री हीरालाल मसन्द
2. श्री जसवन्त कुमार
3. मै. आवतराम पुरसवानी

(2) उक्त दोनों मार्गों की एक एक बस आबकारी विभाग द्वारा जब्त कर लिये जाने के कारण बंद है, जिनके स्थान पर अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। आबकारी विभाग द्वारा उक्त मार्गों की एक एक बस जब्त कर लिये जाने के कारण बन्द है।

डीग जलमहल के तालाब

45. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग जल महलों के दोनों तालावों एवं दूसरे तालावों के लिये पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुबन्ध हुआ था ? यदि हां, तो क्या ?

(2) मई 1985 में तालावों के पानी की व्यवस्था में किस-किस मद में कितनी धन राशि खर्च हुई, कितना पानी आया एवं पक्के तालाब व खाई में पानी आया या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। उत्तर प्रदेश एवं तत्कालीन भरतपुर रियासत के मध्य एक समझौता सन् 1905 में हुआ था। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) मई, 85 में तालाबों के पानी की व्यवस्था में कुल 22610)– रुपये का व्यय हुआ है। इस वर्ष नहर द्वारा 90 लाख घन फुट पानी आया। पक्के तालाब में तीन फुट पानी भरा व खाई में पानी नहीं आया।

(प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

माही परियोजना से लिफ्ट सिंचाई

46. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माही परियोजना के तहत सिंचित क्षेत्र के जो गांव बांसवाड़ा जिले से लिये गये हैं, उनमें नहरों द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जाता है ? क्या उन गांवों के लिये लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना है ? यदि हां, तो किन किन गांवों के लिये कब लागू की गई ? कृपया गांवों की सूची सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने लिफ्ट इर्रीगेशन योजना बांसवाड़ा से पंचायत समिति बागीदौरा व सज्जनगढ़ के गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कब से किन किन गांवों के लिये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माही परियोजना की नहरें अभी तक निर्माणाधीन हैं—अतएव परियोजना के तहत उल्लेखित समस्त गांवों में पानी नहीं पहुंचाया जा सका है। इनमें से अधिकतम गांवों को नहरों द्वारा पानी पहुंचाया जायगा तथा करीब 36 गांवों की 5800 हेक्टयर भूमि को लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। इन 36 गांवों की सूची परिशिष्ट–1 में है।

(2) सज्जनगढ़, बागीदौरा, कुशलगढ़ क्षेत्र के लिए लिफ्ट इर्रीगेशन की संभावना पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। गांवों के नाम एवम् भूमि जो लिफ्ट द्वारा सिंचित होगी, उसकी विस्तृत सूचना सर्वे करने के बाद ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

इटावा थाने में दर्ज शिकायत पर कार्यवाही

48. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इटावा के

(ऊ)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)
कोटा रोड नाका चुंगी मोहल्ले के नागरिकों ने इटावा थाने में 3-6-1985 को जगदीश नामक व्यक्ति के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों की टोली को इकट्ठा करने, गाली-गलोच करने तथा मारपीट करने की शिकायत इटावा थाने में कराई थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच जारी है।

पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण

49. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना में राज्य सरकार ने कितनी राशि कब से कब तक और किन-किन कार्यों पर व्यय करने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने पूर्व में भी आधुनिकीकरण की कोई योजना क्रियान्वित की थी ? यदि हां तो कब से कब तक तथा उसमें कितनी राशि व्यय की गई थी और किन-किन कार्यों पर ?

(3) क्या पूर्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिये कोई राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी और उसमें से कितनी राशि किन कार्यों पर कब-कब व्यय की गई ?

(4) पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण की योजनाओं में क्या सरकार पुलिस में और अधिक अनुशासन, नैतिकता और उसे आम लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम भी सम्मिलित करती है ? यदि नहीं, तो क्या इस दिशा में राज्य सरकार की कोई अलग योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और इसके अन्तर्गत क्या क्या कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं ? इस दिशा में सरकार की बाकी योजना और कार्यक्रम क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। दस वर्षीय पुलिस बलों के आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से वर्ष 1989-90 तक कुल 650.68 लाख धनराशि व्यय करने का अनुमान है जिन कार्यो पर यह धनराशि व्यय की गई है अथवा की जाना प्रस्तावित है है उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1969 से 1979 तक प्रथम दस वर्षीय पुलिस बलों के आधुनिकरण योजना क्रियान्वित की गई थी। उस योजना के अन्तर्गत कुल 423.93 लाख धनराशि व्यय की गई। जिन कार्यो पर व्यय की गई उसका विवरण परिशिष्ट "ब" में है।

(3) प्रथम दस वर्षीय योजना वर्ष 1969-70 से 1979-80 तक भारत सर-सरकार द्वारा 425.45 लाख की धनराशि आवंटित की गई उसमें से 423.93 लाख व्यय किया गया। कार्यो का विवरण परिशिष्ट "ब" में दिया गया है। संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(4) पुलिस आधुनिकीकरण योजना में पुलिस में अधिक अनुशासन नैतिकता एवं संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है परन्तु राज्य के सभी जिला पुलिस मुख्यालयों पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पुलिस कानि० से निरीक्षक पुलिस तक के सभी अधिकारियों को जनता के प्रति अपना व्यवहार सुधारने हेतु अभिवृत्यात्मक प्रशिक्षण योजनाबद्ध कार्यक्रम करवाया जा रहा है। शारीरिक स्फूर्ति एवं टर्न आउट बनाये रखने के लिये भी "आन दी जोब" प्रशिक्षण एवं मस्केट्री एवं फायरिंग प्रेक्टिस सभी जिला एवं आर० ए० सी० बटालियनों पर करवाई जा रही है तथा उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक पुलिस वर्ग के पद के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों पर रिफ्रेसर कोर्स चलाये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

उदयपुर में प्रकाश बाबेल की हत्या

50. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह मई, 1985 को उदयपुर में प्रकाश बाबेल की नेतक चौराहा पर सैकड़ों व्यक्तियों की उपस्थिति में चाकू मार कर हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो हत्या की एफ. आई. आर. किसने लिखवाई ? कृपया एफ. आई. आर. की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या हत्यारे गिरफ्तार हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं ? यदि नहीं तो गिरफ्तार नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना श्री प्रकाश द्वारा दर्ज करवाई गई थी। प्रथम सूचना की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं 1. सत्यनारायण 2. नरेन्द्रसिंह 3. अर्जुनसिंह 4. इन्द्रसिंह 5. हरीश 6. गोपाल 7. मांगीलाल 8. गोपाल 9. ललितकुमार 10. राजेन्द्रसिंह गिरफ्तार किये जा चुके है। कोई अभियुक्त गिरफ्तार हेतु शेष नहीं है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

कुओं का विद्युतीकरण

51. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने कुओं का विद्युतीकरण हो चुका है ? इनमें से कितने कुओं पर कितने होर्स पॉवर के कुल कितने कनेक्शन फ्लेट रेट के तहत दिये हुए हैं तथा इनसे प्रति होर्स पावर कितनी आय होती है ?

(2) कृषि के उपयोग में लिये जाने वाले कुए, जो मीटर प्रणाली से चल रहे हैं उनमें कुल कितने होर्स पावर के कनेक्शन दिये हुये हैं व प्रति होर्स पावर कितनी आमदनी होती है ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(३२)

(ऊर्जा मंत्री)

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा 31 मार्च, 1984 तक 253789 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण किया जा चुका था। इनमें से 57,649 कृषि कुओं पर निम्न तालिकानुसार निम्न हार्स पावर के फ्लेट रेट के तहत विद्युत कनेक्शन दिये गये है :—

3 हा० पा०	8,485
5 हा० पा०	22,081
7.5 हा० पा०	14,418
10 हा० पा०	11,945
कुल	57,649

फ्लेट रेट से कितनी आय होती है इसका ब्यौरा पृथक रूप से नहीं रखा जाता है। फ्लेट रेट के अन्तर्गत दिनांक 16.4.1982 की अधिसूचना के अनुसार निम्न टेरिफ लागू है :—

1. उन कनेक्शनों पर जिनका कुल भार 3 हा० पा० तक है।	रु०. 192/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
2. उन कनेक्शनों पर जिनका कुल भार 3 हा० पा० से अधिक 5 हा० पा० तक है।	रु० 216/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
3. उन कनेक्शनों पर जिनका कुल भार 5 हा० पा० से अधिक है लेकिन 7.5 हा० पा० तक है।	रु० 252/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
4. उन कनेक्शनों पर जिनका कुल भार 7.5 हा० पा० से अधिक है लेकिन 10 हा० पा० तक है।	रु० 265.20/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष

(2) मीटर प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 31.3.1984 तक 11,51446 होर्स पावर के कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये हुए थे। इन कुओं से होने वाली आय का विवरण अलग से संकलित नहीं किया जाता है। तथापि फ्लेट रेट एवं मीटर प्रणाली से चलने वाले कुओं से वर्ष 1983–84 में कुल रुपये 24,97,77,242.59 राजस्व प्राप्त हुआ।

जोधपुर संभाग में नए वृत्तों का सृजन

52. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग में मुख्य अभियन्ता, ओ. एण्ड एम. द्वारा पाली, सिरोही, नागौर, जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर

(श्री नारायण राम बेडा)

वृत्तों के सृजन के प्रस्ताव पेश किये गये थे ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) उक्त प्रस्तावों पर मण्डल द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली एवं सिरोही जिला मुख्यालयों पर वृतों के सृजन हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) द्वारा वर्ष 1979-80 में मण्डल के विचारार्थ भेजे गये थे। इन पर पुनविचार के पश्चात् पुन: माह अप्रेल, 1984 में संशोधित प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा.) द्वारा मण्डल को भेजे गये थे। नागौर जिले के मुख्यालय पर वृत के सृजन के प्रस्ताव 25.5.1985 को मण्डल के विचारार्थ भेजे गये हैं।

(2) मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 13.11.1984 के तहत जोधपुर के दो वृतों का पुनर्गठन करके पाली, सिरोही एवम् जालौर जिलों के क्षेत्र को परि. एवं संधा. वृत पाली, मुख्यालय जोधपुर के अधीन व जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के क्षेत्र को परि. एवं संधा., जोधपुर वृत के अधीन रखा गया है एवं उक्त आदेशों का क्रियान्वयन दिनांक 1.4.1985 से कर दिया गया है। नागौर जिला मुख्यालय पर वृत कार्यालय के सृजन के प्रस्ताव पर कुछ और सूचना मण्डल सचिवालय द्वारा मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा.) से चाही गई है।

सांचोर में ग्रामीण विद्युतीकरण

53. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचोर सब डिविजन जिला जालौर में सांचोर आर. ई. सी. में कितने गांव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में आये हुए हैं व कितने गांव बाकी बचे हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इन गांवों को कब तक विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ले लिया जावेगा ?

(2) सांचोर आर. ई. सी. में आए हुए गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? बाकी बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण कब तक होने की संभावना है ?

(3) सांचोर आर. ई. सी. के विद्युतीकृत गांवों में किन किन गांवों में कितने कितने सिंचाई कुओं पर पावर कनेक्शन कर दिए गए हैं एवं कितने-कितने सिंचाई कुओं पर किन-किन गांवों में पावर कनेक्शन करने हेतु सब डिविजन में प्रकरण कितने समय से लम्बित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पेंडिंग पावर कनेक्शन की फाईलों के आधार पर कब तक कितने सिंचित कुओं पर पावर कनेक्शन लगा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांचोर जिला जालौर की आर.ई.सी. योजना में 88 ग्राम सम्मिलित हैं। पंचायत समिति सांचोर के शेष 72 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अभी

(३५)

(ऊर्जा मंत्री)

कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः इन गांवों के विद्युतिकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) आर. ई. सी. सांचोर योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 19 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(3) सांचोर आर. ई. सी योजना के अन्तर्गत 538 कृषि कुओं को माह मार्च, 1985 के अन्त तक विद्युत कनेक्शन दिये। जा चुके हैं तथा 2389 कृषि कुओं के कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। ग्रामवार विवरण देते हुये सूची "ब" संलग्न है।

(4) योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप कृषि कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अतः सभी विचाराधीन आवेदनकर्ताओं को कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे। इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

धौलपुर के गांवों का विद्युतीकरण

54. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, धौलपुर में कुल कितने गांवों को 31 मई, 1985 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा इनसे कितने कृषि कनेक्शन दिये गये हैं? कुओं पर सिंचाई हेतु बिजली के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं? कृपया विद्युतिकृत गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1985-86 में कितने गांवों को विद्युतिकृत करने की योजना है तथा कितने कृषि कूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 31 मई, 1985 तक 51 ग्राम तथा एक कस्बा धौलपुर का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिनमें 124 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 33 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। विद्युतिकृत ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

वर्ष 1985-86 में विद्युतीकरण करने हेतु अभी तक कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। अतः ग्रामों के विद्युतीकरण व कृषि कुओं का ऊर्जीकरण करने के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विद्युत मण्डल द्वारा खड़ी कराई गई तार लाइनें

55. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मण्डल ने वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में कितनी तार लाइनें खड़े करने का कार्य ठेके पर दिया है?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कृपया तार लाइनों की सूची, उनकी लम्बाई, ठेके की राशि एवं कार्य पूर्ण की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन तार लाइनों को ठेके पर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल ने वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में जो तार लाइनें ठेके पर खड़ी करवाई गई हैं, उनकी सूची मय लम्बाई, ठेके की राशि एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि बताते हुये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मण्डल में उपलब्ध श्रमिकों को परिचालन एवं संधारण कार्यों पर लगाने के पश्चात् कुशल एवम् अर्द्ध-कुशल कामगारों की कमी के कारण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य ठेके पर करवाए गए।

(सूची के लिये, कृपया परिशिष्ट देखें)

सांगानेर कस्बे को गांधीनगर ग्रिड स्टेशन से विद्युत प्रदाय

56. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के सांगानेर कस्बे के लिए विद्युत सप्लाई जुलाई, 1981 की बाढ़ के पूर्व गांधीनगर ग्रिड से की जाती थी ?

(2) क्या यह व्यवस्था उक्त बाढ़ के समय गड़बड़ हो गयी और उसे अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया है ?

(3) अब सरकार इसे गांधीनगर की लाईन से कब तक जोड़ देगी ताकि सांगानेर को जयपुर के समकक्ष बिजली मिल सके ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केसरीसिंहपुर क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

57. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में कितने गांवों की हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई गई है ? कृपया ग्राम वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) शेष गांवों की हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में विद्युतीकृत ग्रामों में 51 हरिजन बस्तियों को बिजली पहुंचाई गई है। ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर हरिजन वस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

जोधपुर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

58. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में 1984-85 में किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) जोधपुर जिले में 1985-86 में किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जावेगा ?

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक जोधपुर जिले के कौन कौन से ग्राम विद्युतीकरण से वंचित रहेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1984–85 में 50 ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया जिसकी सूची "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1985–86 में ग्रामों के विद्युतिकरण करने का कार्यक्रम अभी नहीं बनाया गया है। अतः वर्ष 1985–86 में कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया जावेगा इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कौन-कौन से ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा इस प्रकार का कार्यक्रम निश्चित नहीं है। अतः विद्युतिकरण से वंचित रहने वाले ग्रामों के संबंध में फिलहाल कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

छीपा बड़ोद में मुंसिफ कोर्ट

60. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री प्रभूलाल (नैनवा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का जनहित में छीपावड़ोद में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए छीपाबड़ोद में मुन्सिफ कोर्ट खोलना संभव नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सीकर जिले में हुए अग्नि काण्ड

61. **श्री माला राम** (खेतड़ी)
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1984 से अब तक सीकर जिले में कितने गांवों में अग्नि काण्ड हुए व कितने परिवार अग्नि काण्ड से प्रभावित हुए व उनका कितना नुकसान आंका गया ?

(2) इन परिवारों को राज्य सरकार से किस-किस मद से कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 1984 से सीकर जिले में अब तक 369 ग्रामों में अग्निकाण्ड हुए व 1117 परिवार अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए व उनका 93,66,247/– रुपये का नुकसान आंका गया है।

(2) इन परिवारों को राज्य सरकार के सहायता मद 289–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत (प) अग्नि सहायता से 4,10,825/– रु. एवं मुख्य मंत्री महोदय के अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से 35,525/– रु. की आर्थिक सहायता दी गई है।

नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण

62. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में इस वर्ष अकाल राहत कार्य के तहत सड़कों का कार्य अभी तक क्यों नहीं चालू किया गया है ? यह कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(2) परबतसर में खारिया तालाब की फीडर डीवोलाई का काम चालू क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) सरकार की नीति के अनुसार प्राथमिकता में प्रथम जल स्रोतों के विकास कार्य, फिर भू-संरक्षण, सिंचाई एवं वन विभाग से संबंधित राहत कार्य तथा अंतिम प्राथमिकता में सड़कों के राहत कार्य स्वीकृत कर चालू किये गये हैं। नागौर जिले में भी इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के रूप में सड़कों के कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं जो चालू हैं।

(2) परबतसर में खारिया तालाब की फीडर डीवोलाई का कार्य नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होने के कारण राहत कार्यों के तहत स्वीकृत नहीं किया गया है।

ग्राम आंटा में बांध निर्माण

63. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर तहसील के ग्राम आंटा में इस वर्ष एक बांध का कार्य आरम्भ किया गया था जिसे बाद में बन्द कर दिया गया ?

(2) क्या सरकार इस अधूरे कार्य को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूरा करायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बाड़मेर तहसील के ग्राम आंटा में इस वर्ष राहत कार्यों के अन्तर्गत एक बांध का कार्य आरम्भ किया गया था। इस कार्य को ग्रामवासियों के एतराज एवं भूमि के संबंध में झगड़ा होने के कारण दिनांक 11.5.85 को बन्द कर दिया गया।

(2) ऐसा प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन नहीं है।

शहनावदा व मियाना क्लोजर के वन कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

64. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के शहनावदा तथा मियाना क्लोजर के वन कर्मियों द्वारा किसानों को परेशान करने, उनसे मनमानी रकम वसूल करने, उनके पशुओं को पकड़ लेने की शिकायत वहां के पशुपालकों ने की है ?

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) शिकायतों की जांच क्रमशः क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ तथा सहायक वन संरक्षक, गश्त दल, कोटा द्वारा की जा रही है । जांच के उपरान्त किसी के दोषी पाये जाने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

सहकारी उपभोक्ता संघ व सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के सेवा नियम

65. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के सहकारी उपभोक्ता संघ एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिए सेवा नियम गठित हैं ? यदि हां, तो क्या यह सेवा नियम समान हैं ?

(2) क्या राज्य के उपभोक्ता संघ एवं भण्डारों में वेतन मानों में संगति है ? यदि नहीं, तो वेतन मान निर्धारित करने के क्या मापदण्ड हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । संस्थाओं को अपनी आर्थिक स्थिति को मद्दे-नजर रखते हुए वेतनमान निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

दुग्ध अवशीतन का ठेका

66. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) **श्री हीरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या पशु पालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पूर्व में राजस्थान राज्य दुग्ध डेयरी उपभोक्ता फैडरेशन लि., जोधपुर द्वारा दुग्ध अवशीतन हेतु अनुबंध के आधार पर दूध ठंडा करने का कार्य नागौर स्थित किसी बर्फ फैक्ट्री को दिया गया था ? अनुबंध की शर्तें क्या थीं ?

(2) वर्ष 1980 से 1982 तक नागौर स्थित डेयरी कार्यालय स्टाफ रजिस्टर के अनुसार कितना दूध ठंडा होना पाया जाता है ? क्या संबंधित फर्म ने स्टाक रजिस्टर के मुताबिक बिल पेश किये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने के एवं उसका उक्तानुसार कुल कितना भुगतान किया जाना है ? कृपया स्टाक रजिस्टर में अंकित संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त राशि का भुगतान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इसका मुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की जोधपुर इकाई द्वारा दुग्ध अवशीतन का कार्य नागौर स्थित श्रीराम ग्राइस फैक्ट्री को दिनांक 30.4.1980 को अनुबंध कर दिया गया था । अनुबंध की प्रति संलग्न है ।

(2) वर्ष 1980 से 1982 तक कुल 11,40,010.6 लीटर दूध ठंडा किया गया । अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्व में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का 76 289.73 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 28,556.48 रु. का भुगतान और शेष है ।

(3) जी हां, फर्म को 28,556.48 रुपये का भुगतान किया जाता है, बशर्ते फर्म की ओर किसी अन्य प्रकार की वसूली बकाया न हो । उक्त राशि का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा त्रुटिपूर्ण बिल प्रस्तुत करने और त्रुटि के समाधान हेतु बुलाये जाने पर भी फर्म के प्रतिनिधि के नहीं आने के कारण शेष बकाया है । फर्म द्वारा सही बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

होम्योपैथिक चिकित्सालय

67. श्री हरिश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो राज्य में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कितने हैं व कहां कहां हैं ?

(2) इन चिकित्सालयों में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स व च.श्रे. कर्मचारी के कितने कितने पद स्वीकृत हैं ?

(3) क्या स्वीकृत पदों पर होम्योपैथिक डाक्टर्स कम्पाउण्डर्स आदि की नियुक्ति कर दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "अ")

(2) इन चिकित्सालयों/औषधालयों में स्वीकृत पद निम्न प्रकार हैं :—

1. होम्योपैथिक डाक्टर 82 पद

2. नर्स/कम्पाउण्डर 85 पद

3. च०श्रे०क० 82 पद

स्वीकृत पदों में से निम्नानुसार होम्योपैथिक औषधालयों में होम्योपैथिक डाक्टर एवं नर्स/कम्पाउण्डर्स नियुक्त हैं :—

1. होम्योपैथिक डाक्टर 54

2. नर्स/कम्पाउण्डर्स 83

(3) जिन स्थानों पर होम्योपैथिक डाक्टर्स के पद रिक्त हैं उसकी सूची

(आयुर्वेद मंत्री)

(परिशिष्ट "व") सदन के पटल पर रख दी गई है। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–20 देखें।

पाली जिले के चिकित्सा केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र

68. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में किस-किस स्थान पर कितने-कितने चिकित्सा केन्द्र व उप स्वास्थ्य-केन्द्र हैं ? क्या उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन. एम. कार्यरत हैं और कहां-कहां पर नहीं हैं ? जहां उपरोक्त स्टाफ नहीं है, वहां कब तक स्टाफ का पद-स्थापन कर दिया जावेगा ?

(2) प्रति वर्ष इन केन्द्रों पर कितनी कीमत की दवाइयां दी जाती हैं ? क्या यह भी सही है कि अधिकतर उप केन्द्रों में आवश्यक उपकरण एवं पूरी दवाइयां नहीं होने से जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या, व नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर कर दी जायेगी।

(2) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्रति वर्ष, क्रमशः रुपये 15000/- से 18000/- एवं रुपया 2000/- की औषधियां देने का प्रावधान है। आवश्यकतानुसार उक्त राशि से अधिक की दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकांश उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

पुष्कर के रेफरल अस्पताल

69. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पुष्कर में रेफरल अस्पताल स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो मापदण्ड के अनुसार उसमें कितनी शैय्यायें होनी चाहिये ? वास्तव में कितनी शैय्यायें हैं ? क्या सरकार कम शैय्याओं की शीघ्र पूर्ति करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पुष्कर-चिकित्सालय में रेफरीजेरेटर नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक रेफरीजेरेटर लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां,

राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक एफ 12(127)ग्रुप 2/ दिनांक 5.10.84 के द्वारा 30 रोगी शैय्याओं के रेफरल अस्पताल

(चिकित्सा मंत्री)

(कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर) में क्रमोन्नत कर दिया गया है। वर्तमान में 30 रोगी शैय्यायें हैं।

(2) जी हां।

योजना मद में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना संभव होगा।

बाड़मेर जिले के स्वास्थ्य केन्द्र

70. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एडपोस्ट पर वर्ष 1984-85 में कर्मचारियों के वेतन एवं दवाइयों के लिए कितना कितना खर्चा हुआ ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुड़ामालानी, सिणधरी, धोरी मन्ना एवं बायतू तथा डिस्पेन्सरी नोखडा एवं परिवार कल्याण केन्द्र सरणू के लिये दवाइयों हेतु वर्ष 1984-85 में कितना कितना खर्चा किया गया ? कृपया पृथक-पृथक ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) इन मेडिकल यूनिटों के लिए आवश्यकता के अनुसार दवाइयों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराये जाने से मरीजों का सही उपचार नहीं होने के कारण क्या सरकार पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

सभी संस्थानों को राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दवाइयों के लिये लेखा शीर्षकानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्या, विधान सभा की ओर से जीरा, रायड़ा व इसबगोल के मूल्यों में कमी होने के बावजूद सरकार द्वारा इनकी खरीद की कोई व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शोपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा नहर तथा गंग नहर की लगातार बन्दियों से किसानों को नुकसान के सम्बन्ध में।

(3) श्री मानिक चन्द सुराना, श्री दिग्विजसिंह और श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल राहत कार्यों पर कम रोजगार उपलब्ध कराने व पशुओं

(५७)

(श्री अध्यक्ष)

के लिये सस्ती तूड़ी व चारे का प्रबंध न करने के सम्बन्ध में।

(4) डा० किरोड़ीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर तहसील के गांवों में अकाल राहत कार्य चालू नहीं करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूलेट, सांगोद, दहीखेड़ा व मांगरोल में दंगे भड़कने के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा की ओर से एस० एच० ओ० गंगाशहर द्वारा एक व्यक्ति की उसके घर में घुस कर हत्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नगर में वितरित किये जा रहे पेयजल में डी. टी. एस. की मात्रा अधिक होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गणेश लाल बैरागी, सदस्य विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में सहकारी ऋणों की जबरन वसूली के सम्बन्ध में।

(10) श्री भंवरलाल (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के प्रमुख बाजारों के दोनों ओर बनी नहरों की सफाई न होने से वर्षा ऋतु का पानी निकलने में बाधा के सम्बन्ध में।

(11) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिलोरा बांध की चादर को चार फीट नीचे करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में अकाल की विषम स्थिति से पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

1. श्री दाऊदयाल जोशी और श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा एवं बूंदी जिलों में भू-समतलीकरण के अनियमित अवैध कार्यों की जबरन धन वसूली के सम्बन्ध में। यह स्थगन प्रस्ताव अस्पष्ट है।

2. श्री कालीचरण सराफ और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के महाविद्यालयों और स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश न होने के सम्बन्ध में।

3. श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान रोडवेज की बसों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में।

4. डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की सड़कों व गलियों में लाइट की कमी के सम्बन्ध में।

5. श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में एवं शेरगढ़ तहसील में पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है मैं उन्हें क्रमशः पुकारूंगा, दो-दो मिनट में वे अपनी बात सदन में कहेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव फेमिन के बारे में, बीकानेर जिले के बारे में थे, उन पर आपने यह व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी मंगवायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फेमिन की स्थिति यह है कि पशु मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार नहीं चाहती है, यह हर हालत में समय निकालना चाहती है। राजस्थान की जनता के इस प्रकार के जो...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : हत्या का कार्यक्रम चल रहा है, जानवर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। पशुओं के लिये कहीं चारे की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मजदूरी की व्यवस्था नहीं है। आज इस प्रकार का जो करोड़ों का कार्यक्रम चल रहा है बोवाई के लिए कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। फेमिन रिलीफ वर्क्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मजबूर किसलिए कर रही है यह सरकार ? लोग मर रहे हैं, पशु इस प्रकार से मर रहे हैं। यह सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। इनके पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है, निर्णय नहीं लिया है, निर्णय हो जाने दीजिये। माननीय सदस्य आसन के ऊपर विश्वास रखिये थोड़ा सा। जानकारी आने पर मुझे मालूम है कि क्या करना है। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। नियमों का पालन करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे यही चाहता हूं आप सहयोग करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान....

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के कई जिलों में अकाल है। आप कोई तारीख इस पर चर्चा के लिए तय करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे निर्णय लेने दीजिये। मैं इस पर विचार करके कहूंगा। मैंने आपसे ना तो नहीं कहा, अस्वीकार तो नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराना : ना तो नहीं किया। सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न की गम्भीरता को, इस मुद्दे को गम्भीरता को देखते हुए आप इनसे दो दिन में, तीन दिन में वक्तव्य देने को कहें ताकि इस पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी मुझे कहना है, निर्णय के तौर पर कहूंगा माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जानकारी मंगवाने के लिए यहां पर व्यवस्था दी है। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि राज्य सरकार से हमेशा 10-10, 15-15 दिन में जानकारी आती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखते हैं 10-15 दिन में कैसे जानकारी आयेगी ? जल्दी आयेगी जानकारी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है, बाकी मसले तो चलते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गम्भीरता को मैं समझ रहा हूं। आपकी जो इसके प्रति भावना है, उसको मैं समझ रहा हूं। मैं इसको ओवरलुक नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर राज्य सरकार का जवाब आये। मैं उसका निर्णय आपके सामने दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता खड़े हैं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से अकाल के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाये कि कितने गांवों में अकाल पड़ा है, सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, राहत कार्य कितने खोले गये हैं, पानी की क्या व्यवस्था की है। सरकार को विधान सभा सत्र आरम्भ होते ही इस प्रकार की एक रिपोर्ट, टिप्पणी प्रस्तुत करनी चाहिए। यह ऐसा विषय है जिस पर बीकानेर की चर्चा से काम चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको बी.ए.सी. की मीटिंग में तय कर ले।

श्री अध्यक्ष : वही कह रहा हूं। तीन बजे मीटिंग है, उसमें बात कर लेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत आवश्यक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कल मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको आपने सरकार को जानकारी के लिये भेजा। पहले तो आठ मरे थे, अब उससे बढ़ कर वह संख्या 13 हो गयी है। 200 लोग पेचिस से बीमार थे, उनकी संख्या 300 पहुंच गयी है। वहां के जिलाधीश महोदय वक्तव्य प्रसारित कर रहे हैं कि आज उनको ठीक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह नितान्त गलत है, भ्रामक है। लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। मैं आपका ध्यान इसलिए इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस तरह की बातों से आखिर क्या होगा ? सरकार इस बारे में ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कोशिश करूंगा कि इसका उत्तर कल तक पहुंच जाये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को आपने यह रेफर किया है लेकिन यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया है इसकी महत्ता इतनी है कि गंगानगर जिले में तमाम नहरों में बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : बोलने का समय दूंगा आपको लेकिन जब मैं निर्णय दूंगा तब।

श्री नवरंग सिंह : मैं बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष : जल्दी जवाब आ जाय ? ठीक है।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का औद्योगिक और कृषि प्रधान क्षेत्र कोटा जिला है, उसी कोटा जिले में चम्बल सिंचित क्षेत्र में किसानों के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं वह सारी परम्पराओं को तोड़ चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचित क्षेत्र के अनपढ़ किसानों में आज से सात साल पहले जबरदस्ती अंगूठे लगाकर कैचमेंट के नाम पर लाखों रुपया गरीब काश्तकार के सर मढ़ दिया गया है। कैचमेंट का एक अच्छा कार्य था लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण, प्रशासनिक त्रुटियों के कारण, आज हर व्यक्ति त्रस्त है। कैचमेंट के कार्य के कारण जहां पूरे क्षेत्र में पानी पहले ठीक प्रकार से आता था वहां अब पानी नहीं रुकता है। जहां रास्ते थे, वहां रास्ते नहीं हैं। खाले थे जहां पर, खेत थे, सारे के सारे खेतों को इस कैचमेंट ने बिगाड़ दिया है। हम यह अपेक्षा करते थे कि कैचमेंट से किसानों की उपज दुगुनी होगी लेकिन किसानों की उपज दुगनी होने की जगह सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही घटती जा रही है। कैचमेंट के माध्यम से सरकार आज भी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि कितना रुपया सरकार काश्तकार से प्रति बीघा के हिसाब से लेगी। बराबर हम जन प्रतिनिधि काश्तकार चम्बल सिंचित क्षेत्र के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में पूछते रहे कि इस कैचमेंट का कितना पैसा लेंगे। पर कभी नहीं बताया। कभी बताया 300 रु. प्रति बीघा, कभी 400 रु. प्रति बीघा, कभी 500 रु. प्रति बीघा बताया। आज काश्तकारों से 1100 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से कैचमेंट का खर्चा वसूल

(५८)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

करने की सरकार तैयारी कर रही है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि क्या वह गरीब काश्तकार से 1100 रु. वसूल कर सकेगी? कभी नहीं कर सकेगी। आपने बैंकों से काश्तकारों को लोन दिला दिया। आज बैंक वाले जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कुड़की निकाली जा रही है, जमीन छीनी जा रही रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सरकार स्वयं मालिक है जमीन की सरकार मालिक है तो क्या सरकार ने अपनी स्वयं की जमीन को ठीक किया है, उसका समतलीकरण किया है, उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। वह किसान की जमीन नहीं है, किसान मालिक नहीं है, सरकार मालिक है तो कोई कारण नहीं कि सरकार आज गरीब काश्तकार से जोर जबरदस्ती के आधार पर, डण्डे के आधार पर, कुड़की के आधार पर, खेतों की जब्ती के आधार पर खेतों को छीनें। मेरा निवेदन है कि आज सरकार को स्वयं यह महसूस हो गया है कि पुराना कर्जा था, वह गलत था। तीन जन्म धारण कर लें तब भी कर्जा नहीं चुका सकता है। कर्ज के बाद ब्याज और ब्याज के बाद चक्रवृति ब्याज, ऐसा कहीं नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में। जब गंगानगर के काश्तकार आपके मुख्यमंत्री से मिलने जन प्रतिनिधियों को लेकर जाते हैं तो मुख्यमंत्री गंगानगर के किसानों का ब्याज छोड़ देते हैं, खाले में छूट देते हैं, लेकिन चम्बल सिंचित क्षेत्र का गरीब काश्तकार है, उसकी जो जमीन ली समतलीकरण के नाम पर, कैचमेंट के नाम पर और जो दूसरी दी गयी है वह बिल्कुल अव्यवस्थाओं से भरपूर है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब स्वयं सरकार ने यह महसूस कर लिया है। अब 1984–85 में जब सरकार को यह महसूस हुआ कि एक पैसा नहीं आयेगा तो स्वयं सरकार ने यह योजना बनायी है। जो कैचमेंट पुराना है उसके किये को 1100 रुपया लेंगे। पर आज की तारीख में जो कैचमेंट चालू किये हैं उसका आधा अनुदान सरकार ने दिया है और 1100 रुपये के बजाय 167 रु. प्रति बीघा का खर्चा लेना स्वीकार किया है। सरकार स्वयं त्रुटि महसूस कर रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने गलती महसूस की है, और 167 रु. प्रति बीघा का खर्च लेना स्वीकार किया है। सरकार स्वयं त्रुटि महसूस कर रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने गलती महसूस की है और 167 रु. प्रति बीघा सरकार वसूल करने की बात कर रही है। आज सारे, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा क्षेत्र में आग लगी हुई है–मंत्री महोदय। चश्मे वाले मंत्री जी, आपसे कह रहा हूं कोटा जिले में आग लगी हुई है। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर आपके अधिकारी जबरदस्ती वसूली करेंगे तो बगावत होगी। आज से तीन दिन पहले 8 हजार काश्तकारों ने सुल्तानपुर में एक जुलूस निकाला है। कोटा हाड़ौती क्षेत्र जल रहा है। अगर हाड़ौती क्षेत्र के लोगों से आपका इस प्रकार का व्यवहार रहा, इस प्रकार की दुर्व्यवस्था रही, गड़बड़ी रही, भेदभाव का व्यवहार रहा तो पूरा हाड़ौती क्षेत्र जल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जायेगा। कैचमेंट का कार्य अव्यवहारिक था। इस वसूली को एकदम स्थगित करें। अध्यक्ष महोदय, अगर आपने वहां पर जोर जबरदस्ती की तो वहां के लोग लट्ठ लेकर खड़े हो जायेंगे। अपनी एक इंच जमीन आपकी नहीं देंगे। मेरा पुरजोर निवेदन है कि इस कैचमेंट के अन्दर जो आपने 1100 रुपये बीघा एकदम लगा दिया है, उसको तुरन्त वापस लें। सारा पैसा अनुदान में दें। केवल राजस्थान में दो जिले हैं, एक गंगानगर और दूसरा कोटा, जो कि राजस्थान का पेट पालते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस हाड़ौती क्षेत्र के साथ मजाक नहीं करें। हर व्यक्ति आन्दोलन में शरीक है, जेल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई भी व्यक्ति अपना हक इस प्रकार नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : महोदय, कैचमेंट का कार्य सिद्धांत: एक अच्छा कार्य था, किसान इस काम के लिए स्वत: राजी होता है लेकिन सरकार की जो अव्यवस्था रही, इस कार्य में जो अनियमितता और भ्रष्टाचार पनपा, उससे किसानों की यह हालत हो गयी कि पहले तो किसानों के खेतों में सिंचाई होती थी लेकिन कैचमेंट के नाम पर कि खेत को समतल, तो किया नहीं, बल्कि पहले तो सिंचाई होती थी, वह भी अब नहीं हो रही है। उल्टे घेर कर दिये हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। किसानों से जमीन छीनी और बाद में जो अलाटमेंट की, वह किसानों को बहुत कम मिला है। किसानों के कई केसेज सी.ए.डी. के ए.डी.एम. के पास चल रहे हैं। जो जमीन बांटी है वह प्रतिशत के हिसाब से नहीं बांटी है, मनमाने ढंग से बांटी है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ड्रेनेज की नालियां बनी हुई हैं। उनमें अव्यवस्था है। पानी कई जगह भर जाता है, जो धोरे बनाये हैं वह ऐसे बनाये हैं कि उनका आउट लेट सही नहीं है। पानी चलता नहीं है। जहां पर ड्रेनेज बना है वहां पुलिया नहीं बनाने की वजह से किसानों का आना जाना बंद हो गया है। इसके कारण वहां पर जो डीजल वगैरह बिका है वह किसानों के लिये और महंगा हो गया है। जब काम को जब शुरू किया था तो इसकी मांग किसानों ने शुरू से की है। परन्तु यह जो काम हो रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा है। अनियमिततायें हैं, भ्रष्टाचार है। सरकार पहले तो आश्वासन देती रही कि कीमतें कम करेंगे, जनता सरकार से मांग की तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस कीमत को कम करेगी लेकिन ज्यों ही सरकार बदली, सरकार मुकर गयी और कीमत कम करने के बजाय किसानों से भारी रकम वसूल करना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर किसान राजी नहीं हुए तो उनसे बिना मर्जी से, धोखे से दस्तखत करा लिये। ऐसी बातें बाद में सामने आयी है कि किसान मना करता रहा और जबरदस्ती पुलिस फोर्स के आधार पर कैचमेंट किया है। नियमों में यह प्रावधान है कि यदि किसान राजी होता है, अपने मन से अपनी जमीन गिरवी रखना चाहता है तो उसी जमीन को गिरवी रखा

(श्री हीरालाल आर्य)

जायेगा। उसके खेत में कैचमेंट किया गया वह मनमानी और जबर्दस्ती करके किया गया। अब हालत यह है कि पैसा इतना हो चुका है कि किसान जिन्दगी भर तक चुकाता रहे, अपनी जमीन बेच दे, खेत बेच दे, मकान बेच दे तो भी इस पैसे को चुका नहीं सकता। किसानों से सरकार ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूल करना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : 3–4 साल बाद अब उनको यह कहा गया है कि इतना पैसा देना है। किसान लोग कहते हैं कि हम समय पर देते तो इतना नहीं होता। पर दे नहीं सकते थे, अतः ब्याज की रकम दुगुनी लगाकर इस प्रकार से वसूली की जा रही है कि किसान को विरोध करना पड़ रहा है। अभी पिछली 24 तारीख को मीटिंग थी। जो किसान इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहा कि कर्जा हम दे नहीं सकते हमारी सामर्थ्य नहीं है। किसानों ने निर्णय लिया कि कैचमेंट का हम पैसा नहीं देंगे। आने वाली आठ तारीख को, पीपल्दा क्षेत्र के किसानों ने यह तय किया है, तहसीलदार को ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। दस हजार किसान इटावा में 8 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं? जो सरकार को ज्ञापन देंगे कि इस पैसे को हम दे नहीं सकते। वे पैसा नहीं दे रहे हैं। किसान से जबर्दस्ती करके इस पैसे को वसूल करना चाहें तो इसको विरोध में किसान को जहां तक जाना पड़ेगा जाने को तैयार है। इस समस्या से हाड़ौती के सारे किसान आन्दोलित है। ऐसा न हो कि किसान और ज्यादा उग्र हो जाय। इसलिये समय रहते सरकार को चाहिये कि किसानों की जो वाजिब मांगे हैं वे मानकर, कैचमेंट में जो मनमानियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है अनियमितताएं हुई हैं उसको दिखवायें। किसानों की समस्याएं दूर करो और किसानों के ऊपर जो भारी कर्ज है इसको माफ करके किसानों को राहत दिलाने का प्रयत्न करो, तब तो ठीक है। पर अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता नहीं है कि किसान विरोधी यह सरकार किसानों के हित में कोई बात सोचेगी। जब किसान आंदोलित होगा जब मजबूरन सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इस सरकार की तो बात ही ऐसी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)! माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान जयपुर में स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय कान्स्टीट्यूस्ट के कालेजेज में प्रवेश की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। आज विशेषकर कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के छात्र कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज और महारानी कालेज में जब प्रवेश के लिये जाते हैं तब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कॉमर्स कॉलेज में 730 सीटें हैं, उसमें 65% से कम पर्सेण्ट वाले छात्रों को प्रवेश से वंचित रहना पड़ रहा है। महाराजा कालेज में साइंस मैक्स विभाग में 71.35 पर्सेंट के छात्र भी आज प्रवेश से वंचित हैं। बाय-

(श्री कालीचरण सराफ)

लौजी में 60.25 पर्सेंट के विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हैं। महारानी कालेज में भी यही स्थिति है। कामर्स में 62% पर एडमिशन रुक गया और साइंस में 60% पर एडमिशन रुक गया। मैं यह पूछना चाहूंगा राज्य सरकार से आपके माध्यम से, कि क्या विश्वविद्यालय के कान्स्टीट्यूएट कालेजेज में एडमिशन लेने के लिये छात्रों के लिये आवश्यक है कि वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हों और डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त करें? आज 71% के लड़के का महाराजा कालेज में एडमीशन नहीं हो रहा; 60% का महारानी कालेज में एडमिशन नहीं हो रहा, 65% का कामर्स कालेज में नहीं हो रहा। जब राज्य सरकार से बातचीत की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोच नहीं रही है। कल जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया तो जयपुर के छात्र इस आशा भरी निगाह से मुख्य मंत्री जी की ओर देख रहे थे कि बजट में जयपुर शहर में एक नया महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया जायेगा परन्तु मुझे दुःख है यह कहते हुए कि बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की। आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जयपुर शहर में यदि कामर्स और साइंस फैकल्टी के राजकीय महाविद्यालय इसी सत्र में नहीं खोले गये तो छात्र इसको चुपचाप सहन नहीं करेंगे। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड हो रहा है; इसको सहन नहीं किया जायेगा। छात्रों को मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ेगा। मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोई भी विद्यार्थी 71% नम्बर लाकर भी एडमीशन नहीं ले सकता, परन्तु यहां से बीस किलोमीटर दूर किसी गांव में वह एडमीशन लेना चाहे तो ले सकता है। तो जयपुर में छात्र का पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। आज उसको बीस किलोमीटर दूर एडमिशन मिल सकता है क्योंकि वहां पर सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जयपुर शहर में पिछले 25 साल से, 25 साल से क्या जब से जयपुर बना है, एक भी राजकीय महाविद्यालय किसी भी फैकल्टी का नया नहीं खुला है। केवल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजेज हैं, निजी महाविद्यालय हैं।

तो मैं इस स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक कॉमर्स फैकल्टी का और एक साइंस फैकल्टी का कालेज इसी सत्र से शुरू करें। इसी सत्र में इसकी घोषणा नहीं करी तो मजबूर होकर छात्रों को इस बात के लिये आन्दोलन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जो भाई काली चरणजी ने बात कही है उसी को मैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ही कहिये जो भी कहना है या उसका समर्थन कर दीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : संक्षेप में ही कह रहा हूं। उसी का समर्थन तो नहीं करूंगा।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी अस्वस्थ हैं। क्या उनको कोई हार्ट अटैक हुआ, कल तो उनके दर्शन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हुए थे। राजस्थान के शिक्षकों के ट्रांसफर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव कालेज एजूकेशन पर है। आप शिक्षकों के ट्रांसफर पर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मेरा निवेदन है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इस विषय को मुअत्तल ही कर दीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं।

मेरा निवेदन करना है कि शिक्षक स्कूलों में मिलते नहीं। जो भी शिक्षक थे उनका ट्रांसफर हो गया। किसको कहें ? आखिरकार जो हमारे परिचित थे, जिनके द्वारा अभिभावक हमारे पास आते हैं कि बच्चों का एडमिशन करा दें। अब किस को कहें ? आखिरकार वे तो कहते हैं कि साहब, बाड़मेर से आने वाले हैं, जैसलमेर से आने वाले हैं, मेरा ट्रांसफर हो गया। कई शिक्षक विधान सभा के बाहर बैठे हैं। कहते हैं कि मैं तो कर ही क्या सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : यहां के कालेजेज के लेक्चरार का का ट्रांसफर बाड़मेर, जैसलमेर नहीं होता और न बाड़मेर, जैसलमेर का यहां होता है, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चाहे वह महाराजा कालेज हो, चाहे वह जयपुर का महारानी कालेज हो, उनमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं, यह एक निवेदन है।

मैं उससे भी नीचे उतरकर कहना चाहता हूं कि हायर सेकण्डरी, सेकण्डरी और अन्य स्कूल हैं, उनमें भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। चाहे दरबार स्कूल में चले जाय, चाहे महारानी स्कूल में चले जाय, चाहे चौपड़वाला, चाहे बनीपार्क वाला स्कूल हो वहां कहते हैं कि बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिये अब फर्स्ट डिवीजन ही पास होना चाहिए तो फिर शिक्षा मंत्री जी कौन से डिवीजन से पास हैं, सेकंड डिवीजन हैं, थर्ड डिवीजन हैं....

श्री अध्यक्ष एम. ए. फर्स्ट क्लास हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उनके बच्चे कौन से डिवीजन से पास हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : एम. ए. फर्स्ट क्लास हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक प्रावधान कर देना चाहिये कि राजस्थान में सैकन्ड डिवीजन और थर्ड डिवीजन होगा ही नहीं। जब तक सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन की व्यवस्था है तब तक मैं समझता हूं कि छात्रों को प्रवेश दिया जाना बहुत जरूरी है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी की परम जिम्मेदारी है। इसलिये या तो फिर फर्स्ट डिवीजन करके सेकन्ड थर्ड को हटा ही दिया जाना चाहिये, या फिर सबको प्रवेश दिया जाना चाहिये।

यही नहीं है, हालत यहां पर यह है कि जयपुर में कोई स्कूल क्रमोन्नत किया नहीं गया। जो वर्तमान में, माननीय अध्यक्ष महोदयजी, स्कूल चल रहे हैं—हायर सेक-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ण्डरी और सैकण्डरी, उनमें नीचे के जो सेक्शन्स थे वे खत्म कर दिये गये हैं। आज मैं चौगड़वाले लड़कियों के स्कूल में गया तो उन्होंने कहा छठी तो समाप्त कर दी। अब बच्चे कहां जायं? यानि हायर सेकण्डरी स्कूल थे, उनमें सेक्शन्स खत्म किये जा रहे हैं। वे तो कम से कम रहने चाहिये जिसमें बच्चों को प्रवेश मिल जाय। नये स्कूल व कालेज आप नहीं खोलें तो आपकी मर्जी पर है। आखिरकार एक न एक दिन आपको खोलने तो पड़ेंगे ही। जैसा भाई कालीचरणजी ने कहा, जयपुर में उत्पन्न आवश्यकता है कालेज और स्कूलों की। मेरा निवेदन यह है कि अभिभावक आज फार्म लेकर के जगह-जगह जाते हैं, आपके पास पास भी कई लोग आते होंगे आपके निर्वाचन क्षेत्र के, एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, दूसरे में गये नहीं मिला, तीसरे में गये नहीं मिला। गरीब फार्म लेकर घूम रहे हैं और एम. एल. ए. से बाकायदा सत्य प्रतिलिपि सत्यापित करवाकर फिर रहे हैं एक-एक जगह पर। मैं समझता हूं कि नौकरी मिलना शायद आसान है लेकिन बच्चों को जुलाई के महीने में प्रवेश दिलवाना प्रत्येक अभिभावक के लिये बहुत बड़ा कष्टदायी काम हो गया है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस जयपुर शहर का तो हाल यह है। मेरा निवेदन करना है कि कोई सुनने वाला है नहीं इस समय कहीं पर भी। जगह-जगह पर भयंकर असंतोष फैला हुआ है, विद्यार्थियों में फैला हुआ है, अभिभावकों में फैला हुआ है। जयपुर में रहने वाले विधायक हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके भी छोरे-छोरियों के आखिरकार एडमिशन जयपुर में होने हैं क्योंकि ये तो जयपुर में विधायक बनकर आ गये। ये सब लोग भी दुखी हैं। यह कह रहे हैं, भार्गव साहब, आप ही कहो, जयपुर के आप प्रतिनिधि हो, आप ही कहो अध्यक्ष महोदय से, हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिये मैं तो सबके कष्ट के बारे में, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं। आखिरकार राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति यहां पर घोषित करनी चाहिये और शिक्षा मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये कि जयपुर में एक भी बालक, चाहे वह प्रथम डिवीजन हो, चाहे वह सैकण्ड डिवीजन हो और चाहे थर्ड डिवीजन हो, जब तक यह व्यवस्था डिवीजन की है स्कूल और कालेज में उनको प्रवेश मिलेगा। यही मुझे आपसे और आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हाल ही में रोडवेज की बसों के जो किराये में वृद्धि की गयी है उस वृद्धि से राजस्थान की आम जनता और आम आदमी प्रभावित हुआ है। उससे गरीब आदमी की, खासकर जो क्रय शक्ति थी, वह गिरी है। उसकी जो आर्थिक हालत है वह इतनी अच्छी नहीं है कि वह ठीक तरह से बस यात्रा कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने सुविधा तो कोई बढ़ायी नहीं, वही सिर्फ टैक्स ही टैक्स बढ़ाने की बात। राजस्थान को मेरी समझ में पहले आपने बैंकों के और दूसरी जगह किराये रखा और अब सरकार ने शायद यह इरादा कर लिया है और टैक्सों के जरिये राजस्थान

(श्री नवरंगसिंह)

की जनता को वह बेचना चाहती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं।

राजस्थान के रोडवेज की बसों की यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, कि बैठ कर आप कहीं जा रहे हैं तो भरोसा नहीं कि वह दस किलोमीटर पर छोडेगी या बीस किलोमीटर छोड़ेगी या पचास किलोमीटर पर जाकर छोड़ेगी। और वापस आने की कोई व्यवस्था उसकी हुई कि नहीं, यह राम भरोसे है। ऐसी हैं राजस्थान के रोडवेज की बसें। और उस पर टैक्स बढ़ाने से गरीब आदमी को और ज्यादा पीड़ा, उस पर और ज्यादा भार कर दिया। जबकि स्वयं बोर्ड कहता है, बोर्ड के चेयरमैन का स्वयं का पिछले दिनों वक्तव्य आया है कि बोर्ड मुनाफे की स्थिति में है, उसने लाभ अर्जित किया है। जब लाभ अर्जित किया है, मुनाफे की स्थिति में बोर्ड है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार का क्या तर्क है कि वह गरीब जनता पर, गरीब यात्रियों पर इस तरह का टैक्स लगाने जा रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि जनता में इससे भयंकर असन्तोष है, आक्रोश है। यदि सरकार ने आम आदमी की बात को नहीं पहचाना, उसकी आवाज को नहीं सुना और इसी तरह टैक्स बढ़ाती रही जैसे रोडवेज पर बढ़ाया और, अध्यक्ष महोदय, कल जो किसानों पर बिजली के नाम से वज्रपात किया है, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ आन्दोलन होगा। जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक भार को नहीं सह सकते सरकार इस तरह से उन पर बसों के नाम से, किराये के नाम से टैक्स बढ़ा रही है, और कोई सुविधा नहीं! किसी भी बस में चले जाओ, किसी भी बस स्टैण्ड पर चले जाओ, चाहे सिन्धी कैम्प पर चले जाओ, चाहे, अध्यक्ष महोदय, मेरे नवलगढ़ का जो बस स्टैण्ड है, वहां चले जाओ, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पेशाब घर तक साफ नहीं करवा सकते तो यात्रियों की बैठने और दूसरी व्यवस्था की हालत तो और है। मेरे नवलगढ़ में इनका टिकट घर है उसकी यह हालत है कि वहां बिजली नहीं, पानी नहीं है। यही हालत है सारे राजस्थान में, एक नवलगढ़ का क्या उदाहरण बताऊं। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं यात्रियों के बैठने की, बसों की व्यवस्था नहीं करना चाहते और टैक्स का भार लगाकर, गरीब लोगों पर टैक्स का भार लगाकर इस सरकार को आगे बढ़ाने और राजस्थान को बेचने का उपाय कर रहे हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से, सरकार से, कि आपने तो गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी मैं इसलिए बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिस बात को जनता सहन नहीं करती, जिस आर्थिक भार को गरीब आदमी सहन नहीं कर सकता, बिना सोचे-विचारे, बोर्ड के मुनाफे में होते हुए भी जो टैक्स बढ़ाये, वह बिलकुल गलत हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार बढ़ाया हुआ टैक्स वापस ले।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्ट्रीट लाइट के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है सारी लाइट के बारे में नहीं। जयपुर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद् को दी गयी थी। यह सोचकर दी गयी थी कि जैसे दिल्ली में काफी विभाग नगर निगम के पास हैं और काफी अच्छी तरह से वह काम कर रहे हैं तो जयपुर की नगर परिषद् भी सक्षमता से ऐसा कार्य करेंगी यह जो सपना था साकार नहीं हुआ। नगर परिषद के पास केवल एक ही कण्ट्रोल रूम रहा। अच्छा तो यह होता कि जितने भी उप केन्द्र थे वह भी सरकार नगर परिषद् के सुपुर्द कर देती तो शायद यह व्यवस्था ठीक हो जाती। 31 उप केन्द्र हैं। वह सब तो विद्युत विभाग के पास हैं। सारी मशीनरी विद्युत विभाग के पास है। इनके साथ जाने वाली जो क्रेन है, ठीक करने वाले मजदूर हैं वह सब विद्युत विभाग के पास हैं। नगर परिषद् के पास केवल एक कण्ट्रोल रूम रहा। एक इन्जीनियर है, दो जूनियर इन्जीनियर छोटे मोटे हैं और शायद चार या आठ कर्मचारी उनकी गैंग में हैं। एक गाड़ी है केवल बिजली रात को जलती है। रात को उनका कोई भी काम, अगर उनको शिकायत कर दी जाय दस बजे के बाद तो उनके कण्ट्रोल रूम पर भी कोई नहीं रहता। गैंग तो रहने का सवाल ही नहीं है। कहते हैं, ठीक कर दो। वह कहते हैं, हमारे यहां व्यवस्था नहीं है, हम इसको दिन में देखेंगे। दिन में बिजलियां बन्द रहती हैं। अतः देखने का सवाल ही नहीं है। एक एक बाजार की लाइट बन्द रहती है। गली में, चौराहे पर, बाजार में, बस्तियों में लाइट बन्द रहती है। इनकी शिकायतें 10–10, 15–15 दिन तक पड़ी रहती हैं। उनकी पूर्ति नहीं कर पाते कि भेजें और जाकर भेजें कि लाइट ठीक है। आप किसी भी बाजार में से गुजर जाइये। आप देखेंगे, बड़ी चौपड़ से चान्दपोल बाजार बन्द, जौहरी बाजार में, जौहरी बाजार बन्द। अगर दुकानों की लाइट जलती नहीं हों, रात को कुछ दुकानों की लाइट लोग खुली छोड़ जाते हैं, तो न मालूम क्या हो। यह अव्यवस्था नगर परिषद ने कर रखी है, नगर परिषद् जयपुर में कूड़े की सफाई नहीं कर सकती, जयपुर में गटर के मैन होल नहीं ढक सकती। यह ऐसी निकम्मी नगर परिषद् है। जहां के चुनाव 13-14 साल से कराये नहीं गये। प्रशासक बैठा देते हैं। बिजली की हर शिकायत प्रशासक से नहीं होती। आप रजिस्टर उठाकर दिखवा लीजिए, रिकार्ड मंगाने पर 26–26 बार शिकायतें हैं जो न केवल आम आदमी करता है बल्कि विधायक लोग करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जयपुर को बिलकुल अन्धकारमय कर रखा है। सरकार अगर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती तो नगर परिषद् से वापस लेकर विद्युत विभाग को दे, या विद्युत विभाग से उप केन्द्र लेकर नगर परिषद् को दे। जहां-जहां खड्डे पड़े हुए हैं, स्कूटर से कोई जाता है तो स्कूटर उछल जाता है और लोगों का एक्सिडेण्ट हो जाता है। कितने लोग आये दिन मरते है, कितने लोग घायल हो जाते हैं। न्यूरोसर्जरी का रिकार्ड उठाकर देखें तब मालूम पड़ेगा कि इस शहर की क्या अव्यवस्था की हुई है। मेरा आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री जी से निवेदन है। पता नहीं कहां

54

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चले गये पता नहीं मैंने इसको इसलिए नहीं दिया था कि केवल बोलकर समाप्त कर दूं और इस पर कार्य नहीं हो। मेरा आशय केवल यही था कि आप इसको सरकार के पास कार्यवाही के लिए भेजें ताकि जयपुर नगर की विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप में चल सके, लोग ठोकरें नहीं खायें, अंधेरे में चोरी-चकारी नहीं हो। इस सबके लिए सरकार ध्यान दे और न केवल नगर परिषद को बल्कि विद्युत मन्त्री जी को भी आदेश दें कि इस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलें।

हम तो तर्क शास्त्र में पढ़ते रहे हैं "तम शाश्वत: या प्रकाश: ।" अब तो तम् ही शाश्वत लगता है। मेरा यह आग्रह है जो एक भावना थी-"तमसो मा ज्योतिर्गमय", इस शहर को ज्योति की तरफ ले जायं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पंचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे मैं विधि की विडम्बना कहूं या और कुछ, मुझे समझ में नहीं आता कि सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ की जनता आज पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है और आपने मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं समझकर अस्वीकृत किया है। आज केलनोर जो गांव है, जो सीमा से लगा हुआ है वहां पर आज भी चालीस किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। नाचना जो गांव है वह बहुत महत्वपूर्ण गांव है। वहां पर एक तरफ जो राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट है, उसका डाक बंगला बना हुआ है, वहां फव्वारे चल रहे हैं, वहां पर लॉन लगे हुए हैं, वहां पर फ्रिज है, एयर कण्डिशनर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पास में जो सफाखाना है, 100 गज की दूरी पर जो पुलिस थाना है वहां पर पीने का पानी नहीं है। जो आबाद कस्बा है उस कस्बे के सारे के सारे लोग पीने के पानी की बूंद के लिए आज तरसते हैं, आज मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी ओर जो बड़े-बड़े गांव हैं, बालोतरा, जसोल, वहां पर आज कास्टिक मिश्रित पानी मिल रहा है जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आज अस्पतालों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए आज बालोतरा, जसोल और पचपदरा में जितने बीमार टी.बी. के थे, उससे तीन-चार गुना लोग बीमार नित्यप्रति आते हैं। आज यह स्थिति है कि गांवों में जो नाड़ियों का पानी है, लोग खारा पानी पी रहे हैं उससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ओरी से कितने बच्चे मर गये, इसकी सूचना राज्य सरकार के पास में है। बार-बार हमने आग्रह किया लेकिन मीठे पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। मजबूरन दूषित पानी पीकर लोग आज बीमार पड़े हैं। भयंकर रूप से बीमारी फैल रही है। आज ही समाचार पत्रों में समाचार है कि लूणी क्षेत्र में 25 लोग उस पानी को पीकर मर गये। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आप यह कह रहे हैं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का का प्रश्न नहीं है। इसलिये इसके ऊपर आप विचार नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यवस्था को चैलेन्ज न करें। माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह दें। आप व्यवस्था को चैलेन्ज न करें।

श्री चम्पालाल बांठिया : मेरा दिल भर गया है, आप मुझे क्षमा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें।

श्री चम्पालाल बांठिया : इस प्रकार की स्थिति आजादी के पश्चात् आज पहली बार है कि जो कुएं, बावड़ियां, तालाब, नाड़िया हैं जिनके अन्दर भयंकर से भयंकर अकाल के समय भी पानी रहता था, दुर्भाग्य है इस इलाके का कि आज वह सारे के सारे स्रोत सूख गये हैं और पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। 150 फीट से अधिक गहरे जो कुए हैं वहां तो पिलाई का थोड़ा बहुत प्रबन्ध किया गया है। उससे कम जो है वहां पिलाई तक का प्रबन्ध नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति उन गांव वालों की है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी बाड़मेर तशरीफ लाये थे, उस समय बाड़मेर जिले को 1 करोड़ 26 लाख 4 हजार रुपया ए. पी. ए. के अन्तर्गत पानी के स्रोत बढ़ाने के लिये अकाल के समय मिले थे। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पैसा घटा कर 70 लाख रुपये कर दिया और अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उस पैसे को ले गये। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज बाड़मेर जिले के साथ इस प्रकार का भेदभाव बरता जा रहा है। पीने के पानी के लिये जितनी भी नल योजनायें बनी हुई हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी, लम्बी-लम्बी नल योजनायें बनी हुई हैं, होद बने हुये हैं, पाइप लगे हुये हैं लेकिन पानी के दर्शन नहीं होते हैं। 20-20, 25-25 वर्षों से ऐसे गांव पड़े हुये हैं जिनके अन्दर पानी की एक बूंद नहीं आई है। ऊंडू से कुपलिया जो लाइन है उसके अन्दर टेल एण्ड के नहीं, बीच से लेकर आखिरी गांव के अन्दर पानी के दर्शन नहीं होते हैं आज एक-एक साल तक कई ऐसे गांव हैं जिसके अन्दर पानी के दर्शन नहीं होते हैं। वारिया, खिरली, चन्देसरा की जो पाइप लाइन है उसके अन्दर भी आज वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार समदड़िया-अरावा की लाइन है, कहां तक गिनाऊं सैकड़ों गांव हैं जो इस प्रकार की पेयजल योजनाओं से जुड़े हुये हैं लेकिन उनमें पानी के दर्शन नहीं होते हैं। आपने जो हैण्ड पम्प लगाये हैं, 74 हैण्ड पम्प केवल पचपदरा तहसील में हैं, उनमें से सिर्फ 6–7 हैण्ड पम्प काम कर रहे हैं। हमने बार-बार कहा तब थोड़ा बहुत रिपेयर का काम हुआ। वह भी लीपापोती का काम करके सरकार बन्द कर गई। जब कि पानी का वही एक साधन बना हुआ था। कुछ हैण्ड पम्प हैं जिनके अन्दर मीठा पानी है लेकिन बार-बार कहने के उपरान्त उनकी रिपेयर नहीं होती है। शेरगढ़ के इलाके के अन्दर मैं अभी जाकर आया हूं। वहां पर जितने हैण्ड पम्प लगे हुये हैं उनमें से सिर्फ 1–2 को छोड़कर सारे के सारे बन्द पड़े हुये हैं। आज उनको ठीक कराया होता, उनको चालू रखा होता तो थोड़ी बहुत पीने के पानी की समस्या हल होती। बाड़मेर और जैसलमेर में जो टैंकर्स हैं वह बाबा आदम के जमाने के हैं, सारे के सारे टैंकर्स बिलकुल खराब पड़े हुये हैं। उनमें से कुछ टैंकर्स ठीक कराकर चलाये जा रहे हैं। जैसे आग लगे और कुवा खोदो, उस तरह से सरकार काम करना चाहती है। साल के साल अकाल पड़ते रहते हैं, यह एक सामान्य बात हो गई है। उन जिलों के अन्दर जो टैंकर्स लगाये गये हैं उन टैंकर्स

(श्री चम्पालाल बांठिया)

को एन-टाइम जब भरपूर पानी की दिक्कत हो उस समय ठीक कराने के लिये भेजा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था आज सरकार ने कर रखी है। जो थोड़े बहुत टैंकर्स चालू हैं उन टैंकर्स द्वारा भी बीच में पानी बेच दिया जाता है। गन्तव्य स्थानों पर वह टैंकर्स पहुंच नहीं पाते। आज जितने रास्ते हैं उन सारे रास्तों पर रेत है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। सैंकड़ों गांव इस तरह से पानी से महरूम हैं, टैंकर्स के उनको दर्शन नहीं होते हैं।

मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय के साथ अभी सारे क्षेत्र का दौरा करके आया हूं, हमने देखा है रास्ते में, जब टैंकर्स जाते हैं तो लोग इस तरह से ओक लगा कर खड़े रहते हैं कि जरा हमको पानी पिला दो। वह टैंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आज इस प्रकार की स्थिति है लेकिन सरकार को दया नहीं आती है। जोधपुर से गडरा रोड और उसके आगे तक जब भी अकाल की स्थिति होती थी, पानी की कमी होती थी, रेलवे टैंकर्स द्वारा पानी सप्लाई किया जाता था लेकिन गत 2 वर्षों से यह काम भी बन्द कर दिया गया है। हमने बार-बार प्रशासन से निवेदन किया लेकिन प्रशासन रेलवे से मदद लेने में भी नाकामयाब रहा है। मिलिट्री से टैंकर लेने के लिये हमने निवेदन किया है लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिली है। निजी क्षेत्र में जो टैंकर्स चल रहे हैं उनको भी अधिग्रहण करने के लिये कहा लेकिन उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। आज सारे रास्ते रुके हुए हैं, लोग पानी के लिये तरस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चम्पालाल बांठिया : ऐसी स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप एक दिन की बहस रखें और इसके ऊपर सारे लोगों के विचार सुनें। बाड़मेर-जैसलमेर का प्रश्न है, हम सीमान्त प्रहरी हैं, हम लोगों की स्थिति यदि इस प्रकार की है तो यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। आपको इस प्रश्न को नामंजूर नहीं करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया। आर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखे

राजकीय उपक्रम समिति का सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन

सचिव, विधान सभा।

सचिव विधान सभा : महोदय, राजकीय उपक्रम समिति 1984–85 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (विद्युत) (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मण्डल के वित्त लेखे एवं अंकेक्षण) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 का सातवां प्रतिवेदन;

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975–76) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984–85 का आठवां प्रतिवेदन;

(सचिव विधान सभा)

(3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 का नवां प्रतिवेदन;

(4) राजस्थान आवासन मण्डल (राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 1984-85 का दसवां प्रतिवेदन;

(5) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 का ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(6) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1981-82) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 का बारहवां प्रतिवेदन।

प्रक्रिया के नियम 307 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश संख्या 3 के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन अन्तः सत्रकाल में गत विधान सभा के विघटन से पूर्व अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थापित कर दिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के नियम 305 के अन्तर्गत इनके मुद्रण के आदेश भी प्रदान किये गये थे परन्तु यथा समय मुद्रण न होने से इन्हें गत सत्र में सदन की मेज पर नहीं रखा जा सका था।

घोषणा

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का आवंटन

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक 1985-86 पर सामान्य वाद-विवाद प्रारंभ किये जाने से पूर्व विभिन्न दलों के लिये वाद-विवाद का जो समय निर्धारित किया गया है, उसे मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं :—

कांग्रेस (आई)	9.15
भारतीय जनता पार्टी	3.05
लोकदल	2.15
जनता पार्टी	0.45
सी.पी.आई. (एम)	0.10
निर्दलीय	0.30

माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखते हुये अपनी बात कहेंगे तो आपके दल के काफी सदस्यों को मौका मिल जायेगा।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई अन्याय नहीं हुआ है।

श्री शोपतसिंह : 10 मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपके साथ कभी अन्याय होता ही नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : 10 मिनट बहुत कम है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय और जनता पार्टी के बराबर सदस्य हैं, आपने यह फर्क क्यों रखा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का बंटवारा हुआ है हमेशा के अनुसार जब आप बोलेंगे तब देखेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्षजी, कल इस सदन में मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी, ने इस साल का परिवर्तित बजट इस सदन में पेश किया। मुझे उस बजट को पढ़कर, देखकर, सुनकर घोर निराशा हुई, यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। खास तौर से बजट की शुरूआत में राजनैतिक दृष्टि से उन्होंने कहा इस बात पर बहुत खुशी व्यक्त की कि इस देश में अभी जो मौजूदा लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं, लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस (आई) पार्टी को एक बहुत ही जोरदार, शानदार विजय मिली, चार सौ आदमी उनकी पार्टी के जीते। उन्होंने इस पर भी खुशी जाहिर की कि इस सदन में भी उनको एक अच्छा बहुमत प्राप्त हुआ। उनके लिए यह खुशी जाहिर करना स्वाभाविक है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका जो दूसरा पहलू है उस पर जरा गम्भीरता से आप सब लोग गौर करके सोचें। आपने लोक सभा के चुनाव के पहले लोगों के सामने क्या बातें कहीं, अपने इन चुनावों के पहले क्या बातें कहीं और आपने इन चुनावों में किस तरह से कामयाबी हासिल की ? जब आपने यह चेप्टर छेड़ा है तो कुछ विश्लेषण मुझे भी करना पड़ेगा। चार सौ आदमियों की लोकसभा में जीत के बाद में जो आपने देश के सामने तस्वीर रखी कि देश के टूटने का खतरा है, हम इस देश को एक रखेंगे। आपने लोगों के सामने यह तस्वीर पेश की कि हम ही सक्षम हैं और हमारे सिवाय इसको कोई एक रख नहीं सकता। लोगों ने आपकी इस बात को माना। आपने लोगों से कहा कि चुनाव में जीत के बाद देश में जो गम्भीर समस्यायें अटकी हुई हैं, उनका हम निराकरण करेंगे, हल निकालेंगे। आपने जलते हुए मुद्दों, खास तौर से पंजाब के हालात, आसाम के हालात और इसके अलावा देश के जो ईस्टर्न राज्य हैं, उनके हालात, मिजोरम और आसाम जो आपस में लड़ने लगे, सीमा विवाद के अन्दर उलझने लगे, के हालात उसके साथ-साथ काश्मीर के हालात, और देश के दूसरे इलाकों के हालात पर आपने जोर देकर लोगों से कहा था, चुनाव में हमारी पार्टी की जीत होने पर हम तुरन्त इन समस्याओं को हल करेंगे, इनका निराकरण करेंगे। आज 6 महीने हो गये आपकी केन्द्र सरकार को बने हुए और करीब तीन महीने आपकी सरकार को बने हुए हो गये, क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि यह कह सकें कि स्थिति सुधरने के कोई लक्षण नजर आते हैं ? हालात और भी दिन पर दिन गम्भीर होते चले जाते हैं। चारों तरफ टेरेरिज्म का वातावरण फैलता जा रहा है, उसके अलावा गम्भीर घटनायें, कानून और व्यवस्था को तोड़कर हो रही हैं। आपने वायदे किये थे, लोगों को आप अच्छा सुशासन देंगे, कानून और व्यवस्था देश की सुधार देंगे। कहां है उस कानून और व्यवस्था में सुधार ? आज आप किसी भी जगह चले जाइये, मोटर में आप सेफ नहीं, रेल में आप सेफ नहीं, हवाई जहाज से जायं तो सेफ नहीं, चारों तरफ ऐसा घटनाक्रम घूमता चला जा रहा है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समाचार पत्रों में आप हम विवरण पढ़ते हैं कि कानून और व्यवस्था देश की लगातार बिगड़ती जा रही है। आपका राज बनने के बाद, विधान सभाओं के चुनावों के बाद गुजरात में जिस प्रकार का घटनाचक्र घूमता रहा रिजर्वेशन के प्रश्न को लेकर। विशेष तौर से चुनावों के तुरन्त पहले वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि रिजर्वेशन 10 से 18 पर्सेण्ट कर देंगे। चुनाव में तो आप कामयाब हो गये, बहुत अच्छा बहुमत ले आये, पर आज सरकार की क्या हालत है? आज वहां मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि अभी यह फैसला लटका रहेगा। वही कह रहे हैं कि झगड़ा मत करो, मैं जांच कराऊंगा। गुजरात के जो हालात बने हैं, मैं सोचता हूं यह हालात देश में और भी कहीं पर फैल सकते हैं। इसी तरह से आपकी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें बनने के बाद देश के सामने जो लोगों को वचन दिये थे, उन वचनों का स्मरण या तो ठीक तरह से नहीं है, या स्मरण है तो आप नाकामयाब रहे हैं उन समस्याओं को सुलझाने में। देश के अन्दर आज विषम कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी है. आप यू. पी. में चले जाइये, कल-परसों भी आपने पढ़ा होगा एक फेमिली जा रही थी, पिस्तौल से मारना पड़ा उन लोगों को। न कोई टिकट खरीदता है, न कोई किसी को रेल में बैठते हुए पूछता है. चलते रास्ते हत्या कर देते हैं। चारों तरफ बिगड़ी हुई है कानून और व्यवस्था की स्थिति। उसके साथ में देश की एकता का वातावरण सुधारने का जो आपने वायदा किया, वह वातावरण सुधारने के बजाय लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए जो आपने खुशी जाहिर की, खुशी है हमें कि जीत गये, बहुमत आ गया, बहुत अच्छा है वह तो, अब इस बहुमत के आने के बाद आपने जनता को जो कहा था उसका क्या हो रहा है, यह प्रश्न है आपके और हमारे सोचने का।

और भी गम्भीर प्रश्न है। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे। लोग चुनावों से पहले महंगाई से परेशान थे, देश में महंगाई का जोर था, आप सब इस बात को जानते हैं। चारों तरफ पहले भी महंगाई बढ़ी हुई थी। आपने वचन दिया था कि हम कम करेंगे। क्या केन्द्रीय सरकार अपनी कुछ कार्यवाहियों के जरिये इस दिशा में कुछ कर सकी या राज्य सरकारों ने आज भी उस महंगाई को घटाने के बारे में कुछ सोचा या कुछ कदम उठाये? उल्टे, दूसरी तरफ गाड़ी चल रही है। जो बजट केन्द्रीय सरकार ने पेश किया और जो बजट अब राज्य सरकार ने पेश किया, आपने कल पेश किया, कुछ कदम आपने बजट के पहिले उठाये, कुछ कदम अब उठाये क्या उनसे कहीं पर गरीब आदमी को महंगाई से राहत मिलने की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से नहीं है। चारों तरफ महंगाई में बढ़ोतरी है, लोगों की आमदनी में कमी है और उसके साथ-साथ लोगों पर महंगाई की मार बढ़ती चली जा रही है। मैं सोचता हूं आप अगर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ रही है जिस स्थिति को लोग कितने दिन सहन करने की स्थिति में रहेंगे। मैं समझता हूं देश में जबरदस्त भूचाल है, और वह खुश हैं कि हम जीत गये, राज बन गया। राज आपको मुबारक। अच्छा चलायें लोगों की सेवा करें, हमको इससे कोई विरोध नहीं। पर जो रास्ता आपने अख्तियार किया, जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पिछले तीन या छः महीने का घटनाक्रम है उससे हमें लगता है कि जो कुछ वायदे लोगों के सामने किये थे उनको पूरा करने की तरफ आपने कोई कदम नहीं उठाया।

एक बहुत जबरदस्त आशा लगी हुई थी, राजीव गांधी ने प्रधान मन्त्री बनते ही कहा था मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, सफाई लाऊंगा, शासन को ठीक बनाऊंगा, सारे देश का शासन ठीक बनाऊंगा। क्या आप छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उस दिशा में तिल भर भी आगे बढ़े हैं? जो स्थिति थी उस स्थिति में मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। आज भ्रष्टाचार उसी चाल से चला जा रहा है। यह दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। महंगाई बढ़ती चली जाती है, कानून और व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। आपने देश के लोगों के सामने जो वायदे किये और चुनाव जिस तरह से लड़े हैं, आप सक्षम हैं, आपके साधन तगड़े रहते हैं अगर आप बजट को देखें तो जो मुझे आशंका थी वह इसमें साबित हो गई। मैंने कई सवाल पूछे विधान सभा के पिछले सत्र में, क्या आपने कुछ काम काज खोले, नवम्बर के महीने में खोले या उसके पहले खोले? उन काम काज के ऊपर अभी तक कोई धन और साधन लगाना साबित नहीं है? यह साबित है इस बजट से। जितने कामकाज आपने तेजी के साथ में पिछले साल खोले और पूरे करवाये, स्कूल खोल दिये, इसके साथ-साथ शफाखाने खोल दिये, वह सब खोल दिये, जो कुछ आपको विकास की कार्यवाही करनी थी वह पिछले साल कर दी लेकिन इस साल के बजट में सारी चीजें नदारद हैं। विकास नाम की चीज मेरे खयाल से इस बजट में कहीं नजर नहीं आती। मैंने काफी गहराई से, जितना मुझे समय मिला, आपने जो आर्थिक समीक्षा दी, उसको भी देखा। मैंने पाया कि आपके लक्ष्य घटे हैं। बजट भाषण आपने दिया। मैं सोचता हूं बजट भाषण में जब आप फाइनेन्सियल टार्गेट्स देते हैं तो उसके साथ फिजिकल टार्गेट भी आपको बजट के भाषण में कुछ देने चाहिये ताकि हमको कुछ ज्ञान तो रहे कुछ कम्पेयर करें। आपने बिजली की रेट बढ़ाई, पिछली दफा की कुछ रेट दे देते तो हमको आसानी से कम्पेयर करने का मौका मिलता वरना हमें तो पुरानी रेट याद नहीं है। मेरे खयाल से बजट भाषण में कुछ जरूरी चीजें आपको लिखनी चाहिये, अपनी सफाई की दृष्टि से और हमारे ज्ञान की दृष्टि से लेकिन फिजिकल टार्गेट का कहीं जिक्र नहीं है। फाइनेन्सियल टार्गेट दिये आपने, योजनाओं का जिक्र किया। योजनाओं के अन्दर आपने कहा कि हमारे राजस्थान की छठी योजना 2025 करोड़ की थी, हमने अब 21 सौ करोड़ और कुछ रुपये खर्च किये, कुछ ज्यादा खर्च किये हमने। उसके बाद में सातवीं योजना में आपने इस बात का भी गर्व अनुभव किया कि हमने तीन हजार करोड़ की योजना पास कराई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है? 22 रजवाड़े थे वह एक हुए। उसको आपने स्वयं स्वीकार किया। आपने योजना भी इस दृष्टि से बनायी और 6 हजार करोड़ की योजना लेकर गये योजना आयोग के सामने। योजना कटकर के तीन हजार करोड़ की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकर आये और फिर कहने लगे हमें सन्तोष है।

(1.00 म.प.)

आप कहते हैं कि हमको हर्ष है। इन तीन हजार करोड़ में से एक हजार करोड़ के आप संसाधन जुटायेंगे, एक हजार करोड़ आपको भारत सरकार दे देगी और एक हजार करोड़ आपको पिछली बकाया मिलेगी। इस प्रकार आप तीन हजार करोड़ रुपया जुटायेंगे। इस तीन हजार करोड़ रुपये की राशि की सातवीं योजना पर आपको सन्तोष है। आपने जो कुछ भी प्रावधान किया है यह आप बिजली और सिंचाई के बारे में कर रहे हैं। दूसरी ओर आपका कोई टार्गेट नहीं है। यह बात ठीक है कि आपने सिंचाई और बिजली को प्रायोरिटी दी है। यह प्रायोरिटी आप राजस्थान में पहले भी देते आये हैं पर राजस्थान में आज भी सब कुछ होते हुए यह दिखाई नहीं देता है कि हमारे पास इतनी बिजली सरप्लस है। इतने स्टेशन हैं, पर सब कुछ होते हुए 17 सौ और 18 सौ मेघावाट बिजली का ही उत्पादन हर साल होता है। जो उत्पादन होता है, वह हर साल कम होता जा रहा है। बिजली की अवेलेबिलिटी लोगों को नहीं होती है और नतीजा यह होता है कि लोग बहुत दुखी हैं।

गांवों के अन्दर आज लोगों को तीन घण्टे भी बिजली नहीं मिलती है खेती के लिये। आप कहते हैं कि पांच घण्टे बिजली दे रहे हैं। आपके अधिकारी बिजली पांच घण्टे देने की बात बता देते हैं और कुल मिलाकर हमारे किसानों को दो तीन घण्टे बिजली मिलती है। कभी-कभी इतनी भी नहीं मिलती है। आज की स्थिति यह है। इसके साथ-साथ दूसरे उद्योगों में बिजली की कटौती का जिक्र भी है। चलते रास्ते आप कभी 80 प्रतिशत कभी, 40 प्रतिशत, कभी 60 प्रतिशत और कभी 50 प्रतिशत बिजली की कटौती कर देते हैं। बिजली आपके यहां कागजों में तो सरप्लस है। और आगे बढ़ाने के लिये योजनायें आपके पास कई हैं, आप कई जगह पर लाइन खींचने की योजना गांवों के विद्युतिकरण और बिजली के कनेक्शन का आगे का प्रावधान बताते हैं पर बिजली पिछले साल से भी कम मिलती है। पिछले साल आपने 21 सौ या 22 सौ गांवों का विद्युतिकरण किया था। इस साल आप एक हजार गांवों में कहीं पर किसी गांव में एक खम्भा खड़ा कर देंगे और आपका विद्युतिकरण हो जायेगा। कुल मिलाकर आपका पिछले साल 25 हजार कुओं को बिजली के कनेक्शन देने का टार्गेट था और इस साल आपका दस हजार कुओं को बिजली कनेक्शन देने का टार्गेट है। पिछले साल से आधे से भी कम। हालात यह है, मुझे सारे राजस्थान का तो पता नहीं कि बिजली के कनेक्शन कितने पेंडिग हैं मुझे तो मेरे जिले का पता है, वहां पर 6 हजार कनेक्शन पेंडिग है, सन् 79 से लेकर आज तक के। अब आप ज्यादा और मारेंगे, दस हजार के टार्गेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेरे जिले में दो चार सौ कनेक्शन मिल जायेंगे। अब छः हजार कनेक्शन पहले के पेंडिग हैं और जो डिमाण्ड की पूर्ति नहीं हुई तो इसका मतलब है, बिजली पूरी नहीं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं। अभी आप झगड़ा कर रहे थे कि कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर और कुछ नहीं है ऐसी सूरत में इतना जबर्दस्त लोड

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एक ही हिट के साथ में आपने 96 करोड़ रुपये की बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके किया है। क्या यह जोरदार हिट मारना इस वर्ष में उचित था? यह सोचने का प्रश्न है। ठीक है आपके बजट में कमी है और संसाधन जुटाने के लिये आपको टैक्स लगाना था। पर यह संसाधन एक ही साल में आपने करीब 640 करोड़ का जुटाया है। यह भी एक ही हिट में एक ही साल में जुटाया है। इसमें कुल मिलाकर बोझ कितना बढ़ा, उसका हमको पता नहीं है। वाटर की रेट बढ़ायी, उसका क्या असर हुआ? रोडवेज में 18 प्रतिशत बढ़ाया, उसका क्या असर हुआ है? इससे टोटल आपको कितना मिलेगा, हमको ज्ञान नहीं। क्यों न तो इस बजट में उसका जिक्र है, न दूसरी जगह पर जिक्र है। यह तो आपने दूसरे नियमों और कानूनों से बढ़ा दिये हैं। कुल मिलाकर एक तरह से इस महगाई में आप कमरतोड़ जबर्दस्त बोझ लोगों पर डाल रहे हैं। बिजली की दरें आपने बढ़ाई, आप अन्दाजा लगाइये। अपने पड़ोसी राज्यों में देखिये-हरियाणा में देखिये, पंजाब में देखिये, यू. पी. में देखिये किसानों के लिये पावर की रेट क्या है और आपकी पावर की रेट क्या है। पहले भी आपकी रेट दुगुनी थी और आज फिर आपने और ज्यादा करके दुगुनी कर दी। हार्स पावर पर आपने जो बढ़ायी है, जो हिसाब हमारे समझने में आया, पांच, साढ़े सात, और दस हार्स पावर के ऊपर मिनिमम चार्जेज करीब-करीब बराबर हैं। हार्सपावर की रेट बढ़ जाने से एक तरफ तो किसान को बिजली नहीं मिलती। उसको समय पर बिजली देने की व्यवस्था नहीं है, दूसरी ओर इतना बड़ा बोझ किसानों पर लाद दिया। मैं सोचता हूं कि आपके सारे उद्योगों पर भी इसका असर पड़ेगा, जबर्दस्त असर पड़ेगा बड़े उद्योगों पर। आप नये उद्योग लगाने के लिये लोगों को बुला रहे हैं। राजस्थान में बिजली की कमी की वजह से लोग उद्योग लगाने में वैसे ही चमकते हैं फिर आपने बिजली की नई रेट लगा दी तो नये उद्योग लगाने के लिये लोग आयेंगे, मुझे तो बहुत कम गुंजाइश लगती है। तो इससे उद्योगों में फर्क पड़ेगा, किसानों की खेती के अन्दर जबर्दस्त धक्का लगेगा और बहुत से लोग बिजली की नयी रेट से बिल चुकाने में सक्षम नहीं होंगे।

दूसरी तरफ किसान की हालत क्या है? सब चीजों के भाव ऊंचे हैं और किसानों की चीजों के भाव गिरते जा रहे हैं आपने देखा होगा रायड़ा जिसको सरसों कहते हैं, का इस साल 320, 325, 340 के भाव से नेफेड ने खरीदने की बात कहीं। 375 रु. सैकण्ड क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी 385 रु. बहुत ही थोड़ी मार्केट से खरीदने की सारी सरसों कौन खरीदता है, पड़ी है। जहां तक गेहूं का सवाल है, आपने मेक्जिमम प्रोक्योरमैण्ट किया है। दस मिलियन टन। किसान आपको बेच रहा है 157 रु. में लेकिन उसकी लागत ऊपर है। बाजरा के दाम 130 और 140 रु. तो किसान की सब चीजों के दाम नीचे और किसान के खर्चे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केन्द्रीय सरकार ने अभी बढ़ोतरी की है ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर, मोटर और रेल पर टैक्स लगाकर पेट्रोलियम प्रोडेक्ट पर टैक्स लगने से कितने भाव ऊंचे होंगे? किसान के काम आने वाली सारी चीजें महंगी हैं, बिजली महंगी है, उस पर ज्यादा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

टैक्स है उसके बाद में उसकी चीजों के दाम पूरे नहीं मिलें तो कैसे जिन्दा रहेगा आपका प्रोड्यूसर यह मेरी समझ में नहीं आता है। प्रोड्यूसर किस हालत में इन रेट्स को दे पायेगा जबकि आप तीन घण्टे और दो घण्टे बिजली देते हैं और उसकी भी गारण्टी नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप गारण्टी देते हैं कि अभी जो रेट बढ़ी है, उस रेट पर भी बिजली दे देंगे? मेरे ख्याल में आप यह गारण्टी दे ही नहीं सकते हैं, आज इस तरह के हालात हैं।

(म. प. 1.08)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पच्चीस सौ मेगावाट यूनिट माही से चालू हो जायेंगे, ऐसा आपने कहा है। कुल मिलाकर आपने यह भी कहा है कि हम बिजली बाहर से ले रहे हैं। आपके यहां पर जो ऐटोमिक ऊर्जा प्लाण्ट है वह भी अनसर्टेन है, उसमें भी बिजली का प्रोडक्शन निश्चित नहीं है। अब आप दो यूनिट लगाने जा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया है आप लगाइये, पर कब वह फलीभूत होंगे, कितने वर्ष लग जायेंगे कामयाब होने में? आपने कुछ समय कोटा थर्मल का भी बताया है, पर आपने लिग्नाइट प्रोजेक्ट के बारे में सातवीं योजना में भी जिक्र नहीं किया। लिग्नाइट हमारे यहां पर इफरात में पड़ा है, आपके यह डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा है पर आपने जैसलमेर के एरिया में गैस की कुछ छोटी मोटी योजनाओं का जिक्र किया है। इसके लिये आपने टोकन एक करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। पर यह छोटी-मोटी योजनायें हैं, क्या होगा एक करोड़ के टोकन प्रावधान से? आपकी बिजली की जेनरेशन की लोंग रेन्ज स्कीम कब फलीभूत होगी, कब बिजली पैदा होगी और कब आप लोगों की डिमाण्ड पूरी करेंगे? फिर आपने जबरदस्त बिजली का टैरिफ लोगों के ऊपर लगाया है, मैं समझता हूं, यह आपने भयंकर भूल की है। ऐसे हालात में जबकि पहले ही लोग दबे हुए हैं और चिढ़े हुए हैं उस वक्त आप और बोझ लाद देंगे तो क्या यह बोझ लादना उचित है? इसका बहुत भारी रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन से बिजली लें या नहीं लें, यह भी एक स्टेज आ सकती है किसान के सोचने के लिये।

किसान आपके बिजली के बिलों को चुका पायेंगे या नहीं? फिर दूसरी ओर आपने व्यापारियों, जिनका टर्न ओवर 75 हजार से ऊपर का है पर दस प्रतिशत सरचार्ज और लगा दिया। यह महंगाई में फिर महंगाई बढ़ाई है। क्योंकि व्यापारी अपने घर से तो सरचार्ज देने वाला नहीं है, यह सरचार्ज भी लोगों पर ही पड़ेगा। उससे भी महंगाई बढ़ेगी। मैं यह मानता हूं कि हर तरह से महंगाई बढ़ेगी।

अब यह पता नहीं आपको किसने यह सुझाव दिया, बड़ा अजीब सुझाव दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, जो जमीनें सरकार की पड़ी हुई हैं, जिनमें लोग जंगल उगा रहे हैं, जहां कहीं उद्यान लगाने की बात थी, उन जमीनों का वेल्यूएशन करके वेल्यूएशन के हिसाब से आप 25 प्रतिशत चार्ज करेंगे। मुझे पता नहीं, यह किसका सुझाव है एक तरफ तो डेजर्ट इलाका है जहां 33 प्रतिशत की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जगह 9 प्रतिशत वन हैं। और वह भी पूरे नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आदिवासी पड़ी हुई बेकार जमीन पर पेड़ लगायें। आप कह रहे हैं वन तो लगाओ, पर वेल्यूएशन करके टैक्स लगायेंगे। इस सूखे इलाके में कौन फल के पेड़ लगाता है? एक तरफ बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहन, लोन, सब्सिडी और अच्छी कैटेगरी के पेड़ और दूसरी तरफ फलोद्यान के ऊपर वेल्यूएशन करके टैक्स। आगे बगीचे ही नहीं हैं, सूखा पड़ा है इस इलाके में, वन तेजी से कट रहे हैं, यह आपको मालूम है। जहां कहीं आप जायं, आपके इलाके में देखिये, आप जानते हैं, किन्हीं पहाड़ों पर देखिये, धुआं निकलता हुआ देखेंगे। जगह-जगह लोग इल्लीगल जंगल काटते हैं। आज कहां जंगल हैं? हम कहते हैं कि इतने करोड़ पेड़ लगा दिये उनमें से कितने मरे, कितने जीये, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। कब वह पेड़ पनपेंगे, पेट में पड़ा हुआ बच्चा कब बड़ा होगा, कब कमायेगा, पेड़ कब बड़ा होगा, कब फल पैदा होंगे, कुछ पता नहीं। प्रयास अच्छा है वन लगाने का।

खान के ऊपर टैक्स लगाया है यह जमीन का लीज मनी है। खानों में क्या मालूम कौन-कौन कमाता है? इसके बारे में कहा कि बाद में करेंगे, अभी पता नहीं है। क्या करेंगे? इसकी डिटेल्स नहीं हैं, मैं कानून देखूंगा कि क्या कैसे प्रावधान किया है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने संसाधन जुटाये हैं और जितने संसाधनों को जुटाने के लिए आपने एकदम जोर से रेस लगाई है इसी साल में पूरा करके आधे से ज्यादा लक्ष्य तो पहले ही पूरा कर लिया परन्तु यहां के लोगों की आज आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस बोझ को सहन कर सकें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि इस साल योजनाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है। सिंचाई का जो आपने कार्यक्रम बनाया है एग्जिस्टेन्स में है। इन्दिरा नहर के ऊपर करो या माही के ऊपर करो कोई नई योजना का जिक्र नहीं है। स्कूलों के बारे में कहा है कि कहीं क्लासें खोल देंगे, कहीं अध्यापक भर्ती करने की बात कही है। पहले आपने ज्यादा स्कूल खोल दिये अब उनमें अध्यापक भर्ती करेंगे। सारे स्कूल सूने पड़े हुए हैं। पिछले साल आपने सिर्फ चुनाव की दृष्टि से यह कार्यवाही की। आप आगे भी सोचें। कहीं पर ट्यूबवैल की कोई गुंजाइश नहीं है पर आगे पानी की योजनाओं के लिए आपने प्रावधान किया है, वह योजनायें भी शहरों और गांवों में पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हैं। कुल मिलाकर इस साल के विकास का बजट पिछले साल के विकास के बजट से बहुत कम है। इस साल के अन्दर जो टैक्सेशन किया है, जो कुछ आपने लोगों पर टैक्स लगाया है, लोगों के ऊपर बोझ डाला है वह बिलकुल इन प्रपोर्शन नहीं है। कुछ विकास की बात आपने कही है। सातवीं योजना छोटी बनी है मेरे हिसाब से। राजस्थान के हालात को देखते हुए आपने कल एक बात कही, डेजर्ट के इलाकों में विकास के लिए आपने सद्भावना व्यक्त की और कहा कि पानी वाले इलाकों में जो सेंट-पर्सेंट विकास होता है, इसी प्रकार से डेजर्ट इलाकों में भी होना चाहिए। वृद्धिचन्दजी पार्लियामेंट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में बरसों से इसे कूट रहे हैं, मैं भी कूट रहा था. कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर। जनता पार्टी ने कहा था कि पचास प्रतिशत राजस्थान का और पचास प्रतिशत भारत का, आज वही की वही स्थिति चल रही है। राजस्थान का विकास शत प्रतिशत होना चाहिए। नेशनल कमीशन की सिफारिश भी इसके ऊपर थी, डेजर्ट डवलपमेंट की स्कीम होनी चाहिए। आपने कहा है कि हमने ऐसा कहा है तब उन्होंने क्या जवाब दिया जो आपकी ही पार्टी की सरकार है? डेजर्ट इस देश में तीन तरह के होते हैं। इनके विकास और स्पेशल एरिया के विकास का प्रोग्राम राज्य सरकारें अपनी ताकत पर पूरा नहीं कर सकतीं। यह निश्चित तौर पर नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इन चीजों के होते हुए भी उन्होंने आपकी बात नहीं मानी है।

कुल मिलाकर इस बजट के अन्दर, जैसा मैंने देखा, आपने जो छोटे-मोटे सेल्स टैक्स की बात कही, 21 करोड़ की कमाई करके उसके जरिये एक करोड़ की छूट दी, साइकिलों के पार्ट्स, चूड़ियों पर छूट। यह तो वह बात हुई कि मोटर तो मुझे दे दे, झुनझुना तू ले ले। इस तरह से, हरिदेव भाई सही नहीं है। लोग बड़े होशियार हैं। मेरे ख्याल से एक करोड़ की कुछ आइटम्स में राहत देकर 21 करोड़ से ऊपर सेल्स टैक्स कुछ चीजों पर लिया है। इससे महंगाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा। महंगाई पहले ही कमरतोड़ है। इतने सेंट्रल टैक्सेज और आपके टैक्स हैं, जबकि अपने यहां के हालात इसके लायक नहीं हैं, विपरीत हैं। बिजली के ऊपर 96 करोड़ जबकि आप देखिये, बिजली नहीं है। बिजली का विकास कम है।

मैं क्या बताऊं और आपको महकमों के बारे में। यहां बात कही है कि प्रशासन में 20 करोड़ रुपये का खर्चा कम करेंगे। यह बात रोज कहते हैं, हर सरकार कहती है कि अनुत्पादक शासकीय खर्चा घटायेंगे। कैसे घटाओगे? कुछ दिशा बताते, हमको कहते, कि इस तरह से घटायेंगे तो हमारी समझ में बात आती। यह तो जनरल बात है कि 20 करोड़ घटायेंगे। घटाओ तो आपकी मर्जी है, न घटाओ तो आपकी मर्जी। कैसे घटाओगे और कब घटाओगे, कुछ बात पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रिमण्डल का विस्तार नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ दिशा देते कि कैसे कम करेंगे। तो हमको मालूम होता कि खर्चा कम करेंगे।

उपक्रमों के बारे में आपने कहा कि 18 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन किया। लाभ कुछ है नहीं, प्राप्ति कुछ है नहीं। आपने कहा कि हमने ब्यूरो का गठन किया है। वह क्या करेगा? वह ब्यूरो क्या करके इन सारे कामों को कैसे नफे में लायेगा? मेरा सुझाव है कि कुछ करना चाहते हैं तो ब्यूरो-ब्यूरो से कुछ नहीं होगा, सदन के अच्छे लोगों की कमेटी बनाइये जो यह देखे कि उपक्रमों में क्या है। वह सीरियसली बैठकर सोचें और खर्चा घटाने की बात भी सोचें। मैं सोचता हूं कि इन बातों पर विचारों का कुछ आदान-प्रदान हो तो सही रहेगा।

मैं देखता हूं कई खर्चे फालतू हैं। कई योजनाओं की प्रायोरिटी के बारे में आपने कुछ इशारा किया था। वह काम हो सकता

(ह)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। आज देश में योजनाओं की प्रायोरिटी गलत हो रही है, ठेठ ऊपर से। हम एक तरफ कम्प्यूटराइजेशन एज की बात कर रहे हैं। 21 वीं सदी आ रही है किन लोगों के लिए आ रही है, कम्प्यूटर को कितने लोग समझेंगे, कौन देखेगा, किनके काम आयेगा ? इस देश में सारा काम कम्प्यूटर करेंगे तो सारे देश की बेकार मैन पावर का क्या होगा ? बेरोजगारी से भरे हुऐ देश में लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़े-लिखे लोग एम. ए., बी काम के लिये नौकरी का आपने प्रावधान बताया। पांच हजार, सात हजार अध्यापक भर्ती करेंगे, इतने मैन-डेज बढ़ायेंगे। It is increasing। जबरदस्त बेकारी है। पढ़े-लिखे लोगों और बिना पढ़े-लिखे लोगों के लिए इस तरह की योजनायें चलाते हुए इस प्राब्लम को हल करेंगे ? यह जबरदस्त प्रश्न है आपके और हमारे सामने। हम राजकीय सर्विसेज के जरिये इसको हल नहीं कर सकते। कई महकमे आपने कुछ लोगों के पेट पालने के लिए खोल रखे हैं। उन पर कितना खर्चा होता है ? आपको बताना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, किस तरह से खर्चा होता है प्रौढ़ शिक्षा पर। कहां है यह ? मैंने तो कहीं देखी नहीं। आपने देखी है तो बतायें। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लालटेन पर पट्टी पर। लालटेन और पट्टी पर जरूरी नहीं कि पांच करोड़ रुपया खर्च कर दो। अनौपचारिक शिक्षा है। मुझे तो यह भी कहीं दिखाई नहीं देती आपको दिखाई देती हो तो आप बता दो। मुझे तो थोडी भी दिखाई नहीं देती। आपको देती हो तो बताये हरि भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज कल्याण कहां है ? समाज कल्याण विभाग में कितने लोग तनख्वाह उठा रहे हैं और खा रहे हैं ? समाज कल्याण नाम हैं, कल्याण कहां हो रहा है ? मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है कि एक ढर्रे को पकड़ लिया और उसको पीटते चला जाय। जो फालतू महकमे हैं, उनको उठाओ और जो कमाऊ महकमे हैं, उनको जमाना चाहिए पर वह उखड़ गये। पशु पालन या भेड़ पालन की योजना में आपने कहा इसमें कुछ काम हैं, आगे बढ़ सकते हैं, गुंजाइश है। भेड़ का क्या हुआ, सिवाय इसके कि सुई लगा दी, दवाई या गोली पिला दी। क्या कल्पना सोची थी सुखाड़िया जी ने, आपने और हमने उस समय। भेड़ों के लिये चराई का इन्तजाम होगा, भेड़ों का प्रजनन होगा। आज कितनी भेड़ें हैं ? किसी को ज्ञान है ? भेड़ों की ऊन के उत्पादन की बात सोची थी, वह हो रही है ? ऊन का ग्रेडेशन करने की बात सोची थी, वह हो रही है ? ऊन बोर्ड बना था, वह क्या काम कर रहा है ? सारी योजनायें बनाते हैं जो काम की हैं उनको नहीं लेते, जो काम की नहीं हैं उसमें मजे से पैसा खा रहे हैं। तो यह योजनाओं का तौर तरीका जो जम गया तो वह चलता रहेगा। क्या रीथिंकिंग करके वापस उनकी प्रायोरिटीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है ? बेकार खर्चों की योजनाओं को मेरी राय में उठाया जाना चाहिए। इनको आप उठाओ तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बचाओ उस पैसे को। अगर योजना का पैसा नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। हम फालतू में क्यों खर्च जो योजनायें वाजिब हैं उनके लिए पैसा खर्च करें, उनके लिए ज्यादा पैसा

(श्री वृद्धराम मिर्धा)

मांगों। जो योजना काम की हैं रखें। भारत सरकार रखती है तो हमको जरूरत नहीं है उन योजनाओं की जिनकी हमको जरूरत नहीं है। इस सदन की समिति सोच सकती है इन बातों के बारे में। हम ट्रेडीशनल ढरें से नहीं चलें, उनकी प्रायोरिटीज बनायें, उनकी नकल करके नहीं चलें। मैं सोचता हूं कि नकल करने की कतई जरूरत नहीं है। आज वैज्ञानिक एज में बाहर से पूंजी लायेंगे, बाहर से टेक्निक लायेंगे और जोरदार मशीनें लायेंगे। एक तरफ तो करोड़ों आदमी बेकार हैं सारी मशीनें मार्डनाइज करके बाहर से विदेशी पूंजी लाओगे और टेलीविजन आप फैलाओगे। क्या मतलब टेलीविजन का ? टेलीविजन दिखाकर हम लोगों को क्या पागल बनाना चाहते हैं ? आगे ही छोराछोरी बिगड़ गया। ज्यादातर क्या आता है टेलीविजन पर ? मुझे बताओ आप ? देश की प्रायोरिटीज के बारे में आप लड़ नहीं सकते। वहां पर लड़िये, लड़ना पड़ेगा इन चीजों के बारे में और बोल्डली लड़ना पड़ेगा। टेलीविजन और कम्प्यूटर देश में गिनती के लोगों के लिए हैं। देश के करोड़ों लोगों के लिए इन चीजों की प्रायोरिटीज नहीं हैं। देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रायोरिटीज हैं वह दूसरी हैं। पीने के पानी की प्रायोरिटी है, हमारे कई इलाकों में नीचे जबरदस्त पानी है, अनाप शनाप पानी है लेकिन एक ट्यूबवैल का प्राविजन नहीं है। ट्यूबवैल हैं उनके ऊपर बिजली नहीं है। क्या इसमें ट्यूबवैल बनाने का कोई प्रावधान है ? मेरे उधर के इलाके में पानी नहीं है ट्यूबवैल ही हमारे इलाकों का एक सर्वाइवर है। क्यों भाटी साहब नहीं है ? मैं झूठ बोलता हूं तो कह दो। आगे पानी आयेगा तब आयेगा राजस्थान केनाल का या दूसरा, मगर ट्यूबवैल जरूरी है, मस्ट है सूखे इलाकों के लिए और नीचे बहुत पानी है। क्या प्राविजन है उसका ? कोई है क्या, इसमें कहीं जिक्र है ?

मैं आपसे कहना चाहता हूं सहकारिता के महकमे के बारे में आपने प्रोग्राम बनाया कि चुनाव करायेंगे। चुनाव का एक अभियान चलाया। पहले चीफ मिनिस्टर थे। एक महीने भर कैम्प लगाये। क्या हुआ उस अभियान का ? कहां गये वह कागज ? बस्तों में दबे पड़े हैं। कोई आगे कार्यवाही नहीं। तो शासन व्यवस्था के अन्दर अभियान चलाना और काम करना एक अलग बातें हैं पर उसके परिणाम निकाल करके उनको सामने लाना दूसरी बात है। माननीय कमला जी बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की जबरदस्त उलझी हुई प्राब्लम पड़ी हैं। पर ग्रामीणों को जाल जंजाल में उलझाया हुआ है और कोई उसका निपटारा नहीं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजीशन का केन्द्रीय सरकार ने एक सीधा कानून बनाया, आप क्यों नहीं उसको अडाप्ट कर लेते। आपके कई तरह के एक्वीजीशन के नियम हैं। रीको वाले करेंगे तो उनका क्या होगा, उद्योग वाले करेंगे तो क्या होगा, यू. आई. टी. वाले करेंगे तो क्या होगा। सबके अलग अलग वेल्यूएशन हैं। किसानों की जमीन सब खा जाओ। हरएक के लिए अलग अलग कानून। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि Why do you go into there details. आप जो सीधा या सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कानून है उसको अडाप्ट कर लीजिए। लैण्ड एक्वी-

(68)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जीशन के लिए उन्होंने कुछ नियम प्रेस्क्राइब किये हैं, कुछ लिमिट्स प्रेस्क्राइब की हैं। उस कानून को अडाप्ट कर लीजिए और फिर आपकी जरूरत के मुताबिक नोटीफाई करना है तो जरूर कर लीजिए, यह मेरा निश्चित तौर से सुझाव है।

दो, तीन, चार बातें मैं और कहना चाहता हूं। वैसे तो गंगानगर और कोटा एरिया के डवलपमेन्ट, सी. ए. डी. की और इनकी खातेदारी की प्राब्लम्स हैं। इनकी प्राब्लम तो बिलकुल अलग हैं, जो कि बड़े बड़े बंधों के कैचमेन्ट के एरियाज की हैं। लेकिन आम किसानों के लिए आपको पता नहीं कहां से अकल सूझती है। देवताओं की मूर्ति के नाम पर पुराने जमाने से खातों लिख्योडो है और 25-30 बरसा सूं 40 बरसा सूं आदमी बी जमीन ने काश्त करे है वह खातेदार है पर उसको पर्चा नहीं देते। अब कह रहे हैं कि सारे केसेस को रीओपन करेंगे। सारे केसेस को री-ओपन करके मन्दिर के नाम वापिस से खेत लिखाओ और उससे छुड़ाओगे इन 30 सालों में 40 सालों में उसने कुआं खुदवा दिया, बिजली पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जमीन उसने अच्छी बना ली, अब वापिस मन्दिर की मूर्ति को जमीन दिलवाओगे। जीमे है कोई मन्दिर की मूर्ति। अब मन्दिर की मूर्ति का इतन प्रेम उमड़ गया तो दे दो उसे दस बीस रुपया दीया बती का। उस किसान को क्यों मार रहे हैं? पर खोला है आपने उस चेप्टर को फिर कह रहे हैं यों दो, तो किसान मे पूरी कीमत दिलाओ। कितनी कीमत दिलाओ, भई? सारे लोगों को खातेदारी मुफ्त में दी, भगवान की मूर्ति को नाम कठे लिखी जगी पुराना रिकार्ड में? तो लोगां ने कह्यो, रुपया दो इतना हजार अर लाख। कठाऊं लावे लोग? यह सब खोटा कानून है कमला जी। बदलो इनको। यह कानून ठीक नहीं है किसानों के लिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था दो तीन बातें राजस्व के जरूरी कानूनों के बारे में। एक और समस्या खड़ी हुई है, कमला जी। एक होल्डिंग का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो सकता। अब छोटे छोटे होल्डिंग कहीं एक, दो बीघा के हैं वहां डिस्ट्रिब्यूशन बन्द किया हो तो बात समझ में आती है लेकिन अपने यहां खास तौर से हमारे इलाकों में तो होल्डिंग काफी बड़े हैं अब डिस्ट्रिब्यूशन क्यों किया उस होल्डिंग का? आपको मालूम है? यह इसलिए किया कि 12।। बीघा से ज्यादा वाले आदमियों को बिजली नहीं देंगे। लोगों ने, कइयों ने कहा कि 12।। बीघा होल्डिंग करने के लिए अपना फालतू बंटवारा करो। उन्होंने बंटवारा किया। हजारों रुपये रजिस्ट्रियों में खर्च किये, हजारों रुपये बिजली लेने के लिये खर्च किये और नतीजा यह हुआ। अब कह रहे हैं कि होल्डिंग का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा। तो उस होल्डिंग को वापस एक करने के लिए जो उनका नामांतरण कर दिया हैं उसे वापस खारिज करो। जिन आफिसरों ने नामांतरण को कर दिया, जो आपके अभियानों में हुआ, उस सब को वापिस करो। मेरे ख्याल से, हरिदेव जी भाई साहब, क्यों फंसा रहे हो बेचारे लोगों को? यह इस तरह के कानून बड़े दुखदायी कानून होते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी में डालने वाले कानून होते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीलिंग कानून के बारे में मेरा निवेदन है, नम्बर 1 कानून पुराना कानून है नम्बर 2 दूसरा कानून और फिर पता नहीं फिर आप और क्या कर रहे हैं तीसरा कानून। कितने कानून बनायेंगे ? कहीं तो फाइनेलिटी करो उस कानून की अब तुम्हारे सीलिंग की यह फाइनेलिटी है। रोज-रोज किसानों को इस तरह के कानून बनाकर उलझाते हैं। कैनाल एरिया की स्पेशल परिस्थितियां हैं, प्राब्लम्स हैं और कैनाल एरियाज के रेवेन्यु की दूसरी बातें हैं, उनके खातेदारी हकों का सवाल है, उनकी कितनी पीढ़ियों का सवाल है। उन्होंने कितनी जमीन आपको मुफ्त में दी है और कितनी जमीन आप उनसे कितना पैसा देकर लेना चाहते हैं ? आपने कहा कि सीमेन्ट और कोयला नहीं मिला इसलिए चक्रवती ब्याज नहीं लगायेंगे और सशर्त कम वसूल करेंगे साधारण ब्याज पता नहीं क्या सशर्त हैं। हमको तो पता नहीं चला कि सशर्त क्या हैं ? किन शर्तों के साथ किन के साथ क्या करेंगे ? अभी कोटा वाले लोग भी सवाल उठा रहे थे। हमारे यहां भी बड़ी भयंकर प्राब्लम है। जो डवलपमेन्ट किया है, लेवलिंग किया है उसके लिए भी पैसा वसूल करने की प्राब्लम है। अब इन चीजों को विशेष रूप से आप देखिये, किसानों के ऊपर आप वाजिब बोझ डालें, जिससे वसूली ठीक ढंग से होने लग जाये और इन चीजों का निपटारा हो जाये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था वह यही है कि इस देश में और अपने प्रान्त में शासन को बहुत ही चुस्त और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। शासन को चुस्त और अच्छा बनाने के लिए नेक और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और भ्रष्ट और रद्दी अधिकारियों को थोड़ी सी ताड़ना मिलनी चाहिए। पर हो उल्टा रहा है। ऐसा मेरा ख्याल है, मेरा ऐसा तजुर्बा है जो कुछ भी मैंने देखा है उससे कि भ्रष्ट और रद्दी लोगों को तो नजदीक चिपकाते हैं और अच्छे लोगों को दूर फेंकते हैं। यह ट्रेण्ड है, यह हमारी शासन व्यवस्था और हमारे नैतिक चरित्र के पतन का कारण बनेगा अगर हमें इन बातों को करना है तो इस काम के लिए सबसे पहले सदन के नेता और मुख्य मंत्री को इन चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अभी आपके पास काम ज्यादा है, बहुत ज्यादा महकमें हैं आप खूब मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी इतने महकमों को किसी भी आदमी के लिए गहराई में जाकर देखना ह्यूमनली पासीबल नहीं है। खैर, इसकी कोई व्यवस्था होगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि हमारी सहकारिता के चुनाव हैं पंचायतों के चुनाव हैं। पंचायतों की मियाद खत्म हो रही है दिसम्बर में, उससे पहले हम चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था कर दें। पंचायती राज्य के चुनाव होने चाहिए। अगर हम रद्दी आदमियों को खुरपी लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका चुनाव नहीं है, उसमें अच्छे आदमी फिर रह जाते हैं और रद्दी आदमी आ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मुख्य मंत्री जी, यू०आई०टीज० का क्या हाल है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता पर कुछ माने हुए करप्ट लोग यू आई टीम में जमे हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। आप सब जानते हैं, वे भी जानते हैं। इसी तरह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से जमी हुई करप्ट चीजें हैं उनको अगर आप नहीं उखाडेंगे और उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे....

एक माननीय सदस्य : हैं तो पश्चिमी राजस्थान के, जोधपुर की तरफ के।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जानते है, आप बराबर जानते हैं।

मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं हम लोग कहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मैं कहूंगा जो चीजें खराब हैं, उन्हें रिमूव नहीं करेंगे, बोडली हिम्मत के साथ नहीं चलेंगे तो शासन का ढांचा कभी नहीं सुधर सकेगा शासन का ढांचा नहीं सुधरेगा तो शासन व्यवस्था कभी सुधरेगी नहीं। और शासन व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हमारी दृष्टि और केन्द्र बिन्दु साफ नहीं होंगे। हमारी नीतियां साफ नहीं होंगी तो हम कितना बड़ा राज बना लें, कितना ही बड़ा बहुमत ले लें, वह टिक सकेगा या नहीं टिक सकेगा, मैं कह नहीं सकता। आज मेरे ख्याल से आप का राज इसलिये चल रहा है कि हम जो इधर बैठे हुए लोग हैं वे बंटे हुए हैं। अगर देश में दो पार्टियां हों तो इस देश का लोकतंत्र सही होगा, शासन शुद्ध होगा और चलेगा, यह मेरी मान्यता है। इस मान्यता को मैं बाहर भी कहता हूं और यहां पर भी कहने में कोई डर नहीं है, विपक्ष मिलकर एक पार्टी बने....

एक माननीय सदस्य : विवाद है।

श्री नाथूराम मिर्धा : विवाद नहीं है। सिद्धान्तों का विवाद है मेरे ख्याल से।

मैं आपको कहता हूं उत्तर भारत में यह व्यवस्था ठीक है, दक्षिण भारत का अपना अलग हिसाब है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हो सकती हैं। इस देश में दो पार्टियां हो तो राज चल सकता है। दो पार्टियां बनाने के पक्ष का मैं किन्तु हमारे में भी अहम भरा हुआ है, मेरी छोटी पार्टी हो तो क्या, मैं नेता तो हूं। अहम भरी हुई नेतागिरी की वजह से देश की जनता मर रही है। हाका करें तो क्या मायां तो पोल है। पार्टी में ताकत और दम तब होगा जब हम सब एक झण्डे के नीचे होंगे, यह मेरी मान्यता है। मैं इसके लिये जिन्दगी भर लड़ता रहूंगा। देश में दो बराबर की पार्टियां हों तो लोकतंत्र बराबर सही चलेगा तब हरिदेव भाई मजा आ जायेगा, नहीं तो नहीं आयेगा। इसलिये हिन्दुस्तान का ऐसा नक्शा बने, ऐसा मैं चाहता हूं।

बाकी तो फिर कभी मौका होगा तब बात फिर कहूंगा। मैंने 35 मिनट ले लिये, मैं इस सदन का ज्यादा समय....

एक माननीय सदस्य : इस प्रस्ताव को पास कर लिया जाय, एक पार्टी हो जाये।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : हम सब कर लेंगे, आप चिन्ता नहीं करें।

जो कुछ भी पिछले साल में आपने कर लिया, उसमें कुछ कमियां हैं उसको दूर करेंगे इस बजट के जरिये, कुछ और थोड़ा बहुत करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमको भी आशा है हरिदेव भाई से, मुझे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बात करेंगे। इतने सारे हम सब इधर बैठने वाले उधर बैठने वाले टकटकी लगाकर देखेंगे। जो पुराना है उस खुरचन को चाटते रहेंगे तो उसमें कोई ज्यादा दम की बात है नहीं।

मैंने मेरे जिले के विचार आप लोगों के सामने, सदन के सामने रखे। आगे बहुत धुरन्धर लोग बोलेंगे। मैंने तो थोड़े में संक्षेप में बात कही है। मैंने मेरी तरफ से आदमियों की सच्ची बात समझ कर कही है। कोई मेरी तरफ से बढ़ा घटा कर या राजनैतिक लाभ लेने या देने की दृष्टि से नहीं कही है। हमारा देश बिगाड़ की ओर जा रहा है, राजनैतिक पतन हो रहा है, सत्यता दूर होती जा रही है। खराब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे लोग पीछे जा रहे हैं, केन्द्र सरकार आपके हाथ में है, केन्द्र के नेता आपके हैं, आप इस दिशा में पहल कर सकते हैं। यह आपके सोचने का प्रश्न है यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर जी भामड़ा।

श्री हरिशंकर भांभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नाथूराम जी ने अपने बहुत ही उच्च विचार इस सदन के सामने रखे हैं। शायद सत्तारूढ़ दल उनके विचारों से कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा, इसी अपेक्षा से जो कुछ बातें बजट पेश करते समय मुख्य मंत्री महोदय ने कही हैं उस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनता, जिसमें किसान, गरीब, सामान्य लोग, मजदूर सारे शामिल हैं, ने वकौल मुख्य मंत्री के संसदीय चुनावों में उनके युवा प्रधान मंत्री को अभूतपूर्व बहुमत प्रदान किया है, उस जनता की अकिंचन सेवा के रूप में यह बजट पेश किया गया है जिससे उसका कचूमर निकल रहा है। तथ्य यह है कि सत्तारूढ़ दल और हमारे मुख्य मंत्री पिछले 100 दिनों से एक विषय की घोषणा करते जा रहे हैं, अपने सारे नौकरशाहों को कहते है कि संवेदनशील बनिये। संवेदनशील इनकी नौकरशाही कितनी बनेगी, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन स्वयं मुख्य मंत्री संवेदनशील नहीं है, यह इस बजट ने स्पष्ट कर दिया। इनको राजस्थान की गरीब जनता और किसानों की चिन्ता नहीं है, उनके कष्टों की कोई संवेदना नहीं है इसलिये निर्ममतापूर्वक उन पर टैक्स लगाकर उनका जीना दूभर कर दिया। हो सकता है इसका अर्थ कुछ और हो क्योंकि राजनीति में भाषा कही कुछ और जाती है, मतलब कुछ और होता है। मुख्य मंत्री का यह मतलब हो कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी सरकारी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल के प्रति संवेदनशील हों, वे जो कुछ भी कहें, उसको शिरोधार्य कर लें, गलत-शलत, कानून के खिलाफ, अपनी मर्जी के मुताबिक जो काम करना चाहें, उसको करने के लिये उनके कर्मचारी संवेदशील रहें। यदि यह मतलब है तो इसका परिणाम यह होगा कि राजनैतिक हस्तक्षेप, आपके प्रशासन में बढ़ेगा जिसको रोकने का वचन आपके युवा प्रधान मंत्री ने चुनावों के वक्त दिया है। अब भी बार बार वे दोहरा रहे हैं लेकिन एक बात सही है आप संवेदनशील हों या नहीं हों लेकिन राजस्थान की जनता आपके इस बजट को देखकर इससे उत्पन्न हुई कठिनाईयों को भुगत कर, बहुत शीघ्र ही संवेदनशील हो जायेगी। जनता

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को जवाब देना ग्राता है। जिस मद ग्रौर घमण्ड में ग्राप यह समझ बैठें हैं कि ग्राप शाश्वत सत्ता में रहेंगे, जो चाहे मनमानी करते जायेंगे, ग्रापके किसी क़दम पर प्रतिरोध नहीं होगा तो शायद ग्राप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यही जनता जिस दिन ग्रापके इन गलत कदमों के प्रति संवेदनशील बन गई ग्रापकी भूल निश्चित करेगी, ग्राप सड़कों पर मुंह छिपाते हुए घूमेंगे ग्रौर दिन में भी ग्रापको तारे नजर ग्रायेंगे। इसलिये मेहरबानी करके जनता की संवेदना का ध्यान रखें, उसी हिसाब से इस बजट को ग्राप समझें ग्रौर उसका परिवर्तन करें।

दूसरी बात है गरीबों की, ग्राप रोज गरीबों की मदद करने की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं लेकिन सरकार के व्यवहार से तो यह मालूम पड़ता है कि स्वयं सरकार भिक्षुक बनी हुई है। कल चाहे मुख्य मंत्री जी ने ग्रपने बजट भाषण में चाहे कितना ही ग्रच्छी प्रगति का, विकास की गंगा का जिक्र किया हो, विकास की गंगा सतत बहती रहेगी ग्रादि ग्रच्छे शब्दों का प्रयोग किया हो लेकिन व्यावहारिक रूप से वास्तविकता का ग्राप सब ग्रनुभव करते हैं, ग्रौर तो छोड़िये माननीय विधायक भी किसी काम को लेकर जायं तो उनको एक ही उत्तर मिलेगा कि बजट में प्रावधान नहीं है। स्कूल खोलना है या हमारे यहां ग्रमुक काम करना है तो उत्तर यही मिलेगा कि बजट में प्रावधान नहीं है। ग्रफसरों से कहेंगे तो वे कहेंगे, ग्राप विधायक हैं, मंत्री जी से कहिये कि बजट में प्रावधान करें, हमको रुपया दिलाये। ग्राप जो कहेंगे वह काम हम कर देंगे। बजट नहीं है ग्रौर इस तरह से यह सरकार स्वयं भिक्षुक बन करके जनता की गरीबी को दूर करने की बात करती है जो सरासर धोखा है।

यह विकास की सतत गंगा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ग्रौर भ्रष्ट नौकरशाहों के घरों में बहेगी। वे ग्रपनी गरीबी मिटा रहे हैं। ग्राम जनता की गरीबी नहीं मिटा सकते, ये सारी विकास की गंगा को ग्रपने घर में ले जा करके समेट लेंगे जिस तरह से शंकर जी ने जटा में गंगा रमा ली थी। भ्रष्ट नौकरशाह ग्रौर भ्रष्ट राजनीतिज्ञ सारे पैसों का दुरुपयोग कर ग्राम जनता को ग्रौर भी गरीब बनाने के लिये बाध्य कर रहे हैं।

एक बात ग्रौर कही है हमारे मुख्य मंत्री जी ने धार्मिक ग्रौर राजनैतिक कारणों में कि राजस्थान का पिछड़ापन ऐतिहासिक ग्रौर भौगोलिक कारणों से रहा है। ग्रब यह तो ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें राजनैतिक कारण कितने हैं ? पैंतीस साल से ग्रबाध गति से ग्राप इस राजस्थान पर राज्य करते रहे हैं फिर भी ग्राप ग्रपने पिछड़ेपन का सारा दोष इतिहास ग्रौर भूगोल पर डालते हैं। दुनियां में इस तरह के देश हैं ग्रौर इस भारतवर्ष में भी ऐसे प्रदेश हैं जिनकी हालत हमसे भी ज्यादा बदतर है, लेकिन उन लोगों ने शुद्ध राजनैतिक ग्राचरण के द्वारा, शुद्ध व्यवस्थाग्रों के द्वारा जनता के सारे कष्टों को दूर कर दिया। इजरायल इसका उदाहरण है। वहां पर भी डेजर्ट है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, पर इतने समय में वहां का विकास कर दिया जितने समय में ग्राप यहां पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान के पिछड़ेपन के लिये इतिहास

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

और भूगोल जिम्मेदार नहीं है। आप कब तक इसके लिये भूगोल और इतिहास को जिम्मेवार कहते रहेंगे ? इसके लिये जिम्मेवार आपका कु-शासन भी है। 35 साल से आपने राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये। पंचवर्षीय योजनायें बनती रहीं, हर मद में रुपया लगते रहे, जैसा माननीय नाथूराम जी ने कहा उन रुपयों का भ्रष्टाचार होता रहा और जो काम होना चाहिये, उन काम करने वाली संस्थाओं को कभी भी आपने आगे नहीं किया। इन सारे हालात में यह बजट पेश हुआ है।

मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी जिस मद के हिसाब से चले हैं, अच्छा होता मुख्य मंत्री जी यहां होते, क्योंकि मैं प्रश्न-उत्तर शैली में बजट के बारे में कुछ बातें पूछना चाहूंगा। वह स्वयं सुनते तो शायद ठीक उत्तर देते लेकिन वह हैं नहीं। शायद उनकी कोई मजबूरी है। आपने प्रारम्भ में....

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ : चेम्बर में सुनने के लिये लगा हुआ है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : चेम्बर में तो व्यवस्था है।

आपने प्रारम्भ में बताया कि 1970 और 71 के स्थिर मूल्यों की राज्य की शुद्ध आय 1722-30 करोड़ रुपयों थी वह 1984–85 में बढ़कर 2252.56 करोड़ हो गई। अर्थात् 500 करोड़ रुपये की आय में बढ़ोतरी। अब इस पांच वर्ष में 500 करोड़ की आय को यदि विभाजित करें और उसका क्यूमिलेटिव बेसिस निकालें सारे प्रदेश का तो वह 6 प्रतिशत होना चाहिये लेकिन अभी वह 4 प्रतिशत भी नहीं है। यानि यह 500 करोड़ की आय की बढ़ोतरी का लाभ राजस्थान की जनता को जितने पर्सेन्ट मिलना चाहिये था वह नहीं मिला, तो यह बाकी का पैसा कहां गया, इसका जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे।

आज आप बिजली के उत्पादन की बात करते हो, बिजली के यूनिट की बात करते हो वह भी 488 करोड़ से बढ़कर 582 करोड़ हो गई लेकिन इससे पिक्चर साफ नहीं होती। आप हमें बताईये कि बिजली की कितनी मांग है, कितनी पूर्ति कर दी और कितनी की पूर्ति करनी है। जब तक आप इस तरह से बजट का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप आंकड़ेबाजी के चक्कर में धोखा देने की भले ही कोशिश करें लेकिन आम जनता इससे धोखा नहीं खायेगी। इस तरह से आपने छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ के बजाय 2128 करोड़ खर्च किया। अब मैं पूछना चाहता हूं इस समय भी जो 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय के आपने खर्च किये, इससे आम जनता को कुल मिला करके क्या लाभ हुआ, उसकी पर केपिटा इन्कम में क्या बढ़ोतरी हुई, उसके जीवन स्तर और जो उन्नति के माप-दण्ड हैं, उनमें कहां बढ़ोतरी हुई ? इसका स्पष्टीकरण आ जाता तो बात साफ हो जाती।

इस छठी पंचवर्षीय योजना में 763.71 करोड़ रुपयों के संसाधनों की बात कही गई। अच्छा होता मुख्य मंत्री जी हमें यह

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

साफ साफ बताते कि यह 763.71 करोड़ रुपये के संसाधन किस तरह उन्होंने किये, कितने टैक्स से किये, कितने नान टैक्स से किये, कितने लोन से किये और कितने सहायता से किये, तो हमारे सामने पिक्चर साफ होती और हम भी बजट के बारे में साफ बात कहते।

अब एक बात बड़े गर्व से कही गई है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की है। माननीय नाथूरामजी ने जैसा बताया, यह बड़े गर्व की बात कही गई लेकिन जैसा बताया कि छठीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रयुक्त धनराशि से; 48.14 प्रतिशत इस योजना से अधिक है। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी हमको बेवकूफ मत बनाइये, यह गलत है और अधिक नहीं है। 12 पर्सेन्ट आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना से छोटी है। उसका कारण साफ है। आज मुद्रा स्फीति की दर 10 प्रतिशत है, यह और बढ़ने वाली है लेकिन यदि 10 प्रतिशत के हिसाब से भी आंका जाय तो आने वाले पांच सालों के अन्दर सौ की जगह आपको 160 खर्च करने पड़ेंगे और इस तरह 60 प्रतिशत अधिक व्यय होगा। इस प्रकार आपकी स्वयं की योजना 12 प्रतिशत और कम होगी। जिस तरह से मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, मंहगाई बढ़ रही है इस हालत में ये तीन हजार करोड़ रुपये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के 2128 करोड़ से भी 12 प्रतिशत कम फल लायेंगे, उससे भी 12 प्रतिशत कम काम होगा। इसलिये इसमें गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तीन हजार करोड़ का नाम लेकर हमें चक्कर में डालने की कोशिश न करें।

अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादन, ये सब बहुत अच्छा है लेकिन आगे जो बातें कही गई हैं उनसे ऐसा नहीं लगता है कि बताई हुई बातों के काम पूरे कर पायेंगे। काम पूरा तब कर पायेंगे जबकि आपके उद्योग धन्धे होंगे। उन उद्योगों को आप क्या इन्फ्रा स्ट्रक्चर दे पायेंगे, क्या उन्हें आप बिजली दे पायेंगे और क्या आप उन्हें पानी दे पायेंगे ? आपके पास पानी और बिजली है नहीं। आपके पास कुछ देने को है नहीं। इतनी महंगाई इस राजस्थान में हो गई है कि यदि इस बजट का असर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ेगा तो वह किसान पर पड़ेगा, मध्यम लोगों पर पड़ेगा, लघु उद्योगों पर पड़ेगा। राजस्थान में इन तीनों का नामो-निशान ही मिट जायगा जिस तरह से आपने ये रेट्स बढ़ाई है। इसलिए आपके यह संसाधन कोई उपयोग में आने वाले नहीं हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने तीन हजार करोड़ की व्यवस्था की है लेकिन इसमें भी एम्बीगुटी है। इस रकम को जुटाने के लिए 1139.77 करोड़ आप केन्द्र से लेंगे और एक हजार करोड़ के अतिरिक्त संसाधन आप जुटायेंगे। बाकी एक हजार करोड़ कहां से आयेंगे ? यह भी बताना चाहिये था हमको। सदन में बजट पेश कर रहे हैं, सदन को मालूम होना चाहिये कि ये तीन हजार करोड़ की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी। आपने दो हजार करोड़ की बात कह कर एक हजार करोड़ की बात को टाल दिया....

(व्यवधान)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

एक अभूतपूर्व बात है, होता क्या है कि राजस्व खाते में बचत करके पैसा कैपिटल खाते में लगाया जाता है ताकि उससे हमारी समृद्धि हो लेकिन यहां उलटा हो रहा है। कैपिटल खाते से रुपया लेकर राजस्व में व्यय किया गया है। यह कौनसे बजट की व्यवस्था है। राजस्व खाते में आपको घाटा रहा है उसकी पूर्ति कैपिटल खाते से लेकर कर रहे हैं, यह उल्टी गंगा बहा रहे हैं और फिर कहते हैं हमारा बजट सफल होगा।

इसी तरह से आपने एक बात और कही कि छठी पंचवर्षीय योजना में 3.52 लाख हेक्टर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं। मान लीजिये, हुई तो हमको यह भी बताना चाहिये कि इस अतिरिक्त सिंचाई की वजह से कितनी सरकार की इन्कम बढ़ी। आखिर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की है तो उससे भी आमदनी बढ़ी होगी लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप बजाय उसके उल्टे सीधे आंकड़े बता कर रह जाते हैं। उसका वास्तविक लाभ क्या हुआ, आर्थिक स्थिति में क्या फर्क पड़ा, वह भी मुख्य मंत्री जी बतायें 3.52 लाख हेक्टर में जो अतिरिक्त सिंचाई बढ़ी है उसके बढ़ने की वजह से राजस्थान सरकार को कितना प्राफिट हुआ है, आय के स्रोत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, यह भी हमें बताना चाहिये था।

इसी तरह से आपने बजट में कहा है कि सरकार एक हजार से लेकर पन्द्रह सौ की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ेगी। इससे हम कुछ नहीं समझ पाते। हमको तो यह बताइये कि सरकार कितने किलोमीटर सड़कें बनायेगी ताकि हम हिसाब लगा लें कि आपके पास पैसा है कि नहीं। किलोमीटर से तो हिसाब लगा लेंगे लेकिन गांवों से हिसाब नहीं लगेगा कि कितने गांवों में आप कितने किलोमीटर सड़कें बनायेंगे। तो इस तरह से यह गोलमाल भाषा बोलकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है। वास्तव में साफ साफ बताया जाना चाहिए कि इस योजना के अन्तर्गत हम इतने किलोमीटर सड़क बनायेंगे लेकिन यह कहीं पर भी नहीं बताया गया है।

अब आपने शिक्षा सुविधा की बात की। शिक्षा के विकास की गति तो रुकी हो है लेकिन आपने कहा है कि सातवीं योजना में 5000 नये प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, 4500 अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजित करेंगे। मान लिया तो मुझे जवाब चाहिए, एक तो यह बताइये कि आप अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजित करेंगे वह तो ठीक है लेकिन जो अभी पद खाली पड़े हुए हैं उसमें से कितने भरेंगे? आप यह बताइये कि इतने पद खाली पड़े हुए हैं वह तो भरेंगे ही, उसके अतिरिक्त आप इतने और पदों का सृजन करेंगे। नये पदों का सृजन करते जाइये और खाली पदों पर कोई बैठेगा नहीं तो पद ही पद रह जायेंगे आपके पास, काम करने वाला तो कोई होगा नहीं। इसलिये हमें यह बताया जाना चाहिए। यदि शिक्षा में आप 5000 प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं तो यह बताने की आवश्यकता है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कितना बढ़ेगा। आज राजस्थान में 24 प्रतिशत साक्षरता की रेट है जबकि सारे हिन्दुस्तान की 36% है। एक प्रदेश को छोड़कर बाकी प्रदेशों से लास्ट नम्बर हमारे राजस्थान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

प्रदेश का ग्राता है। तो ग्राप हमको इस तरह से बताइये कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता का प्रतिशत 24 प्रतिशत से बढ़कर इतना हो जायेगा। यह ग्राप जब तक नहीं बतायेंगे तब तक कोई बात इससे साफ होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ यह भी बतायें कि इस शिक्षा के कारण कितने पुरुष, कितनी महिलाएं ग्रधिक संख्या में शिक्षा को प्राप्त करेंगी ताकि कुछ ग्रंदाज लगा सकें।

ग्रापने कहा कि हम इंजीनियरिंग कालेज खोलेंगे। जरूर खोलिये। मगर ग्रापके यहां से जो इंजीनियर जा रहे हैं, फिर किसके लिए ग्राप कालेज खोल रहे हैं? इसलिए खोल रहे हैं कि इन कालेज में ग्राप यहां से इंजीनियर बना बनाकर हिन्दुस्तान से बाहर भेजें? राजस्थान से बाहर भेजने के लिए बना रहे हैं? ग्राप उनको यहां नौकरी दे नहीं सकते। कालेज ग्राप खोल रहे हैं, शिक्षा ग्राप देंगे ग्रौर उनको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो क्या फायदा। इसलिए साफ साफ बतायें कि हम इतने कालेज खोलेंगे, जिनमें इतने लड़के निकलेंगे ग्रौर उनको हम राजस्थान के ग्रन्दर यहां काम देंगे ग्रौर काम में लगायेंगे। इसके बारे में ग्रापने कुछ नहीं कहा।

एक बात ग्रौर कह दी स्टेडियम बनायेंगे, ग्राप ग्रौर स्टेडियम बनायेंगे, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम या कोटा का स्टेडियम है यह सब शो पीस हैं। कौन से लड़के वहां जाकर खेलना सीखते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री महोदय से कि स्टेडियम के बजाय इस धनराशि को स्कूलों में खेल कूद के ग्राउण्ड ग्रौर सामान का विकास करने के लिए दीजिए ताकि सारे राजस्थान के ग्रन्दर स्कूलों के ग्रन्दर जो लड़के पढ़ते हैं वह ग्रपने ग्रपने ग्राउण्ड्स पर शिक्षा प्राप्त करके किसी भी स्टेडियम में जाकर राजस्थान का नाम रोशन करें। स्टेडियमों में शिक्षा नहीं मिलती, यह तो शो पीस हैं ग्रौर पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। बाहर से लोग खेलने के लिए ग्रायेंगे ग्रौर टिकट लग जायगा, पैसा इकट्ठा होगा। इनसे यहां के विद्यार्थियों को ग्रौर खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यहां के खिलाड़ियों का लाभ देना है तो ग्राउन्ड्स स्कूलों में जहां जहां पर भी हैं उनको इम्प्रूव करिये. खेलने कूदने के साधन दीजिए।

ग्रब ग्रापने चिकित्सा के मामले में भी इसी तरह से गोल माल सारा विवरण दिया है। मुख्य मंत्री जी ने ग्रपने भाषण में कहा है कि 38000 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पहला सवाल तो यह है ग्राप बताते कि कितने समस्याग्रस्त गांव ग्रभी राजस्थान में हैं ग्रौर सातवीं योजना के बाद कितने रह जायेंगे? ग्राप इस बारे में बोलते नहीं ग्रौर बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। पिछली बार कहा गया कि 24000 गांव राजस्थान में समस्याग्रस्त हैं। ग्रभी कुछ दिन पहले ग्रापकी सरकार के चीफ इंजीनियर का वक्तव्य ग्राया कि हमने 80 प्रतिशत समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी 80 प्रतिशत गांवों में जहां पर लोग गंदा पानी पीकर बीमार होते थे उनकी हमने व्यवस्था कर दी। यह तो विधि का क्रूर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मजाक समझिये कि दूसरे दिन बाद ही लूणी का केस अखबारों में आ गया, आज उसमें और बढ़ोतरी हुई है। अब तक वह गंदा पानी पीने से 8 लोग मरे थे। आज सूचना मिली है कि 5 और मर गये। 13 लोग मर गये और चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि हमने 80 पर्सेन्ट गांवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दी और 80 पर्सेन्ट गांव जो प्रोब्लेमेटिक थे वह हमने ठीक व्यवस्था कर दी। इस तरह से दुनिया को धोखा मत दीजिए। आज राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं।

योजना आयोग ने इस साल की 85-86 की योजना का आकार 430 करोड़ दिया है। यह मैं पूछना चाहता हूं कि आपने स्वीकार कैसे की? जब 3000 करोड़ की पांच साल की योजना है तो कायदे से इस वर्ष की योजना 600 करोड़ होनी चाहिए। 600 करोड़ से कम क्यों हुई। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने जब वोट ग्रोन अकाउन्ट दिया था तो वित्तीय योजना का आकार 493 करोड़ बताया था और अब बजट भाषण के समय उनको 430 करोड़ कर दिया यानि योजना का आकार कम करते जा रहे हैं जबकि उसका आकार 600 करोड़ होना चाहिए। यह भी मान लिया जाय कि 6 महीने निकल गये तो भी एक साल में जो 170 करोड़ रुपये होने चाहिए उसका 50 पर्सेन्ट, 85 करोड़ रुपये तो इस योजना में जोड़ जाने चाहिए। इन 85 करोड़ रुपये से नये स्कूल खोले जा सकते थे जिनको खोलने की आपकी क्षमता नहीं रही। इस पर मुख्यमंत्री महोदय को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अब आपने वित्त आयोग की बात और जोड़ दी इसमें। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, वित्त आयोग का योजना से लेनदेन ही नहीं है। वित्त आयोग का तो काम ही सारा नोन-प्लान पर है। उसका योजना से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। सारे नोन प्लान खर्च की बात करता है वित्त आयोग पर वित्त आयोग से स्वीकृत राशि, यहां तक कि 26.77 करोड़ की राशि, जो भारत सरकार द्वारा अकाल राहत के लिए दी गई थी भी आपने योजना में जोड़ दी। अकाल राहत में काम और वित्त आयोग की बात, यह योजना से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। हां, वित्त आयोग की जो बात सम्बन्ध रखती थी उसको गोल कर गये। सम्बन्ध यह रखती थी कि राजस्थान की सरकार की ओर से आठवें वित्त आयोग के सामने प्रतिवेदन उपस्थित किया गया था, 1984–85 की योजना में कटौती हुई, 45 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, उस घाटे की पूर्ति कैसे करेंगे। इस मामले में आप चुप हैं। वित्त आयोग ने जो खर्च की कटौती 1984–85 की योजना में की, करोड़ों रुपये की, सड़कों की की, ब्रिजेज की की। राजस्थान सरकार ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यह कटौती राजस्थान के लिए भारी पड़ेगी क्योंकि इस समय यदि यह काम हो गये तो यह निर्धारित रुपयों में होगा। यदि इस काम को हम अगली पंचवर्षीय योजना में लेंगे तो कास्ट एक्सक्लेशन हो जायेगा, बढ़ जायेगा और इतने रुपयों में यह काम नहीं होगा और राजस्थान के रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पर भार पड़ेगा, इस बात का कहीं वर्णन नहीं किया। यह कहीं पर भी उन्होंने नहीं बताया और जो बात नहीं थी उसको शामिल कर दिया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अब विद्युत विकास पर 123 करोड़ का आपने प्रावधान किया। विद्युत का सारा मामला घोटाले से भरा हुआ है लेकिन एक ही बात सिर्फ बताना चाहता हूं। आर. एस. ई. बी. का घाटा 125 करोड़ का आपने बताया और 121 करोड़ रुपये की आपने विद्युत में आमदनी बताई है। मैं समझता हूं कि विकास की गुंजाइश कहां रही, 121 करोड़ रुपये आप 125 से निकाल दें तो भी 4 करोड़ का घाटा रहेगा। विकास के लिए पैसा कहां से आयेगा? कहां से होगा विद्युत का विकास? आपने आगे बताया है कि 125 करोड़ रुपये का घाटा आपका आर. एस. ई. बी. में है। तो खास तौर से आर. एस. ई. बी. की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के बारे में हमारे को पूरी तौर से बताया जाना चाहिए था कि उसकी क्या हालत है, वह तनख्वाह भी चुका पाता है कि नहीं? उनके सामान पर डैमरेज लग रहा है। गांवों में इसलिए विद्युत कनैक्शन नहीं दिये जाते क्योंकि खम्भे नहीं हैं, आर.एस. ई.बी. बिजली सप्लाई नहीं कर पाती, यह हालात हैं। हमारे लिए भार बना हुआ है वह इस हालात में भार बना हुआ है। इसी सरकार के एक फाइनेंस मिनिस्टर ने 1982-83 के अपने बजट भाषण में कुछ बातें कहीं, मैं आपके सामने वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं उस पर आपने ध्यान दिया? उस समय श्री चन्दन मल जी वैद थे। उन्होंने कहा, "माननीय सदस्यों को मैंने यह पहले ही अवगत करा दिया है कि वित्तीय स्थिति सुधारना हमारे लिए इसलिए जरूरी है और इसके लिए इस प्रकार कारगर कदम उठाये जायेंगे"। यह 1982-83 का बजट भाषण है।

(2.00 म. प.)

अब इसकी कितनी पालना करते थे उसका विचार करें।

(1) योजना खर्च को योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई राशि तक सीमित रखा जाये।

(2) गैर योजना खर्च को कड़ाई से कम किया जाये।

(3) अकाल राहत के कार्यों को उत्पादक कार्यों में बदला जाय तथा जहां तक सम्भव हो अनुत्पादक कार्यों में संयम बरता जाये।"

आज राजस्थान में जहां पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उनमें इंस्ट्रक्शन दिये हैं कि इसमें स्थायी रूप से टिकने वाले कार्य नहीं कराये जायं, चालू काम कराये जायं। वही काम हो रहे हैं वहां पर। किसी टैंक की सफाई हो रही है, कोई सड़क हो रही है। मुझे मालूम है, मुझे अपने क्षेत्र का पता है। मैंने यह आवाज उठाई है कि कम से कम इस पैसे का ऐसा उपयोग करिये, जैसे सड़क बन रही है तो उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा करिये। ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, इन्स्ट्रक्शंस हैं। मुझे बताया गया, आपके अफसर गलत बोलते होंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे पास तो इन्स्ट्रक्शन यह है कि इस टैंक को साफ कर दो। यह सड़क जो हम कच्ची बनाना शुरू कर रहे हैं, कच्ची सड़क बनायेंगे हम तो उसमें जो स्थिति बन जायेगी वह बन जायेगी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(4) वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाये।

(5) राजस्व कमाने वाले विभाग अपने निश्चित टार्गेट्स को पूरा करें तथा इसके लिये उनकी बराबर मॉनीटरिंग की जाये।

(6) जो विभाग अपने मंजूर शुदा खर्चों से ज्यादा खर्च करते हैं उनके अध्यक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।

(7) राज्य विद्युत मण्डल, राज्य परिवहन निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने बजट को सन्तुलित करें।

(8) राज्य के अगले साल के बजट में कोई घाटा न छोड़ा जाये। यह सिद्धान्त स्वीकार किये इस सरकार ने 1982-83 में। उसके बाद जो भी वित्त मंत्री आये, घाटा बरकरार था। 1983-84, 84-85 में घाटा था, इस बार भी वह घाटा बरकरार है। स्वयं अपने बताये हुए सिद्धान्त, अपनी बातों पर यह सरकार टिक कर रहती नहीं।

आपने बता दिया ग्रामीण विद्युतीकरण पर हम 16 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सवाल यह है कि इस राशि में कितने गांवों में बिजली पहुंचायेंगे आप हमको संख्या बताते तो बात समझ में आती।

(व्यवधान)

मैं बजट भाषण की बात कर रहा हूं। यूं तो हम ढूंढ लेंगे। कहीं न कहीं से पूछ लेंगे लेकिन इस वक्त बजट पर बात कर रहे हैं हम, तो बजट भाषण के सम्बन्ध में कह रहा हूं। दस हजार कुओं का विद्युतीकरण किया जायगा। हम ये पूछना चाहते हैं, दस हजार की यह संख्या दस साल से चली आ रही है, स्थायी संख्या है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। अब तक आपने कितने कुओं को कनेक्शन दे दिये, कितने बकाया हैं, यह बताया जाता तो कुछ समझ में आता। यह कोई हिसाब आपने यहां पर दिया नहीं है। यह देने की परम्परा चालू की जाय।

राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के लिये 50 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर और 15 करोड़ माही योजना पर रखे हैं। अब मेरे यह समझ में नहीं आया, राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी बड़े उत्साह से कह रहे थे कि हम क्षेत्रीय संतुलन रखेंगे। आप ये रीजनल बैलेंस देखिये। माही योजना में 15 करोड़ और राजस्थान के मरु विकास के लिये 12 करोड़। सारे वेस्टर्न राजस्थान के लिये 12 करोड़ रुपया और अकेली माही योजना के लिये 15 करोड़ रुपया। यह राजस्थान में वित्तीय संतुलन की बात है। लेकिन करिये, राजस्थान के सारे हिस्से को हम तो अपना ही मानते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं वह करते नहीं है। हर जगह धोखा देने की कोशिश करते हैं मगर आप अधिक समय तक जनता को धोखा दे नहीं पायेंगे।

राजस्थान नहर का सवाल, इंदिरा गांधी नहर का सवाल आया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है आप चाहते क्या हैं? क्या करना चाहते हैं। अखबारों में बड़े झगड़े आ रहे हैं कि उसका आधार बदला जा रहा है। क्या आधार बदला जा रहा है इस बारे में जनता को बताया जाय। यह बात ठीक है कि राजस्थान नहर से पीने का पानी झुंझनूं, सीकर, चूरू, नागौर सब पश्चिमी जिलों को मिलना

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

चाहिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु सवाल यह है पानी लायेंगे कैसे ? आप खुली नहर से ला रहे हैं या पाइप से लायेंगे ? बाड़मेर, जहां आज भी 40 किलोमीटर से लोग पानी लाकर पीते हैं उनको प्यासा रख कर आप पानी लायेंगे या उनकी जो जरूरत है उन सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो पानी आपके पास रहता है उस पानी को आप पीने के लिये आगे देंगे। यह सारी बातें साफ होनी चाहिये। इसका एक ब्लू प्रिन्ट हमारे सामने होना चाहिये ताकि हम उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। लेकिन इस सम्बन्ध में कभी राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो मर्जी में आया अपनी सनक के मुताबिक एक बात बनाली। यह सरकार अपनी व्हिम्स पर चल रही है उसमें वस्तु स्थिति का कोई विवेचन करता ही नहीं है। कितना पानी हमको मिल रहा है कितना पीने का पानी हम दे सकते हैं, कितने क्षेत्र में हम सिंचाई करवा सकते हैं इस बारे में अनुमान लगाये बिना अपनी व्हिम्स पर योजनायें बनाये जा रहे हैं। इससे राजस्थान का भला होगा नहीं।

शिक्षा पर आपने 32.50 करोड़ योजना व्यय में प्रावधान किया है। लेकिन आपने कहा जो अभी वर्तमान ढांचा है उसको सुदृढ़ करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वर्तमान ढांचें में कमी क्या है। पहले यह तो बताते कि हमारे वर्तमान ढांचे में ये ये कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करने के बाद हमें इतने पैसे की जरूरत है इसलिये वर्तमान ढांचे की इन कमियों को पहले हम पूरा करेंगे। इस बारे में गाल मोल मामला है। अब आप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, राजस्थान की जनता में तो शिक्षा का विकास होगा नहीं और आपका क्या होगा, यह भगवान जानें।

आपने अध्यापकों के पद सृजन करने की बात कही। लेकिन वर्तमान में जो पद खाली हैं उसको भरने के बारे में नहीं कहा है। एक नयी बात और कही। राज्य के प्रतिभावान छात्रों को आप एक हजार रुपये और 600 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे। यह स्वागत योग्य है। मेरा निवेदन है, सजेशन है, जो छात्र आगे नहीं पढ़ने वाले हैं उनको कैश रुपया दीजिये लेकिन जो आगे पढ़ने वाले हैं उनको रुपया देने के बजाय आप स्कालरशिप देकर पढ़ने में मदद करिये, पुस्तकें और अन्य साधन उन्हें उपलब्ध कराइयें ताकि अपनी पढाई पर ही वह रुपया खर्च कर सकें। ऐसी व्यवस्था भी आप साथ में करेंगे।

आपने कहा कि हम माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन बनायेंगे। इसमें आपने एक करोड़ रुपया खर्च करने का कहा है, एक करोड़ रुपया जनता से खर्च होगा। 1300 विद्यालय भवनों के निर्माण की बात कही गई है। मैंने हिसाब लगाया–यह मिलकर हुआ 200 लाख रुपया। 1300 भवनों में इसको डिवाइड किया जाय तो एक भवन पर 16 हजार रुपयों का खर्चा आता है। क्या आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय 16 हजार रुपये में बन जायगा। हां आपको भेड़-बकरी की तरह बच्चों को बैठाना हो तो जो चाहें, करिये। इस युग में 16 हजार रुपये में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं बन सकता है, 1300 विद्यालय भवन पूरे 2 करोड़ रुपये खर्च करके कहां से बनायेंगे, जरा हमको समझायें मुख्य मंत्री जी, इसका हिसाब बतायें ? कौनसी ऐसी

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

नयी बात आ गई जिससे वे कम पैसे में उच्च प्राथमिक विद्यालय बना लेंगे, इसको भी जरा वे स्पष्ट करें।

इसी तरह से उदयपुर के अन्दर आयुर्विज्ञान चिकित्सालय का है। ये सारी बातें उसमें भी हैं। जरा यह भी बता दें कि वहां अभी कितने पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति करने में क्या कठिनाई उनको आ रही है? कब तक रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे? नये नये पद बनाते जा रहे हैं। खाली पदों को भरने के मामले में चुप्पी साध रखी है।

श्री शंकरदयाल जोशी : सात पद रिक्त हैं, सात।

श्री हरिशंकर भामड़ा : एक बात और बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कही है, ऐसी आशा है कि कुल कृषि क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 11 प्रतिशत क्षेत्र की वृद्धि होगी। यह 11 प्रतिशत क्षेत्र कहां से आया? मुख्य मंत्री जी बतायें। यह 11 प्रतिशत क्षेत्र कहां से आया? अगर इतना क्षेत्र इनके पास था तो अब तक भूमिहीनों में आवंटित क्यों नहीं किया गया? आपकी जो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है उसके अन्दर उन लोगों को ये 11 प्रतिशत जमीन क्यों नहीं दी? यह कहां से आया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

जहां तक प्रमुख प्रमुख बाकी सारी जितनी भी योजनाओं के बारे में जो आपत्तियां मुझे थी, जो मुझे समझने की बातें थी, उनको मैंने आपके सामने रखा है। अब कुछ विशेष बातें हैं जो इस बजट के परिणामस्वरूप होने वाली हैं। सबसे पहली बात तो यह होगी कि आपने यह जो 10 रुपये का सरचार्ज लगाया है उसका तत्काल परिणाम यह होगा कि तीन से चार प्रतिशत वृद्धि महंगाई में कल से हो जायगी। इसको कोई रोक नहीं सकता।

आप बचत की बात कर रहे हैं। आपने कितने ट्रांसफर किये? एक ट्रांसफर पर यदि मिनिमम तीस से चालीस किलोमीटर जाने वाला कोई सरकारी कर्मचारी है तो औसतन एक हजार रुपया खर्च होता है। आपने कितने ट्रांसफर किये? एक तरफ बचत की बात करते हैं, दूसरी तरफ लाखों रुपया अपनी व्हिम्स पर खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आर ए एस और आई ए एस अधिकारियों के ट्रांसफर करने के लिये तो कुछ नार्म्स बने हुए हैं, क्या आपने कभी उन नार्म्स का ध्यान रखा है? अपनी मर्जी की मुताबिक ट्रांसफर कर दिये। उसमें साफ गाइड लाइन दी है कि इसको कहां लगाया जाय, क्यों लगाया जाय। उनके पास कार्ड्स हैं उनको देख कर लगाया जाय। इन सारी बातों को ध्यान में रखे बिना आपने ट्रांसफर किये। तो यह इस बात का सबूत है कि आप जो रुपया बचाने की बात कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ करना नहीं चाहते। आपने पानी की दरें बढ़ा दी, पानी आप दे नहीं रहे हैं। बिजली की दरें बढ़ा दी, बिजली दे नहीं रहे हैं। रोडवेज में भी सुविधाएं नहीं बढ़ाई और दरें बढ़ाई जा रही है। सवाल यही है कि क्या आप जनता को मारना चाहते हैं। पानी आप दे नहीं सकते और पानी की दरें बढ़ा रहे हैं, जिसके विरोध में सारे राजस्थान में 50 हजार लोगों ने गिरफ्तार होने को अपने आपको प्रस्तुत किया। दस हजार लोग गिरफ्तार

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

हुए, मगर आप इसलिए नहीं सुनते कि आन्दोलन अहिंसात्मक था, शांतिपूर्ण था। यह सरकार ऐसी भाषा समझने की कोशिश कर रही है जो हिंसा की हो। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। सरकार को संभलना चाहिए। प्रजातंत्र में हिंसा को बढ़ावा नहीं मिले इसलिए यदि कोई इश्यू ठीक है, यदि सवाल ठीक उठाया गया है, वह ठीक है तो भले ही कम लोगों ने उठाया हो, सरकार को ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। बार बार हिंसा को बढ़ावा देने के लिए इस बात की प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए कि आम जनता सड़कों पर आए और सरकारी मोटरों को जलाए और राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट करे। यह कांग्रेस की सरकार पिछले 35 साल से जानबूझ कर रही है। इसको रोकने की कोशिश करें। रोडवेज में आपने दरें क्यों बढ़ाई, रोडवेज के चेयरमैन के मुताबिक गत वर्ष 4 करोड़ का फायदा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी पार्टी के टाइम का ख्याल करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा: मैं पांच मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं।

तो इसमें कोई जरूरत नहीं थी। आज रोडवेज में तीन हजार से ज्यादा ऐसी मोटर गाड़ियां और अन्य वाहन हैं जो अवैध रूप से सरकार को नुकसान देते हुए चल रहे हैं। उनको ठीक तरह से, कारगर रूप से काम में लिया जाय तो 50 करोड़ की आमदनी केवल इससे होगी, कोई पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने बीज की बात कही, इस बार किटाणुयुक्त, रोग युक्त बाजरे के बीज को लेकर सारे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। जो बीज आपने दिया, राजस्थान के अन्दर वह जहां बाजरा बोया गया, इस रोग के कारण लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। राजस्थान सरकार की स्वयं की वित्तीय हालत यह है कि पच्चीस सौ करोड़ का आप पर कर्जा है जिसका ब्याज 240 करोड़ प्रति साल देय है। जिसका खर्चा होता है उतना ही आप पर कर्ज है। 240 करोड़ सालाना आपको उसका ब्याज देना पड़ता है। इस स्थिति को आप सुधारेंगे कैसे इस पर विचार करिये। इस पर विचार किए बिना केवल आंकड़ों के जंजाल में अपने को डालने से कोई लाभ नहीं होता।

एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी अभी भारतवर्ष के वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि छापे वगैरह मार कर 5 हजार करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करेंगे। उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा होगा, उस पर विचार करिए, सोचिए और उसमें से भी रुपये लेने की कोशिश करिए कि आपको उस 50 हजार करोड़ कुल टैक्स में से कितना मिले। फिर राजस्थान की जनता को मारने की जरूरत नहीं है। न बिजली की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत है, न पानी की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत है, न रोडवेज का किराया बढ़ाने की जरूरत है, न सैल्स टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। उस पर आप ध्यान दीजिए।

अब आपने जो सबसे बुरा काम किया बिजली पर टैक्स बढ़ाया है। इसकी विभीषिका बडी विचित्र है। वृहद् उद्योगों पर जहां पहले 39 पैसा था वहां आपने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

24 पैसा और बढ़ा दिया मध्यम उद्योगों पर 32 पर 44 पैसे और बढ़ा दिये और लघु उद्योगों पर 31 पर 39 पैसे और बढ़ा दिए। इसका मतलब मध्यम और लघु उद्योग तो राजस्थान में लगने से रहे क्योंकि कोई भी छोटा उद्योगपति राजस्थान के अन्दर इन उद्योगों से कमाई नहीं कर सकता। थोक आपूर्ति जल सप्लाई में आपने पैसे बढ़ाए, घरेलु वाणिज्यिक में 30 पैसे बढ़ाए है, 65 पैसे पहले से थे। सार्वजनिक सड़कों पर, पब्लिक स्ट्रीट में 20 पैसे बढ़ाए, 40 पैसे पहले थे घरेलु में 45 पैसा पहले थे और 15 बढ़ा दिए। पावर में 35 पहले थे, 25 और बढ़ा दिए। सबसे ज्यादा मारा है आपने राजस्थान के किसानों को राजस्थान में जो पैदावार होती है उसका अधिकांश हिस्सा लघु सिंचाई से होता है। इसलिए लघु सिंचाई में फ्लैट रेट पर आपने बढ़ा है, 3 हार्स पावर तक के कनेक्शन पर 9 रुपए प्रति हार्स पावर। पहले जो 20 रुपए लगते थे प्रति महीना वह बढ़ा कर 27 रुपया हो गया, यानि 47 रुपए प्रति तीन हार्स पावर पर हो गये 20 से बढ़ कर 47 रुपये। इसी प्रकार से 3 से 5 हार्स पावर पर पहले जो 24 रु. प्रतिमाह थे इसमें 50 को बढ़ोतरी और कर दी। पांच से साढ़े सात हार्स पावर पर आपने 55 रु. की बढ़ोतरी की है। 10 हार्स पावर पर आपने 110 रु. की बढ़ोतरी की है। पहले 34,30,24 थे उसको बढ़ा कर डबल, ट्रिबल कर दिया। मैं समझता हूं, सरकार को समय रहते इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान का किसान जब खड़ा होगा तो आपकी दरें धरी रह जाएगी। यह बात सही है। राजस्थान के किसान को बाध्य होकर शायद बिजली से नाता तोड़ना पड़ेगा। उस हालत में आपकी सारी विकास की योजनाएं और जितनी भी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वह धरी रह जायगी। आपके राजस्थान में अब भी 80% किसान रहते हैं, इस पर भी आप विचार करिए।

आखिर में, आपने छूट दी है चूड़ियों पर। मैं समझता हूं, अच्छा होगा, इसका आदर्श प्रस्तुत करें राजस्थान का मंत्रिमण्डल। महिलाएं पुरुषों के बराबर तो आ ही रही है, उन्होंने चूड़ियां पहननी छोड़ दी है, अब इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए राजस्थान के पुरुष मंत्री चूड़ियां पहन कर आया करें, क्योंकि अब इस पर टैक्स रहा नहीं ताकि महिलाओं को भी लगे कि यह उनके बराबर हो गये और आपको भी लगेगा, यह अच्छा रहेगा। आपको पता है कि चूड़ियां अब कोई पहनता नहीं इसलिए आप उन पर छूट करके लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं। इस तरह की बातों से बहकावे में राजस्थान की जनता आएगी नहीं। यह बजट राजस्थान के लिए नहीं, स्वयं सत्तारूढ़ दल के लिए काल साबित होगा। राजस्थान की जनता इसको सहन नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट पर पुनर्विचार किया जाय और दरें जो बिजली पर, पानी पर, बढ़ाई गई हैं उनको कम किया जाय। राजस्थान की जनता पहले से ही गरीबी और महंगाई की मार से मर रही है उससे उस को बचाने की कोशिश करिए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मान-

(श्री सी. पी. जोशी)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं विरोधी दल के वरिष्ठ नेताओं का बजट के संबंध भाषण सुन रहा था। खास तौर से वरिष्ठ नेता लोक दल के नाथूराम जी मिर्धा ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजनैतिक दृष्टिकोण से बजट की शुरूआत की है। उसी आधार पर उन्होंने बजट को क्रिटीसाइज करना प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी इस बजट के संबंध में एक पृष्ठ के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कुछ प्रश्न रखने का प्रयास किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अन्दर भा.ज.पा. और लोक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी राज करने का अवसर मिला। मुझे याद है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के पद पर उनकी पार्टी के नेता माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, नाथूराम जी मिर्धा की पार्टी, जो लोकदल है, के यू.पी. में रामनरेश जी यादव मुख्य मंत्री थे और हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री थे वह भी भा.ज.पा. से संबंधित थे। मैं माननीय भामड़ा साहब से निवेदन करना चाहता हूं उस समय····

(व्यवधान)

मैं बजट की ही बात कर रहा हूं, सत्यता को सुनने का साहस करें, मैं निश्चित तौर पर बजट भाषण पर बोल रहा हूं।

माननीय भामड़ा जी उस समय राज्य सभा के सदस्य थे। जो बजट माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने राजस्थान की जनता के सामने रखा उस बजट के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दल के वरिष्ठ नेता के नाते जो अपेक्षाएं उन्होंने राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री जी से की है जब वह मुख्य मंत्री थे जिस तरह की प्रायोरिटी वे निर्धारित करना चाहते हैं, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के विकास के मापदण्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं यदि वही दृष्टिकोण उस वक्त वह रखते तो निश्चित तौर पर एक अच्छी परम्परा बनती, हमारे जैसे नौजवान आदमी, जिन्होंने अभी राजस्थान की राजनीति में जीवन प्रारंभ किया है, सामने एक आदर्श रहता और प्रोस्टेरिटी भी इस बात के इवेल्युवेट करती कि भा.ज.पा. के वरिष्ठ नेता के पास एक ब्ल्यू प्रिंट है, राजस्थान के विकास का ब्ल्यू प्रिंट है, राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का लेकिन यह मापदण्ड उनके पास नहीं है। केवल मात्र विरोध करने के नाम पर विरोध करना है। विरोध करने के साथ क्या पोजोटिव ब्ल्यु प्रिंट हो सकता है उसको कहने का साहस न तो भा.ज.पा. के वरिष्ठ नेताओं में है और न ही लोक दल के नेताओं में है जिन्होंने इस राजस्थान के मुख्य मंत्री पद का भार संभाल कर इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया था। मैं तो मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार साहस किया, साहस इस बात के लिए किया कि राजस्थान की जनता का मेंडेट था, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है उस पार्टी के लोगों को वोट देने वाले लोगों की अपेक्षायें और आकांक्षायें हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान में सड़कें बने, राजस्थान में बिजली की व्यवस्था हो, अस्पताल खुले और राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो हरिशंकरजी भाभड़ा ने और न मिर्धा जी ने बताया कि राजस्थान

(श्री सी. पी. जोशी)

की बीमार इकानामी का इलाज क्या है ? विकास की परंपरा को आगे बढ़ा कर हम किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी उनके मन में कल्पना नहीं है।

यह तो राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री माननीय हरिदेव जोशी जी के दिमाग में कल्पना थी कि इस राजस्थान की बीमार इकानामी का इलाज करने के लिये, राजस्थान की जनता को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए कड़वी घूंट को कहीं से हमें दिलानी पड़ेगी। उस कड़वी घूंट को पिलाने का जो प्रयास किया है उसको देखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महाभारत का वृतांत याद आता है जब महाभारत के युद्ध के अन्दर अर्जुन ने यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये तो मेरे बन्धु और भ्राता हैं। इनके सामने मैं युद्ध करूंगा और यदि ये मर जायेंगे तो इनका राज लेकर मैं क्या करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने यह कहा कि हिम्मत कर, साहस कर और साहस करके युद्ध कर, यह तो कर्म का विषय है। इसमें विजय प्राप्त करेगा तो राज करेगा और विजय प्राप्त नहीं करेगा तो भी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला माना जायगा। माननीय लोकदल के नेता नाथूराम जी मुझे ज्यादा नहीं कहना। इसके बारे में आपने केवल सुना है, इसके बारे में आपको कितना अनुभव है मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने साहस किया, साहस किया इस बात का कि 35 साल तक राजस्थान के अन्दर इंडिपेंडेंट बिजली का सोर्स पैदा नहीं हुआ। हम उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं लेकिन बिजली की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर किस तरह की है इस बारे में माननीय भामड़ा साहब भी जानते हैं। जब तक हम इंडिपेंडेंट बिजली का सोर्स पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम इर्रीगेशन के इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलप नहीं करेंगे तब तक बिजली और पानी के बिना इस राजस्थान की कल्पना न तो भैरोंसिंह जी शेखावत कर सकते हैं, न ही भामड़ा साहब कर सकते हैं, न ही नाथूराम जी मिर्धा कर सकते हैं। केवल मात्र आश्वासन देकर, वाही-वाही लूट कर जनता के सामने यह कह सकते हैं कि हमने इसका विरोध किया है। इससे जनता के प्रति न्याय नहीं हो सकता। आप विरोध में रहे हैं, आप सत्ता में भी रहे हैं। आप राजस्थान की जनता के सामने बतायें कि हमने विरोध इस बात का किया है और सत्ता में बैठ कर हमने यह काम किया है।

मुझे याद है, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे तब मास्टर आदित्येन्द्र ने वित्त मंत्री के रूप में एक प्रस्ताव रखा था पर पोलिटिकल विल नहीं थी, माननीय शेखावत जी ये इसलिये पीछे हट गये थे, बिजली पर टैक्स नहीं लगा पाये, इर्रीगेशन पर टैक्स नहीं लगा पाये। वह बजट में लिखा हुआ है आज भी जो लीडर पोलिटिकली कमिटेड नहीं हो, जिसमें यह साहस नहीं हो कि राजस्थान की जनता का हम विकास किस तरह से करना चाहते हैं, तो राजस्थान का विकास आंकड़ों के आधार पर नहीं होता। केवल मात्र यह बात कह दें कि साहब इसमें यह है, उससे राजस्थान

(श्री सी. पी. जोशी)

के विकास की बात नहीं हो सकती। यह बात सही है कि छठी: पंचवर्षीय योजना तक राजस्थान का जिस गति से विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। इस बात को कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस बात को कहते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पायेंगे। किसी न किसी स्टेज पर रिसोर्सेज डवलप करने का काम हाथ में लेना पड़ेगा। यह कहते हुए मुझे खुशी है, यह तथ्य है कि मुख्य मंत्री ने यह निर्णय लिया कि इस बीमारी का इलाज इस तरह से है, जनता के सामने जायें और जनता के सामने कहें कि जब तक रिसोर्सेज डवलप नहीं करेंगे तब तक इस राजस्थान का विकास नहीं हो सकेगा। उस दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक निर्णय लिया, एक साहसिक निर्णय लिया। हालांकि उस निर्णय के आधार पर किसानों को तकलीफ होगी, इस निर्णय के आधार पर लोगों को तकलीफ होगी लेकिन पालिटिकल विल से, राजनैतिक दृष्टि से बजट रखा है। राजनैतिक दृष्टि से हम कहना चाहते हैं हमको वोट जिसने दिया उन वोट देने वालों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को गुमराह किया कि राजा मानसिंह की मृत्यु हुई है इसलिए कांग्रेस को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। उनको दिक्कत है कि पीने के पानी के ऊपर टैक्स लगाये हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आन्दोलन किया, किसलिये किया? लोकदल का जो आधार, पालिटिकल बेस है उसके कारण वह तिलमिला रहा है। उनको तकलीफ है कि किसान की बिजली के ऊपर टैक्स लगाया है। यह टैक्स किसलिए है? हिमाचल प्रदेश के अन्दर क्या रेट्स हैं, गुजरात के अन्दर क्या रेट्स हैं, महाराष्ट्र के अन्दर क्या रेट हैं। मुझे खुशी होती माननीय भाभड़ा साहब यह बताते कम्परेटिव स्टेटमेंट के आधार पर। राजस्थान के माननीय भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री थे सन् 1977 में उसके बाद रेट रिवाज नहीं हुई, जब रेट रिवाइज नहीं हुई, फ्लैट रेट के नाम पर, आधार पर, बड़े काश्तकार, जिनको मैं कुलक कहता हूं, फायदा उठाना चाहें...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक मिनट। यदि मुझे समय दे दें तो यह भी बता दूं। राजस्थान की रेट सबसे ज्यादा है, पहले से।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं माननीय भाभड़ा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनके दल के माननीय सदस्य बोलें तो उनको फीड करें। वे यह बतायें कि सन् 1975 के बाद राजस्थान की रेट रिवाइज नहीं हुई, सन् 1982 से राजस्थान के अलावा हर प्रांत में चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, एग्रीकल्चर के लिये बिजली की रेट रिवाइज हो चुकी है, डामेस्टिक पावर की रेट रिवाइज हो चुकी है, इण्डस्ट्रीज के लिए बिजली की रेट रिवाइज हो चुकी है उसको भी हम आधार मानें। आज मध्य प्रदेश का बजट आया है। पर कैपिटा इलैक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश के अन्दर है उसकी रेट का कम्परीजन कर लें, राजस्थान के अन्दर उससे ज्यादा

(श्री सी. पी. जोशी)

रेट नहीं है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि रेट ज्यादा हुई, तकलीफ इस बात की है कि फ्लेट रेट के नाम पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 77 के बाद रेट नहीं बढ़ी ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय, 77 के बाद रेट रिवाईज हुई हैं।

वह रेट जितना प्रोडक्शन का कास्ट है उसके आधार पर बढ़ी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बढ़ी कि नहीं बढ़ी ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको यही जवाब देना चाहता हूं।

रेट के बारे में आप चाहते हैं, हर स्टेट के आर. एस. ई. बी. बोर्ड ने....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इतनी नहीं बढ़ी जितनी आज बढ़ी है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं, माननीय भाभड़ा साहब, मैं वही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान में पहली बार यह अवसर आया है जब फ्लेट रेट के नाम पर....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको मंत्री बनना है। आप मुख्य मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भाभड़ा साहब, मुझे तो राजस्थान का मुख्य मंत्री बनना है, मंत्री नहीं बनना है। इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री बन कर क्या करूंगा। मैं मंत्री बनने की कल्पना नहीं करता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी शुभ-कामना आपके साथ है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

(व्यवधान)

मंत्री बनने से या नहीं बनने से।

माननीय भैरोंसिंह शेखावत जी मुख्य मंत्री थे तो राजस्थान का विकास थोड़ा कैसे हुआ। माननीय भैरोंसिंह शेखावत जी का भाषण सुना है, यह बजट प्रतिगामी बजट है, यह विकास की गति को अवरुद्ध करेगा। यह भाषण की प्रति भैरोंसिंह जी विधान सभा में दे रहे हैं, विधान सभा के बाहर दे रहे थे। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे जो आज इस बात का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि यह बजट प्रतिगामी है, वर्षों से प्रतिगामी की बात कह रहे थे। जब वे मुख्य मंत्री थे तब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो क्या वह प्रगतिशील बजट था ? उनमें साहस नहीं था। केवल मात्र लोगों की वाह-वाही लूटने के लिए बिजली पैदा किये बिना ही लोगों को कनेक्शन दे दिये, पोल लगा दिये, कोई कनेक्शन नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपने बिजली पैदा नहीं की तो कनेक्शन किस

(श्री सी. पी. जोशी)

आधार पर दिये। आज आप मुख्य मंत्री से पूछना चाहते हैं कि कितनी आपकी डिमांड है, कितनी पावर जनरेट करना चाहते हैं, जब आप मुख्य मंत्री थे, जब आप पार्टी के नेता थे तब आपको यह मालूम था कि कितनी पावर जनरेट की....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने नहीं बल्कि पिछले बिजली मंत्री ने कोटा में जाकर कहा कि ललित किशोर चतुर्वेदी ने इतने कनेक्शन दे दिये कि हम बिजली भी नहीं दे पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भाभड़ा साहब, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बिजली जनरेट की, कितनी डिमाण्ड इसके आधार पर पूरी की ? आप तो भाषण देना चाहते हैं। बिजली जनरेट नहीं कर आपने केवल वाहवाही लूटने के लिए कनेक्शन दे दिये और आज कह रहे हैं कि हमने यह काम किया। उस दृष्टिकोण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी पावर जनरेट की ?

श्री सी पी. जोशी : माननीय भैरोंसिह शेखावत साहब, मैं कोई विद्युत मंत्री नहीं हूं। आप उनसे प्रश्न पूछिये, उनसे जवाब आ जायेगा। जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तब आपको जवाब दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक दर्शन के आधार पर नहीं कह कर बहुत ही विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, भारतीय जनता-पार्टी की आर्थिक कल्पना क्या है, इस राजस्थान के विकास को किस तरह से करना चाहते हैं, उस आधार पर माननीय भाभड़ा साहब यह कह दें कि इस बजट के अन्दर यह गलती है, इसमें यह एलोकेशन होना चाहिए, इसमें यह होना चाहिए तब तो समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कल्पना है।

माननीय नाथूराम मिर्धा जी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए मैं जिन्दगी भर कोशिश करूंगा कि हिन्दुस्तान में, दो दल ही रहें। बहुत खुशी की बात है, बुजुर्ग नेता हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि राजस्थान के अन्दर रिसोर्सेज मोबीलाइज करने के लिये क्या प्रायोरिटीज तय करें, इस बारे में नहीं कहा। निश्चित रूप से इस बात के लिए उपेक्षा करना चाहते हैं। 35 साल तक राजस्थान में राजनीति करने वाले नाथूराम मिर्धाजी, मुझे भी मौका दो, मैं बताऊंगा कि....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो जानकर बहुत खुशी हुई कि नाथूराम मिर्धा को मंत्रिमण्डल में रहने का मौका मिला। मेरी थोड़ी सी जानकारी है। एक संयुक्त उत्तरदायित्व था, मंत्री रहने का आपको तो मौका मिला है, आप बता दें मंत्री के रूप में जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है, मैं महसूस करता हूं कि रिसोर्सेज होने चाहिए। यह तो अवसर आपको मिला है। श्रीमन्, आप कह दें

(श्री सी. पी. जोशी)

अवसर नहीं मिला आपको मंत्री की हैसियत से रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए? जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है. आप एक जिम्मेदार मंत्री थे, प्रभावकारी मंत्री थे लेकिन आपने कभी भी कल्पना नहीं की....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो एक फाइनेंस मिनिस्टर था। मोबिलाइज क्या हुआ मेरा बजट पढ़ लो। I was first Finance Minister of Rajasthan.

श्री सी. पी. जोशी : Yes Sir, I know very well. At that time Mr. Nathu Ram was very progressive. Now, what he is talking, he is talking in the interest of the Kulaks. मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से हिन्दुस्तान में राजनैतिक परिवर्तन आया, आपको तकलीफ है कि एक नौजवान को भारत की जनता ने इस बात के लिये वोट दिया कि देश पर संकट है। आपने खुद ने माना है कि यह वोट इस बात का था कि देश अखण्ड रहे। सबके सामने हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं 21 वीं सदी में भारत को ले जाना चाहता हूं। 21 वीं सदी का भारत बनाना चाहता हूं। वह 21 वीं सदी कोई भेड़ ऊन से नहीं आयेगी। 21 वीं सदी साइंस-टैक्नोलोजी के बिना नहीं आयेगी। आप तो चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़े, साइंस और टैक्नोलोजी का डवलपमेंट नहीं करे। 21 वीं सदी की बात न करें हम तो जब सत्ता में नहीं होंगे तब बात करेंगे कि भारत को 17 वीं सदी में होना चाहिए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नौजवानों की कल्पना है, हम चाहते हैं और जनता का मैनडेट है कि 21 वीं सदी में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अब तक नौजवान हैं क्या?

श्री सी. पी. जोशी : आपके मुकाबले में तो नौजवान हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि इस विधान सभा में आने का दूसरा अवसर मिला है, वहां चाहे जातीय समीकरण के आधार पर या सम्पूर्ण राजनैतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या लोकदल के आधार पर जो 35 साल से राजनीति कर रहे थे उन सब लोगों को मौका मिला कि वे सब विधान सभा में चुनकर आयें। सब बैठे हैं, कभी मंत्री रहे हैं, कभी भूतपूर्व मंत्री रहे हैं। मेरे मन में कल्पना थी कि वे अपने अनुभव के आधार पर बतायेंगे कि राजस्थान के विकास की कल्पना क्या हो सकती है? किस तरह से रिसोर्सेज मोबिलाइज हो सकते हैं। यह किसी भी बुजुर्ग नेता ने नहीं बताया। यह जरूर कहा उन्होंने कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में यह होना चाहिए, यह गड़बड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि रिसोर्सेज मोबिलाइज किये जायं। फाइनेंस कमीशन को क्या तकलीफ है, प्लानिंग कमीशन की क्या है, केन्द्रीय सरकार से कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यह सारी स्थिति विरोधी पक्ष के सारे लोग जो, बैठे हुए हैं, को अच्छी तरह से मालूम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जब राजस्थान के अन्दर रिसोर्सेज को मोबीलाइज करना आवश्यक है, जब राजस्थान के अन्दर इन्फ्रास्ट्रचर आवश्यक है, उस समय जो साहसिक निर्णय राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव

90

(श्री सी. पी. जोशी)

जी जोशी ने लिया है उसका मैं निश्चित तौर पर समर्थन करता हूं। लेकिन; माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन के सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गाडगिल फार्मूला नहीं बदलेगा तब तक मुख्य मंत्री किसी को बदल दें, चाहे नाथूरामजी मिर्धा मुख्य मंत्री बन जाय, इस राजस्थान की नीड्स को केटर नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा इस बात के लिये प्रस्ताव पास करे कि राजस्थान की नीड्स को कैटर करना है तो गाडगिल फार्मूले में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। जब तक गाडगिल फार्मूले में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक चाहे सातवीं पंचवर्षीय योजना आये, चाहे आठवीं पंचवर्षीय योजना आ जाये, राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके आधार पर हम को भारत सरकार से जितना पैसा मिलना चाहिए वह नहीं ले पायेंगे। मैं गम्भीरतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी स्थिति है उसमें जितने रिसोर्सेज को मोबिलाइज हम कर सकें उतना करें। वह ठीक है लेकिन जब तक हम भारत सरकार को इस बात के लिये तैयार नहीं कर पाते हैं....

श्री नवरंग सिंह : मंत्रिमण्डल में भी कुलक हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मुझे जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी का आदमी होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है, उसमें खास तौर से यह बात कही है। लैण्ड का जो सवाल है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री कालीचरण सराफ : शिक्षा के बारे में क्या किया ? यह तो बोलें। आप तो नौजवान हैं।

श्री सी. पी. जोशी : शिक्षा के बारे में ललित जी और भंवरलाल जी ने जो किया उससे अच्छा किया है, यही कह सकता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने रिसोर्सेज को टेप किया है मुख्य मंत्री ने उसमें जिस एक रिसोर्स को और ज्यादा टेप किया जा सकता है, और ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है वह यह है कि जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा में आबादी की जितनी जमीन है और जिन पर कॉमर्शियल यूज के लिए दुकानें बना ली हैं, होटल बना लिये हैं आपका रूल कहता है कि कन्वर्शन कराते हैं तो पैसा जमा कराना पड़ता है लेकिन कोई जमा नहीं कराता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस साहस का परिचय दिया है कि जिन लोगों ने आबादी की भूमि को कॉमर्शियल उपयोग में लिया है उनके ऊपर टैक्स लगायेंगे, उनसे प्रिमियम लेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक राय दे दें कि अरबन सीलिंग एक्ट उदयपुर में लगे या नहीं लगे ? लागू करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भैरोंसिंह जी, आप मुझ से शुरू से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पांच साल या दस साल इन्तजार करें। आपको जवाब जरूर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी राय क्या है? राय तो दे दें।

श्री सी पी जोशी : मैं तो राय दे दूंगा। माननीय भैरोंसिंह जी, आप साहस करें। मैं तो कह दूंगा कि अरबन सीलिंग एक्ट उदयपुर में लागू होना चाहिए पर केसरिया झण्डा लेकर आप जायेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप निश्चित कर लें कि लागू होना चाहिए या नहीं ? लेकिन आपमें कहने का साहस नहीं है। वहां जाकर कहेंगे कि हमारा धर्म खतरे में है। मेरा दिल तो साफ है। मेरी नीयत तो साफ है, वह लागू होना चाहिए चाहे कोई भी आदमी आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज हो गये। मैंने तो एक सिम्पल सा प्रश्न पूछा था कि उदयपुर में लागू होना चाहिए या नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : I am not competent to say.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि होना चाहिए परन्तु भैरोंसिंह जी यह नहीं कह सकते हैं। साहस तो उनको करना है, जवाब मुझ से मांग रहे हैं। आप कहें कि होना चाहिए। आपमें यह कहने का साहस होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। सुनें जरा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो कह देंगे कि अरबन सीलिंग एक्ट लागू होना चाहिए लागू करें आप। लेकिन आप लागू कर देंगे क्या?

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो कहूंगा कि लागू होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन किया कि यह भी एक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का सोर्स हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इसको भी माननीय मुख्य मंत्री जी करें। इससे राजस्थान की ज्यादा जनता पर असर नहीं पड़ेगा, केवल जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर जो बड़े सिटीज हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे करोड़ों रुपये इकट्ठे किये जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको भी आप टेप करें।

एक सोर्स और बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। यह बड़ी अजीब स्थिति है नेशनल परमिट मिलते हैं, तो टैक्सेशन में रिबेट मिलती है, तीन महीने में इतना होना चाहिए, इस तरह से। अखबारों में रोज पढ़ता हूं कि नाथद्वारा से बम्बई, उदयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से उदयपुर, दिल्ली से कोटा, जयपुर, इन पर नेशनल परमिट की इतनी गाड़ियां चल रही हैं परन्तु हर गाड़ी पर एस. आर. टी. के मार्फत एक पैसे का पैसेंजर टैक्स राज्य सरकार को नहीं देती है, लेकिन जो दूसरे परमिट लेते हैं उनको उतना टैक्स देना पड़ता है जिससे वे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनसे भी टैक्स वसूल करें। यह वसूल करते हैं तो राजस्थान को 5–7 करोड़ रुपया और मिल सकता है। इससे रेवेन्यू लीकेज भी रुकेगा।

आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के आसपास के बीस किलोमीटर क्षेत्र में चले जायं, यहां पर जीपों में लोग भर

(श्री सी.पी. जोशी)

भर कर जाते हैं लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उनको परमिट नहीं देती है। सारा पैसा वे ले जाते हैं। वह पैसा उनकी जेब में जाता है। मैं चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, जितने व्हीकल हैं उनको परमिट देना चाहिए जिससे स्टेट को रेवेन्यू भी हो और लोगों को भी सुविधा हो।

श्री शोपत सिंह : That is due to you.

श्री सी. पी. जोशी : No, I don't know about this.

आपको देखना चाहिए, शोपत सिंह जी, रेवेन्यु लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है।

श्री शोपत सिंह : मैं तो कह रहा हूं कि ट्रक वालों की, कार वालों की बात करने लग गये।

श्री सी.पी. जोशी : हां मैं कह रहा हूं उनकी बात जो जीपों में 10–15 सवारी लेकर जाते हैं और एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं। राज्य सरकार को रेवेन्यु की हानि होती है।

श्री नाथूसिंह : Who is responsible ?

श्री सी. पी. जोशी : You and me.

श्री नाथूसिंह : No. You are responsible.

श्री बहादुर सिंह : यह सारा आपकी सरकार ने जानबूझकर कराया है। अमीर लोगों को वहां परमिट दे रखे हैं टूरिस्ट्स के नाम पर। आपका कहना तो दुरुस्त है लेकिन अमीरों को खिलाने के लिए दे रखा है।

श्री नाथूसिंह : आपके मुख्य मंत्री ने आर टी.ओ. को सस्पेंड किया और उसको वापस ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री सी.पी. जोशी : मुझे तो रिसोर्सेज का मालूम है, उनको खाली चोरी का मालूम है। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि रिसोर्सेज कैसे बढ़ें। मैं तो यह चाहूंगा कि इससे उनका ज्ञान वर्द्धन हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि सिनेमा हाल की जो कैपेसिटी है, जिस तरह से बसों में टैक्स लगते हैं 12 सीट पर, 50 सीट पर, 40 सीट की बस होती है उस पर पचास प्रतिशत लगता है उसी प्रकार से सिनेमा हॉल की कैपेसिटी पर 60 प्रतिशत 70 प्रतिशत चार्ज करना चाहिए। जितने पिक्चर हॉल हैं उनमें खाली 65–70 प्रतिशत तक ही टैक्स वसूल कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स के नाम पर जो आफिसर हैं वह पैसा ले जा रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। यह रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। मैं चाहूंगा कि इस सोर्स को भी आप टेप करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय कमला जी बैठी हुई हैं और दाऊदयाल जी नाराज हो जायेंगे। देवस्थान के अन्दर जो भूमि हैं

(श्री सी. पी. जोशी)

उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं नाथद्वारा का। जागीर रिजम्प्शन कब हुआ, मुझे मालूम नहीं है। जागीर के बाद जो वहां के कारकुन हैं वे आज भी पट्टे निकाल रहे हैं एस.डी.एम. केस लगा रहा है और इस किस्म के फैसले हो रहे हैं कि वह जमीन उसके हक में कर दी जाय। मैं नाथद्वारा का उदाहरण देना चाहता हूं. 1955 में टेम्पल बोर्ड बन गया और उसके बाद जागीर रिजम्पशन हो गया। फिर यह हुआ कि यह टेम्पल बोर्ड की जमीन पाई गई है या बेनामी जमीन पाई गई है। लेकिन टेम्पल बोर्ड का एक कारकुन आज भी पट्टे इश्यू करता है जिसका आराजी नम्बर नहीं है। एस.डी.एम. कोर्ट में केस होता है। एस.डी.एम. फैसला करता है कि बेनामी जमीन है, 12 साल से वह उस पर काबिज है। पटवारी का लिखा हुआ है जिन्सवार कि उसका कब्जा है इसलिए उसके हक में कर दी जाय। देवस्थान की मूल्यवान जमीनों पर यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं रखा तो सब जगह इस तरह की व्यवस्था बन जायेगी।

इसलिए मेहरबानी करके आप मैन्डेटरी रूल करें, तहसील में रिकार्ड होना चाहिए कि बेनामी जमीन कौन सी है, टेम्पल बोर्ड की जमीन कौन सी है। जब तक यह रिकार्ड नहीं होगा, एस.डी.एम. इसी तरह से करता रहेगा।

तीसरा रेवेन्यू लीकेज यह है कि टेम्पल बोर्ड, देवस्थान की दुकान दो, पांच रुपये पर किराये पर हैं दुकान की वैल्यु बढ़ जाती है तो उसका किराया बढ़ना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इस रेवेन्यू रिसोर्स को भी टेप करें जिससे कम से कम वह रोका जा सके कि जितना रेवेन्यू हमारी स्टेट के अन्दर आना चाहिये वह हमारी स्टेट के अन्दर नहीं आये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक ड्रास्टिक और साहसिक कदम लिया है। हम सोचें इक्विटी शेयर के बारे में, मिनरल्स के बारे में जो आज तक हम करते आये हैं। पिछले 35 वर्षों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लीज पर दे रहे हैं और लीज के आधार पर उतना पैसा हमको नहीं मिल रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोविन्स के अन्दर जितने मेजर मिनरल्स हैं उनको रायल्टी पर नहीं दिया जाय, उनको इक्विटी शेयर के अन्दर कनवर्ट किया जाय जिससे भारत सरकार का पूंजी विनियोजन यहां पर ज्यादा हो। हमने पिछले 35 सालों से इसको इक्विटी शेयर में कनवर्ट नहीं कराया। आज आगूचा का 5 हजार टन का जो पोटेंशियल है वह हमने भारत सरकार को लीज पर दे दिया। यदि हम उसको इक्विटी शेयर में कनवर्ट करते तो 5–10 साल के अन्दर हमारी इकानामी का एक अच्छा इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलप होता लेकिन इसके बारे में हमने नहीं सोचा। मैं चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिसोर्स को हम डवलप करें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी निगम हैं कॉर्पोरेशन हैं एक साहसिक निर्णय और लें। इन कार्पोरेशन्स को अबालिश करना बहुत आवश्यक है। कोई भी कारपोरेशन, कोई भी निगम सरकार को केटर नहीं कर

(श्री सी. पी जोशी)

रहे हैं। यह कार्पोरेशन राजस्थान सरकार के ऊपर लायबिलिटी हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन कार्पोरेशन को अविलंब बन्द किया जाय। चेयरमैन के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर हम सारा कुछ करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट के अन्दर बहुत बड़ी तकलीफ है।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। राजस्थान विधान सभा का सदस्य अपनी कांस्टीटूयूएंसी में घूमता है उसको चार सौ रुपये मिलते हैं केवल मात्र और यह आपकी सरकार के आई. ए. एस. अफसर हैं। हमको तो कहते हो कि जाओ टैक्सी में लेकिन इनके लिये क्या नियम हैं? गाड़ी किसको मिलेगी, गाड़ी का पेट्रोल कितना खर्च होगा, टेलीफोन से किससे बात करेगा, इस बात का कोई नियम कानून, कायदा विभाग के अन्दर नहीं है। आज हालत यह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से विधान सभा सदस्य के लिये आपने चार सौ रुपये का बैन लगा रखा है, उसी तरह से हर सरकारी अधिकारी के ऊपर आप बैन लगा दीजिये कि एक महीने में इससे ज्यादा पैट्रोल यूज नहीं करेगा। आना है तो वह गाड़ी में बैठकर आये। एक विधान सभा सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जा सकता है, एक विधायक अपने इलाके में जा सकता है पब्लिक के सामने जाता है वोट लेकर आता है, जीत कर आता है उस पर रेस्ट्रिक्शन है चार सौ रुपये का। टैक्सेज तो लगावें राजस्थान सरकार, उसकी अकाउंटेबिलिटी हाऊस की है जो सारा पैसा है। मैं एक बार एक कार्पोरेशन में जाकर आया। वहां एक पी. ए. उस कमरे में बैठा हुआ है जिसमें पंखा चल रहा है और एयर कंडीशन है। मैंने कहा यह नौकरी तो अच्छी है, अपन तो बेकार पब्लिक के अन्दर घूमते हैं। आज हालत यह हो गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जनता से टैक्स वसूल करें, रेवन्यू रिसोर्सेज बढ़ावें लेकिन इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन डवलपमेंट के अन्दर न हो नान-डवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता जाय तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। 20 करोड़ रुपये नहीं 40 करोड़ रुपये वसूल करें उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी आदर्श प्रस्तुत करें, इस बात के लिये कि हम ऑस्टेरिटी मेन्टेन करेंगे। जीप किसको मिलेगी, व्हिकल किसको मिलेगा? टेलीफोन पर अपनी पत्नि से बम्बई बात करें, कलकत्ता बात करें उसका खर्चा राजस्थान सरकार क्यों चुकाये? इसका कोई नियम बनाना पड़ेगा। जब तक आप निश्चित नियम नहीं बनायेंगे तब तक इस विधान सभा के द्वारा आप जितनी चाहे सेंकशन मिल जायेगी लेकिन जिस विकास की आशा और विश्वास के साथ हम विधान सभा में बैठकर प्रस्ताव पास करना चाहते हैं कि जनता से टैक्स लिया जाय और राजस्थान का विकास हो, उस विकास के पैसे का सारा दुरुपयोग होगा। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हम गम्भीरता से सोचें।

मुझे अन्त में और कुछ बात नहीं कहनी है, मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से कहता हूं कि जब से अलग-अलग स्टेट पंजाब हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र हैं तब से एग्रीकल्चर को आधार मानें तो हरियाणा को मान लें, इंडस्ट्री को आधार मानें जो

(श्री सी. पी. जोशी)
पंजाब को मान लें, गुजरात को मान लें, महाराष्ट्र को मान लें, उनका बिजली का जितना टैरिफ है, कंपेयर कर लें 1982 से वे आज भी वही वसूल कर रहे हैं। आज गुजरात के अन्दर कितना है ? उस आधार पर यदि राजस्थान के अन्दर ज्यादा है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि वास्तव में राजस्थान के साथ अन्याय है, लेकिन यह अन्याय नहीं है। जमीन जायदाद में बिजली के उपयोग का आधार पर फ्लैट रेट हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि फ्लैट रेट को कम करें। राजस्थान में ज्यादातर आदमी हैं वे स्माल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर हैं, बिग फार्मर गिने चुने आदमी हैं। फ्लैट रेट का फायदा किसको मिलता है ? एक गरीब शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के आदमी को नहीं मिलता है। फ्लैट रेट का फायदा मिलता है उसको जिसकी होल्डिंग ज्यादा है, कैनाल का पानी आता है। उसके ऊपर हम उलझ जायं तो यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं है।

एक अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन का मैंडेटरी प्रोवीजन है

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान कैनाल का जो पानी जाता है उसके ऊपर तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय टैक्स लगाये जाय। मेवाड़ के अन्दर जो आदमी खेती करता है उसके गेहूं की कीमत भी वही और शोपतसिंहजी खेती करते हैं, नेतागिरी करते हैं उनके गेहूं की कीमत भी वही। यह न्याय नहीं है। यदि हमने पैसा खर्च किया राजस्थान कैनाल के ऊपर तो हमको राजस्थान के इरिगेशन सिस्टम की मेंटीनेंस के लिये पैसा वसूल करना पड़ेगा। यह भी एक रिसोर्स हो सकता है।

श्री शोपतसिंह : जो वहां बैठते हैं उनको लो। जो लोग हवेलियों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिये ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है...

श्री शोपतसिंह : हवेलियों में बैठे लोगों को इजाजत नहीं दी जाय।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मुझे आपसे एक ही बात निवेदन करनी है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री ने यह टैक्सेज लगाये या नहीं लगाये। प्रश्न इस बात का है कि हम राजस्थान की कल्पना कैसी करना चाहते हैं। राजस्थान की कल्पना के साथ जितना हम रिसोर्स मोबिलाइज करना चाहते हैं उसमें एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की ज्योग्राफी और भौगोलिक कंडिशन्स अलग अलग हैं। डेजर्ट डवलपमेंट है, डेजर्ट के अन्दर स्थिति अलग है। उदयपुर के अन्दर पहाड़ी इलाका है। जयपुर अलवर के अन्दर जमीन अलग तरह की है। इसलिये डिस्ट्रिब्यूशन आफ मनी है वह भी अनइक्वल होना

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहिये। जहां पीने के पानी की आवश्यकता हो वहां पानी की व्यवस्था करें, जहां रोड की आवश्यकता हो वहां रोड की व्यवस्था करें। लेकिन आप टोटल राजस्थान के आधार पर यदि स्कूल खोलना चाहते हैं कि एक हजार गांव में एक स्कूल खोलेंगे तो एक हजार गांव मेरे ख्याल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25 किलोमीटर होंगे लेकिन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर दस किलोमीटर में एक हजार गांव आ जायेंगे। इसलिये ये होमोजिनस आधार पर राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिये हमें विलेजेज को आइडेंटिफाइ करना पड़ेगा। यदि हम जैसा नाथूसिंह जी बता रहे हैं जहां कुलक ट्रेडिशन वहां ज्यादा पैसे देंगे और जहां स्माल एग्रीकल्चरिस्ट हैं ..

एक माननीय सदस्य : पश्चिमी राजस्थान और .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। बहुत समय हो गया।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो बोलना ही है, इनको तो कोई काम नहीं है, यह तो जीतकर आ गये।

श्री शोपतसिंह : सी. पी. जोशी की कोठी और उनकी हवेली और मेरी सम्पत्ति का सौदा हो जाय....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नहीं जो मेरा कपड़ा है यह गवर्नमेंट का है....

एक माननीय सदस्य : शोपतसिंह जी को जान बूझकर छेड़ते हैं जोशी साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शोपतसिंह जी को इन्वाइट करता हूं कि आपकी जितनी खेती है मेरे नाम कर दें और मेरे पास जो भी है वह आप ले लें....

श्री शोपतसिंह : हवेली के साथ सौदा करना है।

श्री सी. पी. जोशी : हवेली ले लेना मेरी आप। आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा मेरी हवेली तो विधान सभा है इसको ले लेना आप।

श्री शोपतसिंह : यह तो सबकी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोलेंगे। आप बोलेंगे, माननीय सदस्य, जब बोल लेना।

श्री सी. पी. जोशी : अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दलगत भावना से ऊपर उठकर राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिये हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किया है वह एक साहसिक प्रयास है। उस प्रयास में कितने ही कान्सट्रेन्ट्स है, हम और आप जो बैठे हुए हैं इनकी राजस्थान की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। आपको अपनी दलगत भावना से ऊपर

(श्री सी. पी. जोशी)

उठकर इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा। यदि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहें और पैसा मोबिलाइज नहीं हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच तारतम्य नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि गम्भीरता से इस बात को सोचें। जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा है और जो उसे एक पॉलिटिकल एक्ट का रूप दिया है उससे प्रौस्पेरिटी आयेगी और हमारी उम्र के आदमी इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। इन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया जिससे राजस्थान की जनता का विकास हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री ईश्वर लाल जी सैनी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, कृपया अभी....

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमारे मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, जो आज वित्तमंत्री भी हैं, उन्होंने जो हमारा परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में अपनी बात कहना

(व्यवधान)

चाहता हूं। आप मुख्य मंत्री की बहुत ××× कर रहे हैं, आप निश्चित रहें, मंत्रिमंडल तो इसी हॉं पक्ष गैलरी में से ही बनेगा। आप मेरी सिफारिश मत करना, कहीं मुख्य मंत्री जी नाराज न हो जायें। आप सिफारिश मत करना, वरना मेरा नाम हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आपका नंबर कब आयेगा मंत्री मण्डल में ?

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन पर आसन की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिये कि व्यक्तिगत नोक झोंक न हो। राजस्थान की जनता इन फुलझड़ियों को सुनने के लिये नहीं बैठी हुई है। यहां गंभीर प्रश्न चल रहा है, बजट सैशन चल रहा है, बजट पर प्रतिक्रिया चल रही है। दो माननीय सदस्य आपस में नोंक झोंक करें इसके इन्तजार में राजस्थान की जनता नहीं बैठी हुई है। आसन की तरफ से मेहरबानी करके व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया एक दूसरे पर सदन में कटाक्ष नहीं करें। यह परम्परा है और पराम्परा का पालन करना चाहिये। एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करें। जो कुछ कहें आसन को सम्बोधित कर कहें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सही बात यह है कि जो हमारे वित्तमंत्रीजी ने बजट पेश किया है उसको देखकर हमारे विरोधी दल बौखला गये हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे राजस्थान में ऐसा भी बजट आयेगा। वे सोच रहे थे, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या कर लगेंगे। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि जो कर लगाये जायेंगे वह सारे राजस्थान के हित को देखकर

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

लगाये जायेंगे। मैं समझता हूं जो कुछ इसमें कर लगे हैं वह राजस्थान के हित को देख करके लगाये हैं और उन करों से इस देश का विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं आपने देखा होगा कि सन् 1977 में तीन वर्ष तक हमारे विरोधी दल की सरकार रही थी, ढाई वर्ष तक उन्होंने क्या किया। उन्होंने देख लिया होगा कि उन्होंने कैसा काम किया। जनता ने देखा और यह महसूस किया कि इनमें एकता ही नहीं है, यह आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इन्होंने केवल सत्ताइस महीने करने के बाद आपसी लड़ाई और फूट में इस पार्लियामेण्ट को भंग करवा दिया। इन्दिरा जी जिस समय सन् 1980 में प्रधान मन्त्री बनीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त वह विदेश यात्रा में अमेरिका गयीं तो हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री....

(व्यवधान)

मैं बजट पर बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : बजट पर बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। मैं आपके पिछले आंकड़े भी बताना चाहता हूं। आप जो इसमें विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं बोल सकता हूं। आज की तारीख में कुछ भी बोल सकता हूं। यह आपको शायद अवगत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : पूर्व प्रधान मन्त्री श्री देसाई जी जब प्रधान मन्त्री थे, अमेरिका की यात्रा पर गये थे। वह गये थे इसलिए कि मैं कुछ वहां से लेकर आऊंगा। उससे पूर्व उन्होंने कार्टर साहब को भी यहां बुलाया था। आपने दिल्ली में कार्टर नगरी का नाम भी रख दिया। लेकिन वहां से खाली हाथ लौटे। उन्होंने वहां के प्रेसिडेण्ट की माताजी की चप्पलें भी उठायी थीं लेकिन उनको यूरेनियम उपलब्ध नहीं हुआ। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा हूं, आपकी सरकार की। वहीं स्व. श्रीमती इन्दिरा जी जब गद्दी पर आयीं उन्होंने यात्रा की अमरीका की और उस यात्रा के केवल कुछ ही दिनों बाद हवाई जहाज द्वारा यूरेनियम की दो खेप भारतवर्ष में आ गयी। हमारे जो सारे प्रोजेक्ट बन्द पड़े थे, जो चल नहीं रहे थे, तारापुर प्रोजेक्ट, यूरेनियम आते ही हमारे वह सारे अणु प्रोजेक्ट, जो बन्द पड़े थे आपकी वजह से, सारे शुरु हो गये। मैं आपको यह भी बता दूं, जब आपका शासन थोड़े दिन रहा उसमें आपने क्या किया। कोयला गायब, सीमेण्ट गायब, तेल गायब, पेट्रोल गायब, मिट्टी का तेल गायब, डीजल गायब, और यहां तक कि आपने सारा सोना भी बेच दिया। आपने एक योजना बनाई अन्त्योदय की जिसमें अन्त्योदय किसका किया ? आपने अपने मन्त्रियों का, स्वयं का। किसी ने खान के पट्टे ले लिये, किसी ने जमीनें खरीद

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

ली, किसी ने बड़े बड़े उद्योग धन्धे लगा लिये। इन सबको राजस्थान की पब्लिक ने देखा है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, जिस वक्त सरकार 1980 में बनी, हमने यह घोषणा की थी, पब्लिक में जब हम वोट मांगने गये ये घोषणा की थी कि छः महीने के बाद आप देखोगे कि हिन्दुस्तान में जनता शासन में जो सारी चीजें गायब हो गयी हैं वह केवल छः महीने में आयेगी। वह चाहे किसी भी कीमत पर आये। हमने किसी कीमत पर डीजल की कमी पूरी की, पैट्रोल की कमी पूरी की। नाज का जो भण्डार आपने खत्म कर दिया वह भण्डार आज हमने उपलब्ध कराया, हमारे राज्यों में नाज की कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, हमें डीजल की कमी नहीं है। इसी सन्दर्भ में, श्रीमान, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, 31 अक्टूबर, 1984 को जब भारत वर्ष में एक बड़ा आघात हुआ और इन्दिरा जी हमारे सामने नहीं रहीं, राजीव गांधी जी ने देश की बागडोर सम्भाली, 11 वें और 13 वें दिन ही उन्होंने सारे विश्व को स्तब्ध कर दिया यह घोषणा करके कि मैं अब तुरन्त चुनाव कराने की घोषणा करता हूं और घोषणा कर दी।

श्री डूंगरराम : सभापति जी, यह सारा बिल्कुल XXX बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप बोल लीजिए, श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं, और सारे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि जो भारी बहुमत हिन्दुस्तान में सन् 1985 में आया है, ऐसा बहुमत कभी नहीं आया। यही नहीं, आपने देखा होगा कि प्रधान मन्त्री बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी घोषणायें की हैं जो मैं आपको थोड़ी देर बाद निवेदन कर दूंगा। लेकिन इसके साथ यह भी निवेदन कर दूं कि वे जब विदेशों में गये, पहले रूस में गये। उसके बाद उन्होंने पांच यूरोपियन कण्ट्रीज का दौरा किया तो आपने समझ लिया होगा कि उनकी विदेश नीति किस ओर है। सारे विश्व के नेताओं ने जो सम्मान उनको दिया है वैसा पूर्व में भारत वर्ष के हमारे किसी भी नेता को नहीं मिला जो हमारे राजीव गांधी जी को मिला है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी विदेश नीति कितनी उज्ज्वल है और हमारा भविष्य विदेश नीति के माध्यम से कितना उज्ज्वल है। जो कुछ देश आज हमारे विरोध में हैं, हमारे दुश्मन देश हैं वह आज दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि यह कैसा प्रधान मन्त्री है जिसने विश्व के सारे बड़े बड़े दिग्गज कण्ट्रियों को, बड़े बड़े दिग्गज देशों को अपनी ओर झुका लिया है और अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यहां तक कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वह भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि मुझे हिन्दुस्तान से दोस्ती बनाकर रखनी है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारी जो विदेश नीति है, सर्वोपरि है, उत्कृष्ट है। आपने जो विदेश नीति बिगाड़ दी थी उसको आज हमारे राजीव गांधी जी सुधार रहे हैं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(100)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय सैनी जी, मेरा एक सुझाव था कि आप राज्य सभा का टिकट ले लेते तो पार्लियामेण्ट में बोलने का मजा आता आपको। मेरा यह सुझाव है कि नैक्स्ट टाइम आप कोशिश करिये कि राज्य सभा की आपको टिकट मिल जाय। हम आपको जिताकर भेजेंगे। मजे आयेंगे वहां।

श्री ईश्वरलाल सैनी : फिर आप तो मुझे वोट दोगे नहीं।

एक उपलब्धि और सुन लें आप...

श्री लालचन्द : खैरयार को छुड़ा लाये अमरीका से, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको भूल गये ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : पिछले पांच साल की मैं आपको उपलब्धि बता देता हूं। हमारा टार्गेट था कि हम हर गांव को पेयजल पहुंचायेंगे। हमारा टार्गेट था कि हम हर गांव, जो 200 से अधिक की आबादी के हैं, में स्कूल खोलेंगे। आज आप देख लीजिए कि 200 की आबादी के ऊपर हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, हर गांव में हैण्ड पम्प है...

एक माननीय सदस्य : इस साल क्यों नहीं खोल रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें इन्तजाम नहीं हैं। सारे राजस्थान में आठ हजार टीचर कम हैं, आठ हजार टीचर।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अगर हमारे कोई काम नहीं हुए हैं तो वह इसलिए नहीं हुए हैं कि जहां आप विकास का काम नहीं कराना चाहते, विकास को गति नहीं देना चाहते वहां काम नहीं हुए हैं। वरना जहां भी लोगों ने विकास चाहा है, जहां भी सरपंच, प्रधान, हमारे एम. एल. एज ने विकास के कार्य करवाना चाहा वहां सब जगह हुए हैं। आपने विकास के काम की गति को रोका है इसलिए वहां काम हो नहीं सके हैं। आपने उनका विरोध किया होगा वरना ऐसी कोई जगह नहीं जहां आज पानी उपलब्ध नहीं, जहां आज स्कूल उपलब्ध नहीं, मैं आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं –

श्री हंसराज : मिल रहा है तो बहुत कम। पानी नहीं मिल रहा स्कूलों में। मेरे इलाके की प्राइमरी स्कूलों में 90 टीचर कम हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी जानकारी से मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं कहां के आंकड़े लेकर आप बोल रहे हो..

20 सूत्री कार्यक्रम हमारी इन्दिरा गांधी ने एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम दिया है जिसके तहत, मैं समझता हूं, हर पंचायत में, हर पंचायत समिति में, हर ग्राम में, हर जगह हमारे विकास के काम हुए हैं, इसके तहत, मैं निवेदन कर दूं कि गरीबों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण मिले हैं। किसलिए ? गाय खरीदिये, भैंस खरीदिये, बकरी खरीदिये, गाड़ी खरीदिये, ऊंट खरीदिये, और उनको मकानों के लिए जमीन भी उपलब्ध करायी है और ऋण भी दिये हैं। मैं, श्रीमान, आपके माध्यम से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब देखा हमारी

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इन्दिरा गांधी जी ने कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है तो उन्होंने, जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, पढ़ा-लिखा है उस हर व्यक्ति जिसने चाहा है, को 20 हजार रुपए दिये हैं जिसमें अनुदान के छः हजार हैं। जिसने भी एप्लाई किया है उस हर व्यक्ति को मिला है। मैं समझता हूं, यह आपका दुर्भाग्य है, आपने कोशिश नहीं की होगी अपने गांव में अपने उन बेरोजगार बच्चों के लिए, सर्टिफाई नहीं किया होगा इसलिए ऋण से महरूम रह गये वरना गांव गांव में जिस भी बेरोजगार व्यक्ति ने चाहा है उसको ऋण मिला है। हर साल हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में 300 करोड़ का प्रावधान है। यह खुशी की बात है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में हमारा राजस्थान सबसे अग्रणी रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ शिक्षा विभाग का भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से जो हमने कर लगाये हैं वह इसलिए हैं कि अभी कल हमारे मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है उसमें पांच हजार प्राथमिक स्कूल फिर हम खोल रहे हैं।

(3.00 म. प.)

और मैं समझता हूं कि इतनी प्राथमिक शालायें खोलने के बाद ऐसा कोई स्थान नहीं रहेगा, छोटी छोटी ढाणियां भी नहीं रहेंगी जहां हमारे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकेंगी।

श्री लालचन्द डूडी : यह संबन्ध फाइव ईयर प्लान का है, इस साल का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बाधा न डालें····कृपया बाधा न डालें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बड़े बड़े गांव वंचित हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं भी सातवीं योजना की ही बात कर रहा हूं, आप क्या समझते हैं कि मैं अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। मैं सातवीं योजना की बात कर रहा हूं...

श्री लालचन्द डूडी : आप बजट की बात कीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं बजट की बात ही कह रहा हूं। 1100 प्राथमिक शालायें हैं, 300 माध्यमिक विद्यालय हैं, 2 आई. टी. आई., 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 10 महाविद्यालय हैं, 1277 नये विषय खोले जायेंगे। क्या हमारी उपलब्धि नहीं होगी? क्या इस उपलब्धि में आपका हिस्सा नहीं होगा? अगर आप विकास की दृष्टि से, विकास में विश्वास नहीं करना चाहते....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर न बोलकर सदन का समय खराब किया जा रहा है। आप रोकिये माननीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ी देर सुन लें। कृपया जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी, मास्टर प्लान बनाया था सड़कों के विकास के सम्बन्ध में, हर ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

और उसके लिये पिछले साल कुछ पैसा भी मंजूर हुआ। मैं समझता हूं 5–7 हमारी कान्स्टीट्युन्सी में सड़कें शुरू हुई हैं, वह पैसा भारत सरकार ने हमें दिया और अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है 1500 से ऊपर के जितने हमारे ग्राम है उनको सड़क से जोड़ा जायेगा और 1000 और 1500 तक की जनसंख्या के ग्राम हैं, हर गांव को सड़क से जोड़ा जायेगा। यह भी हमारी ऐसी उपलब्धि होगी जिससे हमारे यहां सड़कों का निर्माण होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपसे, श्रीमान्, सड़कों के मामले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अकाल जब पड़ता है तो हमारा चूंकि पूर्वी राजस्थान है जिसमें कुछ हिस्सा जयपुर का भी है, अलवर का भी आता है, भरतपुर का भी आता है लेकिन हमारे यहां अकाल घोषित नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे यहां नल-कूपों से अपना गुजारा कर लेते हैं इसलिये पटवारी के यहां से जो रिकार्ड आता है उसमें इतने गांव अभाव ग्रस्त नहीं होते हैं। इसलिये हमारे यहां अकाल घोषित नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां जहां भी अकाल घोषित हो जाता है वहां सड़कें बहुत बनती हैं लेकिन हमारे अलवर, भरतपुर सवाई माधोपुर और जयपुर के कुछ हिस्से में अकाल की घोषणा नहीं होने की वजह से हम सड़कों से महरूम हैं। इसलिये हमारे कस्बे, हमारे क्षेत्र, हमारे जिलों में सड़कों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और यह मुख्य मंत्री महोदय को नोट भी करा दूंगा कि हमारे यहां पर सड़कों का विशेष प्रावधान रखा जाय ताकि हमारे गांवों में जो सड़कों की कमी है वह पूरी हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्रीमान्, कृषि के विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं कृषि के विषय में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आपने बजट भाषण सुना होगा और यह हमारे केन्द्रीय सरकार की योजना भी है और हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी था हम कृषि के जो फार्म्स हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिये सबसे हितकर है, जो मैं समझता हूं कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, सबसे पहले हमारे राजीवजी ने सोचा कि हम कृषि फार्मों का कृषि बीमा करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को बहुत खुशी होनी चाहिये।

कृषि के विषय में मेरा इतना सा निवेदन और है कि हमारे यहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री सुखाड़िया जब अमेरिका गये थे तब वहां से एक योजना लाये थे कि यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाय। उन्होंने यहां पर उदयपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोला लेकिन मुझे अफसोस आज इस बात का है कि कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के बाद बहुत से कृषि इंजीनियर्स बन गये लेकिन 10-10 वर्ष से ऐसे

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इंजीनियर्स लोग बैठे हैं जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसकी वजह तकनीकी दृष्टि से यह है कि उनके ऊपर जो हैं वह उनसे अधिक शिक्षित नहीं हैं वह उन पर राज करते हैं, जो बी. एस. सी. (एजी.) एम. एससी. (एजी.) हैं वह उनके अधिकारी बनते हैं, उनके अन्दर में उनको काम करना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बने, उनका अलग से डाइरेक्टरेट बने, उनका चीफ इंजीनियर हो ताकि उनके प्रमोशन्स होते जायं। आज 10-10, 15-15 वर्ष से जो लोग बैठे हैं, ए. ई. एन., जे. ई. एन. बैठे हैं, उनकी तरक्की हो, विस्तार के साथ विकास हो।

एक माननीय सदस्य : यह किसी के प्रमोशन की बात कर रहे हैं या बजट की बात कह रहे हैं?

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मैं अपनी बात कह रहा हूं बजट में लाने के लिये।

एक माननीय सदस्य : यह बजट भाषण है या किसी के प्रमोशन की सिफारिश है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्यों यह बजट का सुझाव नहीं है कि यहां पर एक अलग कृषि इंजीनियरिंग केडर हो, उसका डाइरेक्टर हो, कृषि इंजीनियरिंग केडर बने क्या यह बजट का भाषण नहीं है? यह क्या मैं अपना सुझाव नहीं दे सकता। मुझे बड़ा अफसोस है, आप नये नये चुनकर आये हैं, कृपया आप अपने साथियों से पूछ लें कि किस तरह से बोला जाता है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, माननीय सदस्य आसन भी बैठा हुआ है। इसी वजह से...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्रीमान्, पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें रखी हैं और मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहां पर कम से कम इतना विकास तो होना चाहिये ताकि पर्यटक हमारे प्रदेश में आयें, उससे हमको अधिक आय हो। इसमें अलवर का क्षेत्र भी आता है। अलवर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर्यटक आते हैं। अरावली पर्वत, जिसमें ऐसी भव्य जगह हैं, पाण्डूपोल के नाम से, जहां कभी पाण्डुओं ने एक वर्ष तक अज्ञातवास किया था। मेरा आपसे निवेदन है कि पाण्डूपोल, भर्तृहरि, नीलकण्ठ, सिलीसेड और कांकवाड़ी किला जेठमल बाग आदि ऐसी जगह हैं वहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से कुछ पैसा लग जाय, तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर जो पर्यटक विदेशों से आते हैं वह निश्चित तौर से वहां पर आयेंगे। हमारे यहां पर सैन्चुअरी एरिया है जो सिरिसिका के नाम से मशहूर है उस दृष्टि से वाइल्ड लाइफ देखने आते ही हैं लेकिन इससे पर्यटक उन स्थलों पर भी आयेंगे।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

उससे राजस्थान को बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है।

श्रीमन्, अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐसा आह्वान किया था, ऐलान किया है कि राजा महाराजा जमीनें बेच रहे हैं, किले बेच रहे है, कुछ जायदाद बेच रहे हैं उन पर रोक लगाई जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका साहसिक कदम है और इस भूमिका में मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जायदाद को तुरन्त सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। अलवर में जो किला बाला किला के नाम से प्रसिद्ध है और वह एक हजार साल से भी पहले से बना हुआ है, इसी तरह से कांकबाडी किला सन् 800 में बना था जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत मशहूर किला है, बड़ा प्रसिद्ध है ऐसी ही बड़ी विशाल जायदाद भू. पू. राजा ने मोती डूंगरी मोदी उद्योगपति को बेच दी। हमने इसके सम्बन्ध में पूर्व में भी निवेदन किया, हाई कोर्ट में गये थे, हाई कोर्ट से मोदी ग्रुप हार गये हैं, जायदाद सरकार के पास है। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर तुरन्त कब्जा हो और इसको भी पर्यटक स्थल बना दिया जाय, जनता को दिया जाय। बेचान की जो करोड़ों रुपयों की आमदनी राजा–महाराजाओं से पास जा रही है वह सरकार के पास आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दो ही पाइन्ट और हैं, थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं।

चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से जहां तक मैं समझता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है उसमें सब प्रकार से चिकित्सा सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है। सुविधा दी है। हर पंचायत समिति में 2 पी. एच. सी. का प्रावधान किया है और जो पी. एच. सी. है उनको क्रमोन्नत किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अलवर का जो अस्पताल है वह 1902-3 में राजस्थान में सबसे पहले एक ऐसा अस्पताल बना था जो तकनीकी दृष्टि से समग्र था लेकिन आज उसकी हालत इतनी भयंकर है, पैसा मिला नहीं है, "ए ग्रेड" के नाम से तो हो गया है लेकिन अफसोस इस बात का है कि "ए ग्रेड" की जो सामग्री होनी चाहिये वह उपलब्ध नहीं है। जो डाक्टर हैं, विशेषज्ञ होने चाहिये, जो सामान मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में ध्यान दें, पैसा दें।

एक और बड़ी घटना हुई राजा मानसिंह की जो पिछली विधान सभा के सदस्य थे। आपको विश्वास हो गया कि हमारी सरकार ने कोई गलती नहीं की। यह प्रचार किया गया था कि पश्चिमी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं अलवर का, अलवर भरतपुर के नजदीक है, हमारी सरकार ने कोई गलती नहीं की, कुछ गलती अधिकारियों ने की, उनको सजा मिल रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। डी. जी. को दूसरी जगह बदल दिया है, प्रशासन जो सुस्त हो गया था अब उसमें चुस्ती आ गई है।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(व्यवधान)

मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं हमारे जो पूर्व के डी. जी. थे उनकी जगह अब मिश्रा साहब आये हैं, पूर्व डी. जी. ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो मुख्य मन्त्रीजी को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं निवेदन करूंगा, उन्होंने यहां तक किया कि जो गुप्तचर विभाग है वह गुप्त रहना चाहिये उनको भी बाध्य कर दिया कि वो भी वर्दी पहन कर दफ्तर में जायेंगे। यही नहीं उन्होंने और भी ऐसे आदेश जारी किए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर. ए. सी. और बी. एस. एफ. के अधिकारियों को ..

श्री फारूख हसन : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बजट पर बोलें, विषयान्तर नहीं हों। कृपया समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सबसे बड़ी बात श्रीमन् बी. एस. एफ. और आर. ए. सी. के लोगों को तीन महीने की ट्रेनिंग देकर इन सबको सी. ओ. बना दिया; अब मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विषयान्तर नहीं हों।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मेरा सजेशन है, यह आवश्यक है, मुख्य मन्त्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो ऐसे अधिकारियों को सी. ओ. बनाने की उन्होंने परिपाटी डाली है वह गलत है उसको बन्द कर देना चाहिये।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मामड़ा साहब ने बात रखी थी कि विद्युतिकरण अनूपगढ़ में माही परियोजना की बात रखी थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अपनी बात कहें, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, किसने क्या कहा, कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माही परियोजना को 16 करोड़ रुपया दे दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माही परियोजना के माध्यम से आपको कितने किलोवाट बिजली मिलेगी, उसमें पैसा ज्यादा देने में कौनसी गलती की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इसको पढ़ लेते कि माही परियोजना पर जो 16 करोड़ रु. व्यय होने जा रहा है उससे हमको कितनी उपलब्धि मिलेगी, कितने किलोवाट ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह से अनूपगढ़ बिजली योजना, 9 करोड़ हम दे रहे हैं, उससे हमें बिजली कितनी उपलब्ध होगी। इसलिए जो आप केवल आलोचना कर रहे हैं बजट की, आलोचना की दृष्टि से कर रहे हैं, बाकी मेरा यह निवेदन है, मेरा यह चैलेन्ज है आज इस बजट को सारे राजस्थान में सराहा है। उनको, विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि....

(106)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(व्यवधान)

हमारे मुख्य मन्त्री जी आज राजस्थान में ऐसा बजट लायेंगे जिसमें हमारे इस प्रदेश का विकास ही विकास होगा है और अभी तो आप क्या देखेंगे, अभी तो आप आने वाले सालों में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी प्रगति होने वाली है। इसलिए अन्त में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है और इसको पास किया जाय। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल जी मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो बजट माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं परन्तु मुख्य मन्त्रीजी ने इतनी हिम्मत दिखा करके आज भी जो आफिसर लोग हैं उन्होंने जैसा बजट रखा वैसा ही पेश कर दिया। आज बजट के अन्दर जो टैक्स लगाये हैं, हम उन टैक्सों को देने के लिए तैयार हैं किन्तु हमारे कपड़े भी अगर सरकार ले ले, खून भी ले तो वह भी देने को तैयार हैं जनता के लिए। परन्तु आज पैसे का, भले ही वह भारत सरकार से मिले, राजस्थान सरकार टैक्स लगाये लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उस पैसे का आज जो आफिसर लोग हैं जो आज सरकार के अन्दर बैठे हैं उनके पास, मेरे माननीय जोशी जी ने कहा था कि आज जितने निगम हैं उन निगमों के अन्दर घाटा है, क्योंकि वहां कार्मशियल परपज होना चाहिये।

(3.16 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली सभापति आसीन)

निगमों के अन्दर घाटा नहीं होना चाहिये। जो घाटा आज निगमों के अन्दर है और जितने आफिसर हैं, उनका खर्चा आप देखेंगे कि उनके कितने टी. ए. और डी. ए. होते हैं। उनके पास आज एक-एक तहसील के अन्दर चार-चार मोटरें हैं, डिप्टी एस. पी. के पास, एस. डी. ओ. के पास, और पंचायत समितियों के पास और दूसरे और विभाग होंगे उनके पास अलग होंगे, डिस्ट्रिक्ट आफिसर एग्रीकल्चर के पास, वेटरनरी के पास, मैं कहूं मेडिकल के पास, तो इसका खर्चा मानिये कितना होता है। आज मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इनसे भी ज्यादा टैक्स हम देंगे परन्तु इस टैक्स के पैसे का फायदा होना चाहिये। आज उस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, आज भ्रष्टाचार ज्यादा इसलिए फैल रहा है, आप कहते हैं कि 25 हजार रुपया देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार गारन्टी देती है, उस रुपये की, उसमें 25 परसेन्ट सबसीडी देती है, आज वह रुपया वापिस नहीं आयेगा। हमारे जैसे जो पालिटिकल आदमी हैं, पालिटिक्स में काम करने वाले हैं, यह मेरी मान्यता है, आप देखिये, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई रोजगार धन्धे में खर्च नहीं करता है वह सब अपने ऐश और आराम में पैसा खर्च करते हैं। आज सरकार इन जानवरों के लिए पैसा देती है उसमें 33 पर्सेन्ट, 50 पर्सेन्ट सबसीडी देती है, वह भी सब गलत है। उनको 50% 33% सब्सिडी देती है एक भैंस तीन दफे बिक जाय, चार

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

दफा बिक जायें, उसमें उसे सबसीडी मिले, बैंक वाले खा जाते हैं, डाक्टर खा जाते हैं, कम्पाउण्डर खा जाते हैं और उसको कुछ मिले न मिलावे। तो मेरा यह कहना है सरकार से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि टैक्स लगाओ, मैं उस टैक्स का स्वागत करूंगा और जनता स्वागत करेगी लेकिन उपयोग होना चाहिये उस पैसे का। इसलिए हमारे को दुःख है। आज उस एप्लीकेशन के जितने माध्यम बैठे हैं इन सबसे हाथ जोड़ेंगे और देश की सरकार को, स्कूल बनाने के लिये सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आज जनता उस स्कूल को बनाने के लिये पैसा देगी। कोई पैसे के लिए मना नहीं करेगी। परन्तु उसके अन्दर प्रावधान है कि उसका नक्शा होना चाहिये और एस्टीमेट होना चाहिए और एस्टीमेट में उसका नाम कराना है, उस पूंजीपति का तो उसके अन्दर कौन झगड़े में जायेगा, बताइये आप। उसकी इन्कम का सारा पैसा स्कूल और हॉस्पिटल में लगे, वह तो बनिया है, वह तो ब्लैक का पैसा देगा ह्वाइट का पैसा कहां से देगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि अगर जनता से पैसा लेना है आज पूंजीपतियों से पैसा लेना है। पूंजीपति तो आप चाहें तो एस्टीमेट बनाकर, देने पर 10 लाख रुपये हास्पिटल्स में दे दे या बीस लाख दे दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर, मैंने काफी हॉस्पिटल्स बनाये, कालेज बनाये, स्कूल बनाये परन्तु उनका नाम कुछ का कराया कुछ का नहीं कराया, डीड एग्रीमेन्ट पहले नहीं था सुखाड़िया जी के वक्त में। इस तरह का एस्टीमेट बनाकर, और यह करो और वह करो, कोर्ट के अन्दर जाओ, आज कोई आदमी स्कूल बनाता है तो पहले दस लाख की स्कीम बनाओ, पांच लाख इन्कम टैक्स और दो और 15 लाख देकर वह क्या करेगा। तो मेरा यह कहना है कि सारा फार्मूला राज्य सरकार को बदलना चाहिये और जब तक फार्मूला नहीं बदलेंगे तब तक पैसा कैसे आयेगा? आज जनता पैसा देने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है कि देने को तैयार नहीं है परन्तु सारे फार्मूलों को बदलना पड़ेगा और जो आफिसरों के हाथ में, जो आफिसर कहते हैं कि यह फार्मूला होना चाहिये, इस तरह का काम होना चाहिये, माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यह सारे के सारे आफिसरों के फार्मूलों को आपको बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर ऊपर तक है। आज आपने जो अनाज की योजना चलाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माटी डाली ही नहीं। हम कलेक्टर साहब के यहां पर मीटिंग में जाते हैं वह कहते हैं कि 60 और 40 का रेश्यो है, साहब। भाई यह 60 और 40 का रेश्यो हुआ तो क्या हुआ। यह पैसा तो हमारे खून का है हमारी मेहनत का है 60 और 40 का हो गया तो क्या हुआ। आज कितना ही आप टैक्स लगाना चाहें, लगायें, पर पैसा तो हमारे खून का है, आप इस पैसे को माटी में क्यों डालते हैं। आप यह तो बतायें कि इसमें कितनी सड़क बनेगी। कोई हिसाब ही नहीं है। आज ओवरसियर खा जाय, इन्जीनियर खा जाय, और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर खा जाये, सब खा जायें। उसके अन्दर सौ मजदूर लगाने है तो लगाओ पर 20 मजदूर लगा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कर सौ की हाजरी बता दो यह ठीक नहीं है। उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं आपको गलत कहता हूं तो आप बतायें। मैं इस बात के लिये हाउस को विश्वास दिला देता हूं कि आज अगर सरकार के अन्दर इस तरह की बात नहीं हो तो आप कहां जो मैं बात मान लूं। यह सारा पैसा धूल में जाता है इसलिये सारे अपोजीशन के लोग और मेरे कांग्रेस के भाई बैठे हैं यह चाहे कुछ भी कहें, आप भी इनको ईमानदारी से पूछ लें, कि क्या मैं यह बात गलत कहता हूं। क्या यह बात मैं झूठ बोलता हूं। मैं आपसे सही कहता हूं मैं भी कांग्रेस माइन्डेड आदमी हूं, मैं भी 45-46 साल से कांग्रेस में हूं। इसलिये मुझे आज इस पैसे के लिये दुःख होता है। भले ही यह पैसा भारत सरकार के पास से आये, भले ही यह पैसा राजस्थान सरकार के पास से आये पर यह पैसा तो अपने खून से बनता हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से गिर जाता हे। पैसा तो चुकाना पड़ता है। पैसा चाहे आप अमरिका से लाओ, चाहे वर्ल्ड बैंक से लाओ, चाहे रूस से लाओ, जर्मनी से लाओ, पर यह पैसा अन्त और पन्त अपने को चुकाना पड़ेगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे कहना चाहता हूं।

दूसरी बात एग्रीकल्चर के बारे में सुनिये। राजस्थान सरकार ने एक बीज मंगाया गुजरात से। उस बीज को हरियाणा ने नहीं मंगाया, पंजाब ने नहीं मंगाया और दूसरे किसी भी प्रान्त ने नहीं मंगाया पर राजस्थान ने इस बीज को मंगाया। बीज के अन्दर चार करोड़ रुपये की दवाई डालनी पड़ती है। भले ही वह चार करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया हो भले ही राजस्थान सरकार ने दिया हो, पर वह पैसा तो लगाना ही पड़ा। अगर यह बीज नहीं आता तो यह चार करोड़ रुपया दवाई के लिये खर्च नहीं करना पड़ता इसलिये यह बीज नहीं मंगाना चाहिये था। जब सारे दूसरे प्रान्तों ने मना कर दिया तो अपने राजस्थान ने इस बीज को गुजरात से क्यों मंगाया? मैं आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बात गलत हो या अगर मैं झूठ बोलता हूं तो कहें। मैं सच्ची बात कहता हूं कि किसान को यह विश्वास नही है कि यह दवाई मिला हुआ बीज उगेगा या नहीं।

दूसरे जो कार्पोरेशन बनाया है सरकार ने उसके अन्दर छोटे किसानों को मुफ्त बीज देने का प्रावधान किया है। उसके लिये एक किलो की, दो किलो की और तीन किलो की बीज की थैलियां बनायी हैं इसमें आफिसर लोग आप चाहें तो देख लें, एक-एक थैली में 500-500 ग्राम कम डालते हैं। आप चाहें तो तोल कर देखलें। 500 ग्राम के हिसाब से लाखों का हिसाब हो जाता है। तो यह भ्रष्टाचार इन आफिसरों में है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप चाहे टैक्स कितना ही लगायें हमें एतराज नहीं है, हम इससे भी चौगुना टैक्स देने को तैयार हैं, परन्तु उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। इसीलिये हम हायधोड़ा मचाते है कि पैसे का दुरुपयोग होता है वह नहीं हो और सदुपयोग हो।

आज एजूकेशन के अन्दर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि भले ही पैसा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का पैसा हो, प्रौढ शिक्षा के अन्दर जो पैसा खर्च होता है वह पैसा पूरा खर्च नहीं होता हैं यह सारे असत्य आंकड़े देते हैं कोई पढ़ता ही नहीं है। कौन रात को 9 बजे या आठ बजे पढ़ेगा ? सारे दिन भर काश्तकार मेहनत करके क्या फिर रात को आकर पढ़ने बैठेगा ? यह सारे के सारे सुपरवाईजर लोग पैसा खा जाते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह आपका पैसा सारा का सारा बेकार खर्चा होता है। जब तक पैसे को इस तरह से खर्च होने से सरकार नहीं रोकेगी तब तक पैसे का सदुपयोग नहीं होगा आपको टैक्स लगाने से मना नहीं करते हैं, आप टैक्स लगाइये पर उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। तो आज प्रौढ शिक्षा की सबसे खराब हालत है।

आज आप स्कूल खोलते हैं, पर उन स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे देने को नहीं हैं तो आप स्कूल मत खोलिये। आज डाक्टर गांवों के अन्दर नहीं जाना चाहते हैं डाक्टर गांवों में नहीं जाते हैं। वह शहरो में ही बैठें रहते है, पैसे लेते हैं और झूठी हाजरी करते हैं। यही आपके वेटेरिनरी के डाक्टर करते हैं और यही मेडिकल के डाक्टर करते हैं। तो जब तक आप इन पर सख्ती नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से काम नहीं चलेगा। इसमें भले ही कोई मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो या और कोई भी हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके तो कोई भाई चाचा और रिश्तेदार नहीं है। आपके तो कोई झगड़ा ही नहीं है।

(3-16 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे कोई न कोई तो होगा × × × मेरे नहीं तो क्या हुआ, आपके हैं, वह मेरे ही हैं। आपके मेरे दूसरे हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मैं आपसे, माननीय सभापति महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मुख्य मन्त्री जी ने मास्टरों के लिये कहा है, उससे मेरे को बड़ी खुशी है। आप चाहे अब इन्जीनियरिंग कालेज नहीं खोलें तो न सही, आगे खोल देगें, पर मेरा तो यही कहना है कि जो भी चीज आप करें वह सख्ती से करें। कोई आर्डर आप निकालें उसकी सख्ती से पालना करवावें ऐसा नहीं हो कि उस आर्डर की पालना नहीं हो।

अब मैं आपको माइनिंग विभाग के बारे में बात बताता हूं। माइनिंग विभाग के अन्दर, माइनिंग रूल्स के अन्दर 15 किलोमीटर का आर्डर है। आज 15 किलोमीटर कितना होता है। यह तो उस जमाने की बात है जब राजा और जागीरदारों के जमाने थे। 15 किलोमीटर की बात तो सन् 57 के एक्ट की बात है आज पोपुलेशन बढ़ रही है आज काफी बेरोजगार लोग हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित किया गया।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इसके लिये ज्यादा से ज्यादा एक किलोमीटर माइनर मिनरल के लिये दी जाय और आप चाहें तो आधा किलोमीटर और दे दें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 150 × 150 मीटर की जमीन माइनर मिनरल के लिये लीज पर दी जाय। इससे सरकार के पास 26 करोड़ या 30 करोड़ रुपये आ जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री समापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री मुक्ति लाल मोदी : मैं तो आपकी बात बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री समापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो समापति महोदय, 25 करोड़, 30 करोड़ बल्कि 40 करोड़ रुपया सरकार के पास आयेगा। आज किसान के नाम को लेकर कहते हैं कि किसान को फायदा होगा। मैं आपको बता दूं किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह फ़ायदा होगा बड़े बड़े आदमियों को। बड़े आदमी ही 15 किलोमीटर की लीज लेते हैं कोई छोटा आदमी लीज नहीं लेता है। बड़ा आदमी अपनी पत्नी के नाम, एक लड़के के नाम, एक साले के नाम और एक बहनोई के नाम लीज लेता है और इस प्रकार 70-80 किलोमीटर हो जाता है उसके पास आप देख लें, चाहे रिकार्ड उठाकर देख लें एक घर में 70-70 और 80-80 किलोमीटर की लीजें ले रखी हैं। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मेजर मिनरल पर सरकार ने जो टैक्स लगाया है आपको भारत सरकार से लड़कर इस कानून को बदलना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान का इलाका एक पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें एक आदमी एक माइनर लीज ले ले एक आदमी मेजर लीज ले ले। एक ही आदमी 20 मेजर मिनरल लीज क्यों ले, यह बात राजस्थान की सरकार को देखनी होगी। राजस्थान सरकार को देखना चाहिये कि एक घर में 20 मिनरल की लीज नहीं हो। पोपूलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में आदमी 20 लीज ले ले और बाकी भूखे मरें यह कहां तक उचित है। तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार के इन सारे कानूनों को बदलना पड़ेगा, माइनर मिनरल कानून को बदलना पड़ेगा। मेजर मिनरल के कानून में जो आज 25 पर्सेंट लगाया है, 25 पर्सेंट से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे कहता हूं मेजर मिनरल डैड रेंट बहुत कम है उसकी रायल्टी भी बहुत कम है। आज जो 50 रुपये टन चीज बेचता है, 100 रुपये टन बेचता है उसकी रायल्टी 5 रुपया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सोप स्टोन की 8 रुपये रायल्टी है 600 रुपये टन में बेचा जाता है, 500 रुपये टन में बेचा जाता है। आज उसका 25 पर्सेंट लगा देंगे तो क्या होगा। एक माइनिंग का मैं बताऊं, आपको मैं सैंकड़ों माइनिंग ऐसी बता सकता हूं कि जिनकी रायल्टी बहुत कम है और वह 300, 400, 500, 600, 700 रुपये बल्कि 1000 रुपये टन चार्ज करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह 25 पर्सेंट सरकार ने लगाया, 100 प्रतिशत भी लगा दें

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तो वह घाटे की चीज़ नहीं है । उसके पैसा लो । यह क्या, छोटे छोटे टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं है । मेरा यह कहना है सभापति महोदय ।

इसी तरह से जितने जो कार्पोरेशन्स हैं सरकार ने किसलिये बनाये, फाइनेंस कार्पोरेशन बनाया, यह रीको बना दिया, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज हमारे कोटपूतली के अन्दर रूंगटा स्वदेशी सीमेंट नाम से फैक्ट्री लगी । जिले के एक आदमी को सर्विस में नहीं लिया । आज 35 मिलियन टन लाइम स्टोन है जबकि 200 टन की सीमेंट फैक्ट्री मंजूर है । वह कन्ट्रोल रेट पर सीमेंट नहीं बेचता है । 35 मिलियन टन की उसको लीज दे दी जबकि 52 मिलियन टन के अन्दर 1200 टन की रोजाना की फैक्ट्री लग सकती है । उसके पास 6 मिलियन टन की अलग से लीज है । यही सब पैसा खाने की बात है । चैयरमैन खा गया होगा, दूसरा खा गया होगा, तीसरा खा गया होगा और उसको लीज दे दी । जब 8 मिलियन टन की उसके पास लीज है और दो सौ टन की उसकी कैपेसिटी है तो 35 मिलियन टन की लीज देने की क्या जरूरत थी इससे दूसरी फैक्टी लगती, दूसरा काम करता । इस तरह की सरकार के अन्दर जो बातें होती हैं वे गलत हैं ।

इसी तरह से काफी इस तरह के काम हैं । आज फाइनेंस कार्पोरेशन, रीको, मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन जो काम करते हैं उनके अन्दर घाटा क्यों होता है यह मेरी समझ में नहीं आता । घाटे की गारंटी सरकार देती है तो फिर हमारा खून चूसा जाता है टैक्स के बतौर, यह नहीं होना चाहिये । मेरा यही कहना है कि जो कार्पोरेशन बनायें उसमें घाटा नहीं होना चाहिये । आप सरकारी कर्मचारियों को पाबन्द करिये कि अगर इसके अन्दर आप घाटा करेंगे तो आपको सस्पेन्ड किया जायेगा, आपको निकाला जायेगा, आपको पनिश किया जायेगा । हर डिपार्टमेंट के अन्दर जब तक आप इस तरह की बात के लिये पाबन्द नहीं करेंगे, तो घाटा नहीं मिटेगा ।

आज एजूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर क्या स्थिति है । माननीय सभापति महोदय, मैं रशिया गया; नो प्राफिट नो लास पर वे एजूकेशन चलाते हैं । वहां पर किताबें और दूसरी चीजें बेच के एजूकेशन चलाते हैं । यहां पर किताबें आप बेचते हैं और दूसरा दरी आदि सामान करोड़ों रुपये का खरीदा जाता है सरकार के अन्दर, तो एजूकेशन में नुकसान होने की बात कहां है ।

यही हाल मेडिकल का है । मेडिकल के अन्दर जो दवाइयां हैं, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्री है वह तो घाटे में चले, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है उनकी दवाइयां नहीं लें और बाजार में अंट शंट दवाइयां बनाने वाले जो लोग हैं उनकी दवाइयां आप ले लें, डाक्टर लोग खरीद लें, दूसरे लोग खरीद लें । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक स्ट्रिक्टली इसका पालन नहीं करेंगे, मजबूती से काम नहीं करेंगे तब तक केवल टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा । आप दवाइयों की फैक्ट्री लगाते हो, राजस्थान सरकार ने दवाइयों की फैक्ट्री लगाई है, आदमियों की दवाइयों की फैक्ट्री लगाई है तो जानवरों की दवाइयों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

का भी काम कर सकती हैं। उस फैक्ट्री की दवाइयां भी नहीं खरीदी जाती हैं। वह घाटे में चलती है। दूसरी दूसरी कम्पनी की दवाइयां सरकार खरीदती है और आपका सी. एम. एच. ओ मैं समझता हूं और दूसरे लोग खरीदते हैं। दूसरी फैक्ट्रियां काम करें और सरकारी फैक्ट्री घाटे में चलें यह कहां तक उचित है। तो मेरा यह कहना है इस मामले के अन्दर कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

प्रशासन के अन्दर जो रुपया खर्च होता है जैसा कि मैंने कहा व्हिकल्स के बारे में वह व्हिकल्स बन्द करनी चाहिये। पैट्रोल का खर्चा अलग होता है, टेलीफोन का अलग। तहसीलदार के घर में टेलीफोन है? एस. डी. ओ. के घर में फोन हो तो ठीक है। एक का कनेक्शन दूसरी जगह भी हो सकता है, और दूसरे का तीसरी जगह पर भी हो सकता है। घर की बात समझकर खर्चा हो, सरकार के पैसे को अपना मानकर खर्चा करें तो करोड़ों रुपये, अरबों रुपयों की बचत कर सकते हैं। लेकिन सरकार को अलग समझते हैं। ये सरकारी मुलाजिम सरकार को अलग समझते हैं, अपने घर को अलग समझते हैं। यही हमारे लोगों की हालत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय विधायक इस बात को सोच लें कि सरकार के अन्दर जो गलत पैसा खर्च होता है उसका पूरा मुकाबला करेंगे। चाहे इधर बैठने वाले लोग हों चाहे उधर बैठने वाले लोग हों उनको हाथ जोड़ कर मैं यह निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कहा जो सरकार बनी, ठीक है, जब वोट का काम पड़ेगा तो मैं भी आपको वोट दूंगा, सरकार को वोट की जरूरत पड़ी तो उसको दूंगा, लेकिन यह जो गलत काम होता है इसके लिये सरकार से कहना चाहता हूं कि जो गलत पैसा खर्च होता है वह पैसा खर्च न हो। माननीय सभापति जी, इस तरह की बात जब कहेंगे तो सरकार के दिमाग में आयेगा, सरकार यह बात सोचेगी।

आप देखें, पंचायत समिति में इन्डस्ट्री का आफिसर अलग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अलग और तीसरा अलग। मैं कहता हूं इतने आदमियों की जरूरत क्या है, काम ही कितना है ?....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी बात नहीं मानी तो वोट किसको दोगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय सदस्य, आप कृपया संक्षेप करें, शार्ट करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, जो आज पंचायत समिति में हमारा इतना पैसा खर्च होता है सरकार को यह चाहिये कि उस खर्च को भी कम करे। जो बेकिजूल पैसा खर्च होता है उसकी पूरी निगरानी करें पूरी जानकारी लें। जोड़ खोदा नहीं, जोड़ का पैसा दे दिया। आज करोड़ों रुपया ऐसा है जो पंचायत समितियों को दिया है किन्तु उनका सर्टिफिकेट नहीं सरकार के पास। स्कूलों के लिये पैसा दे दिया लेकिन स्कूलों का कोई पता नहीं, जोड़ का दे दिया लेकिन जोड़ का पता नहीं, कुएं का दे दिया लेकिन कुएं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

का पता नहीं तो मेरा यह कहना है, माननीय सभापति महोदय, आज जो सरकार पैसा दे उस पैसे का सदुपयोग करें। यह जो अपोजीशन के लोग कहते हैं। इधर बैठने वाले जो कहते हैं आप गौर करें फिर आप सरकार से कहें। मैं तो यह मानता हूं कि चाहे आप टैक्स दुगुना लगायें हम देंगे। हमको टैक्स की चिन्ता नहीं है। दुख इस बात का है कि पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी काम के अन्दर देख लें। अनाज की योजना है, मण्डी योजना और चल रही है, तो मेरा यह कहना है –

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया है...

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मेरा कहना यह है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी पूरा करता हूं।

श्री सभापति : दो मिनट और ले लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मेरा कहना यह है सरकार से कि आप जो इंजीनियरिंग कालेज और आई. टी. आई. खोलें, जो बिल्डिंग बनायें, जो इसमें डोनेशन दें, एक साल का पैसा दे देंगे कालेज बनायें, लड़कियों का कालेज बनायें या दूसरे कालेज बनायें – क्योंकि मैंने तो सरकार को 5-6 कालेज बनाकर और बिल्डिंग बनाकर दी और सरकार ने खोल दिये। तो मेरा यह कहना है कि पहले उन लोगों को आफर देनी चाहिए जहां गांव भी अच्छा हो, आबादी भी हो। मैं यह नहीं कहता कि उजाड़ में खोल दो और डोनेशन से खोल दो। लेकिन जहां आबादी हो, और भी साधन हों ऐसे गांवों के अन्दर खोलने चाहिए कालेज। ऐसे गांवों में स्कूल खोलने चाहिए, ऐसे गांवों में हास्पीटल खोलने चाहिए और जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले को चेन्ज करना चाहिए सरकार को, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

जो मैं बोला हूं कि सरकारी मुलाजिमों ने आपके हाथ में बजट रखा वैसा ही आपने पेश कर दिया है। इस बजट की तो कोई बात नहीं पेश कर दिया लेकिन आगे इस बजट के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर ध्यान देकर आगे इस बजट में तरमीम करेंगे और तरमीम करके इस पैसे का सदुपयोग करेंगे, मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यही प्रार्थना है। वह अपनी हिम्मत से सामना करके सारे पैसे का सदुपयोग करवायें। इस बात का ध्यान करके इस बजट को आगे रखेंगे, फाइनल करेंगे और जब बजट भाषण वह आखिरी में देंगे तो तरमीम करके फिर भाषण देंगे, यही प्रार्थना है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे समक्ष बजट रखा है उस बजट को आज के परिप्रेक्ष में देखा जाये और बहुत गम्भीरता से चिन्तन किया जाये, खास तौर से समाज के पिछड़े वर्ग, आदिवासी और दलित वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जरिये जो प्रावधान किये हैं उससे यह बहुत स्पष्ट होता है कि राज्य की यह कांग्रेस की सरकार गरीबों के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति कितनी संवेदनशील है। आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान जैसे इस प्रदेश में जहां किसी जमाने में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, संचार व्यवस्था और अन्य सभी प्रकार की सामाजिक कल्याण की समस्याओं की ओर देखें तो यह बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश था। इस कांग्रेस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये और वार्षिक योजनाओं के जरिये, कई कार्यक्रमों के जरिये क्रांतिकारी कार्यक्रम देकर राजस्थान का कायाकल्प किया है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने जब से यह प्रजातंत्रीय व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था प्रारम्भ हुई, 1977 से लेकर 80 तक के वह 27 महीने जिसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान के विकास का वह काल था उसको छोड़कर जो काम राजस्थान में आज हुए हैं उनको इन्कार नहीं किया जा सकता। मुझे आश्चर्य है इस बात से कि बड़े सत्य की बात होती है, बड़ी बातें लम्बी चौड़ी होती हैं और विरोधी पक्ष जब भी बजट आयेगा तो टैक्स की बात को लेकर और इधर उधर की बातों को लेकर राजस्थान के समग्र विकास और योजनाओं में कहीं यह कहने की तैयारी नहीं रखता है कि अमुक काम तो राजस्थान में अच्छा हुआ। इसको हम समझते हैं कि केवल एक विरोध करने की प्रक्रिया इनकी सुनिश्चित है और उसी पगडंडी और मार्ग पर यह चलना पसन्द करते हैं।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आज देश में कई जगह आतंक और अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है और किया जा रहा है। उसके बीच राजस्थान को यशस्वी और सुदृढ़ नेतृत्व मुख्य मंत्री जी ने जिस शांति के साथ दिया और जिस अनुशासन के साथ नेतृत्व देकर राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण बना दिया है कि देश में हमारा प्रदेश एक अच्छे स्थान पर मानचित्र में उभरता नजर आता है।

मैं एक बात को आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस आम आदमी की खुशहाली के लिए वचनबद्ध है और उसकी गरीबी मिटाने एवं जीवनस्तर ऊंचा उठाने की कल्पना इस बजट में परिलक्षित होती है। एक बात बहुत साफ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है इस बजट को पढ़कर कि यह राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने प्रशासनिक खर्चों पर 20 करोड़ की बचत करने का एक नया सूत्रपात किया है। आज इस बात की सभी ओर से मांग होती है कि प्रशासनिक खर्चे निरन्तर बढ़ रहे हैं। इस तरह के प्रशासनिक खर्चों पर कठिन वित्तीय अनुशासन नहीं होगा तो आगे जाकर लोक कल्याण के कार्यक्रम पिछड़ते चले जायेंगे। इसलिए मुख्य मंत्री जी के सुदृढ़ निर्णय का मैं समझता हूं कि सभी लोग स्वागत करते हैं। इस प्रकार की उन्होंने नयी परम्परा की शुरूआत की है। मैं यह बात भी उनसे चाहूंगा कि आपने जो शुरुआत की है उसको निश्चित रूप से आप पूरा करके 20 करोड़ रुपये की राजस्थान के विकास के लिए बचत करेंगे और घाटे की अर्थव्यवस्था से उबारने में योगदान

(श्री रतनलाल ताम्बी)

देंगे। इस प्रकार का आपका जो इरादा है मैं समझता हूं कि सभी लोग इसकी प्रशंसा करेंगे।

आज इस बात को हमें देखना होगा कि राजस्थान जिसका इतना लम्बा क्षेत्रफल है, एक ओर पहाड़ी इलाका है और दूसरी ओर रेगिस्तान है। उनके दो मुख्य प्रश्न हैं जिनकी ओर विकास में खास तौर से इन योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। आज इस बात को देखना पड़ेगा कि कोई भी सरकार जब बड़ा कार्यक्रम शुरु करना चाहती है, सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है और संसाधन जुटाने की बात बहुत साफ है। कुछ टैक्सेस को लेकर बातें की जाती हैं। यह सही बात है कि टैक्स कम से कम लगने चाहिए, राजस्व आय अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए और जितनी क्षमता राजस्थान में है उसके आधार पर प्रयत्न किये जाने चाहिए।

मैं इस अवसर पर खास तौर से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक की जाये उसके लिए भी कुछ प्रयत्न और चिन्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में हमेशा जब-जब भी बजट भाषण होते हैं तो अपने विचार रखने का प्रयत्न करता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें खनिज सम्पदा भूगर्भ में छिपी हुई है। इस विपुल खनिज सम्पदा का दोहन राजस्थान का काया-कल्प कर सकता है, राजस्थान को विकास की ओर आगे बढ़ा सकता है। राजस्थान में कई प्रकार की मूल्यवान खनिज सम्पदा है जो कि देश में, कई हिस्सों में, नहीं मिलती है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि खनिज का दोहन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में जी. एस. आई. राजस्थान के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ज्योलाजीकल सर्वे आफ इन्डिया आज 20-25 सालों से बहुत सारे क्षेत्रों को आरक्षित करके न तो खनन का काम करता है और न दूसरे लोगों को खनन कार्य के लिए नो-आब्जेक्शन देता है....

एक माननीय सदस्य : आपके एरिया में तो बिना जी. एस. आई. के ही दे दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि राजस्थान में खनिज सम्पदा का विकास करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बने और इसके लिए मास्टरप्लान सब खनिजों का बने, जिसके जरिये राजस्थान की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। इसके लिए राक फास्फेट के मामले में भी बहुत गम्भीरता से आज देखने की आवश्यकता है। वहां काफी घपलेबाजी भी हो रही है और काफी उसमें और इन-कम बढ़ाई जा सकती है। इस ओर राज-स्थान सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जी. एस. आई. जिस प्रयोजन से, जिस खनिज के लिए आरक्षित करती है उस खनिज के अलावा उन्हीं क्षेत्रों में दूसरे प्रकार के खनिज दोहन के लिए जो लोग सामने आते हैं उनको अवसर देकर आय काफी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे लोग

(116)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो करोड़ों रुपया कमा रहे थे और किसी प्रकार का टैक्स इसमें नहीं मिलता था सिवाय थोड़ी बहुत रायल्टी और डैड रेन्ट के, उन पर कुछ टैक्स लगा कर मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह पहली बार दर्शाया है कि बड़े लोग जो सबसे ज्यादा सुविधायें भोगते हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा है और छोटे लोगों पर टैक्स नहीं लगा है। इसलिए राजस्थान के विपक्ष के सभी भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सस्ती लोकप्रियता की बात कम करें। राजस्थान के विकास में चाहे आप हों या हम हों सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। रचनात्मक दृष्टि से आप विरोध करें यह समझ में आने वाली बात है। 1977 और 80 के बजट भाषणों का मैंने अध्ययन किया है। आप आज टैक्स की बात करते हैं उसका बहुत विरोध करते हैं, 1977 से 80 में राजस्थान की गरीब जनता कहां गयी थी ? इस बात का आपने उस समय ख्याल नहीं रखा। आप भी उस समय अंधाधुंध टैक्स लगाते थे। एक प्रकार के नहीं, मैंने आपके बजट भाषण पढ़े थे, उस समय 17-17 प्रकार के टैक्स आपने लगाये थे। आज इस बात का बहुत अफसोस होता है। राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के प्रति हम दायित्व निभाना चाहते हैं और विकास की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें इसके लिए आगे बढ़ाना है, उसके लिए मैंने एक सुझाव आपको यह दिया।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह था कि राजस्थान में बिजली का लीकेज है, इसमें गम्भीर घोटाले हैं और चोरी बहुत है। ट्रान्समीशन लाइनें पुरानी और बेकार हैं उससे यह काफी गड़बड़ियां होती हैं। मेरा अनुमान है कि 40 करोड़ साल की इसमें बचत की जा सकती है। मुख्य मन्त्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कहीं से भी पैसा प्राप्त करके राजस्थान में यह कार्य शुरु करें। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखे हैं और उन पर विचार भी किया है। मैं चाहता हूं राजस्थान का इस मामले में जो अनावश्यक नुकसान हो रहा है राजस्थान के खजाने में पैसा आने का उसको खास तौर से देखें।

इसके साथ-साथ मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई विभाग है। सिंचाई के अधीनस्थ जितने छोटे बड़े तालाब हैं, तालाबों की व्यवस्था शायद उनकी है और छोटे तालाब जो पांच सौ, तीन सौ, दो सौ एकड़ के हैं उनकी पिलाई जो वसूल करते आये हैं वह राजस्व विभाग डिमांड दर्ज करता है और सिंचाई विभाग उसके आधार पर जो वसूली होती है वह जमा करता है। मैंने अपने क्षेत्र में दो तालाबों का अध्ययन किया, उनका सर्वे करवाया, रेवेन्यू विभाग ने उसकी जो डिमांड बांधी वह बहुत कम बांधी थी जब कि पिलाई वास्तव में ज्यादा होती है। इसलिए दोहरी व्यवस्था समाप्त करके मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के पटवारी, अमीन और जिलेदारों को लगाकर डिमांड वह दर्ज करें। उदाहरण के तौर पर यह प्रयास करके देख लीजिए, जो करोड़ों की गड़बड़ हो रही है वह समाप्त हो जायेगी। इसमें कुछ खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मामूली सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इससे इन्कम बढ़ेगी। मैं एक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सुझाव और देना चाहता हूं, बन्दोबस्त हमारे यहां होता है, 20 साल पहले और 20 वर्ष के दौरान उस जमीन की स्थिति बदल जाती है। कहीं तालाब से सिंचाई हो जाती है, कहीं ट्यूबवैल से सिंचाई हो जाती है, कहीं कुए खोदकर सिंचाई हो जाती है, लेकिन लगान वही चलता है 20 साल तक। इसलिए इसको हर तीन साल में पटवारी और गिरदावर से निरीक्षण करवायें, इसमें जो भूमि सुधार हुआ है, सिंचाई की क्षमता बढ़ गई है और जमीन पर पानी बहने लग गया है तो वह दर्ज होकर वसूली होनी चाहिये। इससे भी राजस्थान सरकार की करोड़ों रुपयों की बचत होगी।

इसके साथ-साथ यह भी सुझाव देना चाहूंगा, हर बार चर्चा होती है राजस्थान में शिक्षा की। 1980-81 के आंकड़े उठाकर देख लें, जहां इसमें लगभग 173.50 करोड़ खर्चा होता था अब 349.23 करोड़ रुपये का खर्चा होता है। उसके बावजूद पच्चीस हजार शिक्षकों की कमी है, गांवों में हालत बहुत खराब है। इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। चार सौ पांच सौ रुपये महीने में आज मैट्रिक्यूलेट मिल जाते हैं। आप एस. टी. सी. ट्रेनिंग की बात करते हैं, फिर भी अध्यापक पूरे नहीं दे पाते। स्कूल खाली पड़े रहते हैं। यदि चार सौ, पांच सौ रुपये में अध्यापक मिल जायें, गांवों में युवक मौजूद हैं उनको आप जिलेवार कमेटी बनाकर जिसमें जिलाधीश हो, जिला प्रमुख हो, जिलाधिकारी हो सीधे भर्ती कर दें तो राजस्थान के खजाने में बहुत बचत होगी। राजस्थान में जो स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हैं वह सब चालू हो जायेंगे।

आपने शहरी भूमि की आबादी का जो कब्जा वगैरह था उसके लिए दो वर्ष पहले कानून बनाया और उसमें भूमि के रूपान्तरण का कानून शहरों के हित में रहा, करोड़ों रुपये की राज्य सरकार को आय हुई। यही समस्या मैं गांवों में मानकर चलता हूं वहां भी है। आज वहां भी भूमि रूपान्तरण, कृषि भूमि रूपान्तरण कानून बनवा दें तो वहां जो लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, जिससे और लोगों को दिक्कत होती है, उससे मुक्ति मिलेगी। इससे राजस्थान को करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमारे यहां पर जितनी सिंचाई की परियोजनायें है वह 15-20 साल से पहले पूरी नहीं होती हैं। बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष तौर से जोर देकर उनको निश्चित समय में पूरा करें। चाहे पांच सौ प्रोजेक्ट बनावें एक साथ नहीं बना सकें तो तीन सौ दो सौ बनावें, चाहे पचास बनावें। इससे जो करोड़ों की लागत बढ़ जाती है उस पर रोक लगेगी। नहीं तो यह हमारे लिए गम्भीर समस्या बनती जा रही है। जो बड़े-बड़े बांधों की योजनायें हैं जिनका लाभ बड़े किसानों को मिलता है उनके रेट्स में और छोटे किसानों की दरें जागीरदारों के समय की दरें हैं जैसे कायम हो रही हैं, इसमें बहुत असमानता है। इससे भी करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, जब इस पर डिमांड आयेगी तब कहूंगा। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना एक वरदान के रूप में आने वाली है। इसमें हर क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है। उसके साथ-साथ सिंचाई को ले लें, जहां पहले 3.52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 4.38 लाख हेक्टेयर की इसमें प्रगति हुई है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में लें, जहां सातवीं योजना में राज्य में पांच हजार प्राइमरी स्कूल, 1100 मिडिल स्कूल, 300 सेकेण्ड्री स्कूल, 24 नये विषय, 10 महाविद्यालय, 27 आई.टी.आई और दो नये इंजीनियरिंग कालेज खोले एक नया पोलोटेक्नीक कालेज खोला यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान में टेक्नीकल शिक्षा की ओर जहां राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत कम है यह आगे बढ़ने का संकेत है। इसमें सरकार की ओर से जागरूकता का संकेत मिलता है। मैं इस मौके पर एक सुझाव और देना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : राज्य सरकार अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, इसको देखने की आवश्यकता है। मेरी यह मान्यता है, मैं अपने क्षेत्र में अध्ययन के बाद कहना चाहता हूं कि इस पर बहुत बड़ा अपव्यय हो रहा है, इतना खर्चा होने के बाद इसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा के नाम से कहीं कक्षा खोल दी जाती है, वहां पर कोई काम नहीं होता, महीने के महीने तनख्वाह उठाई जाती है। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा को फिलहाल बन्द कर दें और वर्तमान शिक्षा के लिए जो भवनों की कमी है उस तरफ मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यान दिया है और प्रावधान किया है। इस प्रकार सारे के सारे बजट को शिक्षा में प्रावधान किया जाये ताकि हमारे राजस्थान में जो पिछड़ापन है, आज राजस्थान 10वें स्थान पर है, 26.71 प्रतिशत शिक्षा राजस्थान की है, महिलाओं की 10 या 11 प्रतिशत शिक्षा है। उस राजस्थान में जो फर्जी शिक्षा चलाते हैं अनौपचारिक शिक्षा के नाम से, प्रौढ़ शिक्षा के नाम से वापस लेने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ-साथ...

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं मानने वाले।

श्री रतनलाल ताम्बी : समाज कल्याण और आदिवासी कल्याण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि गरीबों के प्रति सरकार बड़ी संवेदनशील है, इसके प्रमाण सामने आ सकते हैं। जन जाति विकास और समाज कल्याण पर जहां 95 करोड़ रखे गये, समाज कल्याण पर 68 करोड़ और 17 नये छात्रावास खोलने का प्रावधान है। यह राज्य सरकार का पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बड़ा कार्यक्रम है। खनिज दोहन के लिए भी इस साल 4500 वर्ग किलोमीटर नये क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है और एक हजार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सत्तासी मीटर ड्रिलिंग राम कोटला में शुरू करने जा रहे हैं। यह राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे राज्य का भविष्य काफी उज्ज्वल दिखाई देता है।

मैं एक बात और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं पेयजल की समस्या की तरफ सरकार ने काफी ध्यान दिया है। जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ और केकड़ी के रास्ते में बीच में कई गांव आते हैं जहां बरसों से पेयजल की समस्या थी उसके लिए प्रोजेक्ट सेंक्शन करके जयपुर और पूरे राजस्थान में लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या को इससे लाभान्वित किया जायेगा। यह 100 करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लिया है जो राजस्थान-सरकार का सराहनीय काम है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की है। कुल मिलाकर 210 मेगावाट बिजली के दो यूनिट कोटा ताप बिजली घर में 25-25 करोड़ की लागत के हाथ में लिये गये हैं, इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था में बड़ा योगदान मिलेगा। इसलिए मैं कुल मिलाकर इन कामों की सराहना करता हूं और चाहता हूं कि....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक सुदृढ़ प्रशासन देकर ही मुख्य मंत्री जी ने साहसिक कदम उठाया है। उस ओर जहां हमारा समर्थन होना चाहिए वहीं मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं प्रशासनिक खर्चा कम करना हर राज्य सरकार के लिए एक कठिन कार्य होता है 1985 में 596.34 के करीब खर्चा बढ़ा है। पांच सालों में प्रशासनिक खर्च दुगुना हो गया है, यह एक दुर्भाग्य की बात है। इस बारे में राजस्थान सरकार को और भी प्रशासनिक कटौतियां करके और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके करोड़ों रुपये की बचत करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार से आशा और अपेक्षायें रखती है। पेयजल की समस्या का समाधान हो, सिंचाई योजनाओं की समस्या का समाधान हो, सड़कों का विस्तार हो, इसी तरह जो एक हजार से पन्द्रह सौ आबादी वाले गांवों को मुख्य रोड में लेने का प्रावधान किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। कुल मिलाकर यह बजट राजस्थान की जनता के व्यापक हित में, गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। 20-सूत्री कार्यक्रम की दृष्टि से, राजस्थान निरन्तर आगे बढ़ रहा है, बजट में प्रावधान किया गया है उसका स्वागत करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनसे सुदृढ़ आर्थिक अनुशासन के जरिये मुख्य मंत्री जी पूरी तत्परता से आगे बढ़ेंगे।

(4.00 म.प.)

हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं इतने सुदृढ़ नेतृत्व देने वाले हैं और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति रहे हैं। मैं समझता हूं इन सब कामों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : और इसमें हमारी जो मुख्य मुख्य समस्यायें हैं राजस्थान में उनके समाधान में काम करेंगे ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान के लिये तीन हजार करोड़ की योजना सबसे बडी सराहनीय योजना होगी । इसमें 48 प्रतिशत छठी योजना से अधिक काम होंगे । तीन हजार करोड़ की योजना हमारे राजस्थान को दी गई है, इसके लिये प्लानिंग कमीशन को बधाई है । प्लानिंग कमीशन ने राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों की दृष्टि से विशेष प्रावधानों के साथ इसे स्वीकृत किया है । मैं समझता हूं कि राजस्थान का भविष्य इससे उज्जवल है और यह योजना राजस्थान के विकास में वरदान का काम करेगी । इसी आशा के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें ।

(व्यवधान)

आपस में कोई बातचीत न करें । श्री इकबाल अहमद । कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य, अपना आसन ग्रहण करें । श्री इकबाल अहमद ।

श्री इकबाल अहमद (पिडावा) **:** माननीय सभापति जी, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी द्वारा ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें । माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें । कृपया शान्त रहें ।

श्री इकबाल अहमद : हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1985-86 के लिये राजस्थान सरकार का जो बजट पेश किया है, मैं उसके लिये माननीय जोशी जी को धन्यवाद देता हूं । माननीय जोशी जी ने राजस्थान की जिन विषम परिस्थितियों के अन्दर एक सन्तुलित बजट पेश किया है जिसके द्वारा राजस्थान बराबर प्रगति और विकास की ओर निरन्तर आगे बढ़ेगा, उसके लिये उनका प्रयास सराहनीय है ।

माननीय सभापति जी, मैं उन विषम परिस्थितियों की ओर भी इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह विषम परिस्थितियां जिनको सामने रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सन्तुलित बजट और एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, उसके अन्दर जो विषम परिस्थितियां है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें ।

श्री इकबाल अहमद : आज सदन के हमारे जो माननीय सदस्य हैं, वे सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान पिछले कई वर्षों से अकाल से पीड़ित रहा है । राजस्थान के बहुत बड़े भाग के अन्दर वर्षा नहीं हुई है । हमारे माननीय सदस्य सभी इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 अक्टूबर, 1984 को हमारे

(श्री इकबाल ग्रहमद)

देश की नेता मोहरमा इन्दिरा गान्धी की हत्या कर दी गई। हमारे माननीय सदस्य इस बात को भी ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय विरोधी दल के लोग यह आरोप लगाया करते थे कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या का वहाना लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के लोग इस देश के अन्दर चुनाव नहीं करावायेंगे।

(व्यवधान)

हम ग्रौर हमारे...

(व्यवधान)

ग्राप पेशेन्स रखिये।

हमारे विरोधी इस बात को ग्रच्छी तरह से जानते थे ग्रौर वह लोगों को यह कह कर वर्गलाया ग्रौर बहलाया करते थे कि कांग्रेस के लोग इन्दिरा गान्धी की हत्या का बहाना लेकर इस देश में चुनाव नहीं करवायेंगे, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य बहुत ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि हमने उस समय इस देश के लोगों को वायदा दिया था, हमारे युवा नेता राजीव जी ने इस देश के लोगों से वायदा किया था कि शीघ्र ही चुनाव करवाये जायेंगे। ग्राप ग्रौर हम सभी इस बात को ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि राजीव गान्धी ने पार्लियामेंट के चुनावों के अन्दर एक नारा दिया था कि भारतवर्ष की प्रभुसत्ता को कायम रखना है ग्रौर इस देश की एकता को कायम रखना है तो फिर कांग्रेस (ग्राई) को वोट दीजिये। ग्राप ग्रौर हम ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि इस हिन्दुस्तान की जनता ने हमारे इस नेतृत्व को स्वीकार किया ग्रौर इस देश के ग्रन्दर जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा प्रचण्ड बहुमत मिला ग्रौर प्रचण्ड बहुमत से कांग्रेस को विजयी बनाया। ग्राप ग्रौर हम सभी ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ता में ग्राने के बाद हमारे देश के युवा प्रधान मंत्री ने चुनाव में जो कुछ वायदे किये थे, उनको पूरा करने के लिये वह कृतसंकल्प हैं ग्रौर उन्होंने इसके लिये बराबर प्रयास किया है।

हमारे देश के युवा प्रधान मंत्री ने उस समय यह बात भी जनता से कही थी कि पार्लियामेंट के चुनाव होने के बाद शीघ्र ही विधान सभाग्रों के चुनाव भी करवाये जायेंगे। ग्राप ग्रौर हम सभी इस बात को जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, फौरन बाद विधान सभाग्रों के चुनाव करवा दिये गये। राजस्थान के अन्दर मार्च, 1985 के ग्रन्दर चुनाव करवाये हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ग्रोर भी ग्राकर्षित करना चाहता हूं। शायद वह इस बात को जानते होंगे कि बजट पर ग्राम बहस हो रही है ग्रौर यह कौनसी बात को लेकर बैठ गया। लेकिन जैसा मैंने ग्रापसे निवेदन किया है कि उन विषम परिस्थितियों की ग्रोर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिन विषम परिस्थितियों में मजबूर होकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक सन्तुलित बजट पेश किया है। तो मैं ग्रापसे यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश के युवा प्रधान मंत्री ने मार्च, 1985 के ग्रन्दर ग्रन्य विधान सभाग्रों के साथ-साथ राजस्थान की विधान सभा का भी चुनाव करवाया। ग्राप ग्रौर हम सभी ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि जब विधान सभाग्रों के चुनाव थे तो हमने ग्रौर हमारी पार्टी ने

(श्री इकबाल अहमद)

राजस्थान के निवासियों से यह वायदा किया था कि अगर आप कांग्रेस को विजयी बनाओगे तो इस देश को हम आगे ले जायेंगे और प्रगति करेंगे। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो वायदे हमने चुनावों में किये थे, जो बातें हमने चुनावों के अन्दर कही थी, उन वायदों को पूरा करने के लिये, उनको पूरी तरह एक्जीक्यूट करने के लिये आज यह बजट आपके और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वायदे हमने चुनावों में किये थे कि हम इस राजस्थान के विकास को निरन्तर आगे बढ़ायेंगे, हमने लोगों से यह भी वायदे किये थे कि अगर कांग्रेस की सत्ता आयेगी तो राजस्थान के प्रत्येक इलाके के निवासी को चाहे वे किसी भी धर्म और जाति के लोग हों और चाहे किसी भी समाज के लोग हों, चाहे गांवों के निवासी हों और चाहे शहरों में रहने वाले हों, सबको अपना विकास करने का बराबर मौका मिलेगा। आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है और बजट के अन्दर जो भी बातें कही गई हैं, उन बातों को आप देख लीजिये, उन धाराओं को आप देख लीजिये। इस बात को आप अच्छी तरह समझ जायेंगे और यह बात सभी को रुचिकर भी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके इस बात की कोशिश की है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, उन सभी वर्गों का विकास होना चाहिये। राजस्थान के प्रत्येक हिस्से का विकास होना चाहिये। तो, माननीय सभापति जी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे विरोधी दलों के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके विचार भी यहां सुनने को मिले। मैं तो आपसे यह भी कह सकता हूं कि आज जब हम और हमारे देश के लोग इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं तो विरोधी दलों की वही घिसीपिटी आलोचनाओं की बातें सुनते हैं। आप और हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उस आलोचना में भी खास तौर से एक आलोचना की जाती है और वह यह है कि विरोधी दलों की सोचने की जो शक्ति है वह कन्स्ट्रक्टिव नहीं है, डेस्ट्रक्टिव है बल्कि वे हमेशा एक नकारात्मक रवैया अपनाते हैं और निगेटिव वे में सोचते हैं।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं, जो विरोधी दलों के सदस्य हैं उनको देख लीजिये केवल मात्र बजट की आलोचना की है। उनका कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं आया है। उनके द्वारा यह बात नहीं कही गई है कि किस तरह राजस्थान के विकास के लिये काम करना चाहिये। विकास के जो सोर्सेज हैं, उनको किस तरह बढ़ायें, किस तरह के रिसोर्सेज से राजस्थान का विकास हो सकता है, यह बात किसी ने नहीं कही कि किस तरह के उस सोर्सेज को पूरा करके राजस्थान की आय को बढ़ाया जाय। इस तरह के कन्स्ट्रक्टिव सुझाव, सकारात्मक सुझाव आय को बढ़ाने के लिये देने चाहिये लेकिन इस तरह के कन्स्ट्रक्टिव सुझाव माननीय नेताओं की ओर से नहीं आये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जो हमारे विरोधी सदस्य हैं उनका

(श्री इकबाल अहमद)

पुराना ढंग है आलोचना करने का वही करते रहते हैं। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अब अपने तौर-तरीके और उनके सोचने का जो तरीका है उसमें तब्दीली करना चाहिये, तब्दीली लानी चाहिये।

आप और हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में 19.7 के बाद इतनी प्रगति हुई है उसे भी नहीं देख पा रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा 35 साल में इस राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान का कौनसा ऐसा हिस्सा है जिसमें 35 साल में विकास नहीं हुआ है? मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं माननीय विरोधी दल के जो सदस्य हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट। मैं आप ही को बताता हूं। आपके क्षेत्र में काकरोत पंचायत समिति है जिस काकरोत में आप सैक्रेट्री हैं........आज पानी नहीं पहुंचा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय सदस्य, चालू रखें।

श्री इकबाल अहमद : तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग आम तौर पर बल्कि उनके वरिष्ठ नेता भी जो यहां पर माननीय सदस्य के रूप में मौजूद हैं, उनका भाषण, उनके विचार जब आज सुनने को मिले तो उन्होंने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर 35 साल के अन्दर कोई विकास नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का कौन सा ऐसा हिस्सा, राजस्थान का कौन सा ऐसा गांव है जहां पर 35 साल के अन्दर कोई विकास नहीं हुआ है। 1947 और 1948 के अन्दर जो इस देश की स्थिति थी, जो इस राजस्थान की स्थिति थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं हैं। मेरे बुजुर्ग सदस्य वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि उस समय काश्तकार की क्या स्थिति थी, काश्तकारी की क्या स्थिति थी, कितनी बिजली गांवों तक थी, कितने सड़कों से गांव जुड़े हुए थे, कितने पानी के हैण्डपम्प थे, कितने कुए थे, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप 35 साल की बात तो छोड़िये अभी दीगोद से जीत करके आने वाले माननीय सदस्य शायद कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी पेशेन्स रखिये और सुनिये इस बात को क्योंकि यह वास्तविकता है, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 1977 के बाद जब भारतवर्ष के अन्दर और राजस्थान के अन्दर जनता पार्टी की सरकारें कायम हुई थी उस समय आज जो विरोधी दल के सदस्य हमारे यहां पर बैठे हुए हैं उस समय वह यहां के मुख्य मंत्री भी हुआ करते थे, उसके वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, उसके और दूसरे मंत्रियों के रूप में भी वह यहां पर विराजमान थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 से 1979 के दरम्यान में जिस 27 महीने के अन्दर आपने राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर शासन

(श्री इकबाल अहमद)

किया है, उस 27 महीने की आपकी प्रोग्रेस क्या है, क्या प्रगति है, अगर 27 महीने में भी आपने कोई प्रगति नहीं की है तो फिर जो माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि 35 साल के अन्दर कोई प्रगति नहीं हुई है, जब अपनी प्रगति ही नजर नहीं आती है तो शायद दूसरे की प्रगति भी नजर नहीं आयेगी। तो मैं उन माननीय सदस्य से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज कृपया उन आंकड़ों को देख लीजिए कि उस 27 महीने के अन्दर आपकी सरकार ने, जो कि आप इस बात को बहुत गर्व के साथ कहते हो कि आपकी सरकार बहुत लोकप्रिय सरकार थी। आप यह भी गर्व के साथ कहते हो लोगों से कि आपके नेता और उस समय के मुख्य मंत्री भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से, विरोधी दल के उन सदस्यों से जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि कम से कम आपको अपनी पार्टी के नेता हैं उनका तो ख्याल रखना चाहिए था। उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किये गये हैं उनका उल्लेख तो यहां पर होना चाहिए था लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि चूंकि आपको आलोचना करनी है, आलोचना करने के अलावा आप कोई दूसरी बात नहीं सोचते और आलोचना करते समय आप यह भी भूल जाते हैं कि आप अपनों की आलोचना कर रहे हैं या गैरों की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि 1977 से लेकर 1979 और 80 के दरम्यान 27 महीनों के अन्दर जब आप राजस्थान के अन्दर, प्रशासन के अन्दर थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने कितने गांवों को बिजली से जोड़ा है। भाई जोशी साहब जो दीगोद से जीत करके आये हैं वह कहेंगे बहुत सारे गांवों को हमने बिजली से जोड़ दिया। तमाम कायदे कानूनों को आपने ताक में तोड़कर के गांवों को अपने गांवों को यानि राजस्थान में दूसरे हिस्सों को नहीं बल्कि अपने हिस्सों को और अपने लोगों को गांवों के अन्दर आपने बिजली दे दी। मैं उन माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बिजली तो दे दी लेकिन बिजली किस तरह से पैदा होती है, कहां से आती है बिजली, उसके स्रोत भी आपने कायम किये कि नहीं किये उस पर कोई योजना भी बनायी गयी कि नहीं बनायी गयी। आज यही कारण है कि आपके द्वारा जिस तरह से आपा धापी के अन्दर, बहुत तेजी के अन्दर, अनियमितताएं करके जो कनेक्शन आपके द्वारा दे दिये गये आज उससे राजस्थान का तमाम का तमाम व्यक्ति चाहे वह काश्तकार हो चाहे शहर का रहने वाला आदमी हो, वह पीड़ित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब बिजली की बात आप करेंगे तो आप देख लीजिए कि 27 महीने के अन्दर आपने कितनी बिजली के कनेक्शन राजस्थान के लोगों को दिये हैं।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के अलावा आप सड़कों की बात ले लीजिए, आपने राजस्थान के अन्दर कितने किलोमीटर सड़कें बनायी हैं अपने 27 महीने के अन्दर। माननीय सदस्य यह कह रहे थे, जो परिवर्तित बजट है उसको पढ़ रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि मुख्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि इसके

(श्री इकबाल अहमद)

अन्दर कितने किलो मीटर सड़क बनायी गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके उस 27 महीने के अन्दर कितने किलोमीटर सड़क राजस्थान के अन्दर बनायी है। आप जब देखेंगे तो शायद यह पायेंगे अच्छी तरह से कि आपने एक किलो-मीटर सड़क भी बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जिन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर के, आज अकाल चारों तरफ है, इस समय भी बरसात नहीं हुई है। आज राजस्थान के अन्दर फिर एक वीक के अन्दर, आने वाले अगले सप्ताह के अन्दर बरसात नहीं होती है तो क्या स्थिति इस राजस्थान की होगी यह भी माननीय सदस्यों से छिपी हुई बात नहीं है…

श्री शोपतसिंह : आपकी स्थिति तो अच्छी हो जायेगी। सौ करोड़ रुपये वसूल कर लेंगे। आपकी स्थिति सुधर जायेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। कृपया शान्त रहें। आप चालू रखें।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। आपस में बातचीत नहीं करें। कृपया चालू रखें।

श्री इकबाल अहमद : तो मैं माननीय सदस्यों से यह कह रहा था अपनी ओर से कि आज अकाल की स्थिति इस समय भी राजस्थान के सामने मौजूद है। पिछले कई वर्षों से अकाल है। हमारे जो तमाम रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वह किस तरह से बन्द पड़े हुए हैं यह भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन तमाम मजबूरियों को सामने रखते हुए, इन परिस्थितियों को सामने रखते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है और एक साहसिक कदम उठाया है उसके लिए हम इन बैंचों पर बैठने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि सामने बैंचों पर बैठने वाले लोगों को भी उनकी सराहना करनी चाहिए और इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि कल तक, कल से पहले तक जहां राजस्थान के तमाम के तमाम अखबार जहां राजस्थान के दूसरे लोग यह कयास लगाया करते थे, यह संभावनाएं व्यक्त करते थे कि राजस्थान का जो अब का बजट पेश होगा उसके अन्दर बहुत सारे कर लगाये जायेंगे, करों से जनता को लाद दिया जायेगा। लेकिन हमारे विरोधी दलों और हमारे विरोधी सदस्यों के सामने जब वह बजट आया तो शायद उनको बजट देख कर मायूसी हुई कि उनको कहने का मौका उस बजट के अन्दर नहीं मिला और कोई इस तरह का अधिक कर भार उसके अन्दर नहीं लगाया गया जिसके लिए वह जनता के सामने जाकर हमारी सरकार की या हमारी पार्टी की कोई आलोचना कर सकें या बुराई कर सकें। तो मैं इस सम्बन्ध में यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि जो इससे हट करके और बातें कही गयी हैं, यह बताया गया है कि बिजली के ऊपर बहुत अधिक सरचार्ज लगा दिया गया है या उसकी कीमतें बढ़ा दी गयी हैं। इसी तरह से…

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री इकबाल अहमद : लैण्ड टैक्स के रूप में विधेयक लाया गया है और उसके तहत भी कुछ भूमिधारियों के ऊपर अतिरिक्त भार लगाया गया है । मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज यह बिजली के ऊपर भार बढ़ाया गया है उससे तकलीफ काश्तकार को भी हो सकती है, शहर के रहने वालों को भी हो सकती है। उस तकलीफ को, काश्तकारों को होने वाली और शहरी को होने वाली तकलीफ को हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री और हमारी पार्टी के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं और वह इसलिए जानते हैं कि हमारा और हमारी सरकार का सीधा सम्बन्ध और निकट का सम्बन्ध हमारी जनता से और हमारे गांवों के लोगों से है। इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें कहीं विकास करना है और लोगों तक बिजली पहुंचाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ आवश्यक करना पड़ेगा और उसके लिए यह भार लगाया गया है बिजली के ऊपर। मैं यही कह सकता हूं कि उसके लिए कोई अधिक नहीं है और ऐसा नहीं है जिसके लिए यह कहा जाय कि सब बहुत अधिक इससे जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। एक बात मैं सुझाव के रूप में....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें और समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : एक क्यों ज्यादा सुझाव दें। एक नहीं।

श्री इकबाल अहमद : बिजली के संबंध में, विद्युत के सम्बन्ध में मैं इतना ही सुझाव देना चाहूंगा कि इसके अन्दर बड़े उद्योगों के ऊपर 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है जबकि मध्यम उद्योग और लघु उद्योग पर क्रमशः 32 और 31 पैसे बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिये यह कहा जा सकता है सरकार की तरफ से कि यह इसलिए रखा गया है कि जो हमारे उद्योगपति लोग हैं और दूसरे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, वह दूसरी स्टेट के अन्दर कम होने से अफेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें मेरा सुझाव है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उद्योग से उनके अन्दर यह 24 पैसे प्रति यूनिट रखना चाहिए, बाकी जो जिले उद्योगों से सम्पन्न हैं जहां पर इन्डस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो चुका है वहां पर प्रति यूनिट इसको बढ़ाया जाना चाहिए और मध्यम उद्योग और लघु उद्योग पर पैसा घटाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री इकबाल अहमद : माननीय सभापति जी, राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 के सम्बन्ध में भी कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहूंगा और आपके माध्यम से राजस्थान...

श्री सभापति : अभी नहीं, जब समय आये तब आप रखें। कृपया बजट तक ही अपने आपको केन्द्रित रखें।

श्री शोपत सिंह : बिल आये तब।

एक माननीय सदस्य : पहले ट्रेनिंग दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : विचार कर लीजिये।

श्री सभापति : कृपया उपसंहार करें।

श्री इकबाल अहमद : इससे हटकर जहां तक झालावाड़ जिले का सवाल है, उसके सम्बन्ध में हमारी कुछ योजनाओं के बारे में बातें कही गई हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले की जो गागरिन और चम्बली सिंचाई परियोजना हैं उन पर काम शीघ्र चालू किया जाना चाहिये ताकि उसके द्वारा हमारे क्षेत्र की भूमि सिंचित हो सके। मैं, माननीय सभापति जी, आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, और आपके जरिये राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माइन्स के बारे में, जो मिनरल्स मिलते हैं राजस्थान के दूसरे हिस्सों के अन्दर, शायद झालावाड़ जिले का नाम उस समय किसी को याद नहीं रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले की तहसील झालरापाटन, तहसील पिड़ावा, और तहसील पचपहाड़ में बैंटेनाइट की काफी खनिज सम्पदा है, उसकी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये और उस पर कार्य शुरू किया जाना चाहिये।

शिक्षा के संबंध में अधिक नहीं कह कर इतना चाहूंगा, हमें उर्दू, राजस्थानी और सिंधी आदि जो भाषाएं हैं उनके संबंध में विशेष फण्ड रखना चाहिये ताकि इनका विकास हो सके और ये सुचारू रूप से राजस्थान के अन्दर पढ़ाई जा सकें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री माननीय हरिदेव जी जोशी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट 1985–86 के लिये प्रस्तुत किया है। इसके लिये बहुत बहुत बधाई।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : इसके बाद आप बोल लें।

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट आफ डिस्आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा है, माननीय नाथूराम जी मिर्धा जब बोले तो हमने यह देखा कि वरिष्ठ नेता हैं, भैरोंसिंह जी नहीं बोल रहे हैं इसलिये उनके बोलने का क्रम ठीक है। अब बोलने का क्रम बी. जे. पी. का है इनका नहीं है।

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है। चुन्नीलालजी इन्दलिया बोलेंगे इसके बाद आप बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नम्बर हमारा है।

श्री सभापति : इसके बाद आप बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाद में क्यों बोलेंगे, पहले बोलेंगे ?

श्री सभापति : क्या फर्क पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल यह नहीं है...

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल व्यवस्था का है ।

श्री सभापति : इसके बाद आप तैयार रहिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये कोई मतलब नहीं है । यह आपकी व्यवस्था नहीं हुई । मैं आपके पास टेबल पर आकर .

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बोलेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल यह है कि मैं आपके पास टेबल पर आकर कहूंगा कि मैं बोलूंगा....

श्री सभापति : आसन ने व्यवस्था जो दी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन की व्यवस्था गलत है ।

एक माननीय सदस्य : आसन की व्यवस्था कभी गलत नहीं होती ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया । इसके बाद आप बोलेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आपकी व्यवस्था के खिलाफ ।

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, कृपया बोलें ।

(व्यवधान)

कृपया आप उनको बोलने दें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : निर्णय दे दिया है । आप कृपया शांत रहें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : मेरा निवेदन है, शोपतसिंह हो चाहे मिर्धा अरे हरिदेव जी जोशी का बजट देखकर सबकी बढ़ गई श्रद्धा । काहे बढ़ा रहे हो, इनको बोलने दें आप ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति जी, राज्य के मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में बजट पेश किया है उस पर कुछ समय के लिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति जी, इस वक्त राजस्थान में भयंकर अकाल है । बरसात नहीं होने के कारण राजस्थान के गांव के आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है । अकाल के बारे में न तो इस बजट में कोई प्रावधान है, न कोई धनराशि का प्रावधान है, न ही राजस्थान में कोई राहत कार्य खोला गया है । सभापति जी, अगर खोले गये हैं तो नाम मात्र के हैं । नाम मात्र के होते हुए फिर और यह हुआ है कि जो फेमिन पर मजदूर लगे हुए हैं उन लोगों को आज तक उनकी मजदूरी का सरकार ने भुगतान नहीं किया है । राजस्थान की जनता आज आशा लगाये बैठी है कि राजस्थान की विधान सभा गांव के, शहर के बजट पर और जो आदमी परेशानी में हैं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उनके बारे में विचार करेगी। लेकिन बजट पढ़ने से और हालात देखने से बड़ा अजीब लगता है। गांव के आदमी पर इस सरकार की नजर बड़ी टेडी है। इस बजट में तरह तरह के टैक्स उन लोगों पर लगाये हैं जो गांव के काश्तकार हैं। शहर के पूंजीपति जिनके पास बहुत सारे रिहायशी भूखण्ड हैं, करोड़ों की भूमि है उन पर इनकी नजर नहीं है। इन्होंने टैक्स बजट में उन लोगों पर लगाये हैं जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ों में भूमि है। जो किसान बहुत गरीब हैं उन लोगों पर इन्होंने टैक्स लगाया है। इनके हालात और मिजाज देखते हुए लगता है यह सरकार गांव के आदमी की नहीं है, शहर के गरीब नागरिक की नहीं है। लगता है यह सरकार पूंजीपतियों की है। पूंजीपतियों पर इनकी नजरें बड़ी टेढी है। आप जानते हैं, सभापति जी, जब भी राजस्थान पर कोई संकट आया है, या हमारी आजादी पर कोई संकट आया है, गंगानगर का किसान खेती करने वाला है, चाहे नेफा और लद्दाख पर संकट आया हो, चाहे चीन और पाकिस्तान ने हमला करा हो, वहां के गरीब काश्तकारों ने आजादी की रक्षा की है। उन्होंने आपको सेना में नौजवान दिये हैं लड़ने के लिये, जो बर्फीले पहाड़ों पर राइफलें लिये खड़ा है, और आपको धन भी दिया है। उस बात को सरकार भूल गई है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में हैं, उनको यह पता नहीं है कि जब हिन्दुस्तान की आजादी पर, नेफा और लद्दाख पर हमला हुआ तो गंगानगर के किसान ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को चांदी से तोला और सोने से तोला। लाल बहादुर शास्त्री को चांदी से तोला और...

(व्यवधान)

श्री सभापति : शांत रहें कृपया, आपस में बातें नहीं करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इंदिरा गांधी को वहां के काश्तकारों ने चांदी से तोला। आप उन सारी बातों को भूल गये। आज कमर किसकी तोड़ रहे हैं? इससे लगता है यह जो सरकार है, पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, पूंजीपतियों के इशारे पर राज्य के मुख्य मंत्री हाउस में बजट लेकर आये हैं, इस बात को हम जानते हैं, उनके कदमों को जानते हैं। आपके रीति रिवाज को जानते हैं और आपकी भाषा को जानते हैं।

आज राजस्थान नहर पर पीने का पानी नहीं है, गांव में तो पीने के पानी का प्रश्न ही नहीं है। सभापति जी, बीकानेर और गंगानगर जिले के सीमावर्ती जिलों में, मैं पशुओं के आंकड़े देऊंगा, लगभग 40 हजार पशु बिना पानी और चारे के मर गये। क्या आज सरकार बता सकती है कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में चारा एक रुपये किलो का खरीदा गया? यह सरकार साबित करा सकती है? आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपने धोखा दिया है फेमिन के नाम पर कि हम फेमिन के कैम्प खोल रहे हैं, और राहत कार्य चालू कर रहे हैं। आप आंकड़े देखेंगे बीकानेर जिले के, नाम मात्र की मजदूरों की संख्या है–सिर्फ चार हजार। वहां 680 गांव हैं, चार हजार की संख्या फेमिन के मजदूरों की बतायी है, आज तक

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उनको भुगतान नहीं किया गया है। आज बीकानेर जिले की यह हालत है। इन्सान को पीने का पानी नहीं है। आप योजना बना देते हैं, लम्बे भाषण दे देते हैं कि हमने पानी की स्कीम बना ली है, हमने यह कर दिया है। आपको मना कौन करें। लेकिन गांव के आदमी की आत्मा रो रही है। कितने दिन तक आप यह धोखा देओगे, कितने दिन तक समाज का शोषण करोगे? समाज का शोषण करने की जो यह प्रवृत्ति है, इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपको सबसे पहले खतरा है। इन्सानियत के नाते आप गांव की तरफ नजर डालिये। कितना बड़ा भयंकर अकाल है लेकिन आप लोगों को मजदूरी नहीं दे रहे हो, पीने का पानी नहीं दे रहे हो, पशुओं के लिये चारा नहीं दे रहे हो। हमारी राठी नस्ल की गाय की कीमत, सभापतिजी, आज भी 9-10 हजार रुपये है।

आपके पास मूल्यांकन विभाग है, सांख्यिकी विभाग है उनसे आप आंकड़े लीजिए एक बीकानेर जिले के, जिससे आपको पता लगेगा कि 40 हजार भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, भैंस, बकरे, पशु बिना पानी के मर चुके हैं। मैं जिम्मेदारी से, सभापति जी, यह कह रहा हूं। अगर सरकार में दम है और वह हिन्दु है तो पता लगा लें कि बीकानेर, चूरू जिले में कितनी गायें मरी हैं। सरकार मेरे साथ एक कमेटी भेजे, आपकी सरकार के अधिकारियों को भेजे, एक मंत्री को भेजिए. मैं 40 हजार पशुओं की मरी हुई लाशें दिखाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है आपमें? अगर सरकार में दम है तो चलिए, एक कमेटी बना कर भेज दीजिए। मुझे खेद है इस बात का, सभापति जी, कि जहां देश की रक्षा का सवाल आता है तो गांव का आदमी फौज में जाएगा, युद्ध के मोर्चे पर जाएगा लेकिन बजट भाषण में कहीं भी पीने के पानी के प्रावधान की कोई बात नहीं है। कहीं भी चारे का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार की जो हालत है वह बहुत दयनीय है। बैठे हैं जैसे कोई ड्रामे में आदमी बैठे हों। कोई चिन्ता नहीं, कोई जिम्मेवार मंत्री, मुझे तो नहीं दिखता। कोई मंत्री नहीं है यहां।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

श्री छोगाराम बकोलिया : आपको दिखाई ही नहीं देता, आंखों पर चश्मा लगा रखा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप मंत्री हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई भी केबीनेट का मंत्री यहां नहीं है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, यह केबीनेट के मंत्री नहीं है और इनका सामूहिक दायित्व नहीं है। इसलिए केबीनेट का मंत्री कोई तो बजट पर विचार विमर्श के समय उपस्थित हों, यह तो राज्य मंत्री हैं।

श्री सभापति : सरकार की ओर से मंत्री मौजूद हैं। श्री बाकोलिया जी सरकार की ओर से सुन रहे हैं। आप कृपया भाषण चालू रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सभापति जी से निवेदन करूंगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए निर्देश दें सरकार को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि बजट भाषण हो तो एक न एक केबीनेट मंत्री जरूर उपस्थित रहें।

श्री सभापति : सरकार की ओर से श्री बाकोलिया जी उपस्थित हैं, आप चालू रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह केबीनेट मंत्री नहीं हैं साहब।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपको नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ध्यान दें, केबीनेट मंत्री होना आवश्यक नहीं है। कोई भी मंत्री यहां हो सकता है। आप अपना भाषण चालू रखें।

(व्यवधान)

सरकार में जोइन्ट रसपोन्सिबिलिटी हर मंत्री की होती है और मंत्री मौजूद हैं यहां पर।

श्री नवरंग सिंह : कोई भी केबीनेट मंत्री होना चाहिए, सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : आपके द्वारा दिये हुए भाषण को सरकार अच्छी तरह से सुन रही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सभापति जी, मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि ऐसी सरकार में तो ऐसे ही मंत्री बजट पर रहेंगे, पूरा मंत्री नहीं रह सकता क्योंकि पूरा बजट ही नहीं है तो पूरा मंत्री रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सभापति : जॉइन्ट रसपोंसिबिलिटी होती है हर मंत्री की। मा. सदस्य कृपया चालू रखें। बाकोलिया साहब अपना आसन ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं मेरी बात कह रहा था। मैं गांवों से आया हूं और गांवों की हालत को जानता हूं और आप भी जानते हैं। गांवों की जो हालत है इस वक्त राजस्थान में, खास तौर से पीने के पानी की, आज 30-40 कि. मी. से पीने का पानी लाने के लिए लोग जाते हैं जहां वॉटर सप्लाई स्कीम के पॉइन्ट हैं लेकिन 40 कि. मी. पर भी ऊंट गाड़ी और बैल गाड़ी लेकर जाने के बाद भी वहां पर, सभापति जी, पीने का पानी उस स्थान पर नहीं मिलता है। इतनी लंबी आजादी में....

(व्यवधान)

आप नशे में बात कर रहे हैं, आपकी सत्ता का विषय है मंत्री जी।

श्री सभापति : आप कृपया सुनें। आप चालू रखें माननीय सदस्य, वह सुन रहे हैं, आप बोलिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज इनके परिवार के लोग पीने के पानी का लोटा लेकर, बाल्टी लेकर दूसरे के घर जाते हैं और वे मैणा मारते हैं कि तेरे मंत्री घर का है कूवा, ट्यूब वैल घर पर खुदवाले, गांव में खुदवाले। मैणा मारते हैं लेकिन बेशर्म लोगों को मैणे की कोई लाज ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा था बीकानेर जिले की, इनकी बातों को छोड़ें साहब, सभापति जी, हमारी ड्यूटी है। हम जिस जनता से वोट लेकर आये हैं उसको पीने का पानी 20

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

साल में भी नहीं दे सके। हमारी जिम्मवारी है और उनके वायदों को हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा इस वक्त अकाल में जो पशु मर रहे हैं बिना पानी और बिना चारे के, बिना चारे और बिना पानी के जो पशुओं में बीमारी फैली है, मैं आपके मार्फत सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक जांच कमेटी बैठाइए ताकि आपको पता लगे कि क्या रिपोर्ट आएगी। इतना ही नहीं बहुत से लोग भी बिना पानी के मौत के घाट उतरे हैं, सरकारी व्यवस्था इनके हाथ में है, यह बता नहीं सकते, न बताने देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर सरकार जनता के नाम पर वोट लेकर आई है और जिम्मेदार है तो जनता को पीने के पानी और भूखे लोगों को मजदूरी के जरिए से रोटी का इन्तजाम और पशुओं को चारे का और पानी का इन्तजाम कर दें। लम्बी बात कहने के लिए मैं नहीं आया हूं, न लम्बा भाषण दूंगा। राजस्थान कैनाल में, सभापति जी, जमीन पर पानी देना तो दूर रहा इस साल पीने का पानी भी वहां के काश्तकार को नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी आप हंस रहे थे लेकिन बीकानेर से खाजुवाला, पवड़ी पोस्ट जहां बोर्डर एरिया है और 128 कि. मी. क्षेत्र में एक भी ट्यूब वैल नहीं है, एक भी ओपन वैल नहीं है. उनकी कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां की जनता इस राजस्थान नहर के पानी पर डिपेण्ड करती है और बैठी है, इस बात को कल्ला जी जानते हैं कि वहां के लोगों की हालत क्या है, आप जो हंस रहे हैं जैसे कोई खैर, दूसरी बात कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा भी साबित नहीं होता है कि आप जिम्मेवार नहीं हैं, आप जनता के साथ गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं, सभापति जी, यह बात कह रहा था।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, आप जैसलमेर की बात क्यों नहीं करते हो।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप कृपया विराजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो, सभापति जी, मैं एक बात कह रहा हूं बीकानेर, पवड़ी पोस्ट और खाजुवाला का एरिया और बल्लर में 150 कि.मी. का क्षेत्र वहां पानी का एक भी ओपन वैल नहीं है, एक भी ट्यूब वैल नहीं है, इस बात को कल्लाजी बैठे हैं वे जानते हैं। वे हमारे जिले के हैं राजस्थान नहर से पीने का पानी बन्द करने के बाद वहां के काश्तकार, वहां के पशुधन की क्या हालत है, वहां बोर्डर की क्या हालत है। बिना पानी के वहां के कितने पशु पाकिस्तान चले गये और कितने लोगों ने पाकिस्तान की तरफ पशु डाल दिए। भेज दिए तस्करी के जरिए, क्या आप जांच कराएंगे, आप में हिम्मत ही नहीं, सरकार है ही नहीं, क्या हिम्मत करके जांच करायेंगे। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं देकर एक ही बात चाहूंगा कि अकाल भयंकर है बरसात के दिन बहुत दूर हैं, अभी तक 15 दिन निकल सकते हैं अगर इतने दिन में कोई पीने के पानी की, चारे की और मजदूरों को भुगतान नहीं करायेंगे तो चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर के गरीब किसान, हरिजन जो सड़कों पर बैठे हैं उनकी हालत बड़ी चिन्ताजनक, दयनीय हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : दूसरे मैं सहकारिता के संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बहुत संक्षेप में सहकारी समितियां राजस्थान में इसलिए बनाई मोतीलाल चौधरी ने कि समाज का उत्थान होगा, बोहरा वृत्ति राजस्थान में खत्म होगी लेकिन आज सभापति जी, यह जो हमारी सहकारी समितियां हैं यह सबसे बड़ा शोषण का अड्डा बन चुकी हैं। समाज को शोषण करने का सबसे बड़ा, सत्ता पक्ष को चूसने के लिए सबसे बड़ा अड्डा शोषण का यह सहकारी समितियां हैं आज यह लोग क्या करते हैं तरह तरह से। अब क्या बताऊ ऊंट गाडा लोन खा जाते हैं, भेड़ बकरी लोन खा जाते हैं, गायों का लोन खा जाते हैं, बीच में तरह तरह के इन्होंने सहकारी के जरिये से शोषण के अड्डे खोले हैं जिनसे गांव का आदमी रो रहा है।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनके घरों में से खाने के बर्तन नीलाम कर दिये, मांचे नीलाम कर दिए गाय भैंस किसान के पास थी वह नीलाम कर दी और ऊंट थे वह नीलाम कर दिए।

श्री सभापति : अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह हमारी सरकार है, यह हमारे समाज की व्यवस्था है और ये हैं हमारे समाज की सेवा करने वाले जन प्रतिनिधि जो समाज की सेवा कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में, अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं बोलना तो चाहता था कुछ और भी लेकिन आपका आदेश नहीं है। मैं आपके आदेश की पालना करता हू और मांग करता हूं कि हमारे गांवों में जो पानी की कमी है, चारे की कमी है और मजदूरी का भुगतान है उसके लिये आप शासन की मार्फत उनको आदेश दें कि जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करें और इन्हीं शब्दों के साथ यह जो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने थोथा बजट पेश किया है, मैं इसका घोर विरोध करता हू और निन्दा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, अभी अभी माननीय नाथूराम जी मिर्धा और भामड़ा जी ने अपना भाषण समाप्त किया उसके बाद कांग्रेस के अपने आपको नौजवान कहने वाले माननीय सी.पी. जोशी जी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें अक्ल ही नहीं है और हमारे जो मुख्य मंत्री हैं उनमें अक्ल का खजाना है। उनकी पालिटिकल विल इतनी तेज है कि उन्होंने एक ही झटके में सारा काम करने का फैसला कर लिया।

(व्यवधान)

(म.प. 4.43)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री घनश्याम तिवाडी)

जैसा बजट उन्होंने बोला वैसा ही मैं बोल रहा हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि महाभारत में ऐसा ही हुआ था, महाभारत के युद्ध में जो द्रोपदी चीर हरण हुआ था तो कौरवों की सभा में बहुत से लोग नीची गर्दन किए हुए बैठे हुए थे और फिर जब वह सम्पन्न हुआ, समाप्त हुआ, वह की वह हालत आज कांग्रेस बैंचेज की है। यहां पर राजस्थान की गरीब जनता का राजस्थान के मुख्य मंत्री दुर्योधन बन कर चीर हरण कर रहे हैं। मैं दुर्योधन शब्द का प्रयोग नहीं करता लेकिन इन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया वैसा ही प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है। दुर्योधन बन कर राजस्थान की जनता का चीर हरण कर रहे हैं। ये बुड्ढे धृतराष्ट्र बन कर, जीवित आदमियों पर बुड्ढे धृतराष्ट्र बन कर जिस तरह से बैठे हुए हैं, यह कांग्रेस को सर्वनाश की ओर ले जाने वाले हैं। इस प्रकार सर्वनाश की ओर ले जाने वाला बजट है और प्रदेश के विकास....

(व्यवधान)

आपका वारंट नहीं है। मुझे लगता है इधर से उधर जाते ही वारंट का मामला समाप्त हो गया दिखता है। शिवचरणजी माथुर चले गये....

(व्यवधान)

वह वारंट मुझे ध्यान में है चिन्ता मत करो। शिवचरणजी माथुर जब चीफ मिनिस्टर थे उन पर वारंट निकला हुआ है गिरफ्तारी का।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में माननीय जोशी ने जिस प्रकार का तोफा राजस्थान की जनता को भेंट किया है, यह एक प्रकार का तोफा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हिन्दुस्तान में सरकार बनी राजीव गांधी की। 21वीं सदी की ओर ले जाने वाले इकबाल अहमद जी कह रहे थे कि कम्प्यूटर बहुत बोल रहे हैं।

कम्प्यूटर में से निकल कर आ रहे हैं बाहर और एक टेक्नीकल भाषा बोल रहे हैं कि राजस्थान पर सबसे ज्यादा गहरी चोट अगर किसी ने की हैं तो राजीव गांधी की सरकार ने की हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कि गुणगाण कर रहे हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दो बिन्दु आपके सामने रखता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रकाशित हो गया, रेल का बजट पास हो गया। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 35 साल तक केन्द्र सरकार ने राजस्थान की रेल लाइन का क्या किया है? सबसे अधिक उपेक्षा की है। सातवीं पंच वर्षीय योजना में राजस्थान की रेल लाइन का कोई प्रावधान नहीं है, ब्रोडगेज लाइन के लिए। अगर मुख्य मंत्री जी इसको मना लाते तो मैं मानता राजीव गांधी के कम्प्यूटर बोल रहे हैं। उनकी भाषा में कोई दम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल के साथ साथ इस सारे बजट का मैंने भाषण पढ़ा है। इस भाषण में एक वाक्य अगर आप बता दें कि केन्द्र सरकार के द्वारा एक पर्सेंट भी पूंजीनिवेश राजस्थान में हुआ हो....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

•

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि केन्द्र सरकार का जो उद्योग में पूंजी निवेश है वह राजस्थान में एक पर्सेंट है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार ने, जोशी जी की सरकार ने कौन सा उद्योग लगाने की राजस्थान में घोषणा की है। पाइराइट पर आधारित खाद का कारखाना जो खण्डेला में लगने वाला था उस खाद के कारखाने के बारे में क्या हुआ? रॉक फास्फेट पर आधारित जो कारखाना लगना था उस कारखाने का क्या हुआ। मैं पूछना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, कि बम्बई हाई की गैस पर आधारित जो खाद का कारखाना लगने वाला था उस खाद के कारखाने का क्या हुआ। एक भी जगह राजस्थान के बजट में नहीं है कि जहां पैसा लगे राजस्थान में उद्योगों का विकास हो. ऐसा राजस्थान में कोई उद्योग लगाया जायेगा या राजस्थान की सरकार की उद्योग लगाने की कोई योजना भी है?

दूसरा मेरा सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ केन्द्र सरकार बार बार अन्याय करती जा रही है। काश्तकार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है केन्द्र सरकार ने हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तीन हजार करोड़ की योजना लेकर हम आये हैं और उससे अपार हर्ष हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण राज्यों का योजना आयोग ने जो पर्सेन्ट आंका है वह छठी पंचवर्षीय योजना से 65.35 पर्सेन्ट ज्यादा है और राजस्थान का विकास, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसको सम्पूर्ण राज्यों के अलावा 20 पर्सेन्ट कम पैसा मिला है, यह सबसे कम है। इस राजस्थान की सरकार पर केन्द्र सरकार ने यह किया है। उदाहरण के लिए मैं तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा सम्पूर्ण राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और अन्य राज्यों में योजना बनी है उस योजना राशि में 65.35 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है और राजस्थान की योजना राशि में 48.25 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। कुल मिला कर राजस्थान की योजना को 20 पर्सेन्ट कम पैसा मिला है। तो जोशी जी की सरकार के समय में राजीव गांधी जी ने पहली चोट राजस्थान सरकार पर यह की, राजस्थान की योजना में कटौती की। हमने इतने करोड़ रुपये की योजना ले जाकर इनको दी। जब माथुर साहब चीफ मिनिस्टर थे उस समय घोषणा भी कर रहे थे कि हमारी जो योजना होगी वह पांच हजार करोड़ रुपये से कम नहीं होगी और केन्द्र ने पांच हजार करोड़ रुपये की मन्जूरी दे दी लेकिन वह जाकर तीन हजार करोड़ की हमारी योजना स्वीकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की गयी। यह तीन हजार करोड़ की योजना राजस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा आघात है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार केन्द्र ने सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो व्यय किया है, पहाड़ी क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास का काम और जितना जितना पैसा खर्च होगा वह सारे का सारा केन्द्र सरकार वहन करेगी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के थार डेजर्ट, उस मरुस्थल को रोकने के लिए, इस योजना में परिवर्तन करने के लिए राजस्थान की सरकार इस बात में असफल रही है। दिल्ली की सरकार इस बात को मानने से मुकर रही है कि जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास का काम केन्द्र अपने साधनों से कर रही है राजस्थान का विकास, रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करने के लिए केन्द्र ने पैसा देने में ढिलाई बरती है। इस प्रकार से राजस्थान की सरकार पर केन्द्र सरकार ने घोर अन्याय किया है। राजस्थान में केन्द्र का कोई भी उद्योग छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं लगा। इस पर माथुर साहब कहते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेल के विकास में राजस्थान की दुर्गति हुई है, इसी प्रकार रेगिस्तान के मामले में भी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार राजस्थान में अकाल पड़ते हैं, अकाल के नाम पर बार बार मांग की है। प्राकृतिक जो विपदायें हैं राजस्थान सरकार अकाल का मुकाबला नहीं कर सकती है, केन्द्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी लें। हमारी यह सरकार केन्द्र से यह बात मनवाने में पूरी तरह असफल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार में इतना साहस और हिम्मत भी नहीं है। वह केन्द्र सरकार जो राज्यों पर अधिकार जमाना चाहती है उनके खिलाफ बोलें।

•

उपाध्यक्ष महोदय, नयी सरकार ने तीन काम किये हैं। राज्य में ओवर ड्राफ्ट कम करने का फैसला कर लिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले जितना ओवर ड्राफ्ट बना है 10 पर्सेन्ट जमा करेंगे उसके बाद 20 पर्सेन्ट जमा करेंगे और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक सारा का सारा ओवर ड्राफ्ट का घाटा पूरा कर देंगे। यह राज्यों के अधिकार पर चोट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के जो घाटे का बजट होगा विकास के नाम पर पूर्ति करेंगे लेकिन राज्य के वित्तीय साधनों का क्या होगा। केन्द्र सरकार एक एक करके राज्य सरकारों को गुलाम बनाकर पंगू बना रही है। इसका दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं मीडियम टर्म लोन, मध्यावधी जो लोन होता है सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में फैसला किया है कि आगे आने वाले समय में राज्यों में मध्यावधी लोन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। तीसरा मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को 3360 करोड़ रुपये का घाटा है वह उसकी पूर्ति करेगी। कहेगी विकासशील देश में घाटे की पूर्ति बहुत जरूरी है लेकिन जो राज्य विकास करते हैं तो राज्य के विकास का घाटा कौन पूरा करेगा। आज केन्द्र सरकार लगातार आर्थिक दृष्टि से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अपना कब्जा जमाती जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा जो योजना चल रही है, राज्यों के अन्दर पैर पसारती जा रही है। राज्यों का जो घाटा पंचवर्षीय योजना में 45 पर्सेन्ट था आज वह घट कर 23 पर्सेन्ट छठी: पंचवर्षीय योजना में हो गया और एक प्रकार से केन्द्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। उसके खिलाफ कर्नाटक की सरकार ने आवाज उठाई, आन्ध्र की सरकार ने आवाज उठाई। आन्ध्र की योजना में कटौती भी की, आन्ध्र की योजना को कम करके पास कर दिया था और आन्ध्र की सरकार ने उस योजना को रिजेक्ट कर दिया और आन्ध्र की सरकार ने नयी योजना आयोग के सामने डाल दी लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान की सरकार ने हमारे आगे आने वाले पांच साल केन्द्र सरकार के पास गिरवी रख दिये। आज हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ऐतिहासिक, भौगोलिक कारण हैं राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है आज भी हम कहते हैं कि यह गर्व की बात है। आज राजस्थान की हालत यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पॉलिटिकल विल की बात कहते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में राजस्थान उन 11 राज्यों की श्रेणी में आता है जिसकी राजस्व आय सबसे कम है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत में राजस्थान प्रति व्यक्ति के हिसाब से 18 वीं स्टेट में है। राजस्थान साक्षरता में सबसे नीचे है। यह भौगोलिक ऐतिहासिक परिस्थितियां राजस्थान की नहीं मध्य प्रदेश की भी हैं। वहां पर भी रजवाड़ों का राज था, वहां पर भी अलग अलग प्रांत के स्टेट थे। वहां जमीनें थी। आज सारे हिन्दुस्तान की सिंचाई का औसत 30 पर्सेन्ट बढ़ा है कुल क्षेत्रफल का और राजस्थान का 23 पर्सेंट। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद हमें जो बिजली चाहिए उसमें अभी 1050 मेगावाट की कमी है और सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर राजस्थान में 1550 मेगावाट बिजली की कमी हमारे सामने होगी। यह सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का खुला-खुला जांच किया परिणाम हमारे सामने है। इसका कारण है। पलाना की बात कर रहे थे, पलाना के लिए चीफ इन्जीनियर भी नियुक्त कर दिया था शिवचरण जी माथुर की सरकार ने एक करोड़ रुपए का टोकन खर्च भी दे दिया था। वह सारे तो उठ गये। आज भी स्थिति यह है, जिस प्रकार का प्रारूप माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है वह यह कहने में असमर्थ हैं कि राजस्थान में पलाना के लिए कहां पर किस जगह का प्रावधान है। यह माही की बात करते हैं, कोटा के थर्मल की बात करते हैं। उसकी एक ही बात करते हैं कि कोटा थर्मल को बोनस मिला है, पुरस्कार मिला है लेकिन उसके साथ साथ यह भूल जाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटा थर्मल में जिस प्रकार की इसकी व्यवस्था है, आज हिन्दुस्तान में सबसे अधिक महंगी थर्मल पावर अगर पैदा करता है तो कोटा थर्मल करता है। 100 पैसे प्रति यूनिट का उस पर पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति इन्होंने कर रखी है। यह सारी स्थिति है आपके सामने।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्य में जिस प्रकार से इस सरकार ने बिजली का और यह सारा टैक्स बढ़ाया है, आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा टैक्स 150 करोड़ रुपए का है। इस साल राजस्थान की सरकार जिस 51 करोड़ की बात करती है वह 51 करोड़ की बात नहीं है। पानी पर जो इन्होंने पहले पैसा बढ़ाया है पानी के उस पैसे से उनको 10 करोड़ रुपए की आय होगी। इसके बाद रोडवेज का किराया बढ़ा है। उससे इनको आय होगी। इसके बाद सेल्स टैक्स, बिजली, यह जितने किराये भूमि और भवन कर, सारा मिलाकर जो इन्होंने किया है उससे राजस्थान की जनता को करीब 145 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। इतना बड़ा अभूतपूर्व टैक्स राजस्थान बनने के बाद शायद ही किसी गवर्नमैण्ट ने एक स्ट्रोक के अन्दर लगाया हो।

बिजली के बारे में हमको बहुत गुमराह किया गया है। बिजली के बारे में माननीय मिर्धा साहब बता रहे थे कि सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना पर्सेन्ट किस पर बढ़ेंगे, कितना पर्सेन्ट किस पर बढ़ेंगे। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि बिजली पर मिनिमम 33 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है। 33 पर्सेन्ट से कम बढ़ोतरी किसी भी आइटम पर नहीं हुई है। अधिकतम बढ़ोतरी 88.5 पर्सेन्ट की गयी है। 88.5 पर्सेन्ट बढ़ोतरी एक स्ट्रोक में, एक झटके में पोलिटिकल विल रखने वाले माननीय जोशी जी जो राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और जो उद्योगों, किसानों और ग्राम उपभोक्ता की कमर तोड़ कर रख देना चाहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि घरेलू उपयोग की बिजली जो 45 पैसे में मिलती थी वह 60 पैसे प्रति यूनिट पर मिलेगी। इस पर 33 पर्सेन्ट दाम बढ़ाये गये हैं। इसी प्रकार घरेलू पावर के उपयोग में आने वाली बिजली जो 35 पैसे में मिलती थी 60 पैसे प्रति यूनिट करने पर 71 पर्सेन्ट दाम बढ़ाये गये हैं। घर के अन्दर हीटर, फ्रिज चलायेंगे पावर से उसके 71 पर्सेन्ट दाम सरकार ने बढ़ाये हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लघु उद्योग की उपभोग की दर जहां 39 पैसे थी उसे 70 पैसे कर सरकार ने 88.5 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी की है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य आज इसी चीज का होता है। लघु उद्योग तो आज मरे पड़े हैं। रीको द्वारा बनाया गया इण्डस्ट्रियल एरिया, आर. एफ. सी द्वारा दिये गये फाइनेंस के सारे काम --आज वह उद्योग मरणासन्न अवस्था में हैं और उन पर 88.5 पर्सेन्ट बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जोशी जी किसका विकास करना चाहेंगे, यह सरकार किसका विकास करना चाहेगी यह मेरे समझ में आने की बात नहीं है। इसी प्रकार से किसान पर बिजली की जो दर बढ़ायी गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, साढ़े सात से दस एच पी की मोटर लगी है उनकी फ्लैट रेट में 39.8 पर्सेन्ट की वृद्धि की है। प्रति हॉर्स पावर की दर में 205 रुपए बढ़ाकर 397.20 कर दिया। इस प्रकार किसानों पर कम से कम 50 पर्सेन्ट, घरेलू उपभोग में 30 पर्सेन्ट और लघु उद्योगों पर 85 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी करके राजस्थान की सरकार ने किसान, उद्योगपति और ग्राम उपभोक्ता के पैर काटने का प्रयत्न किया है। और फिर सरकार इसको कहती है, संतुलित बजट है। हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य इसको ही संतुलित बजट मानेंगे कि जिसमें कोई भी स्कूल या प्रावधान नहीं है ? माननीय जोशी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, अखबारों में भी छपा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच हजार स्कूल खोलेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना में पचास औषधालय खोलेंगे लेकिन इस वर्ष क्या करने जा रहे हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि चुनाव के समय में 76.5 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकार हो गयी चुनाव जीतने के लिए। वह स्वीकृति के कागजात पूरे नहीं होने वाले हैं। राजस्थान की सरकार ने चुनाव के टाइम में जो घोषणायें की थीं उन घोषणाओं के कारण से यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आयी है, आने वाला पहला साल होगा जिस साल में निकम्मी सरकार एक भी स्कूल नहीं खोलेगी, यह सरकार एक भी औषधालय नहीं खोलेगी।

यह सरकार एक भी काम नहीं करेगी, सरकार सड़क नहीं बना सकेगी, मैं आज आपको कहता हूं दावे के साथ। 76.5 करोड़ रुपए की सड़कें चुनाव के समय सैंक्शन की हुई हैं, माननीय विधायक जो नयी सड़क की हां करा रहे हैं मैं उनसे साफ निवेदन करना चाहता हूं कि यह साल विकास का साल नहीं होगा, यह साल विकास की छुट्टी का साल होगा। होलीडे ऑफ विकास है यह साल। जोशी जी ने विकास की छुट्टी कर दी है। राज्य में विकास के साधन नहीं होंगे, न स्कूल खोलेंगे, न औषधालय खोलेंगे, न सड़कें बनेंगी, न राजस्थान में और कोई काम होगा। राजस्थान में एक ही काम होगा। बिजली की रेट बढ़ायी जायेगी, पानी की रेट बढ़ायी गयी है रोडवेज की रेट बढ़ायी गयी है, उद्योगों का सफाया होगा। सारी कीमतें करने का एक ही तरीका है कि राजस्थान की जनता की कमर को कैसे तोड़ें, और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय जोशी जी क्यों कर रहे हैं यह। बड़े आश्चर्य की बात इसलिए है कि माननीय जोशी जी को कल बुलाया जायेगा दिल्ली, और यह बहुत बड़ी अफवाह है बहुत जोरों की है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री को गुजरात में राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री अर्जुन सिंह जी को निकालकर भेजा गया, जोशी जी आप वहां राज्यपाल बनकर जायं, चाहे राजस्थान छोड़कर जायं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बजट पर बोल रहे हो या किस पर ? बजट पर बोलो ना आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसके ऊपर माननीय जोशी जी बोले थे, इकबाल अहमद जी बोले थे, 77 का उदाहरण देकर बोले थे उसी पर मैं बोल रहा हूं।

जोशी जी, आपको जाना हो वहां, जाओ, आप गुजरात में जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, आप गवर्नर बनो, आप उपराष्ट्रपति बनो, जो कुछ बनो और चाहे हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई से निकला मन्त्रिमण्डल है इस मन्त्रिमण्डल को रखो लेकिन राजस्थान की गरीब जनता के साथ कम से कम इस प्रकार का आघात मत करो कि आप कृषि को बिजली मत दो, आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उद्योग को बिजली नहीं दो, उद्योगों को छूट नहीं दो, स्कूल का एक कमरा नहीं खोलो श्रौर प्रावधान क्या करते हैं कि राजस्थान की सरकार ने एक करोड़ रुपया राजस्थान की स्कूलों के भवन बनाने के लिए प्रावधान किया है। उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने तालियां बजाई, एक करोड़ रुपए में कितने कमरे बनेंगे, कितनी टाट-पट्टियां बांटी जायेंगी, फिर कहते हैं कि छः हजार पद सृजित किये हैं, 6 हजार पद सृजित नहीं किये हैं। राजस्थान में पिछले साल जो स्कूल खोले गये हैं उनको मिलाकर 13 हजार श्रध्यापकों के पद रिक्त हैं, पिछले सैशन में शीशराम जी श्रोला, शिक्षा मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि राजस्थान में 13 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं, सरकार 6 हजार पदों को भरने जा रही है, कोई एहसान नहीं कर रही, तो राजस्थान की सरकार की श्राज यह स्थिति है....

मैं पूछना चाहता हूं, सलादीपुरा का क्या हो रहा है ? पायराइट पर श्राधारित खाद का कारखाना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगने वाला था, छठी पंचवर्षीय योजना चली गयी, सातवीं पंचवर्षीय योजना चली गयी, पायराइट पर श्राधारित सलादीपुरा का खाद का कारखाना जो सीकर जिले में लगने वाला था, उस खाद के कारखाने का क्या हुश्रा ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसका कहीं नामोनिशान नहीं है।

खण्डेला से श्राने वाले हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस के हैं, महादेव सिंह जी उनका दो दिन पहले श्रखबारों में स्टेटमेन्ट श्राया है, इस सरकार के बारे में मैं क्या कुछ कहूं, जोशी जी चले गये, जोशी जी कुछ कहें, इकबाल साहब को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महादेव सिंह जी ने कहा अपने इन्टरव्यू में, उनका इन्टरव्यू राजस्थान पत्रिका में छपा है, कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बोले, श्राप कैसे कह रहे हो। बोले, मुझे एम. एल. ए. से तो कोई हटा नहीं सकता श्रौर मिनिस्टर मुझे कोई बनाता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो कांग्रेस के जो एम. एल.एज. हैं, श्रभी रामसिंह जी का स्टेटमेन्ट है, सबके इन्टरव्यू श्रा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रगर कांग्रेस के सारे एम. एल. एज. सारे प्रतिनिधियों के इन्टरव्यू जो छपे हैं श्रखबारों में, उन इन्टरव्यूज को कलैक्ट करके उनके श्राधार पर सर्टिफिकेट बनाया जाय तो जोशी जी की 100–125 दिन की जो सरकार है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, यह कांग्रेस के एम. एल. एज द्वारा कही गयी बात है। इसमें मेरा कोई लेना–देना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के काम करने का तरीका क्या है ? काम करने का तरीका है, राजस्थान में सैटलमेन्ट चल रहे हैं, सैटलमेन्ट गलत ढंग से किये जा रहे हैं, सैटलमेन्ट के श्राधार पर 20 साल बाद जो रेट बढ़ायी जानी चाहिए थी चाहे बारानी जमीन है उसकी भी डेढ़ी कर दी। चाही है तो बारानी में बदलकर उसका डेढ़ा कर दिया। लेकिन बड़े श्राश्चर्य की बात है कि बैराठ तहसील में पैसा नहीं बढ़ाया गया। जमुवारामगढ़ में डेढ़ा किया गया। सारे राजस्थान में डेढ़ा किया गया लेकिन बैराठ में नहीं किया गया क्योंकि श्रीमती कमला बेनीवाल जो राजस्व मन्त्री हैं, वह बैराठ से श्राती हैं श्रौर केबिनेट से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फैसला करवा लिया कि बैराठ में पैसा नहीं बढ़ेगा।

(5.00 म. प.)

और सरकार कहती है कि हम काम करेंगे। सब वर्गों का, समाज के सब लोगों का राजस्थान की सरकार विकास करना चाहती है। इस प्रकार का विकास आप करना चाहते हो? राजस्थान की कैबिनेट यह फैसला करे कि सेटलमेंट के अन्दर जो लगान बढ़ रहा है वह बहरोड़ तहसील का नहीं बढ़ेगा जयपुर जिले का सारा बढ़ेगा। राजस्थान का सब जगह बढ़ेगा। यह सरकार के काम करने का तरीका है, नमूना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट आने के बाद महंगाई इतनी बढ़ गयी कि आम आदमी के वश की बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिन चीजों के भाव बजट के पहले थे, उन चीजों की आज यह हालत है कि जो चावल बासमती 6 रुपये किलो था आज 15 रुपयें किलो बिक रहा है। चीनी जो 5 रुपये किलो थी आठ रुपये किलो है। केरोसिन जो 1.19 था वह 2.39 बिक रहा है। कोई भी आम उपभोक्ता की ऐसी चीज नहीं है जो 15% से 35% तक नहीं बढ़ी हो? इसके बाद सरकार क्या करना चाहती है? राजस्थान की हालत तो यह है कि प्रति व्यक्ति की आय में उन 11 राज्यों से राष्ट्रीय औसत में कम है.. बिजली की खपत में उन राज्यों से 18वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार से सिंचाई के अन्दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हर काम में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से कम है। फिर राजस्थान पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक और आघात हुआ कि राजस्थान का विकास, सिंचाई का विकास पर, मरुस्थल का विकास, यह सारे काम राजस्थान सरकार अपने खुद के साधनों से नहीं कर सकती और केन्द्र सरकार से मदद लेने में असमर्थ रही।

कुल मिलाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर डाका डाला है और इसके साथ साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित किया है। राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार के सामने विरोध प्रकट करने की हिम्मत नहीं हुई कि राजस्थान को स्टेट्स के अधिकार हैं ओवरड्राफ्ट ड्रा करने के उसको केन्द्र सरकार क्यों बन्द कर रही है? मध्यम अवधि के जो ऋण राज्य सरकार लेती थी अपनी आवश्यकता को मीट करने के लिये उसको केन्द्र सरकार बन्द कर रही है। तो केन्द्र सरकार, जो अपना हिस्सा राज्यों का होना चाहिये, उसको 45% से घटाकर 23% कर रही है। राज्यों की आर्थिक स्वतन्त्रता खत्म करने पर उतारू है और हमारे कंप्यूटर बोस जो हैं वे किस हिसाब की बात करते हैं।

राजस्थान के अन्दर जो पीने के पानी की हालत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा हम पीने का पानी सप्लाई नहीं कर सकते। हम बिजली नहीं दे सकते। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर 1505 मेगावट बिजली की राजस्थान में कमी रहेगी। कौन से युग में हम प्रवेश करेंगे? माननीय जोशी कहते हैं कि ये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इक्विटी कुछ कर जायेगी तो कर जायेगी और बाकी आप लोग भुगतेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे आगे भुगतें ऐसी व्यवस्था हमारे साथ नहीं होनी चाहिये।

तो सारा मिलाकर मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की सरकार का जो बजट है वह किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, मध्यम वर्ग के खिलाफ है। आज राजस्थान की सरकार स्कूलों की व्यवस्था नहीं कर सकती, स्कूलों में रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने की इसके पास गुंजाइश नहीं है। आज को-ऑपरेटिव का चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगरपालिकाओं के चुनाव, इन चुनावों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। मुझे ताज्जुब होता है, पिछली बार कहा गया था कि सरकार चुनाव करायेगी लेकिन आज राजस्थान की सरकार बजट में चुप है। राजस्थान की सरकार यह कहने में समर्थ नहीं है कि इस साल नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव कराये जायेंगे कि नहीं। पचायतों के चुनाव कराये जायेंगे कि नहीं कराये जायेंगे, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव कराये जायेंगे कि नहीं कराये जायेंगे और अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में आदर्श स्थापित किया है।

(व्यवधान)

हां मुझे पता है राजस्थान में कैसा आदर्श स्थापित किया है। तीन महीने में राज्य में 3 जगह साम्प्रादायिक दंगे हुए सरकार की कमजोरी के कारण से यह राजस्थान में आदर्श स्थापित किया है। अलवर में बम विस्फोट हुआ, दो आदमी मारे गये। गंगानगर में बम विस्फोट हुआ। सात जगह बम विस्फोट हुए हैं। राजस्थान के सुजानगढ़ में बम विस्फोट हुआ। जोशीजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद से 7 जगह बम विस्फोट हुए राजस्थान के अन्दर और तीन जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति आज यह है कि जोशी जी के बनने के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वह फैसला किस बात का दिया? वह फैसला दिया है जासूसी में लिप्त एक अधिकारी के खिलाफ। एक जासूस को पकड़ा गया था। जासूस को पकड़कर वहां पर ले जाया गया, कोर्ट में केस चल रहा था हाईकोर्ट ने उसको बरी किया। हाईकोर्ट ने लिखा है कि राजस्थान पुलिस इसमें लिप्त थी, पुलिस के अधिकारी लिप्त थे और सरकार ने जानबूझ कर इस केस में ढिलाई बरती। हमको मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। यह नमूना प्रस्तुत किया है राजस्थान का आपने। राजस्थान की सरकार की यह हालत है। राजस्थान की सरकार आज काम करने के लिये नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं नाथूरामजी गये तब हंसने लगे, वे विभागों के बोझ से दबे हुए हैं। वे कहते हैं कि 41 विभाग मेरे पास हैं। रात तक काम करने की मेरी आदत है इसलिये मैं और भी विभाग आ जाय तो काम कर लूंगा मुझे तकलीफ नहीं है। आखिर राजस्थान की सरकार का नमूना यह है कि तीन-तीन मिनिस्टर्स अभी सर्किट हाऊस में रहते हैं। उनके रहने के लिये राजस्थान की सरकार मकान नहीं देती है। सात एम.एल.ए. जो हैं, अब दो चार दिन में हो गया होगा, उन एम.एल.एज. के रहने के लिये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार उनके रेजिडेंस की व्यवस्था नहीं कर सकती यानि कि हालत यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। मैं योग्यता की जांच करूंगा। अगर आपके पास आदमियों का इतना अकाल पड़ गया है, आपके पास कोई योग्य आदमी नहीं बचा है, सी.पी. जोशी के अलावा, दो तीन आदमियों के अलावा तो फिर आप उधार मांगें कहीं से। नाथूरामजी से, भैरोंसिंहजी से कहें कि हमें उधार आदमी दे दो अगर यह उधार देने की व्यवस्था करें तो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि आप....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, भगवान की दया है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य से निवेदन करूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यह पता लगा कि राजस्थान में बहुत से नौजवान साथी मंत्रिमंडल में आने के लिये आतुर हैं और क्यू में खड़े हैं। मेरे बोलते ही वे बोल पड़े कि आपका नंबर नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सात आठ साल बाद में जोशीजी आये हैं। हर एक अखबार ने उनके बारे में लिखा है कि सारे का सारा मंत्रिमंडल है वह हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई में से निकला हुआ लगता है। मैं इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं इसलिये मेरी तरफ से कोई कुछ कहे मैं इसमें कोई —

(व्यवधान)

कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का जो बजट है इसमें इस साल विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक सेवाओं के प्रति और समाज के प्रति जो सरकार की आस्था होनी चाहिये थी, वचन बद्धता होनी चाहिये थी, राजस्थान की सरकार ने उस विश्वास और वचनबद्धता को तोड़ा है। यह सरकार कोई भी विकास का काम राजस्थान में करने नहीं जा रही है। सिर्फ एक काम करती है, कि लूटो, डाका डालो और जनता की कमर तोड़ो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि शायद ये अपने 115 के बल पर मिनिस्टर बनने के चक्कर में जो किसान का बेटा है या आम आदमी है, किसानों के बारे में इस बजट में नहीं बोले और इस बजट को पास करने का प्रयत्न किया तो राजस्थान की आम जनता इस कमर तोड़ बजट को किसी भी रूप में बर्दास्त करने वाली नहीं है। जैसा माननीय नाथूरामजी ने कहा था कि गुजरात में जो स्थिति पैदा हो गयी है आज अन्य प्रांतों में स्थिति पैदा हो गयी है। अकालग्रस्त राजस्थान में अकाल राहत का काम करने में सरकार असफल रही है। उसने रात में चोरी करने का काम किया या जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। राजस्थान की विधान सभा में मंत्रिमंडल के उम्मीदवार से बात करा दें उनमें दो-चार का नंबर आयेगा लेकिन राजस्थान की सड़कों पर राजस्थान की जनता इस बजट के खिलाफ आंदोलन करेगी और एक प्रकार का आंदोलन करेगी कि जिससे हड़प्पा मोहन जोदड़ो से निकाली गयी सरकार टिक नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पायेगी। इस प्रकार का सारा कार्य हो रहा है।

इन शब्दों के साथ सरकार को तीन बातें कहते हुए समाप्त करता हूं। केन्द्र से अपना पूरा हिस्सा लेने में असमर्थ रही, केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की हर क्षेत्र में उपेक्षा की, राजस्थान की सरकार इस साल कोई भी विकास का काम नहीं करना चाहती। सिर्फ इन्होंने अपने घाटे को पूरा करने के लिये जिस प्रकार से टैक्स लगाये हैं उससे उद्योग और कृषि का विनाश होगा और इन्दिरा गांधी नहर योजना का जिस प्रकार से काम अभी उलझाया जा रहा है कि इधर के लिये उधार नहीं मिले सारा राजस्थान इस प्रकार से असमंजस की स्थिति में खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कर भार बढ़ाये हैं बिजली पर विशेष रूप से और अन्य पर उनको वापस लें। राजस्थान में स्कूल भी खोलें, औषधालय भी खोलें और जो विकास की गति चल रही थी राजस्थान में उस विकास की गति को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करें।

इन्हीं शब्दों के साथ ऐसा विकासहीन प्रतिगामी बजट जो माननीय जोशी जी ने प्रस्तुत किया है उसकी मैं घोर शब्दों में निन्दा करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज जी।

श्री बी. डी. कल्ला : विपक्ष के ये तीसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। हां। पक्ष के माननीय सदस्यों को समय नहीं मिला है। विपक्ष के दो माननीय सदस्य बोलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : जनता पार्टी के प्रथम हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : जनता पार्टी के प्रथम होंगे, मुझे एतराज नहीं है लेकिन हां पक्ष के सदस्य को बोलने की अनुमति दीजिये....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस बात पर ताली बजायें क्या ?

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो बिजली पर कर बढ़े हैं यह सिर्फ मजदूरों और जमींदारों के लिए हैं। जो फैक्ट्रियों पर लगेगा वह भी मजदूरों और किसानों पर लगेगा और इस बजट से गरीब आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। उसके कारण हैं, जो भी चीज फैक्ट्री में बनेगी वह मंहगी होगी, जो लघु उद्योग हैं उनकी चीजें भी मंहगी होगी।

(व्यवधान)

मैं शुरू में ही माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जातपांत और पार्टी से ऊंचे उठकर देश के हित में, जनता के हित में जब तक काम नहीं होगा देश की भलाई नहीं होगी। अगर इस तरह से पार्टी बाजी से भेदभाव चलता रहा तो कभी जनता को सुख नहीं होगा। इसलिए कमेटी बनाकर, गांव गांव में कमेटी भेजकर जायजा लिया जाय। जब दरिया में पानी नहीं तो नहरों में पानी कहां से आयेगा। आज अकालग्रस्त घोषित करने में नहरों के एरिया को शामिल

(श्री हंसराज मिढा)

नहीं किया जाता है। वहां पर पानी नहीं है, फसल नहीं है, चारा नहीं है, अन्न नहीं है, तो भी उसको अकालग्रस्त घोषित न करने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। बारानी क्षेत्र को तो पहले से ही अकालग्रस्त घोषित किया हुआ है फिर भी वहां अकाल राहत कार्य नहीं खुल रहे हैं। वहां पर जल्दी से जल्दी शुरू करें। जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर पानी पहुंचना चाहिए।

इसके बाद शिक्षा के बारे में, मान्यवर, निवेदन है कि यह एम. ए. बी. ए. की डिग्रियों से तो देश में, चाहे राजस्थान हो या चाहे केन्द्र हो, यह बेकारी रहेगी, इसमें तब्दीली करनी चाहिए। मिडिल क्लास पास करने के बाद चाहे लड़कियों का स्कूल हो, चाहे लड़कों का स्कूल हो उनमें वर्कशाप हो। लड़कियों के स्कूल में बुनाई सिलाई कढ़ाई की मशीनें पड़ी हुयी हो ताकि मिडिल के बाद लड़की ट्रेनिंग प्राप्त करे। बी. ए., एम. ए. पास करे तो अपने घर के ऊपर बोझ नहीं बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, न सरकार पर बोझ हो न अपने मां बाप पर बोझ हो। इस तरह की डिग्रीयां बांटने से कोई लाभ नहीं है। इन्टरव्यू जब देने जाता है तो उसको अपनी जमीन और मकान बेचने पड़ते हैं उसके बाद वह कोई सही काम कभी नहीं कर सकता है। देश के हित में और राज्य के हित में सही काम नहीं कर सकता है। आप इस बात को नोट कर लें कि यह डिग्रियां हाथ में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। बच्चा जब मिडिल पास कर ले तो उसको वर्कशाप में लगा दिया जाय ताकि वह वहां पर कार्य करके इंजीनियरिंग का या और कोई सामान तैयार कर सके जिसको बाहर भेजा जा सके। इन्डस्ट्रीज लगायें तो ऐसी लगायें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। जहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, कोटा है, गंगानगर है, वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जायं। पंजाब, हरियाणा में बाग लगे हुए हैं, उनमें सब्सिडी दी जाती है और जितना भी फ्रूट पैदा होता है, एक्सपोर्ट करते हैं जिससे सबसे ज्यादा धन पैदा होता है। हमारे यहां पर भी जितने भी बाग लगें उसके अन्दर सहायता दें, गवर्नमेंट एड दें, सब तरह की सहूलियत दें ताकि यहां पर भी बाग लग सकें और उस जमीन में जो फल पैदा होंगे उससे विदेशी मुद्रा आयेगी। उससे देश को भी फायदा होगा। उसके बाद जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है, दो सौ ढाई सौ बच्चों को प्राइमरी शिक्षा नहीं मिलती है, वहां पर वे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और कोई तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए हर एक गांव का जायजा लिया जाय जिसमें सारी पार्टियों के मेम्बर हों वह यह न सोचें कि किस पार्टी का क्षेत्र है, बल्कि यह देखें कि पानी पीने का है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, सड़क है या नहीं है, वह सारी जांच रिपोर्ट लेकर आपको दी जाय और मुख्य मंत्री महोदय को पार्टी से और जातिपांत से ऊंचे उठकर हर गांव के साथ और हर आदमी के साथ न्याय करना चाहिए।

खालों के बारे में मिर्च, हल्दी धनिया जीरा में मिलावट होती है तो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो उनका पता चल जाता है, तो क्या कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जहां पर रेत और सीमेंट की जांच की जाती हो और लेबोरेटरी में पास करके जिन लोगों ने गलत काम किये हैं उनको सजा

(श्री हंसराज मिढा)

दी जायेगी। सी. ए. डी. के तहत एक प्रश्न रखता हूं कि कितना एरिया पहले कमाण्ड एरिया था और सी. ए. डी. के पश्चात कितना अनकमाण्ड हो गया। पहले जो एरिया कमाण्ड एरिया था फिर जमींदार से कहा जाता है कि तेरा एरिया अनकमाण्ड हो गया। अनकमाण्ड से क्या होता है कि उसको पानी नहीं मिलता है। एक साल की टेम्प्रेरी मजदूरी दी जाती है, हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं और उसके बाद वह बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है।

शिक्षा–गर्ल्स स्कूल जहां हैं वह अलग क्यों नहीं किये जायं। अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो वहां पर रोज लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं इसलिये गर्ल्स स्कूल अलग किये जायं। क्या फर्क पड़ता है? शिक्षा भी अलग से दी जायेगी लड़कियों के लिये जो शिक्षा दी जाती है उसमें यह हो कि वह विवाह के बाद 100 रु० रोजाना की आमदनी कर सके ऐसे काम की फैक्ट्री में उसको लगाना चाहिए जैसे स्वेटर की है। तो हर एक लड़की दो स्वेटर रोज बना ले और इससे वह 100) रु० रोजाना कमा सकती थी।

बिजली के बारे में कहा जाता है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सदस्य को और मौका देना चाहता हूं····

श्री हंसराज मिढा : अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, पांच हजार की आबादी पर आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है उसकी कमेटी बैठाकर जांच की जाय कि हर जगह पर डिस्पेंसरी और स्कूल और सड़क होनी चाहिए। नहरी महकमे में एक पटवारी गिरदावरी की स्लिप नहीं देता है, न मांग पत्र देता है और उसके पानी की बारी काट दी जाती है। अब पानी की मंजूरी तो एक्स. ई. एन. देता है परन्तु पानी की बारी के लिए इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। मेरे ख्याल में इन सब जगह जमींदार पहुंच नहीं सकता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जमीनों के अलाटमेंट में जिनका हक पहले था उनको नहीं दिया गया है। ई वालों को नहीं दिया गया है और एफ और जी वालों को दे दिया गया है। आज वे अधिकारी करोड़पति बने हुए हैं, महल बना रखे हैं। मैं इसको साबित कर सकता हूं अगर इसकी जांच करें।

पंजाब और हरियाणा में इन्डस्ट्रीज लगायी जाती है और कोई जमींदार लगाता है तो उससे कोई फीस वसूल नहीं करते है। इसका क्या फायदा होता है? यह फायदा होता है कि हर जगह इण्डस्ट्री लग जाती है। हमारे राजस्थान के मजदूर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में मजदूरी करने जाते हैं। अगर अपनी स्टेट में ही ज्यादा इण्डस्ट्रीज लग जायं तो अपने मजदूर यहां पर काम कर सकते हैं और उनको दर-दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें। मैंने सहयोग किया है. आप भी सहयोग कीजिए।

श्री हंसराज मिढा : यूरिया खाद के बारे में जिप्सम, अनूपगढ़ तहसील में निकलती है और बाहर जाकर खाद बनकर वापस यहां पर आकर बिकती है, इससे

(श्री हंसराज मिढा)

देश का कितना धन बर्बाद होता है। यहां पर ही खाद का कारखाना होना चाहिए जिससे देश की रकम बर्बाद नहीं होगी। शुगर मिल और खाण्डसारी. अगर गन्ना ज्यादा पैदा होता है तो किसानों को चारा बहुत मिलता है। वन विभाग में भ्रष्टाचार है, मजदूर को पैसा नहीं देते हैं। अब आपके आदेश की पालना करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल

(अनुपस्थित)

श्री सुजान सिंह

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 2 जुलाई, 1985 को वित्त मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री जी ने जो बजट विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में मैं चन्द मिनटों में अपने विचार रखना चाहता हूं।

यह बजट जो रखा गया है मैं इस बजट को केवल 1985-86 का बजट कहूंगा इन शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो हमारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो माननीय सदस्य विराजे हुए हैं उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वाद विवाद का जो समय चलता रहता है उसमें टोका टाकी नहीं होगी। हर एक सदस्य उसमें अपने विचार रखना चाहता है अपने अन्त: करण की बात रखना चाहता है। मैं माननीय सदस्यों से सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस विधान सभा में अपने विचार रखें उनको ध्यान से सुनें और उन विचारों पर मनन करें।

अब मैं इस बजट पर अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं।

ज्ञान और विकास का, उपाध्यक्ष महोदय, कोई अन्त नहीं होता है, ज्ञान और विकास की जो परिभाषा है उसके अनुसार इनका कोई अन्त नहीं है। आज हमारे राजस्थान को तीन भागों में बांटा जाता है–पठारी, मरुस्थलीय और मैदानी इलाका। हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और अन्य प्रान्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की है। आज हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान के नक्शे में उभर कर आ रहा है। हमारा राजस्थान आज एक ऊंचाई पर चढ़ रहा है। इसको मैं इन शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखा है वह विकासात्मक बजट है, गरीबों का बजट है, अनुसूचित जाति का बजट है, यानि देश के विकास के लिए चहुंमुखी विकास के लिए बजट रखा है। इसके मुतल्लिक मैं सभी विभागों के बारे में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे राजस्थान में जितने विकास के कार्य हुए हैं, शिक्षा की दृष्टि से सन् 1952-53 में जब मैं पढ़ता था उस वक्त मेरे इलाके में केवल एक हाई स्कूल था आज इस इलाके की मैं बात करता हूं, आज मेरे इलाके में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, 27-28 माध्यमिक विद्यालय हैं। कोई भी ढाणी जिसमें 200 की आबादी है, उसमें प्राइमरी स्कूल हैं....

श्री शोपतसिंह : टेलीविजन पहुंचा या नहीं ?

श्री सुजानसिंह यादव : आप, माननीय सदस्य मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है बीच में टोका-टोकी नहीं करें। जब आपका समय आये, आप मेरी बात नोट कर लीजिये, तब आप बोलें । मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं ।

शिक्षा की दृष्टि से आज मैं आपके सामने यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी विकास नहीं हुआ । आज दिनों दिन हम प्रगति पर हैं और आज मैंने मुख्य मंत्री महोदय से भी यही निवेदन किया था और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4–5 साल में जितनी शिक्षा जगत में प्रगति हुई है उसको और सुधार किया जाय । सुधार के लिये मैंने सुझाव रखे कि कहीं हाई स्कूल खुले है, कहीं उच्च प्राथमिक स्कूल खुले है, कहीं प्राइमरी विद्यालय खुले हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, माध्यमिक विद्यालय खुले हैं उनमें अध्यापकों की नितान्त आवश्यकता है । आज बच्चों के बैठने के लिये कहीं मकान नहीं है, न टाट पट्टियां हैं, न पानी की कोई व्यवस्था है, न अध्यापकों की व्यवस्था है । नये नये सब्जेक्ट्स खुले है, तो मैंने यही निवेदन किया कि इस वर्ष, यह जो 1985-86 का बजट है, यह तो मैं अपने शब्दों में सुधार का ही बजट कहूंगा । मंत्री महोदय ने जो यह बजट रखा वह सुधार का बजट है। इसलिये में चाहता हूं कि स्कूलों की हालत सुधरे । विषय तो खोल दिये, पिछले 12 महीनों में, गत वर्ष से कोई अध्यापक किसी सब्जेक्ट का नहीं है । इसलिये स्कूलों की हालत खराब हो रही है। इसलिये मुख्य मंत्री महोदय ने यह प्रोविजन रखा है कि 6 हजार अध्यापक इस वर्ष लगाये जायेंगे, विभिन्न विभिन्न विषयों के लगाये जायेंगे । हर जिले में बेरोजगारी की एक बड़ी भारी समस्या है, 6 हजार अध्यापक हमारे प्रदेश में लगेंगे, जो नवयुवक हैं, जो ओवरऐज होने जा रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, हरेक स्कूल में अध्यापक मिलेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई बढ़िया होगी । इस उद्देश्य से मैं यह कहूंगा शिक्षा जगत में मंत्री महोदय का एक साहसिक कदम है । और मैं यही कहूंगा कि इस साल कोई विद्यालय नहीं खोले जायं, कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं खोले जायं लेकिन उनमें सुधार किया जाय । जो पिछली हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारा जाय, तो बहुत बढ़िया रहेगा ।

अब आपके सामने जो समस्या है, उस समस्या के बारे में यही कहना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी समस्या है और इस सम्बन्ध में पहले भी मेरे माननीय सदस्यों ने आपको अवगत कराया था कि जो अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा नाम की जो संस्थायें चल रही हैं, मैंने तो मेरे 5 साल के समय में मेरे इलाके में कहीं काम करती देखी नहीं । यह एक व्यर्थ का भार है । यह हमारे बजट पर व्यर्थ का भार है इसलिये इस भार को समाप्त किया जाय । इस बात को मैं अपने शब्दों में यह कहूंगा कि यह व्यर्थ का खर्चा है राज्य सरकार पर इसलिये इन संस्थाओं को बन्द किया जाय । अलग से इनका डाइरेक्टरेट है, अलग से शिक्षा अधिकारी है, इनका कहीं अतापता नहीं है ।

(श्री सुजानसिंह यादव)

कहीं ये पढ़ाने वाले नहीं है, लोग घर बैठे हुये तनख्वायें लेते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यर्थ का भार है इसको शिक्षा जगत से हटाया जाय।

तीसरा, मैं सिंचाई के मामले में कहना चाहता हूं कि आज हमारा पूर्वी राजस्थान सिंचाई में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अलग अलग तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के मामले में हमारे अलवर स्टेट में जो बांध थे वह आज क्षति ग्रस्त हैं, आज उनमें पानी नहीं आता है, सिंचाई होती नहीं, रख-रखाव ठीक नहीं, नालियां ठीक नहीं है। इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष तो जो भी इस मद में पैसा हो इनके रख-रखाव पर लगाया जाय और इनका सुधार किया जाय। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज यह भली प्रकार जानते हैं वर्षा का औसत हिन्दुस्तान में धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। हर एक प्रान्त में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में जो पानी की कमी है वह इसी कारण से है। ईसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे बांध या एनीकट्स बनाये जायं, इन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाय, जिससे किसानों का भला हो सके। किसानों की भलाई हो सके, जल स्तर ऊंचा हो सके, पानी की एक एक बून्द खराब नहीं जाय। इस मद में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाय जिससे किसान का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भला हो सके।

तीसरा, सिचाई की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में बहुत से प्रोविजन रखे हैं। मैं आकड़ों के चक्कर में नहीं जाना चाहता, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, आंकड़े तो बजट पर सभी महानुभावों ने प्रस्तुत किये हैं, सभी सदस्यों ने पढ़े होंगे। इन आंकड़ों में न जाकर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा एनीकट्स बनाये जायं, तालाबों की मरम्मत कराई जाय और जो नालियां हैं और टूटीफूटी नहरों का सुधार किया जाय जिससे इस देश का, किसान का भला हो सके यही मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में अधिक से बातें जब की जायेंगी, तब ही मेरे इलाके की बातें बताऊंगा, अर्ज करूंगा, उस वक्त जब अन्य कोई मौका आयेगा।

अब मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता, एक बहुत बढ़िया आन्दोलन था, हमारे गरीबों का आन्दोलन था। आज कुछ चन्द लोग, कुछ स्वार्थी लोग इस सहकारिता आन्दोलन में घुस गये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियां, जो गरीबों की सहकारी समितियां थीं, किसान को सस्ते ब्याज पर पैसा मिलता था, धनिक लोगों से छुटकारा मिल रहा था। आज हमारे इन स्वार्थी लोगों ने, हमारे इन साथियों ने इसमें घुस कर किसानों को समाप्त कर दिया है। इस समय मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो भ्रष्टचारी अफसर हैं, राज्य कर्मचारी हैं, हमारी सोसाइटियों के सदस्य..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (सरकारी मुख्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन का समय 15 मिनट के लिये और बढ़ाया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय है ?

श्री दिग्विजय सिंह : इनका भाषण समाप्त हो जब तक।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा अतः 15 मिनट लग जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति है। 15 मिनट का समय बढ़ाया गया।

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुजान सिंह यादव : सहकारिता के विषय में यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाय और सहकारिता आन्दोलन में जो अन्याय हो रहा है, एक ही कुटुम्ब की सहकारी समिति बनाई जाती हैं तमाम पैसा वे ही ले लेते है, लोगों के झूठे अंगूठे लगाकर पैसे ले लेते हैं। इसलिये सहकारिता का जो आन्दोलन है वह प्रायः समाप्त होता जा रहा है। इसमें सुधार किया जाय, इसमें कुछ अपने विचार रखे जायं। आज सहकारिता पर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वह व्यर्थ का खर्चा हो रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाय। इनकी छानबीन की जाय, आडिट किये जायं कि किस सोसाइटी में कितना गबन है, गबन पाया जाय तो उनको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय।

अब मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जो हमारा राजस्थान है, पिछड़ेपन के लिये जो लोग कहते थे, विद्युत के विषय में मैं कहना चाहता हूं। विद्युत का विस्तार हुआ आज, पहले जब हमारा राजस्थान बना उस समय कुछ चन्द घरों में या राज घरानों में बिजली दिखाई देती थी। आज हमारा जो राजस्थान है वह विद्युत के मामले में स्वावलम्बी स्टेट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो क्षेत्र है वह हरियाणा से लगा हुआ है। हरियाणा प्रान्त ने एक ऐसी गलती की है कि उन्होंने हर एक गांव में बिजली लगाई, हर एक गांव में कनेक्शन्स दिये, लोगों को कनेक्शन्स दिये लेकिन इस साल हरियाणा में वह हालत हुई कि बिजली नहीं मिलने की वजह से किसान के खेत सूख गये। किसान इधर उधर तड़फ तड़फ करके भागने लगे, राजस्थान की तरफ भगने लगे। आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष बिजली के सम्बन्ध में किसान के हिसाब से बहुत ही अच्छा वर्ष था। 8–10 घण्टे हमको बिजली मिली। बिजली की अच्छी उपलब्धि रही इसलिये किसान की हालत हमारे इलाके में सुधारी। मेरे पड़ौस का जो हरियाणा का इलाका है, हरियाणा के इलाके में आज त्राहि त्राहि मच रही है। न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई बिजली की व्यवस्था है। बिजली आती है तो 2 घण्टे आती है और नहीं आती है तो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती है। आज हमारा राजस्थान हरियाणा प्रान्त से आगे है, अग्रेत्तर बढ़ा हुआ है।

(श्री सुजानसिंह यादव)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के मामले में ज्यादा पैसे खर्च किये जाय। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ज्यादा से ज्यादा पैसे बिजली के मद में रखे हैं। आज बिजली के विस्तार में उन्होंने एक हजार गांवों को बिजली देने का वायदा किया है। एक हजार हरिजन बस्तियों को बिजली देने का वायदा किया है। यह बहुत अच्छा कदम है। और 10 हजार कुओं पर बिजली विस्तार का प्रावधान रखा है। मैं इस बजट को बिजली के हिसाब से अच्छा समझता हूं। और कई साधन जुटाने के लिये, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा तापीय बिजली घर ये तीन ही साधन हैं। आइ.ए.पी.पी. है वह हमारे नियंत्रण में नहीं, सेन्टर में है, सेन्टर के अधीन है। इसलिये हमें जब कभी बिजली की कमी पड़ती है तब हमें मध्य-प्रदेश से लेनी पड़ती है, कभी हमको हरियाणा से लेनी पड़ती है, कभी हमें हिमाचल प्रदेश से लेनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारा प्रदेश बिजली के मामले में स्वावलम्बी दिनों दिन होता चला जा रहा है, अधिक से अधिक प्रगति होती जा रही है। इस मद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान रखा है वह कम है, और ज्यादा रखा जाय। इससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले। किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिली। इसी कारण से हमारे प्रदेश की प्रगति हुई। आज हमारे पास सरप्लस खाद्यान्न का भण्डार है। यही निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर हम लोगों को बिजली मिलेगी तो हमारे प्रदेश और देश का विकास होगा, हमारे देश में अनाज सरप्लस होगा हमारे देश की तरक्की होगी।

जब तक किसानों की तरक्की नहीं होगी तब तक हमारे देश की तरक्की होना असम्भव है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को उपलब्ध करायी जानी चाहिये। एक बात और, मुझे बड़ा भारी खेद है जो बिजली की दर बढ़ाई वह किसानों के हित में नहीं है, किसान विरोधी है। दूसरे शब्दों में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के खर्च में भी पहले से ड्योढ़ी बढ़ोतरी हो गई है इसलिए मैं मुख्य मन्त्रीजी की भावना से सहमत हूं कि उन्होंने थोड़े जो पैसे बढ़ाये हैं उससे कोई विरोध नहीं है। इससे विकास होगा, बिजली का विस्तार होगा, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का जो प्रावधान किया है, खर्चा इसमें ज्यादा रखा है, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बिजली पर ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखा जाय धन का, जिससे कि बिजली का विस्तार हो, किसानों की बेहबूदी का यही एक अंग है, इसलिए मैं ज्यादा न कहकर, ज्यादा टाइम नहीं लेकर, उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे ख्याल से, बात को सुन रहे होंगे, ज्यादा टाइम ले रहा हूं और मुझे लास्ट टाइम मिला है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट विकास का बजट है। मुख्य मन्त्रीजी ने साहसी कदम रखे हैं, इसमें कुछ करों में छूट दी है। मैं यह भी समझता हूं कि जो चूड़ी और प्लास्टिक की चूड़ियों को उन्होंने कर मुक्त किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सभी जानते हैं कि...

(श्री सुजानसिंह यादव)

(व्यवधान)

स्वागत करता हूं। कर मुक्त किया है। मुख्य मन्त्रीजी ने महिलाओं की जो हमारे देश में इज्जत है उस इज्जत को उन्होंने बरकरार रखा है। हमारे देश में महिलाओं का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसलिए उन्होंने कर मुक्त करके उनकी इज्जत को बढ़ोतरी दी है। दूसरी साइकिल के पुर्जे, उनके टायर, उनके रखरखाव के मामले में जो बजट पर कटौती की है यह भी उनका एक कल्याणकारी कदम है। गरीबों की एक ही सवारी है। साइकिल, उस पर उन्होंने जो कटौती की है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और ज्यादा न कहकर, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्वाइन्ट आफ आर्डर।

आज की कार्यसूची में आपने इस कार्य को नहीं रखा है और वितरित भी नहीं कराया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति से प्रस्तुत कर रहे हैं, आसन की अनुमति है।

(व्यवधान)

अनुमति दी गई।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है कि वह प्रतिवेदन क्या है जब तक वितरित नहीं होगा, तब तक क्या है क्या नहीं है?

श्री बुलाकी दास कल्ला : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इसकी मीटिंग हुई है, तीन बजे शुरू हुई थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पूरा पढ़ रहा हूं मैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा यह निवेदन है कि जब तक हमको वितरित नहीं होगा तब तक हम समझेंगे कैसे कि क्या लाये हैं। क्या नहीं है, क्या है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी तो शुरू हुई थी, तीन बजे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपास्थापन करता हूं। समिति का प्रतिवेदन इस प्रकार है—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 1985 को मध्यान्ह पश्चात् तीन बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में हुई। समिति ने दिनांक 4 जुलाई से 30 जुलाई, 1985 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि उक्त कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय :—

गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई, 1985	परिवर्तित आय-व्ययक 1985–86 पर
शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई, 1985	सामान्य वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 6 जुलाई, 1985 व रविवार, दिनांक 7 जुलाई, 1985 को बैठक नहीं होगी।	
सोमवार दिनांक 8 जुलाई 1985	परिवर्तित आय-व्ययक 1985–86 पर सामान्य वाद-विवाद और सायं 4.00 बजे सरकार की ओर से उत्तर
मंगलवार दिनांक 9 जुलाई, 1985	परिवर्तित आय-व्ययक 1985–86
बुधवार दिनांक 10 जुलाई, 1985	की मांगों पर विचार और उनका
गुरुवार दिनांक 11 जुलाई, 1985	पारण
शुक्रवार दिनांक 12 जुलाई, 1985	
सोमवार दिनांक 15 जुलाई, 1985	परिवर्तित आय-व्ययक 1985-86 की मांगों पर विचार एवं उनका पारण।
मंगलवार दिनांक 16 जुलाई, 1985	
बुधवार दिनांक 17 जुलाई, 1985	
गुरुवार दिनांक 18 जुलाई, 1985	
शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई, 1985	
सोमवार दिनांक 22 जुलाई, 1985	परिवर्तित आय-व्ययक 1985-86 की मांगों पर विचार और उनका पारण।
मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 1985	
बुधवार दिनांक 24 जुलाई, 1985	आय व्ययक 1985-86 की मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार और उसका पारण।
गुरुवार दिनांक 25 जुलाई, 1985	
शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई, 1885	1. राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 2. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1985 पर विचार और उनका पारण

(154)

सोमवार दिनांक 29 जुलाई, 1985

1. राजस्थान ग्राबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

2. राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन), विधेयक 1985

3. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1985 पर विचार और उनका पारण

मंगलवार दिनांक 30 जुलाई, 1985 गैर सरकारी सदस्य कार्य।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

परिवर्तित प्राय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रघुनाथ परिहार

श्री रघुनाथ परिहार (वाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल सदन में इस वित्तीय वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुकूल हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने राजस्थान की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और आय के स्रोतों को मद्दे नजर रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है, वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं।

मैं बजट में बताये गये कुछ मुद्दों की समीक्षा करते हुए निवेदन करूंगा कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमि हीन गारंटी रोजगार योजना, के अन्तर्गत 19.31 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के जो अनेक कार्य हुए हैं वे वास्तव में सराहनीय हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए यह जो प्रावधान रखा गया है उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कड़ी आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार जनता पार्टी ने काम के बदले अनाज योजना में ऐसे कार्य शुरू कराये थे मगर उस कार्य की क्या दुर्गति हुई हमारे सरकार के जो अनाज के भण्डार थे यह किस प्रकार खाली हो गये और जो चालू किये गये कार्य वह इस स्थिति में रहे कि हमारी जो नई योजना एन. आर. ई. पी. की और आर. एल. जी. पी. की चालू हुई उससे वह कार्य हमने पूरा किया है। जनता पार्टी की सरकार ने हमारी आर्थिक स्थिति को जिस प्रकार उस रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया कि हमारे अनाज के भण्डार के साथ ही सोने के जो अतुल भण्डार थे, हमारे देश की महिलाओं ने, बहिनों ने कन्यादान में प्राप्त सोना, मंगलसूत्र का सोना जो देश की रक्षा के लिये दान में दिया था, देश की सहायता के लिए दिया था वह भी उन्होंने चन्द धनी लोगों को, इने गिने लोगों को,

(श्री रघुनाथ परिहार)

केवल साढे सात सौ रुपये तोला में विक्रय कर दिया। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इस बदतर हालत की ओर चली गई इसके लिये वह जनता पार्टी ही हमारे को इस स्थिति में लाने के लिए उत्तरदायी है।

हमारे देश की आर्थिक स्थिति यह हुई है। गत पांच वर्षों में से राजस्थान के अन्दर तीन साल तक बराबर अकाल रहा और 1984 में भी हमारे राजस्थान के कई जगह पर बहुत कम बारिस हुई। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में आधे से अधिक जिलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है। जब हमारे प्रदेश की यह हालत है, हमारे यहां पर राजस्व की वसूलियां बन्द हैं, हमारी सहकारी समितियों की वसूलियां बन्द हैं और काफी लम्बे समय से हमारी पंचायत समितियों की आमदनी, जो हमने पंचायतों में कर लगाये थे वह भी वसूल नहीं हो पा रहे हैं ऐसी स्थिति में एक सन्तुलित बजट जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने रखा है। हमने जो वायदे चुनावों में किये थे उसके अनुकूल ही हमारी चुनाव घोषणाओं के अनुकूल है कि हम पिछड़े वर्ग का उत्थान करेंगे, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का उत्थान करेंगे और हमारे यहां के पिछड़े इलाके का विकास करेंगे, उनके लिये योजनायें बनायेंगे, उसके अनुकूल ही बजट प्रस्तुत किया गया है। यह वास्तव में एक सराहनीय बजट है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे यहां की रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि एन. आर. ई. पी. की योजनाओं के अन्तर्गत जो योजनायें रखी जाती हैं उसमें 60 और 40 प्रतिशत का रेश्यो रखने का प्रावधान रखा गया है जबकि सामग्री की कीमतें सीमेन्ट की हों चाहे पत्थर की हों, या चूने की हों उनकी कीमतें बढ़ गयी हैं और सभी इमारती सामान की कीमतें बढ़ गयी हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह वास्तव रेश्यो सामग्री 50 प्रतिशत होना चाहिये। 50 प्रतिशत मजदूरी का रखा जाना चाहिये। नहीं तो होता क्या है कि ठेके में काम होता है और जिस प्रकार से विभागीय काम होते हैं जो टेन्डर लेकर काम होते हैं उसमें कई भवन ढह जाते हैं कुछ ही दिनों में। आज पंचायत समितियों के द्वारा जो काम कराये जाते हैं, उनके माध्यम से जो कार्य कराये जा रहे हैं वह ठीक होते हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं गत तीन वर्षों से पंचायत समिति का प्रधान भी रहा हूं और प्रधान की हैसियत से पंचायत समितियों में कार्य करा रहा हूं। पंचायतों के माध्यम से जो काम होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पंचायत समितियों में तकनीकी सुविधाओं का अभाव है। पंचायत समितियों में जो लेखा शाखा होती है उसमें अधिकतर नियुक्तियां नहीं होती हैं और तकनीकी मापदण्ड पूरा नहीं होने के कारण लोगों के समय पर भुगतान नहीं होते हैं इसलिये कुछ समस्यायें खड़ी हो जाती हैं इसलिये कई बार पंचायत समितियों में काम रुक जाते हैं या अधूरे पड़े रहते हैं तो मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि पंचायत समितियों में स्थायी तकनीकी मापदण्ड की सुविधायें मिलें

(श्री रघुनाथ परिहार)

और वहां पर जो कार्य अधूरे पड़े हैं वह पूरे कराये जाय। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मद में अधिक राशि स्वीकृत करायी जाय ताकि अधूरे कार्य पूरे शीघ्र कराये जा सके। शिक्षा हेतु इस बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान प्राथमिक शालाओं और उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन 50 प्रतिशत जन सहयोग के माध्यम से बनाने के लिये किया गया है उस राशि को और बढ़ाया जाय, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में और विशेष करके मेरे पाली जिले की बात कहना चाहूंगा कि हमार यहां के लोग मद्रास, बम्बई, पूना और गुजरात में व्यापार करते हैं। वह लोग हमारे क्षेत्र में अपनी कमाई का कुछ भाग जन सहयोग के माध्यम से वहां पर दान करना चाहते हैं तो उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उनको आय कर में छूट दी जाय। उनको भूमि उपलब्ध करायी जाय और तकनीकी मार्गदर्शन में सहयोग दिलाया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले में एक ऐसा प्रकोष्ठ कायम किया जाय जो जन सहयोग प्राप्त करे और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे विकास की गति आगे बढ़ें, हमारी योजनायें आगे बढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त करें।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पारण

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रख दिया गया था पर इसके लिये सदन की अनुमति लेने के लिये प्रश्न करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

(व्यवधान)

कृपया समाप्त करें। समय समाप्त हो गया है।

श्री रघुनाथ परिहार : मेरा समय कल सुरक्षित रखा जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है।

श्री रघुनाथ परिहार : मेरा समय सुरक्षित रखें कल के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4 जुलाई, 1985 गुरुवार को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही, म. प. 5.45 बजे गुरुवार दिनांक 4 जुलाई, 1985 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं. 32 की सूची

विभागीय कार्य योजना की राजस्व व व्यय का विवरण

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय
1975-76	296.37	201.09
1976-77	291.28	204.08
1977-78	320.45	222.26
1978-79	356.34	220.14
1979-80	380.56	257.63
1980-81	437.36	311.63
1981-82	498.59	361.70
1982-83	509.83	388.91
1983-84	510.59	357.94
1984-85	514.70	363.84

विभागीय कार्य योजना में विभिन्न वन उपज के उत्पादन वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	जलाऊ लकड़ी की मात्रा (कुन्टल में) (लाखों में)	कोयले की मात्रा (कुन्टल में) (लाखों में)	मानक-बांस (लाखों में)	कत्था (कुन्टल में)
1.	1975-76	4.90	2.12	58.80	1040
2.	1976-77	4.42	2.30	72.81	912
3.	1777-78	4.57	1.85	83.34	1265
4.	1978-79	5.20	1.96	74.33	794

1	2	3	4	5	6
5.	1979-80	5.36	2.06	72.00	1095
6.	1980-81	6.04	1.94	59.66	685
7.	1981-82	5.21	1.95	64.79	586
8.	1982-83	5.90	1.55	60.03	593
9.	1983-84	3.99	1.22	57.84	864
10.	1984-85	8.00	0.50	51.00	412

विदोहन कार्य लकड़ी कोयला योजना में हुआ उसके क्षेत्रफल का विवरण

क्र०सं०	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	1975-76	8,831
2.	1976-77	8,097
3.	1977-78	10,774
4.	1978-79	10,119
5.	1979-80	9,902
6.	1980-81	9,530
7.	1981-82	8,601
8.	1982-83	8,656
9.	1983-84	5,838
10.	1984-85	6,500

विभागीय कार्य योजना द्वारा रोपित पौधों की संख्या का विवरण वर्षवार

क्र०सं०	वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या
1.	1975-76	96,400
2.	1976-77	1,31,470
3.	1977-78	3,45,600
4.	1978-79	3,73,900
5.	1979-80	5,07,000

1	2	3
6.	1980-81	3,53,000
7.	1981-82	3,90,000
8.	1982-83	4,01,000
9.	1983-84	5,03,000
10.	1984-85	5,02,500

• विभागीय कार्य योजना में कार्यरत विक्रय केन्द्रों का विवरण

क्र०सं०	नाम जिला	नाम विक्रय केन्द्र
1.	कोटा	कोटा
2.	कोटा	बांरा
3.	बून्दी	बून्दी
4.	झालावाड़	झालारापाटन
5.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
6.	,,	परतापुर
7.	,,	सज्जनगढ़
8.	,,	गनोडा
9.	,,	कुशलगढ़
10.	,,	तलवाड़ा
11.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
12.	,,	सागवाड़ा
13.	,,	आसपुर
14.	,,	गलियाकोट
15.	जयपुर	जयपुर
16.	गंगानगर	हनुमानगढ़
17.	भरतपुर	भरतपुर
18.	धौलपुर	धौलपुर
19.	सवाई माधोपुर	गंगापुर
20.	,, ,,	करौली
21.	,, ,,	सवाई माधोपुर

क्र०सं०	नाम जिला	नाम विक्रय केन्द्र
22.	उदयपुर	उदयपुर (गुलाब बाग)
23.	,,	उदयपुर (गोवर्धन विलास)
24.	,,	खेरवाड़ा
25.	जोधपुर	जोधपुर
26.	पाली	पाली
27.	सिरोही	पिण्डवाड़ा
28.	,,	सिरोही
29.	,,	आबूपर्वत
30.	,,	स्वरूपगंज
31.	,,	भीमाना
32.	चित्तौड़गढ़	बान्सी
33.	,,	प्रतापगढ़
34.	चित्तौडगढ़	चित्तौडगढ़
35.	अजमेर	अजमेर
36.	,,	नसीराबाद
37.	टौंक	टौंक

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं. 39 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुए/ट्यूब वैल जिनकी धनराशि माह मार्च, 85 तक जमा कराई गई एवं कनेक्शन दिये कि सूची।

क्र. सं.	गांव/कुए/ट्यूबवेल का नाम	जमा कराई गई धन राशि	कनेक्शन देने की तारीख
1	2	3	4
	वर्ष 1982–83		
1.	पांचू ट्यूब वेल नं.—1	22650	25.12.82
2.	नोखा ट्यूबवेल नं.—5	25350	17.12.82
3.	चरखड़ा	33125	15.4.83
4.	गाडवाला	181000	24.1.83
5.	उरमल डेयरी के पास	59901	11.2.83
6.	मुक्ता प्रसाद नगर ट्यूबवेल नं. 2	8800	20.6.84
7.	जोड बीड	121400	14.11.83
8.	श्री रामसर	59367	3.6.82
9.	बिछवाल	473	24.9.82
10.	जयनारायण कालोनी	80150	20.6.84
11.	गौरीसर	80150	10.6.83
12.	कालू	37549	अप्रेल, 85
13.	लूणकरणसर हैड	7233	मार्च, 83
14.	लूणकरणसर	2943	अप्रेल, 83
15.	किरतासर	931	7.6.83
16.	दन्तौर	97860	16 मार्च, 85
17.	हिंमतासर रायसर	1162	12.4.83
18.	हियांदेसर	950	26.5.84
19.	लाडेरा	66557	27.9.82
20.	घट	10496	27.4.83

162

1 2	3	4
21. सिल्वा	28668	30.9.82
22. उदेसिया	43532	20.10.82
23. केला	32392	20.7.84
24. स्पेरा	2947	22.6.83
25. गजरूपदेसर	903	17.4.82
26. केडली	960	19.4 82
27. कक्कू	1370	13.7.82
28. दावा	983	21.7.82
29. साईसर	960	21.7.82
30. खुरडी	56646	3.5.83
वर्ष 1983–84		
31. जसरासर	29850	12.4.83
32. मूलवास	27870	21.6.84
33. खुम्बासरिया	6492	30.9.83
34. घरनोक	59035	16.7.83
35. सरह पांचू	29843	30.9.83
36. पनपालसर	10000	26.5.84
37. हुंदा	33080	21.8.84
38. पम्प हाउस नोखा	30750	18.6.84
39. सियांना बूस्टर		10.1.85
40. खाकूसर	113290	10.1.85
41. किनकिया की बस्ती		20.4.85
42. राजेरा	14950	29.12.83
43. जयसिंह देसर	34500	20.6.84
44. जयसिंह देसर	300	21.7.84
45. मानीपुरा	392	16.3.84

1 2	3	4
46. बम्बलू	16343	8.5.84
47. बरसिंहसर	35614	31.12.84
48. कावनी	405	4.2.84
49. साधूना	804	15.5.83
50. नाथूसर	663	6.4.84
51. कपूरी सर	6430	25.4.82
52. राजपुरा हुडान	710	1.11.83
53. रायासर	1725	25.3.84
54. रानीसर	3045	24.3.84
55. खारी	3835	2.2.84
56. लूणकरणसर	4981	1.3.84
वर्ष 1984–85		
57. शेरपुरा	36660	20.5.85
58. नाकूदेसर	2761	30.8.84
59. खारपड़सर	9580	30.8.84
60. चिताना	26728	5.11.84
61. हिमटसर	60500	13.9.84
62. किशनासर	13260	15.4.85
63. ऐज्यूकेशन आफिस के पास	46556	17.5.85
64. करणीसर रानासर	538	5.6.84
65. ढाणी पांडूसर	538	23.5.84
66. मोखा खालसा	750	5.1.85
67. कालू	12700	21.6.85
68. बाडसर	5796	20.6.85
69. उदासर	44771	16.5.58
70. नाईयों की बस्ती (83–84)	16105	जनवरी, 85

(164)

बीकानेर जिले में वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुए/ट्यूबवैल जिनकी धनराशि मार्च, 85 तक जमा कराई गई एवं कनेक्शन देना शेष था जिनकी सूची क मय कारणों के।

क्र. सं. गांव/कुए/ट्यूबवैल का नाम	जमा कराइ गई धन राशि	पैंडिंग रहने का कारण
1. टोकला	380	कार्य पूर्ण है जलदाय विभाग द्वारा मोटर नहीं लगाई गई।
2. सियाणा भाटियान	33310	लाइन कार्य पूर्ण कर दिया गया है व ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चालू है।
3. सरूण्डा	19493	मांग पत्र राशि मार्च, 85 में जमा कराई गयी है एवं एल. फार्म अप्रेल, 85 में दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
4. चांदी	380	करेन्ट ट्रांसफार्मर के टेस्टिग की प्रक्रिया चालू है एवं समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है।
5. भामटसर	29906	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ है।
6. बामनवाली	36381	ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चालू है अन्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
7. खुडाला नल कूप		मांग पत्र का पैसा माह मार्च
8. खुडाला पम्प हाउस	211597	85 में जमा कराया गया
9. खुडाल नल कूप		है। कार्य प्रगति पर है।
10. कक्कू	16731	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ।
11. लुम्बाना मूलवान		मांग पत्र का पैसा मार्च, 85
12. दासौरी	90557	में जमा कराया गया है।
13. चारनवाली (आर. डी.–50)		कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
14.	महाजन	61185	ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अन्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
15.	कागासर (गर्म देसर)	12150	विद्युत सम्बन्ध जारी करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।
16.	भादों की ढाणी	14800	मांग पत्र की राशि मार्च, 85 में जमा करायी गयी है। अन्य कार्य प्रगति पर है।
17.	पांचू	32263	मांग पत्र की राशि फरवरी, 85 में जमा करायी गयी है कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न सं. 40 की सूची

तहसील देसूरी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की सूचना

तहसील देसूरी	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	पूरा होने के बारे में विवरण
(1) कोट एनीकट	एक लाख सत्तावन हजार रु.	अस्सी हजार तीन सौ रु.	एक माह की अवधि में पूर्ण होना सम्भावित है।
(2) लापी एनीकट	तरेसठ हजार रु.	चालीस हजार आठ सौ रु.	"

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न सं. 41 की सूची

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के लक्ष्य/उपलब्धियां एवं प्रतिशत उपलब्धियां

क्र.सं.	जिला	सत्र 1982-83			1983-84			1984-85		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	अजमेर	11400	7389	64.8	14200	7437	52.4	14200	6738	47.5
2-	अलवर	10500	10000	95.2	14300	10827	75.7	14300	7252	50.70
3-	भरतपुर	8300	6443	77.6	10300	9579	93.0	10300	3216	31.2
4-	जयपुर	25700	20826	81.0	33000	19665	59.6	33000	16285	49.1
5-	सीकर	8500	5907	69.5	11200	6900	61.6	11200	5362	47.9
6-	झूंझनूं	7500	6809	90.8	9600	7441	76.7	9780	7851	80.9
7-	टोंक	5100	3879	60.4	7000	3645	51.3	7100	2447	34.5
8-	स.माधोपुर	9300	6642	71.4	12900	7781	60.3	12980	5109	39.6
9-	बीकानेर	6300	4412	70.0	7600	4984	65.6	7600	4131	54.4
10-	श्रीगंगानगर	13200	13647	103.4	17900	16205	90.5	17900	15037	84.0
11-	चूरू	7400	4817	65.1	9800	5437	55.5	9800	5344	54.5

(167)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12–	नागौर	10400	6150	59.1	13300	9511	71.5	13300	6277	47.2
13–	जोधपुर	11200	7896	70.5	15000	6136	40.9	15000	5403	36.0
14–	जालौर	4200	4039	96.2	7100	3554	50.1	7100	2590	36.5
15–	बाड़मेर	3900	2352	60.3	8300	3523	42.4	8300	2158	26.0
16–	जैसलमेर	1100	676	61.5	1900	679	35.7	1900	451	23.7
17–	पाली	7900	5007	63.4	11800	5159	43.7	11800	4775	40.5
18–	सिरोही	3500	2322	66.3	4000	2409	50.2	4800	1633	34.0
19–	कोटा	10200	6475	63.5	14000	7291	48.9	14900	6084	40.8
20–	बूंदी	3900	2804	71.9	5100	2632	51.6	5100	1831	35.9
21–	झालावाड़	4800	3508	75.2	6800	3626	53.3	6800	2367	34.8
22–	उदयपुर	13900	10355	74.5	19400	11701	60.3	19400	8502	43.8
23–	चित्तौड़गढ़	7400	5427	73.3	10400	6043	58.1	10400	4433	42.6
24–	भीलवाड़ा	7800	8383	107.5	10700	7836	73.2	10700	3853	36.8
25–	डूंगरपुर	3400	3440	1.2	5000	5007	100.1	5000	2924	58.5
26–	बांसवाड़ा	4400	5775	131.3	6300	5922	109.9	6300	4985	77.8
27–	धौलपुर	3800	2416	63.6	5200	2427	46.7	5200	1540	29.6
	राजस्थान	215000	167096	77.7	294000	184357	62.7	294000	138418	47.1

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मण्डी यार्ड निर्माण योजनायें

42. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राज्य में मण्डी यार्ड बनाने की क्या योजनायें हैं ? क्या इसका कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम हाट निर्माण योजनायें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी हाटों का निर्माण किया गया है ? कृपया सूची मय नाम व मण्डी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उनियारा मण्डी यार्ड का निर्माण स्वीकृत हो गया है और उसके लिए भूमि का चयन होना है ?

(4) इस हेतु कौन कौन सी भूमि प्रस्तावित है ? विभाग द्वारा कौन से स्थान का चयन किया गया है ? यदि नहीं किया गया तो कब तक किया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि मण्डी यार्ड नहीं होने से इस क्षेत्र व मण्डी को भारी आर्थिक हानि हो रही है ? इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985–86 के लिये आठ मण्डी यार्ड योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं तथा पांच योजनाएं नाबार्ड के विचाराधीन हैं। चार अन्य योजनायें विभाग के विचाराधीन हैं। इनकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य की मण्डियों का कोई मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं किया गया है।

(2) जी हां। अब तक 161 प्राथमिक ग्रामीण मण्डी (ग्रामीण हाट) का निर्माण किया गया है। मण्डी समिति अनुसार ग्रामीण हाटों की सूची परिशिष्ठ "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं, भूमि चयन सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

(4) इसके दो विकल्प हैं—एक उनियारा-टोंक सड़क पर तथा दूसरा उनियारा-सवाई माधोपुर सड़क पर। कौन सी भूमि लेना उपयुक्त होगा इसका अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। मामला विचाराधीन है।

(5) मण्डी नियमन कार्य तथा अन्य वांछित सुविधायें मण्डी समिति द्वारा व्यापार के पारम्परिक स्थानों पर सम्पादित की जा रही हैं। उनियारा मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के उपरान्त मण्डी यार्ड के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

सूची "क"

मण्डी यार्ड योजनाएं (वर्ष 1985–86)

(क)

स्वीकृत मण्डी योजनाएं :

1– चित्तौड़गढ़
2– चिड़ावा
3– झुंझुनू
4– देवगढ़
5– जयपुर अनाज II क्षेत्र
6– रायसिंह नगर
7– चूरू
8– डूंगरगढ़

(ख) नाबार्ड में विचाराधीन योजनाएं :

1– खेडली
2– झालरापाटन
3– सरदारशहर
4– नवलगढ़
5– अजमेर (फल सब्जी)

(ग) विभाग में विचाराधीन योजनाएं :

1– नगर
2– तारा नगर
3– रावतभाटा
4– चौमूं

(परिशिष्ट-ख)

प्राथमिक ग्रामीण मण्डियों की सूची जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति का नाम	क्र. सं. ग्रामीण मण्डी का नाम
1–	कोटा	इटावा	1. पीपल्दा
			2. गेन्ता
			3. खातोली
			4. अपाना
			5. लुआवद
			6. कारवाड़
		सुमेरगंज	7. दीपरी
			8. इन्द्रगढ़
		अन्ता	9. सीसवाली
			10. मांगरोल
			11. बरौद
			12. बुढारीथ
		वांरा	13. रेलावन
			14. किशनगंज
			15. भंवरगढ़
			16. रामगढ़
			16. नाहागढ़
			18. कैलवाड़ा
			19. सिमरानियां
			20. देवरी
			21. कोयला
			22. मोठपुरा
			23. आटोक
			24. कुन्जेड़
			25. वदोरा
			26. वटावर
		कोटा	27. मंडाना
		रामगंजमण्डी	28. मोरक स्टेशन

1	2	3	4	5
			29. खेराखेड़ा	
			30. खेराबाद	
			31. कुम्भकोट	
			32. सुकेत	
		सागोद	33. राजगढ़	
			34. ब्यावरकलां	
			35. कनवास	
			36. दरा	
		छबड़ा	37. हरनावदशाहजी	
			38. बन्जारी	
			39. सारथल	
			40. जयला	
			41. पाली	
			42. मोतियापुर चौकी	
2-	बून्दी	बून्दी	43. खटकड़	
			44. नीमकाखेड़ा	
			45. गुढा	
			46. नैनवा	
			47. दई	
			48. तलवास	
			49. पीपल्या	
			50, करवर	
			51. हिण्डोली	
			52. डबलाना	
			53, ग्रालोद	
		केशवरायपाटन	54. कापरेन	
			55. घाटका वराना	
			56. मायजा	
			57. झालाजी का वराना	
			58. लाखेरी	
			59. वडासोड़ा	

1	2	3	4 5
			60. लवान
			61. गण्डोली खुर्द
			62. केशवरायपाटन
3–	झालावाड़	इकलेरा	63. घुरेलिया
		भवानीमण्डी	64. रामपुर
			65. हेमड़ा
			66. गणेशपुर
			67. मागेशपुर
			68. छोटी उनेल
			69. पीपल्या
			70. भीलवाड़ी
			71. श्री छत्रपुरा
		चौमेला	72. डग
			73. आवर
		खानपुर	74. सारोला
			75. हरीगढ़
			76. गाडरवाड़ा नूरजी
			77. तारज
		झालावाड़	78. रिछवा
			79. मण्डावर
			80. झालावाड़
		झालावाड़	81. रतलाई
			82. असनावर
			83. सरड़ा
		झालरापाटन	84. गेहूं खेडी
			85. खडानी हाट
			86. झाखटा
			87. घाटोली

1	2	3	4	5
4-	टोंक	उनियारा		88. पंचाला
				89. अलीगढ़
				90. चोरु
				91. सोप
				92. बनेडा
		देवली		93. नगर
				94. घाउ
				95. आंवा
				96. नासिरदा
		टोडारायसिंह		97. उनियारा खुर्द
				98. टोडारायसिंह
		निवाई		99. चनानी
		मालपुरा		100. लम्बाहरिसिंह
5-	उदयपुर	नाथद्वारा		101. राजसमन्द
		देवगढ़		102. लखानी
6-	चित्तौडगढ़	निम्बाहेडा		103. छोटीसादड़ी
7-	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा		104. गंगापुर
				105. भावानपुरा
				106. गुरला
		माण्डलगढ़		107. बिजोलियां
		आसीन्द		108. बदनोर
				109. सरेरी
		गुलाबपुरा		110. रुपहेली
8-	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर		111. रामसिहपुर
		सादुलपुर		112. मन्नीवाली

1	2	3	4	5
			113. पक्का सरना	
		श्रीगंगानगर	114. बघेसर	
			115. दौलतपुरा	
			116. महीयावाली	
			117. हिन्दूमलकोट	
		पीलीबंगा	118. धवन	
			119. लखारावाली	
		सांगरिया	120. नगराना	
		गजसिंहपुरा	121. राजपुरा	
9-	अलवर	अलवर	122. मालाखेड़ा	
10-	धोलपुर	धौलपुर	123. कोलारी	
11-	जयपुर	जयपुर (अनाज)	124. बगरू	
			125. शाहपुरा	
		बान्दीकुई	126. गीजगढ़	
			127. सिकराय	
		दौसा	128. लवान	
		चाकसू	129. माधोराजपुरा	
			130. फागी	
			131. शिवदासपुरा	
		नरेना	132. कैथून	
			133. बोराज	
			134. मोजमाबाद	
			135. बिचून	
		लालसोट	136. मण्डावरी	
12-	अजमेर	अजमेर	137. पीसांगन	
			138. रामसर	

1	2	3	4	5
		किशनगढ़	139. हरमाडा	
13–	सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी	140. वामनवास	
			141. पिपलाई	
			142. बटोदा	
			143. बेगला	
			144. सपोटरा	
			145. वरनाला	
			146. गडमोरा	
			147. गुढाचन्द्रजी	
			148. वजीरपुरा	
		हिण्डौन	149. सनेट	
			150. महावीरजी	
			151. सारमलपुर	
			152. सूरोठ	
			153. डिंढोरा	
		महुआ मण्डावरा	154. वालाहेड़ी	
			155. गडछोड़ा	
		सवाई माधोपुर	156. कुण्डेरा	
			157. जस्टाना	
			158. मलारना चोड़	
			159. लहसोड़ा	
			160. वाढोरी	
			161. चोथका वरवाड़ा	

सीकरी बांध, जिला भरतपुर

43. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार भरतपुर जिले में सीकरी सिस्टम पर कितनी जगह पुल बनाना आवश्यक समझती है ? जलालपुर, जयश्री, किशनपुरा पर अब तक पुल नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

(2) सीकरी बांध में कितने क्यूसेक्स पानी सिंचाई को उपलब्ध होता है तथा कितनी जमीन की किस नियम से सिंचाई की जाती है ?

उत्तर

(1) सामान्य आवश्यकता के अनुसार पुल बने हुए हैं फिर भी कृषकों की समस्याएं एवं मांगों को तथा वित्तीय साधनों को देखते हुए पुल बनाने पर विचार किया जा सकता है । जयश्री व किशनपुरा ग्रामों के निकट सीकरी की नहरों पर पुल बनाने का मामला विचाराधीन है । जलालपुर के पास रूपारेल नदी पर पुल बनाना है । अतः इस पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

(2) इस बांध में वर्षा ऋतु में जो पानी रूपारेल में आता है उसका पूर्ण उपयोग किया जाता है तथा क्यूसेक की मात्रा नदी से आवक पर निर्भर करती है । सिंचाई राज्य के सिंचन एवं निस्तारण एक्ट के तहत की जाती है ।

पहाड़ का क्लोजर क्षेत्र

44. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम टोडाठेकला तहसील लालसोट के पहाड़ का कितना क्षेत्र क्लोजर में लिया गया है ?

(2) क्या क्लोजर में कोई ठेकेदार की खान चालू है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस क्षेत्र से कृषक चेजा पत्थर निकाल सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) टोडा ठेकला पहाड का 150 हैक्टेयर क्षेत्र क्लोजर में लिया गया है ।

(2) जी हां । ठेकेदार की खान पुरानी है तथा उन्होंने खान विभाग से नियमानुसार माईनिंग लीज प्राप्त कर रखी है । इस क्षेत्र से कृषक चेजा पत्थर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वन बन्दोबस्त में इस प्रकार की कोई रियायतें इन्हें नहीं दी गई है ।

राजकीय हॉस्पिटल, गंगानगर

45. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शहर में राजकीय हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ ?

(2) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(3) राज्य सरकार ने अपनी ओर से कितनी मेचिंग-ग्रान्ट स्वीकृति की है ।

उत्तर

(1) माह जून, 1985 से।

(2) प्रस्तावित चिकित्सालय भवन निर्माण पर लगभग 6 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(3) राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की मेचिंग-ग्रान्ट स्वीकृत की गई।

भूमि के गलत आवंटन के प्रकरणों में कार्यवाही

'46. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनी बेवा चिमन सिंह राजपूत सा. मोतीगढ़ को उसके प्रार्थना-पत्र क्रमांक 1384 दिनांक 9-4-1974 पर विचार कर चक 23 बी. डी. तहसील छतरगढ नम्बर 2 के मुरब्बा नम्बर 73।20 के किला नम्बर 2, 3, 4, ता 9, 10, 11 ता 13 में 9 बीघा 4 बिस्वा कमांड तथा मुरब्बा नम्बर 74।34 के किला नं 1 ता 9 में 9 बीघा कुल 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि सन् 1975 में आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो इसका कब्जा आज तक आवंटी को नहीं देने का क्या कारण रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटी मु.नं. 73।20 का रकबा चक 23 बी.डी. में नहीं है ? यदि हां तो आवंटी को गलत पट्टा देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवंटी मु.नं. 74।34 में किला 1 से 25 कुल 25 बीघा कमांड भूमि का श्री गोपाल पुत्र श्री रामबक्स गूजर को भी पुख्ता आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो एक ही भूमि के दो व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवंटी को पुन: चक 2 के वाई.डी. मुरब्बा नम्बर 196।52 के किला नं. 1,3,8,12,20 में मात्र 8 बीघा 17 बिस्वा आवंटन के आदेश कर दि. 14-10-76 को पट्टा जारी किया गया है व उक्त आवंटित भूमि में से भी 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि नहर व सड़क में आई हुई आवंटित की है ? यदि हां, तो इस तरह के गलत आवंटन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे है ?

(5) क्या विभाग उक्त आवंटी को पात्रता के अनुसार 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूरी करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) भविष्य में इस तरह के गलत आवंटन पर किसानों को परेशान न किया जावे, इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस भूमि का कब्जा आवंटिती को इस कारण से नहीं दिया जा सका क्योंकि मु०नं० 74/34 की भूमि श्री गोपालराम पुत्र रामबक्स को पूर्वत: ही

(उपनिवेशन मंत्री)

आवंटित थी एवं 73/20 नम्बर का कोई मुरब्बा इस चक 23 बी०डी० में नहीं था ।

(2) जी हां । आवंटिती को गलत पट्टा देने वाले अधिकारी श्री दुर्गादत्त वर्मा तत्कालीन सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ नं० 2 थे जिनका देहान्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं था ।

(3) मु०नं० 74/34 में श्री गोपाल राम पुत्र श्री रामबक्स को पुख्ता आवंटन किया गया था । दोषी आवंटन अधिकारी के बारे में उप प्रश्न संख्या 2 में उत्तर दिया जा चुका है ।

(4) उक्त आवंटिती श्रीमती किशनी को चक 2 केवाइडी के मु०नं० 196/52 कि० नं० 1 ता 3, 8 ता 12,20 में 8.17 बीघा भूमि आवंटित कर 14.10.76 को आवंटन आदेश जारी किया गया था, यह भूमि भी पहले से श्री गोमन्दराम पुत्र कुम्भाराम जाट साकिन देराजसर को आवंटित थी, यह आवंटन करने वाले अधिकारी का स्वर्गवास हो जाने से श्री दुर्गादत्त वर्मा तत्कालीन आवंटन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था ।

(5) आवंटिती को उसकी पात्रता के अनुसार चक 13 केवाईडी (ए) के मु०नं० 138/34 में 8.00 बीघा व 138/41 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 18.00 बीघा कमाण्ड भूमि एक ही स्थान पर दिनांक 26.5.83 को आवंटित की जा चुकी है ।

(6) भविष्य में इस तरह दुहरे आवंटन न हों इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे ।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

47. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य में कुल कितनी हरिजन बस्तियां हैं ? उनमें से अब तक कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? शेष हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ? कृपया जिलेवार हरिजन बस्तियों की संख्या, विद्युतीकृत की संख्या और अविद्युतीकृत की संख्या तथा विद्युतीकरण के सम्बन्ध में योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

हरिजन बस्तियों की सूचना विद्युत मण्डल द्वारा संकलित नहीं की जाती । विद्युतीकृत ग्रामों में कुल 8927 हरिजन बस्तियों का माह मार्च, 1985 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार हाथ में लिया जाता है तथा इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु प्रावधान रखा जाता है । वर्ष 1985-86 के लिए राज्य में 1000 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मछली के ठेकों से आय

48. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या पशु पालन (मत्स्य) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में मछली के ठेके से विभाग को कितनी ग्राय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 में मछली के ठेकेदारों ने मत्स्याखेट हेतु तालाबों की नीलामी का वहिष्कार किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उनके बहिष्कार से विभाग को भारी हानि हुई ? यदि हां तो यह बहिष्कार कब से चला ग्रा रहा है ग्रौर इस स्थिति को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) मछली के ठेकों से वर्ष वार ग्राय निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :—

1982-83	112.42 लाख रु.
1983-84	142.21 ,,
1984-85	131.00 ,,

(2) जी नहीं। मछली के ठेकेदारों द्वारा वर्ष 84-85 में दिनांक 25 से 30 ग्रगस्त 1984 को 83 जलाशयों एवं दिनांक 15 से 16 दिसम्बर, 84 को 18 जलाशयों का ठेका नीलामी में लिया गया। 31 जलाशयों का पांच वर्षीय ग्रवधि के वर्ष 84-85 का नवीनीकरण किया गया जिसका ग्रंतिम लाइसेंस 28-2-85 को जारी हुग्रा। कुछ जलाशयों का ठेका जो 28-1-85 से 30-1-85 तक को होना था, उसका बहिष्कार ठेकेदारों द्वारा किया गया क्योंकि विभाग उनकी ग्रव्यवहारिक तथा ग्रनुचित मांगों को राज्यहित में मान्य नहीं कर सकता था।

(3) जी नहीं।

राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में मेडिकल स्टाफ

49. **श्री हेमा राम चौधरी** (गुडा मालानी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों में से किस किस स्तर के कितने कितने पद कब से व क्यों रिक्त हैं ?

उत्तर

राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत		रिक्त कब से
1	2	3	4	5	6
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	1	1984-85
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थिसिया)	1	—	1	1980

(चिकित्सा मन्त्री)

1 2	3	4	5	6
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)	1	—	1	1984-85
4. सी. ए. एस.	22	21	1	जून, 1985
5. कार्यालय अधीक्षक (श्रेणी द्वितीय)	1	—	1	1984-85
6. मेल नर्स श्रेणी–I	8	3	5	1984-85
7. मेल नर्स श्रेणी–II	24	19	5	1980
8. स्टाफ नर्स	11	10	1	1983
9. रेडियोग्राफर	3	2	1	1983-84
10. कनिष्ठ लिपिक	3	1	2	1983-84
11. वाहन चालक	4	3	1	1983-84
12. मैकेनिक	1	—	1	1983-84
13, कारपेंटर	1	—	1	1983-84
14. टेलर	1	—	1	1983-84
15. धोबी	2	—	2	1983-84
16. कुक	2	—	2	1983-84
17. गार्डनर	1	—	1	1983-84
18. वार्ड वाय	41	—	सूचना एकत्रित की जा रही है।	
19. स्वीपर	19	—		

वरिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसिन एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ, ई. एन. टी. के पद पर पदस्थापन आदेश दिनांक 13-6-85 को जारी कर दिये गये हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थियेसिया) के पद पर पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है। सी. ए. एस. का पद अभी हाल ही में रिक्त हुआ है। पैरा मेडिकल स्टाफ के पद प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने पर ही भरे जाना संभव होगा। अन्य पदों के भरने बाबत कार्यवाही भी शीघ्र की जावेगी।

182

बारानी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

50. **श्री हंसराज** (सूरतगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के बारानी क्षेत्र में पेयजल योजना द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है?

(2) यदि हां, तो कितने गांवों की योजना स्वीकृत हुई और किस किस नाम से ? क्या उन गांवों को पीने का पानी देने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया । तीन गांवों को वर्ष 84-85 से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है एवं शेष ग्रामों की योजनाएं निर्माणाधीन हैं ।

क्र. सं. योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों के नाम	विशेष विवरण
1. क्षेत्रीय जल योजना राजियासर	राजियासर	पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ।
2. क्षेत्रीय जल योजना उदयपुर	1. बिरधवाल 2. लादेर 3. देईदापुरा 4. करछु 5. कोनपालसर 6. सांवलसर 7. सिंगरासर	लादेर एवं भिंगरासर को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है एवं शेष का कार्य प्रगति पर है ।
3. विस्तार जल योजना डीडवाना	1 डीडवाना	
4. विस्तार जल योजना बछरारा	1. बछरारा	
5. विस्तार जल योजना मोजूसर	1. मोजूसर	निमार्णाधीन
6. क्षेत्रीय जल योजना जेसाभट्टी	1. चाडसर 2. गुसाईसर	
7. विस्तार जल योजना रतासर	1. रतासर	

गंगनहर लिंक योजना

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंग नहर लिंक योजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

(2) इस योजना के तहत कृषकों की आने वाली भूमि एवं ट्यूब वैल्स का उचित मुआवजा समय पर देने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी फीडर गंगनहर लिंक योजना वर्ष 1987-88 में पूर्ण होने की संभावना है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत शुरू किये गये निर्माण कार्यों के तहत आने वाली भूमि का मुआवजा, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था। उसकी राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी को सम्बन्धित कृषकों के भुगतान हेतु भेज दी गई है।

जहां तक ट्यूब-वेल्स का संबंध है, उनका अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है परन्तु अधिग्रहण करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही चल रही है। नहर के अन्दर आने वाले ट्यूब वेल्स का विवरण भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

वृक्षारोपण में लगे मजदूरों को भुगतान

52. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि तहसील घाटोल जिला बांसवाडा में वन विभाग द्वारा हरी तालाव के नीचे पेड़ लगाने हेतु मजदूर रखे हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन मजदूरों को माह फरवरी, 1985 का वेतन भुगतान नहीं किया गया एवं उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है ? यदि हां तो किस किस मजदूर को कब-कब कितने-कितने समय तक रखा व कब-कब हटा दिया गया था तथा किस-किस माह का भुगतान नहीं किया गया ? हटाने के क्या कारण थे ? कृपया प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। माह फरवरी, 1985 के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। कुछ श्रमिकों के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर ही अन्य श्रमिकों को रखा गया है। इनके मार्च 85 के वेतन का भी भुगतान कर दिया गया है।

बिराणियां पेयजल योजना से पेयजल व्यवस्था

54. श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ तहसील की बिराणियां पेयजल योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में सुचारु रूप से जल वितरण हो रहा है ?

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(2) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके सुधार के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस योजना के अन्तिम छोर के भीचरी, छाबडी खारी एवं छाबडी मिठी ग्रामों में जल वितरण में बिजली की कम सप्लाई के समय व्यवधान रहता है। उक्त योजना में सुधार हेतु चार और नल कूप बनाना विचाराधीन है।

कृषि कार्यों हेतु सिंचाई क्षमता का विस्तार

55. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कृषि कार्यों हेतु सिंचाई क्षमता का विस्तार करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम लागू करने जा रही है ? यदि हां तो क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फतेहपुर क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोई सिंचाई की योजना बनायेगी ? यदि हां तो क्या ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिये लघु मध्यम एवं वृहद सिंचाई योजनाओं के निर्माण के सिवाय मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे छोटे सिंचाई के कार्य करवाये जाते हैं।

(2) इस क्षेत्र में सतही जल स्रोत नगण्य के बराबर हैं। अत: सिंचाई विभाग की कोई योजना संभव नहीं है।

व्यावसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित वन क्षेत्र

56. **सुश्री गिरिजा व्यास** (उदयपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में वन विभाग का कितना हैक्टेयर क्षेत्र व्यावसायिक उपयोग के लिये आरक्षित किया गया है तथा उससे कितनी आय प्रति वर्ष होती है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में 30 लाख बांस के वृक्ष काटे जा चुके हैं ? यदि हां तो उनके बदले कितने और पेड़ लगाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वन विभाग में व्यावसायिक उपयोग हेतु अलग से कोई क्षेत्र आरक्षित नहीं किया जाता, केवल वन मन्डलों के लिये 10 वर्षीय कार्य आयोजना बनाई जाती हैं। इनके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 11081 हैक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है। पांच वर्षों को वर्षवार आय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, बांस का वृक्ष न काटा जाकर उसकी पकी हुई कलम ही काटी जाती है। काटी गई कलमों तथा बांसों के लगाये गये वृक्षों की संख्या वर्ष वार सदन के पटल पर रख दी गई है।

विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में काटे गये क्षेत्र तथा उनसे प्राप्त आय की सूची

क्र०सं०	वर्ष	काटा गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) लकड़ी कोयला योजना	बांस योजना	कत्था योजना	आय जो प्राप्त हुई (लाखों में)
1.	1980–81	5,030	44,278	10,231	437.36
2.	1981–82	8,601	26,496	31,082	498.59
3.	1982–83	8,656	29,458	13,666	509.83
4.	1983–84	5,838	17,828	18,016	510.59
5.	1984–85	6,500	40,331	13,514	514.70

नोट :—कत्था व बांस का क्षेत्र ओवर लेपिंग (Over laping) है ।

विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत बांस की काटी गई कलमों तथा लगाये गये वृक्षों की सूची

क्र०सं०	वर्ष	बांस का उत्पादन मानक बांस (लाखों में)	लगाये गये पौधों की संख्या
1.	1980–81	59.66	65,000
2.	1981–82	64.79	1,15,000
3.	1982–83	60.03	1,30,000
4.	1983–84	57.84	1,60,000
5.	1984–85	51.00	1,76,000

नोट :—इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रादेशिक वन मण्डलों में गत तीन वर्षों में 30.5 लाख बांस के पौधे लगाये गये व वितरित किये गये हैं।

होम्योपैथिक निदेशालय की आवश्यकता

57. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में होम्योपैथिक निदेशक व उप निदेशकों के कितने पद सृजित हैं और उन पदों पर कौन कौन कार्यरत हैं ? क्या निदेशक का भी पृथक से पद सृजित है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) होम्योपैथिक चिकित्सीय पद्धति के विस्तार हेतु क्या राज्य सरकार होम्योपैथिक निदेशालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व कहां ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में होम्योपैथिक निदेशक व उप निदेशक के कोई पद सृजित नहीं हैं, अतः इन पदों पर किसी के कार्यरत रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । वर्तमान में राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के केवल 80 चिकित्सालय/औषधालय ही संचालित हैं, अतः इतने कम औषधालयों के लिये पृथक से निदेशक पद सृजित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(2) जी नहीं । राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के केवल मात्र 80 चिकित्सालय/औषधालय ही संचालित हैं । होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार हेतु तथा औषधालयों पर उचित नियंत्रण हेतु सहायक निदेशक (होम्योपैथिक) का पृथक से पद सृजित किया हुआ है जो निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं । इतने कम औषधालयों के लिये पृथक से होम्योपैथिक निदेशालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लि. का अभ्यर्थित क्षेत्र

58. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाडा में उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड के अभ्यर्थित क्षेत्र 8 ब्लाक्स के 1516.04 हैक्टर क्षेत्र को पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित करने की विज्ञप्ति राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 7-10-1982 को प्रकाशित हुई थी ?

(2) यदि हां तो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में किस किस क्षेत्र हेतु किस किस ने कब कब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या इन्हीं क्षेत्रों में पायरोफलाइट मिनरल होने की सूचना पिछले 10 सालों में कभी भी पूर्व पट्टाधारी द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया सूचनाओं की प्रति सहित सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि इन्हीं क्षेत्रों के लिए "उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिन्डीकेट प्राईवेट लि. की सिस्टर कन्सर्न, गोलेछा मिनरल्स, प्राइवेट लि., जयपुर द्वारा सोप स्टोन के खनिज पट्टे दिये जाने हेतु 9 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया था ?

(श्री हरि कुमार औदिच्य)

(5) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उन-प्रार्थना-पत्रों के निरस्त किये जाने के बाद इन क्षेत्रों में पायरोफ्लाइट खनिज स्थित होना बताकर गोलेछा मिनरल्स लिमिटेड, जयपुर ने अलग अलग तारीखों में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पट्टे स्वीकृत करवा लिये ? कृपया पायरोफ्लाइट खनिज हेतु पट्टे प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र की नकलें, क्षेत्र के नक्शे मय क्षेत्रफल एवं पट्टा स्वीकृति के आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) दिनांक 7.10.82 को विज्ञप्ति के तहत रिक्त हुए क्षेत्र पर जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए, व जो कार्यवाही की गई उनका विवरण संलग्न तालिका "अ" में दर्शाया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । मै. गोलेछा मिनरल प्रा. लि. ने सोपस्टोन खनिज के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे । अतः उन्हें निरस्त करने का भी प्रश्न नहीं है ।

(5) सर्वश्री गोलेछा मिनरल प्रा.लि., जयपुर द्वारा खनिज पायरोफ्लाईट के खनन-पट्टे प्राप्त करने हेतु 8 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिनके खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये । विवरण संलग्न तालिका "ब" के अनुसार है । 7 मामलों में वांछित आवेदन पत्र, नक्शे, डिमार्केशन रिपोर्ट व स्वीकृतियों की प्रतियां संलग्न हैं ।

(आवेदन पत्र, नक्शे, डिमार्केशन रिपोर्ट की प्रतियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

तालिका "अ"

मै० यू.एम.डी.एस. द्वारा अध्यार्पित क्षेत्र जो निदेशालय की विज्ञप्ति दिनांक 28-9-92 जो कि राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 9-10-82 को प्रकाशित हुई के तहत रिक्त घोषित क्षेत्र पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

क्र सं.	रिक्त घोषित हुए क्षेत्र का नाम	रिक्त हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल	आवेदन कर्ता	आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	आवेदित क्षेत्रफल	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	गेवरिया	350.71 हेक्टर्स	श्री गणपतलाल सुरिया	25-1-83	240 हेक्टर्स (कांकरोलिया)	राज्य सरकार के आदेश सं. 2(218) खान/ग्रुप–2/83 दिनांक 28-9-83 से क्षेत्र रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।
2.	बनाई खेड़ा	402.91	1. सर्वश्री मोलिया मिनरल्स	18-12-82	440 ,,	राज्य सरकार के आदेश सं०प. 2(113) खान/ग्रुप–2/83 दिनांक 5-10-83 द्वारा उपलब्ध रिक्त क्षेत्र 61.40 हेक्टर्स पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया।
			2. सर्वश्री डिडवानियां एण्ड सन्स	10-1-83	440 ,,	राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 1(130) खान/ग्रुप–2/83 दि. 20-1-84 से क्षेत्र रिक्त नहीं होने से अस्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
3.	चेनपुरा	197.60 ,,	1. श्री कुलदीपसिंह जुनेजा	21-1-83	80 ,,	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 2(189) खान ग्रुप–2/83 दिनांक 18-8-83 से उपलब्ध रिक्त क्षेत्र 32.37 हेक्टर्स स्वीकृत किया गया।
			2. सर्वश्री डिडवानिया एण्ड सन्स	24-1-83	64 ,,	स्वतः अस्वीकृत माना गया राज्य सरकार के आदेश सं. प. 1 (3) खान/ग्रुप–2/84 दिनांक 13-2-84 से।
			3. श्री सत्यनारायण जोशी	24-5-84	64 ,,	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 1(129) खान/ग्रुप–2/84 दि० 19-11-84 से रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।
4.	मगवासा	237.45 ,,	श्रीमती सरला देवी पारीक	25-1-83	179.84 (मेसेना)	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 2 खान/ग्रुप–2/84 दिनांक 7-2-84 से स्वतः अस्वीकृत माना गया।
5.	छावड़िया	100.66 ,,	श्री रमेशचन्द्र	9-11-82	600 ,,	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 2(156) खान ग्रुप–2/83 दिनांक 8-11-83 से क्षेत्र रिक्त उपलब्ध नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
6. किशनगढ़	129.50 ,,	श्रीमती सरला देवी पारीक	28-1-83	218.44 ,,	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 2(44)खान/ग्रुप–2/84 दिनांक 12-4-84 से स्वतः अस्वीकृत माना गया ।	
7. अमरगढ़	32.37 हेक्टर्स	श्री भगवान स्वरूप मण्डोवरा	31-1-83	129.50 हेक्टर्स	राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 2(68) खान/ग्रुप-2/84 दिनांक 6-7-84 से क्षेत्र रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया ।	
8. काछोला	54.75 ,,	सर्वश्री मोनिया मिनरल्स	31-1-83	187.00 ,,	राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 2(62) खान/ग्रुप–2/84 दिनांक 28-4-84 से स्वतः अस्वीकृत माना गया ।	

तालिका "घ"

भाग 5 के उत्तर में सर्व श्री गोलछा मिनरल्स प्रा० लि० द्वारा पायरोफ्लाईट के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सूची (खननपट्टों के लिये)

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	आवेदन पत्र पेश करने की तिथी	स्वीकृति आदेश व दिनांक
1.	निकट ग्राम काछोला जि० भीलवाड़ा	30/6/80	प-52(252) खान/ग्रुप 2/80 दि० 5/6/82
2.	निकट ग्राम अमरगढ़ जि० ,,	30/6/80	प-2 (256) खान/ग्रुप-2/80 दि० 3/6/82
3.	निकट ग्राम किशनगढ़ जि० ,,	30/6/80	प-2 (258) खान/ग्रुप-2/81 दि० 27/11/81
4.	निकट ग्राम चेनपुरा साउथ ,,	30/6/80	प-2 (255) खान/ग्रुप-2/80 दि० 23/12/81
5.	निकट ग्राम चेनपुरा नोर्थ ,,	30/6/80	प-2 (281) खान/ग्रुप-2/81 दि० 27/11/81
6.	निकट ग्राम भगवासा साउथ ,,	30/6/80	प-2 (253) खान/ग्रुप-2/80 दि० 9/6/82
7.	निकट ग्राम भगवासा नोर्थ ,,	30/6/80	प-2 (257) खान/ग्रुप-2/80 दि० 3/6/82
8.	निकट ग्राम पेयरिया ,,	30/6/80	प-27 (254) खान/ग्रुप-2/80 दि० 27/11/82

192

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक-प-2 (2,54) खान/ग्रुप-2/80, जयपुर, दिनांक 27 नवम्बर, 1981

आदेश

चूंकि मैसर्स गोलछा मिनरल्स प्रा० लि० निवासी जयपुर ने प्रधान खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज पायोफलाईट के खनन पट्टा निकट ग्राम घेवरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा के अनुदान के लिये आवेदन किया है। और चूंकि राज्य सरकार संतुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के उक्त रियायत के अनुदान के लिये उपयुक्त पक्ष (पार्टी) है।

और चूंकि यह क्षेत्र जिनके लिये आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिये मुक्त है।

अत: अब सरकार भारत सरकार के पत्रांक 1/853/81 एफ. 4 दिनांक 29-10 81 के अनुपालन में प्रधान खनिज रियायत नियम 1960 जो कि समय समय पर संशोधित हुए हैं, में उल्लिखित निबन्धनों और प्रतिबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबन्धनों और प्रतिबन्धों पर आवेदक को खनन पट्टा का अनुदान करती है :—

1.	खनिज —	पायरोफलाईट।
2.	क्षेत्र—	250.36 हेक्टर्स निकट ग्राम घेवरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में विवरण पत्र के अनुसार क्षेत्र की उपलब्ध भूमि पर वास्तविक सीमांकन पर निर्धारित होगी।
3.	अवधि—	संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष तक।
4.	स्थिरभाटक—	1. प्रथम वर्ष निल।
		2. 2 वर्ष से 5 वर्ष तक रु. 12.50 प्रतिहेक्टर प्रति वर्ष
		3. 6 वर्ष से 10 वर्ष तक रु. 25.00 ,, ,,
		4. 11 वर्ष से आगे तक रु. 37.50 ,, ,,
5.	प्रतिभूति—	रु. 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र)

6.	अधिशुल्क—	एम. एम. आर. डी. एक्ट 1957 के शिड्यूल 2 के अनुसार।
7.	भूतलभाटक—	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर :—	राजकीय नियमानुसार
9.	अन्य कर :—	प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 एवं एम. एम. आर. डी. एक्ट, 1957 या समय समय पर संशोधन हो उसके अनुसार।

नोट :—1. यदि अनुदानी इस आदेश की तिथि से 6 माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं करेगा तो, यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसहृत कर दिया जायेगा।

2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में कार्य आरम्भ नहीं करेगा, सिवाय उस समय के जबकि वह सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी विशेष आदेश से ऐसा करने के लिये अनुमत नहीं कर दिया गया हो।

आदेश से,

(आर० एस० गुप्ता)

अनुभागाधिकरी

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, भारत सरकार, इस्पात एवं खान मंत्रालय, खान विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक 1/853/81-एम. 4 दिनांक 29-10-81 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राज० उदयपुर को उनके पत्रांक निखान/रील/प-1 (1) 42/80/1580 दिनांक 27/6/81 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, इस निर्देश के साथ कि :—

(क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का तुरन्त सीमा निर्धारण करा लिया जाय

(194)

और हर हालत में इस आदेश से 45 दिन की अवधि समाप्त होने तक ताकि निश्चित अवधि में प्रार्थी संविदा निष्पादन कर सकें।

(ख) इस पत्र के सीमा निर्धारण व संविदा निष्पादन के दिनांक की सूचना यथाशीघ्र इस विभाग को इस आदेश के दिनांक के बाद 6 महीने से अधिक का समय इसमें नहीं लगाना चाहिये।

3. महालेखाकार, राज० जयपुर।

4. अधिक्षण खान अभियन्ता, उदयपुर।

5. जिलाधीश, भीलवाड़ा।

6. खान अभियन्ता, भीलवाड़ा।

7. संचालक, इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स, नागपुर।

8. मैसर्स गोलेछा मिनरल्स प्रा० लि०, प्रेम प्रकाश, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर।

9. गार्ड फाइल।

अनुभागाधिकार

फर्जी पट्टों के प्रकरणों में कार्यवाही

60. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में बनाये जा रहे फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर ने जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश नागौर को प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) जांच में कौन कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस मामले में किसी कर्मचारी को जिलाधीश द्वारा निलम्बित भी किया गया था ? यदि हां, तो कब किसको और उनके खिलाफ क्या आरोप थे ? कृपया निलम्बन आदेश की प्रति मय आरोप-पत्र के सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कर्मचारी को बिना किसी जांच कार्यवाही किये वापस बहाल भी कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और क्यों ? कृपया बहाल करने के आदेश की प्रति भी सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही करनी है ? अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और अब कब तक कर दी जायेगी ?

(6) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार से बनाये जा रहे फर्जी पट्टों को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-1) ।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री भंवरसिंह पटवारी हल्का लाडनूं दोषी पाया गया । श्री भंवरलाल पटवारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । आरोप पत्र एवं आरोप विवरण की प्रति संलग्न है (परिशिष्ठ 2 व 3) ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा पुलिस थाना लाडनूं में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । यह मुकदमा अभी पुलिस में अन्वेषणाधीन है ।

(6) इस मामले में जिला पंजीयक नागौर एवं उप पंजीयक लाडनूं के जरिये पत्र दिनांक 19-11-82 को खसरा नं. 1688 रकबा 65 बीघा के विक्रय पत्र पुलिस में अन्वेषणाधीन होने के कारण पंजीयन नहीं करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

परिशिष्ट–1

जांच प्रतिवेदन बावत नगरपालिका मण्डल, लाडनूं की आबादी भूमि में

अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

जिलाधीश नागौर के आदेश क्रमांक प–12 (11) राज/76/2377 दिनांक 8.6.82 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता, को, लाडनूं के खसरा नं. 1688/2210 रकबा 65 बीघा जो नगरपालिका लाडनूं को आवासीय भू-खण्ड आवंटन हेतु आबादी में परिवर्तित किया गया था तथा उसी भूमि का श्री जमाल वगैरा ने इमारती पट्टा का पंजीयन कराया है, की वैधता की जांच हेतु अधिकारी नियुक्त किया गया था। अत: इस प्रकरण की सुनवाई मुकाम लाडनूं में दिनांक 11.6 से 12.6.82 तक एवं 25.6.82 को की गई। दौराने जांच निम्नलिखित गवाहान की शहादत ली गई।

1– श्री भंवर सिंह पुत्र पूसाराम पुरोहित पटवारी हल्का लाडनूं।

2– श्री मोतीलाल पुत्र गुरु आत्माराम साद निवासी लाडनूं।

3– श्री हनुमानराम पुत्र चुनाराम जाट निवासी रीगण।

4– श्री किस्तूराराम पुत्र मानाराम जांगीड़ निवासी हुडास।

5– श्री शिव रतन पुत्र नैनूराम सोनी निवासी हुडास।

6– श्री जेठमल शर्मा पुत्र बिडदीचन्द शर्मा निवासी लाडनूं।

7– श्री हनुमान मल पुत्र कन्हैयालाल जांगीड़ निवासी लाडनूं।

8– श्री आत्माराम पुत्र रामचन्दर ब्राह्मण निवासी लाडनूं।

9– श्री जमाल पुत्र इब्राहीम सिलावट निवासी लाडनूं।

10– श्री जगदीश सिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी रायधून हाल लाडनूं।

11– श्री मोतीलाल सिंह पुत्र बाल सिंह राजपूत निवासी लाडनूं।

12– श्री शिवदान सिंह पुत्र सूरजभान सिंह राजपूत निवासी छपारा हाल लाडनूं।

13– श्री शिभूप्रसाद पुत्र मनीराम ब्राह्मण निवासी कोर्ट द्वारा जिला गढ़वाल हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनूं।

14– श्री अली मोहम्मद पुत्र कज्जू खां कायमखानी निवासी लाडनूं।

15– श्री श्रीचन्द पुत्र रूपाराम माली निवासी लाडनूं।

16– श्री मोहनलाल पुत्र पीरूराम जांगीड़ निवासी लाडनूं।

17– श्री सागरमल बरमेचा पुत्र मालमचन्द ओसवाल निवासी लाडनूं।

18– श्री कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचन्द सेठी चेयरमेन नगरपालिका लाडनूं ।

19– श्री मनोहर सिंह पुत्र बालसिंह राजपूत निवासी लाडनूं ।

20– श्री नारायण सिंह पुत्र शैतान सिंह राजपूत निवासी इन्दरोका ।

21– श्री रामेश्वर लाल पुत्र मोहन लाल गूजर लिपिक न.पा. लाडनूं ।

22– श्री सम्पत्तराज पुत्र मोतीलाल सोनी लिपिक न.पा. लाडनूं ।

23– श्री पाबू सिंह पुत्र किस्तूर सिंह नरूका राजपूत निवासी लाडनूं ।

24– श्री लाबदी खां पुत्र चान्द खां मोयल निवासी लाडनूं ।

25– श्री हरजीराम पुत्र लूणाराम जाट प्रधान पंचायत समिति लाडनूं ।

26– श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र नृसिंहनारायण ब्राह्मण तहसीलदार लाडनूं ।

उपरोक्त गवाहान में से क्रम सं. 2 से 8 तथा 16 पर वर्णित व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनको क्रम सं. 9 में वर्णित श्री जमाल ने अपने तथाकथित इमारती पट्टे के आधार पर भू-खण्डों का बेचान करके रजिस्ट्रियां करवाई हैं। क्रम सं. 10 पर वर्णित व्यक्ति श्री जगदीश सिंह उपरोक्त भूमि में से उनके पिता के नाम जारी किया गया पट्टे के आधार पर 8,500 वर्ग गज के भूखण्ड पर अपना हक जाहिर करते है। क्रम सं. 12 पर वर्णित श्री शिवदान सिंह कामदार पर फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप है। जबकि क्र. सं. 13, 14, 18, 21, 22, 23 व 25 पर वर्णित व्यक्ति शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हैं। क्रम संख्या 24 पर वर्णित श्री लाबदी खां ने शिकायत की है कि खसरा नं. 885 रामदेवजी के मन्दिर का ओरण है जिसे कल्लू खां, सबीर खां एवं जमाल खां सिलावट इब्राहीम खां फर्जी पट्टे के आधार पर इस जमीन को दबाना चाहते हैं। इन्हीं गवाहान में से क्र. सं. 15, 16, एवं 17 पर वर्णित व्यक्ति ऐसे उत्पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके पास पट्टे होते हुए भी फर्जी पट्टों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा तथा जिनके मुकदमें अभी भी विचाराधीन हैं एवं अन्य व्यक्तियों ने फर्जी पट्टों के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जे कर रखे हैं।

नगरपालिका लाडनूं की ओर से पेश किये गए गवाह पटवारी हल्का लाडनूं ने अपने बयानों में बताया कि खसरा नं. 1688 रकबा 239 बीघा 16 बिसवा में से 65 बीघा भूमि जिलाधीश नागौर के आदेश संख्या प–12 (11) राजस्व/75/915 दिनांक 31.1.76 द्वारा नगरपालिका लाडनूं को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूखण्ड आवंटन हेतु अलोट की गई थी जिसका इंतकाल सं. 901 दिनांक 17.1.76 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। उसी भूमि में से मुंसिफ कोर्ट के निर्माण के लिए भी भूमि दी गई है। पटवारी के अनुसार नगरपालिका को आवंटित भूमि पर खसरा नम्बर 1688/2210 है तथा मुंसिफ कोर्ट के पश्चिम में करीब 15–16 बीघा भूमि पर पत्थर के पाये लगाकर जमालदीन ने कब्जा किया था जिसे नगरपालिका ने कुछ दिनों पहले हटा दिया। पटवारी ने अपने बयानों में आगे कहा कि उसने कोई रजिस्ट्री या पट्टा नहीं देखा। करीब

4 महिनों पहले उसके पास जमालदीन प्रमाण पत्र लेने आया था उस वक्त उसने यह प्रमाण पत्र ई.एक्स 17 दिया था कि उक्त खसरा नगरपालिका की आबादी भूमि है। जिसमें हदूद बताते हुए जमालदीन के कब्जे का प्रमाण पत्र दिया गया था। करीबन एक माह पूर्व जमालदीन ने पटवारी से पुन: उक्त भूमि के आबादी भूमि होने के बाबत प्रमाण पत्र मांगा था जो उसके द्वारा ई. एक्स. 18 जारी किया। श्री कन्हैयालाल सेठी चेयरमेन नगरपालिका लाडनूं ने बताया कि उक्त जमीन में से भूमिहीनों व समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए थे तथा दिनांक 25.11.76 को उप खण्ड अधिकारी डीडवाना एवं तहसीलदार लाडनूं जो लाडनूं नगरपालिका के प्रशासक भी थे, आवंटन हेतु 211 व्यक्तियों के नामों की लाटरी निकाली गई। करीब एक साल पहले इसी जमीन के उत्तरी-पूर्वी कोने पर मुन्सिफ कोर्ट का भवन निर्माण शुरू हुआ। तीन वर्ष पूर्व इसी जमीन में से करेन्ट बालाजी के मन्दिर में पाईप लाइन ले जाई गई। उपरोक्त तीनों ही अवसरों पर किसी भी तथाकथित पट्टाधारी ने कोई आपत्ति नहीं की। इस जमीन पर नगरपालिका की सम्पत्ति होने का बोर्ड लगाया हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी पट्टे कामदार श्री शिवदानसिंह द्वारा पुरानी तारीख में जारी किये जाते हैं। श्री शिवदानसिंह ने जमाल के अलावा पट्टे जमाल के बाप इब्राहीम, देवीसिंह गौड व हनुमानसिंह साकिन रायधनू लाडनूं के नाम जारी किये गये हैं। और इन्हीं फर्जी पट्टों के आधार पर नगरपालिका को आवंटित 65 बीघा भूमि में से जमाल मिलावट ने 22 प्लोट बेच कर उनकी रजिष्ट्रीया करवा दी हैं। फर्जी पट्टों के आधार पर पट्टाधारी देवीसिंह गौड के पुत्र सोहनसिंह व पट्टाधारी हनुमान सिंह के पुत्र जगदीश सिंह वकील ने मौके पर नाजायज कब्जा हाल ही में करना शुरू कर दिया है नगरपालिका द्वारा तार द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने मूल पट्टे नगरपालिका के कार्यालय में पेश नहीं किये। श्री सेठी ने यह भी बताया कि इन्हें असली मूल पट्टे ठिकाना द्वारा जारी किये जाते थे। उनके कागज बही की तरह का जाडा कागज होता था जिसमें पट्टे की लिखावट के दस्तख्त व मिति डालने वाले के हस्ताक्षर अलग अलग व्यक्तियों के हुआ करते थे तथा यह पट्टे हमेशा पट्टा क्लर्क द्वारा लिखे जाते थे और 4 मोजिज आदमियों की साखें भी डाली जाती थीं जबकि अब जो पट्टे पुरानी तारीखों में जारी किये गये हैं उनके कागज में अन्तर है तथा मिति व लिखावट पट्टा एक ही व्यक्ति कामदान ठिकाना श्री शिवदान सिंह की है, इन पर कोई साख भी नहीं है। उन्होने बताया कि पूर्व में जमाल ने नवम्बर 81 में मौके पर निर्माण शुरू किया था तथा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने मौके पर जाकर उसके औजारों को जब्त किया था तब जमाल ने यह लिख कर दिया था कि उसने पत्थर डाले हैं कोई निर्माण नहीं किया और निर्माण नगरपालिका से इजाजत लेकर ही करेगा। लेकिन इसके बावजूद उसने एक कमरा जिसकी साईज 10×12 फीट की थी, कि 2÷3 फीट ऊंची दीवार बनाई। चूंकि यह निर्माण बिना इजाजत के किया गया था अतः नगरपालिका द्वारा दिनांक 31-5-82 को जिसे हटा दिया गया। श्री जगदीशसिंह व सोहनसिंह, द्वारा दिनांक 1-6-82 को रात्रि में खाई आदि लगाकर अतिक्रमण किया गया और

2-6-82 को प्रात: नगरपालिका के स्टाफ के मौके पर पहुंचने पर श्री शिवदान सिंह जगदीश सिंह व सोहन सिंह तथा उनके 15-20 व्यक्तियों ने मौके पर स्टाफ को अतिक्रमण हटाने से रोका। श्री शिवदान सिंह के हाथ में 12 बोर की बन्दूक थी उन लोगों ने स्टाफ वालों को धमकियां दी। श्री सेठी के बयानों की ताईद श्री सागरमल बरमेचा, श्री शम्भूप्रसाद अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनूं एवं श्री रामेश्वरलाल लिपिक नगरपालिका करते है।

श्री सागरमल बरमेचा ने फर्जी एवं वास्तविक पट्टा की पहिचान के लिये कुछ पुराने असली पट्टे हमें दिखाये तथा उनकी फोटो स्टेट कापियां पेश की जो ई. एक्स. 12, 13, 14 व 15 है। इन पट्टों के आधार पर उन्होने श्री सेठी की इस तर्क ताईद की कि असल पट्टों में लिखावट एक ही व्यक्ति की हुआ करती थी तथा कोठारी परिवार का कोई व्यक्ति पट्टों में तिथि डाल कर अपने हस्ताक्षर किया करता था। इन पट्टों पर नगर, धनीमानी 4 मोजिज व्यक्तियों की साखें भी डाली जाती थी। इ. एक्स. 13 में पट्टा लेखक तथा स्वरूपचन्द हैं तथा मिति कोठारी मांगीलाल की डाली हुई है। इस पर साक्षीयां दुगड़, तोलाराम, बकमल, बच्छराज, दुगड़, अग्रवाल मिरजामल जंवरीदास व पाटनी मनसुखदास, सेठी गुलाबचन्द व चोरडिया तुलसीराम की डाली हुई हैं। इसी प्रकार इ. एक्स. 14 में पट्टा की लिखावट कोठारी मिलापचन्द की बकलम मालचन्द की है। इस पर साख दुगड़ तोलाराम, चोरडिया नेमीचन्द, अग्रवाल रिजामल, सेठी गुलाबचन्द पाटनी मनसुखदास व जंवर हरीभगत की है। ई. एक्स. 15 में पुराने पट्टे के बदले नया पट्टा बनाया गया, लिखावट के हस्ताक्षर सेठीया जेठमल के व साक्षियां दुगड बच्छराज, अग्रवाल डूंगरमल व पाटनी मनसुखदास की है। उन्होंने यह भी बताया कि पट्टों की लिखावट का कार्य पट्टा क्लर्क ही करता था, कामदार नहीं करता था। ठिकाना लाडनूं में पट्टा क्लर्क पंचोली चन्दनमल, विरदीचंद पंचोली, बुधमल पंचोली एवं जेठमल सेठीया रहे थे।

श्री कन्हैयालाल सेठी ने अपने तर्क की पुष्टि में जिलाधीश नागौर के निर्णय पत्रावली सं. 34/68 शिखरीलाल बनाम सरकार में दिये गये आदेश दिनांक 29. 1. 75 की प्रतिलिपि पेश की है जो इ. एक्स. 16 है। इस आदेश में जिलाधीश की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि "ठिकाना के जिस पट्टे के आधार पर यह माना जाता है जो पट्टा वास्तव में पट्टे में दर्ज तारीखों को जारी नहीं किये जाकर मौजूदा भू. प्रबन्ध प्रभावशील होने के बाद में जारी किया गया बखूबी साबित होता है। जागीर पुन: ग्रहण हो जाने की तारीख के पश्चात जागीरदार द्वारा बेची गई व विक्रय की कार्यवाही शून्य एवं निरर्थक है। क्योंकि पुन: ग्रहण हो जाने की तारीख के पश्चात जागीरदार इन्हें बेचने की शक्तियों से विमुक्त हो गये थे। आबादी भूमि के पट्टे जारी करने के उन्हें अधिकारी नहीं थे। इस तरह पट्टा भूमि हड़पने का षडयंत्र मात्र आधार बनाया गया है कथित पट्टा विधिवत जारी नहीं होने से फर्जी है। इन पट्टों के आधार पर अपीलान्ट को कोई हकूक नहीं मिलते हैं।

इसी प्रकार श्रीचन्द माली ने मुन्सिफ कोर्ट डीडवाना के आदेश दिनांक 3-10-72 जो वाद सं. 66/70 पोकर राम पुत्र हुकमाराम (2) श्रीचन्द पुत्र रूपराम बनाम रामचन्द्र वगैरा की प्रतिलिपि पेश की जिसमें मुन्सिफ कोर्ट ने अपनी राय दी है कि "कामदार जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का हर महत्वपूर्ण बात से लाइली को जाहिर करता है कि उसने पट्टे ई. एक्स. 1 को साबित करने के लिये सभी प्रमुख बातें छुपाई।" इन सभी बातों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि पट्टा एक ई. एक्स. ए–1 पट्टे ई. एक्स. 3 से बाद में बनाया गया और यह माना है कि प्रतिवादी के हक में जारी किया गया पट्टा ई. एक्स. ए-1 वाद में अनाधिकृत रूप से बनाया हुआ होना साबित है जो स्पष्टतया अवैध है एवं सेट एसाइड किया जाता है।

श्री सागरमल बरमेचा ने अपने बयानों में यह बताया कि सहदियावास वाके मौजा लाडनूं में 1200 वर्ग गज उसकी पट्टा सुद जमीन थी जिसका फर्जी पट्टा 600 वर्ग गज सम्वत् 2010 के अषाढ माह में शिवदान सिंह कामदार ठिकाना लाडनूं ने मांगू खां लाल खां के नाम बना दिया जिस पर मांगू खां, लाल खां द्वारा कब्जा किये जाने पर उसने मुन्सिफ कोर्ट डीडवाना में 1974 में दावा किया जिसका फैसला 31-7-79 को हो गया और न्यायालय ने मांगू खां लाल खां का पट्टा जारी करार दे दिया। मांगू खां लाल खां ने ए डी. जे. कोर्ट नागौर में अपील की है जो विचाराधीन है। श्री सागरमल ने श्री शिवदान सिंह द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने बाबत एफ. आई. आर. पुलिस थाना लाडनूं में करना बताया जिसमें फाइल रिपोर्ट दे दी गई बताई।

श्री ज ाल खां ने अपने बयानों में बताया कि करन्ट बालाजी के पास वाली विवादास्पद जमीन पर एक पट्टा 30,000 वर्ग गज का उसके नाम से तथा दूसरा पट्टा 60,000 वर्ग गज उसके पिता के नाम से सम्वत् 2010 में जारी किया गया उसने अपने पट्टे की फोटो स्टेट कापी पेश की जो इ. एक्स.–5 है तथा उसके बाप के नाम वाला एक पट्टा वकील साहब के पास होना बताया तथा जमीन पर कब्जा 10 वर्ष से पाये भर कर कब्जा होना बताया। इस जमीन पर उसने 41 प्लोट बनाये थे जिनमें से 20 प्लोटों की बिक्री कर चुका है। पट्टों का इन्द्राज पटवारी के रेकार्ड में कराये जाने बाबत उसको जानकारी नहीं थी। जमाल अपने बयानों में यह कहता है कि बन्दोबस्त में इस जमीन पर उनका नाम क्यों नहीं आया और जिस कारण क्या कार्यवाही करनी थी उसको पता नहीं है। श्री जमाल ने अपने नाम का पट्टा उसके बाप द्वारा बनवाया जाना बताया। इन दो पट्टों के अलावा जोड की जमीन जो दूजोसर तालाब के पास ठाकुर साहब के बंगले के अगूणी तरफ है, 60,000 वर्ग गज का पट्टा अपने पिता के नाम जारी बताता है तथा उसमें से 2,500 वर्ग गज जमीन के बेचान का इकरारनामा अपने द्वारा लिखना बताता है। यह इकरारनामा भंवरू खां मोयबल के नाम से किया जाना बताता है तथा 3000/– रु. कीमत के तय करना बताता है। जोडवाली जमीन के पास एक और पट्टा 15000 वर्ग गज का अपने नाम होना बताता है। इस जमीन में से 5000 वर्ग गज जमीन दो रजिस्ट्री के द्वारा बेचना बताता है। ठिकाना से फर्जी पट्टे प्राप्त करने की बात को गलत

ताता है। 1956 में पट्टों की नकलें पेश करने वावत कोई डूंडी पिटवाने की जानकारी नहीं होना जाहिर करता है तथा किसी भी पट्टे की नकल तहसील में पेश करना नहीं बताता है। जमाल आज तक अपने द्वारा 60-70 हजार रु. की जमीन बेचना जाहिर करता है तथा अपने पिता द्वारा कोई जमीन नहीं बेचना बताता है।

श्री जगदीश सिंह भी तथाकथित जमीन का पट्टा अपने पिता श्री हनुमान सिंह के नाम होना बताता है। यह पट्टा सं. 2009 का तथा नाम 100×85 बताता है। वह इस जमीन के चारों ओर 15 रोज पहले बाड का डोला बनाना जाहिर करता है। श्री जगदीश सिंह ने अपने पिता के नाम जारी पट्टे की फोटो स्टेट कापी पेश की जो सं. 2009 की जेठ वदी दूज का है. जो पत्रावली पर मौजूद है। श्री जगदीश सिंह ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि उसने 6-6-82 को जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, नागौर के समक्ष इस जमीन से कब्जा हटाने का कोई वायदा नहीं किया था। परन्तु उसने जमाल द्वारा जिस जमीन पर कब्जा किया था उस कांटों की बाड को दो दिन में हटवा देने का वायदा किया था। श्री जगदीश सिंह यह भी जाहिर करता है कि उसने लाडनूं प्रधान का चुनाव कांग्रेस आई. की टिकट पर लड़ा था जिससे कुछ लोग उनसे राजनैतिक द्वेष रखते हैं और बदनाम करना चाहते हैं।

श्री शिवदान सिंह कामदार ठिकाना लाडनूं जिसके द्वारा तथाकथित फर्जी पट्टे जारी करने की शिकायत है; ने अपने बयानों में, 35-36 वर्ष से ठिकाना में कामदार होना बताते हैं। उन्होंने जाहिर किया कि जितनी 8-10 पट्टा बाडों थी सब तहसील लाडनूं में जमा करा दी थी तथा 4-5 सीलें जो भी थी, वह भी तहसील में जमा करा दी जिसकी रसीद उसके पास है जो इ. एक्स. 7 है तथा जिसकी फोटो स्टेट कापी इ. एक्स. 7 है जो पेश कर रहा हूं। मूल रसीद में Received व वही के बीच में जो शब्द लिखा हुआ था वो कागज कैसे कटा, जानकारी नहीं होना बताता है जो शब्द कटा हुआ है उस स्थान पर वहां पर रसीद में स्याही फैली हुई होना स्वीकार करता है तथा इ. एक्स.-8 जो तहसीलदार द्वारा एक मूल रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि बनाई गई है में उसने Received के आगे और वही के पहिले One लिखा हुआ होना स्वीकार करता है। परन्तु यह कैसे लिखा गया. अपनी अनभिज्ञता जाहिर करता है। यह रसीद 5-3-57 के बाद जब ठाकुर साहब देवलोक हो गये तब से आज तक अपनी Custody में रखना स्वीकार करता है। इ. एक्स.-9 जो श्री शिवदान सिंह के बयान 26-7-56 को ए. सी. एम. डीडवाना की कोर्ट में हुये थे उसकी इबारत "चालू वही संवत् 2011 तहसील में सौंपी जा चुकी हैं बाकी तमाम वहियान ठिकाने के कब्जे में हैं" सही होना स्वीकार करता है। इन्हीं बयानों में उसने आगे कहा है "दावा तस्दीक कराते समय इमारती पट्टा का पुराने हिसाब व बहियात से तस्दीक कराई थी यह रेकार्ड हमने तहसील में जमा नहीं करवाया।" इन बयानों को वह सही होना बताता है। तारीख 26-7-56 को दिये गये बयानों को वह के बाद कोई रेकर्ड तहसील में जमा नहीं करना प्रकट करते हैं। श्री शिवदान सिंह अपनी कामदारी के दौरान कुछ पट्टे स्वयं द्वारा तथा

202

कुछ पट्टे सरफूदीन काजी व जेठमलजी सेठिया द्वारा लिखे जाना बयान करता है। ई.एक्स-3, 4 व 5 पट्टे की फोटो स्टेट तथा श्री हनुमानसिंह के नाम जारी किये गये पट्टे की फोटो स्टेट कापी देख कर बताता है कि इन पट्टों व इबारत उसके हाथ की लिखी हुई हैं तथा पट्टों के ऊपर "सही छ" "ठाकुर बालसिंह के हाथ की होना बताता है। कामदार आबादी के बाहर रेवेन्यू की जमीन पर भी आबादी के पट्टे देने का अधिकार ठिकाने को होना जाहिर करता है तथा करेंट बालाजी के पास वाली जमीन के पट्टे जो कमाल, हनुमान-सिंह राजपूत तथा देवीसिंह गौड के नाम से जो जारी किये गये थे फर्जी होना अस्वीकार किया। पट्टा की फीस वसूल करना श्री शिवदान सिंह जाहिर करता है और इसका इन्द्राज बहियों में करना स्वीकार करता है परन्तु ठाकुर साहब की मृत्यु के बाद रोकड़ बहियों को रद्दी में बेचना जाहिर करता है। श्री सागरमल द्वारा थाने में केस 420 आई. पी. सी. के तहत दर्ज कराना श्री शिवदान सिंह स्वीकार करता है तथा पुलिस द्वारा 120 जगह सही छः और शिवदान सिंह लिखवा कर लिये थे उसके बाद उसे कभी तलब नहीं किया गया। इस मामले का क्या हुआ उसको जानकारी नहीं है।

श्री मनोहर सिंह जो भूतपूर्व ठाकुर लाडनूं श्री बालसिंह के वारिस और वर्तमान में लाडनूं ठाकुर साहब के नाम से जाने जाते हैं, की उम्र 32 वर्ष है, इन्होंने अपने बयानों में बताया कि उनके पिता श्री बालसिंह का देहान्त मार्च 1956 में हो गया था तथा श्री शिवदान सिंह को ठिकाने की ओर से कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही है, खाना ठिकाने की ओर से दिया जाता है तथा श्री शिवदान सिंह लाडनूं गढ़ में रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिताजी की मृत्यु के समय वे बहुत छोटे थे और ठिकाने का काम काज श्री शिवदान सिंह कामदार ही देखते थे। उन्होंने आगे कहा कि ठिकाने की गद्दी 5-6 वर्ष पूर्व बेची गई थी लेकिन उसमें ठिकाने की किसी प्रकार की सही नहीं थी। भेड़ ऊन दफ्तर का किराया श्री शिवदान सिंह द्वारा लिया जाना भी श्री मनोहर सिंह ने जाहिर किया।

जांच के दौरान श्री नारायण सिंह एस. एच. ओ. पुलिस थाना लाडनूं के भी बयान लिये गये जो अपने बयानों में सन् 1975 में श्री सागरमल की दरख्वास्त पर एफ मुकदमा नम्बर 61/21.8.75 जुर्म दफा 420 आई. पी. सी. का श्री शिवदानसिंह काम-दार ठिकाना लाडनूं के विरुद्ध होना बताते हैं। इस मुकदमें में एफ. आर. देना तथा एफ. आर. एम. जे. एम. कोर्ट डीडवाना में विचाराधीन होना बताया। उक्त मुकदमा की तफतीश के दौरान कुछ असली पट्टे तथा कुछ विवादग्रस्त पट्टे एक्सपर्ट ओपिनियमन हेतु एक्सपर्ट के पास भेजना जाहिर करते हैं जिसमें एक्सपर्ट की राय निम्नलिखित प्राप्त होना बताया।

1. The document of this case have been examined carefully and thoroughly.

2. Thred enclosed writing stamp and marked X-1 and X-2, A-1 and A-2 agree in movement and design of Letters.

3. It has not been possible to express any opinion on age of the ink (being carbon ink) and paper.

4. It has also not possible to express definite opinion regarding authorship of the disputed writing on the basis of meterial at hand.

श्री नारायण सिह एस. एच. श्रो. ने इस विवादास्पद जमीन बावत नगरपालिका श्री जगदीश सिह व जमाल की श्रोर से श्रलग श्रलग फौजदारी मुकदमे दर्ज कराना जाहिर किया तथा फिलहाल तफतीश बन्द रखना बताया।

श्री हरजीराम बुरडक प्रधान, पंचायत समिति लाडनू ने श्रपने बयानों में बताया कि वे दो सत्र के लिये लाडनू क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य रहे हैं। तथा 1959 से 65 तक प्रधान पंचायत समिति के पद पर भी श्रासीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में कामदार शिवदान सिह ने श्रसली पट्टा बही के श्राधार पर न्यायालयों में उपस्थित होकर श्रपने बयान भी दिये हैं तथा बहुत से पट्टों की प्रमाणित प्रतियां भी उनके द्वारा तस्दीक की हुई है। उन्होंने बताया कि लाडनू तहसील में बन्दोबस्त का कार्य संवत् 2020 में हुश्रा था श्रौर भी जमाल, मोहन सिह तथा जगदीश सिंह के पिता के पास श्रगर श्रसल पट्टे होते तो वे बन्दोबस्त के समय भी उजरदारी कर सकते थे। तत्पश्चात 1976 में 65 बीघा भूमि श्राबादी घोषित होने पर भी उनके द्वारा उजरदारी की जा सकती थी। उन्होंने श्रारोप लगाया कि पटवारी हल्का लाडनू द्वारा भी श्रपने एक नजदीक रिश्तेदार रामेश्वर लाल राजपुरोहित को जमाल द्वारा बेचे जाने वाले प्लाटों में से एक प्लोट का बेचान किया गया है।

उनका दूसरो श्रारोप यह है कि पटवारी हल्का ने विवादास्पद भूमि पर जमाल के कब्जा होने का प्रमाण पत्र ईएक्स–17 ईएक्स 18 बदयान्सी से जारी कर दिया जो क्योंकि पटवारी के पास श्राबादी भूमि के श्रतिक्रमण संबंधी कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता। उनके श्रनुसार फर्जी पट्टों में जो जमीन का पड़ौस श्रंकित किया गया है वह श्रस्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर जमाल के पट्टे में उत्तर की तरफ मोयलों का कुश्रा व जाव बताया है जबकि जिस स्थान पर जमाल श्रपनी जमीन बताता है उस स्थान श्रौर मोयलों की जाव के बीच में 1·5 बीघा भूमि बगड़ों की है तथा बगड़ों के पास जो इमारती पट्टा है उसकी तारीख जमाल के पट्टे के पूर्व की है। इन पट्टों के फर्जी होने बाबत उनकी एक दलील यह है कि उसी भूमि में से लाडनू बाई पास रोड 4-5 वर्ष पूर्व बनाई गई थी श्रौर मुंसिफ कोर्ट जिसके लिये जमीन गत साल ही दी गई थी, इन दोनों भूमियों को 30 वर्ष पहले के बताये जाने वाले पट्टों में क्यों कर छोड दिया गया। इस प्रकार दूसरे जो पट्टे हैं वे

सड़क की जमीन को छोड़कर दक्षिण की तरफ की भूमि के बनाये गये है । तथा इन पट्टों में उत्तर का पाडोस लाडनूं के दक्षिण के खन्देडे बताये गय है जो पट्टे वाली भूमि से लगभग एक किलोमीटर उत्तर में है । तथा खन्देडे के चारों तरफ पहले से ही आबादी बसी हुई है । उनके अनुसार जमाल फर्जी पट्टों के आधार पर सरकारी जमीन के बेचान का धन्धा करता है । लाडनूं के पश्चिम में जो मगरा बस्सी बसी हुई है वहां पर करीब 60 बीघा सरकारी भूमि के फर्जी पट्टे प्राप्त कर उसने बेचान किया है । उनके अनुसार यह पूरी कार्यवाही एक गिरोह द्वारा षडयन्त्र के रूप में की जाती है तथा इस कार्यवाही में पटवारी हल्का लाडनूं श्री भंवर सिंह का सक्रिय योगदान रहता है । मौके पर खाली जमीन पटवारी द्वारा बताई जाने पर पट्टा तैयार किया जाता है और मौके पर जाकर पटवारी पट्टाधारी को नाप जोख करता है तथा जमीन के आडोस पडोस की समझाइश करता है । मगरे पर बने मकानों में जिन मकान मालिकों ने पटवारी को पैसे दे दिये उनके खिलाफ पटवारी ने धारा 91 की रिपोर्ट नहीं की तथा जिन व्यक्तियों द्वारा पैसे नहीं दिये गये उनके विरुद्ध रिपोर्ट पेश कर दी । उन्होंने आगे कहा कि पहले भी इस पटवारी के खिलाफ फर्जी म्यूटेशन भरने के कारण ए. डी. ओ. ने इसके निलम्बन की सिफारिश की थी तथा खानपुर के एक माली ने पटवारी के खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. भी दर्ज करवाई थी । लेकिन पुलिस ने उक्त मामलों का चालान करते समय पटवारी को मुलजिम के बजाय गवाह बना दिया । उन्होंने बताया कि जमाल की तरह ही आशाराम साद द्वारा भी फर्जी पट्टों के आधार पर लाखों रुपये की जमीन का बेचान किया गया । आशाराम के नाम उसके गुरुजी श्री प्रितमदास ने एक वसीयत की थी जिसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण दर्ज था और वसीयत की रजिस्ट्री करवाई गई थी । इसके बावजूद भी आशाराम अपने व अपने गुरुजी के नाम पुरानी तारीखों में फर्जी पट्टे बनवाकर जमीन का बेचान करता रहा है । उन्होंने यह भी संदेह जाहिर किया कि जमाल सिलावट पी. डब्लू. डी. व पी. एच. ई. डी. का रजि. ठेकेदार है तथा उसकी इन्कम टैक्स में स्थाई पत्रावली भी है लेकिन उसके द्वारा लाखों की जमीन बेची जाकर जो आमदनी की गई है उसका इन्कम टैक्स रिटर्न में संभवत: इन्द्राज ही नहीं किया गया तथा आयकर का अपवचन किया गया है ।

गवाहन के बयानात लेने के अलावा हमने खसरा नम्बर 1688/2210 एवं मगरावास का मौका निरीक्षण भी दिनांक 12 6.82 को किया । दोनों मौके के नजरी नक्शे बनाये जाकर शामिल मिसल किये गये । खसरा नम्बर 1638/2210 में बाई पास रोड के उत्तरी दिशा में पट्टाधारी जमाल द्वारा 10 × 12 फीट में बनाये गये तथा नगर पालिका द्वारा तोड़े गये कमरे के निशानात मौके पर मौजूद थे जबकि बाई पास रोड की दक्षिणी दिशा में पट्टाधारी जगदीश सिंह ने ट्रैक्टर चला कर मिट्टी का डोला करीब एक फीट ऊंचा मौके पर बना रखा था । इसी जमीन में से करेन्ट बालाजी को जाने वाली पानी की लोहे की पाईप भी गुजरती है । मगरावास नामक बस्ती में हजारों मकान गैर मुमकिन अंगोर भूमि में बने हुये पाये गये । पटवारी हल्का से इस भूमि की जमाबन्दी प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई, जिसके अवलोकन से उक्त गैर

मुमकिन् ग्र गोर भूमि ग्रलावा जोत नाकाबिल काश्त के खसरा नम्बर 853 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा, 1582 रकवा 221 बीघा 18 बिस्वा, 1507 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा 1007/2077 रकवा 8 बीघा 6 बिस्वा, 1507/2078 रकवा 4 बिस्वा, 1507/2079 रकबा 1 बीघा तथा बारानी ग्रव्वल खसरा नम्बर 1263/1 रकवा 241 बीघा 10 बिस्वा है ।

उप पंजीयक कार्यालय से लाडनू कस्बे में पट्टों के ग्राधार पर ग्रसाधारण रूप से विक्रय की गई भूमि के पंजीयन की सूचना संकलित की जाकर सूचियां शामिल पत्रावली की गई तो पाया गया कि खसरा नम्बर 1688/2210 में से जमाल पुत्र इब्राहीम सिलावट ने 22 व्यक्तियों को भूमि का विक्रय किया है । इसके ग्रलावा वर्ष 1981 में भी 11 ग्रन्य व्यक्तियों को जमाल द्वारा भूमि विक्रय की गई है । जमाल की तरह ही बन्नेसिंह पुत्र खेमसिंह मोयल निवासी लाडनूं ने ऐसे ही पट्टों के ग्राधार पर 4 मामलों में भूमि का बेचान किया है । इसी प्रकार का बेचान 14 मामलों में वर्ष 76 से 81 के बीच ग्राशाराम चेला प्रीतमदास साद के द्वारा तथाकथित पुराने ठिकाने के पुराने पट्टों के ग्राधार पर किया गया है ।

बड़े खेद ग्रौर ग्राश्चर्य का विषय है कि लाडनूं कस्बे में फर्जी पट्टे प्रचलित होने की शिकायतें जागीर समाप्त हो जाने के पश्चात से ग्राज तक होती रही ग्रौर विभिन्न ग्रवसरों पर विभिन्न ग्रधिकारियों ने इस प्रकरण में जांच भी की थी लेकिन ग्रधिकारीगण सम्भवत् कोई निश्चयात्मक (Findings) नहीं दे सके ग्रौर सम्भवतः इसी कारण जिला प्रशासन ऐसे नाजुक मसले में भी कोई प्रभावशाली कदम उठाने में ग्रसफल रहा । पत्रावली सं. Mise 19/52–53 A.T.C. 52/57 के ग्रवलोकन से प्रकट होता है कि मामला राज्य सरकार को किसी मालचंद की शिकायत पर संदर्भित किये जाने पर राजस्व विभाग ने ग्रपने पत्रांक एफ–4(12) रेव: 50 दिनांक 13.5.50 द्वारा जिलाधीश नागौर को सूचित किया कि "As there are no rules to safeside the pattas issued by the Kana I am directed to inform you that the only alternative for the parties concerned is to seek redrsse in civil courts to get these pattas cancelled.

सम्भवत: राज्य सरकार के द्वारा यह रुख ग्रपनाये जाने के बाद फर्जी तौर से पट्टा बनाने वाले तत्वों का मनोबल बढ गया । श्री सागरमल बरमेचा द्वारा सन् 1975 में पुलिस में दर्ज कराये गये मामले में एफ. ग्रार. लग जाने तथा कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जाने के कारण जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस की ग्रनिच्छा एवं उदासीनता से ऐसे ग्रसामाजिक तत्वों के हौंसले बुलन्द हो गये जिनका परिणाम ग्राज हमारे सामने है ।

इस प्रकार का इतिहास जानने वाले जानबूझकर सूत्रे जो स्पष्ट कारणों से गुमनाम रखना चाहते हैं, उनका कथन है कि कामदार द्वारा एक बही ग्रौर रसीद तहसील में

जमा अवश्य कराई गई थी लेकिन बाद में संबंधित लिपिकों को रिश्वत दी जाकर बही तथा सील को वापिस प्राप्त कर लिया गया और उसी समय से आज तक धड़ल्ले से पट्टे बनाये जाकर ऐसे पट्टों के आधार पर करोडों रुपये की सरकारी भूमि का या तो बेचान कर दिया गया है अथवा उसे हड़प लिया गया है। इन सूत्रों ने यह भी बताया कि पूर्व में इस सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर डूंडी पिटवाई जाकर यह ऐलान किया था कि जिन जिन लोगों के पास लाडनूं ठिकाने द्वारा जारी किये गये पट्टे उपलब्ध हों, उसकी प्रति वे तहसील कार्यालय में वास्ते रेकार्ड पेश कर दें। तहसील कार्यालय लाडनूं में इस सम्बन्धी पत्रवाली में 540 पट्टों की नकलें उपलब्ध है। तथाकथित पट्टाधारी सर्व श्री जमाल, हरी सिंह तथा देवीसिंह गौड के पास अगर वास्तव में पुराने पट्टे संवत् 2009 व 2010 के बने हुये होते और उनकी नीयत साफ होती तो कोई कारण नहीं था कि वे अपने पट्टों की नकलें तहसील कार्यालय में पेश नहीं करते। इन्हीं सूत्रों के अनुसार इन फर्जी पट्टाधारियों के कब्जे में अभी 40-50 पट्टे और भी हैं और अगर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो निकट भविष्य में और सरकारी भूमि पर ये पट्टे सेट किये जाकर भूमि हड़प ली जायेगी।

श्री शिवदान सिंह कामदार अपने बचाव में बार बार एक रसीद पेश करते हैं जो ई. एक्स-7 है। इस रसीद की इबारत इस प्रकार है।

Received Bahi and Patas Seal of Thikana Ladnu from Kamdarji Shri Shivdanji on 19-5-56

इस रसीद पर श्री एल.एल. माथुर जागीर एकाउन्टेन्ट तथा श्री डी.सी. माथुर बी.डी.ओ. (तहसीलदार) लाडनूं के हस्ताक्षर मौजूद हैं। लेकिन इस रसीद की फोटो स्टेट कोपी तथा इसी रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि जो तहसीलदार लाडनूं द्वारा उसके पत्र दिनांक 15.11.71 को जिलाधीश नागौर को अपने पत्र के साथ संलग्न कर भेजी गई थी, जो ईएक्स-8 है, में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। प्रमाणित प्रतिलिपि में Received के आगे और बही शब्द के पहले One लिखा हुआ है। जबकि फोटो स्टेट कोपी में One मिटा दिया गया है। दौराने जांच कामदार शिवदानसिंह से मूल रसीद प्राप्त कर देखी गई तो One की जगह कटी हुई पाई गई और कटे हुये स्थान के चारों तरफ थोडी स्याही फैली हुई थी। मूल रसीद श्री शिवदान सिंह के व्यक्तिगत कब्जे में थी और One शब्द लिखा रहने से यह प्रकट होता था कि श्री शिवदान सिंह ने सिर्फ एक ही बही जमा कराई थी। चूंकि पहले श्री शिवदानसिंह के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा पुलिस में दर्ज हो चुका था, अतः उनका चौकन्ना और सावधान होना तथा प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही करना स्वाभाविक था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रसीद को समस्त बहियों की रसीद बताने की नीयत से श्री शिवदान सिंह ने One शब्द को पहले तो स्याही फैलाकर मिटाने की कोशिश की और बाद में यह ख्याल आने पर कि स्याही फैलाने से रसीद संदेहास्पद हो जायेगी, उन्होंने स्याही फैलाये हुये कागज के हिस्से को पंचिंग मशीन से काट दिया। अपने बयानों

(207)

में इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। इनसे उनकी बदयान्ती प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाती है। इसी प्रकरण सम्बन्धी एक पुरानी जांच में दिनांक 26.7.56 को ठाकुर शिवदानसिंह ने ए.सी.एम. डीडवाना के समक्ष अपने बयानों में कहा था "जालू बही संवत् 2011 की तहसील में सौंपी जा चुकी है बाकी तमाम बहियात ठिकाने के कब्जे में है। दावा तस्दीक कराते समय इमारती पट्टों का पुराना हिसाब व बहियात से तस्दीक कराई थी। यह रेकार्ड हमने तहसील में जमा नहीं करवाया। मैं ठाकुर साहब के ठीक होने पर करीब 20-25 रोज़ जोधपुर दरबार की आज्ञा पेश कर सकता हूं जिसके अनुसार ठिकाने को पट्टा करने का काम दिया गया था। उनके इस कथन से यह स्पष्टतया प्रमाणित हो जाता है कि मई 56 में ठिकाने द्वारा सिर्फ चालू एक पट्टा बही और एक सील ही तहसील कार्यालय में जमा कराई गई थी। अगर और कोई रेकार्ड जमा कराया जाता तो उसकी रसीद भी श्री शिवदान सिंह पेश कर सकते थे। अपने उपरोक्त बयानों को श्री शिवदान सिंह ने गलत नहीं माना है अर्थात उसे सही ही समझा जायेगा।

श्री शिवदान सिंह ने हमारे समक्ष बयानों में पहले तो यह कहा कि 8-10 जितनी भी पट्टा बहियां थीं तथा 4-5 सीलें जो भी थीं उन्होंने तहसील में 19.5.56 को जमा करदी थीं। लेकिन जब उनके 26.7.56 के बयानों एवं दोनों रसीदों में अन्तर होने के बाबत जिरह में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 26.7.56 के बयानों के बाद में बहियां तहसील में जमा करवा कर रसीद नहीं ली गई थी क्योंकि कोई रेकार्ड जमा ही नहीं कराया गया। बाद में इस गवाह ने रोकड़ बहियों को ठाकुर साहब के देवलोक होने के बाद बेच देना जाहिर किया। यह गवाह कदम कदम पर झूठ बोलता है अतः उसका कथन पूर्णतया अविश्वसनीय है। जबकि वे बहियों को रद्दी में बेचने की बात का खण्डन ठाकुर मनोहर सिंह स्वयं करते हैं।

श्री मनोहरसिंह के बयानों से यह प्रकट होता है कि श्री शिवदान सिंह बिना तनख्वाह लिये हुये जागीरदारी समाप्त होने के बाद से आज तक खाली खाने के बदले में ठिकाने की सेवा करते आ रहे हैं। आर्थिक विषमता के इस युग में निःस्वार्थ सेवा करने वाला कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य से ऐसा आभास होता है कि या तो श्री शिवदान सिंह इस प्रकार गढ में बने रहने से कोई अनुचित लाभ अपने पुराने पद के आधार पर कमा रहे हैं अन्यथा उनका कोई दूसरा निहित स्वार्थ लाडनूं गढ में बने रहने के पीछे है। यही यह बात काबिले गौर है कि दिनांक 2.6.82 को जब नगरपालिका के कर्मचारी तथा कथित फर्जी पट्टों के आधार पर किये गये जमाना एवं जगदीश सिंह का अतिक्रमण हटाने गये तो वहां पर तथाकथित पट्टाधारियों के साथ श्री शिवदानसिंह भी मौजूद थे और उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों को अपनी 12 बोर बन्दूक के बल पर डराया व धमकाया। ऐसा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था यह तो श्री शिवदान सिंह ही जानते होंगे। आम तौर पर विधिवत् पट्टा जारी करने वाला व्यक्ति इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता कि अमुक पट्टाधारी को मौके पर कब्जा मिलता है अथवा नहीं। विक्रेता इस बात की अवश्य चेष्टा करता है कि वह क्रेता को मौका पर कब्जा

संभाला दें। इसके अलावा श्री शिवदान सिंह का नगरपालिका कार्यालय में जाकर के स्टाफ के साथ गाली गलोच करना तथा उन्हें डराना धमकाना एवं अध्यक्ष नगरपालिका को सरे आम गाली गलोच करने की घटनाओं से यह तथ्य सामने आता है कि वे येनकेन प्रकारेण उनके द्वारा जिन लोगों को पट्टे जारी किये गये हैं उन्हें मौके पर काबिज कराना चाहते हैं। श्री शिवदान सिंह की बदनियती स्पष्टतया प्रमाणित हो जाती है। अगर पट्टे वास्तव में पुराने बने हुये और असल होते तो कामदार श्री शिवदान सिंह को उपरोक्त कार्यवाहियों से पट्टाधारियों को मौके पर कब्जे कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार जिस अपराधी षडयन्त्र का हमें सन्देह है उसके विद्यमान होने की भी पुष्टि हो जाती है।

हमारे सामने गुजरे हुये गवाह के बयानों के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि ठिकाने के जमाने में पट्टा लेखक का कार्य पट्टा लिपिक के द्वारा ही किया जाता था, कामदार द्वारा नहीं। इसके अलावा तिथि लेखक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा डाली जाती थी। इन पट्टों पर 4-5 कस्बों में मौजिज लोगों की साक्षियां भी हुआ करती थी। इसके अलावा पुराने पट्टों की लेखनी मोटी हुआ करती थी तथा बही वाला कागज मोटा हुआ करता था। सम्भवत: वे कलम से लिखे जाते थे जबकि आजकल पुरानी तारीखों के तथ कथित पट्टे में सिर्फ शिवदान सिंह ने ही पूर्णतया एकाकी के हस्ताक्षर हैं। इनकी लेखनी भी पुराने पट्टों जितनी मोटी नहीं होकर पतली लेखनी है, संभवत् होल्डर से लिखे हुये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पट्टों के कागज को भी सप्रयास मोड मोड कर तथा किसी अन्य विधि से पुराना जाहिर करने की कोशिश की जाती है। पट्टे को पुराना दर्शाने की नीयत से उसमें तिथि या संवत् 2009 या 2010 की डाली जाती है तथा वर्तमान में जमीन पर हक जाहिर करने वाले के पिता के नाम से उसे तैयार किया जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि श्री शिवदान सिंह कामदार इन पट्टों में अपनी लिखावट का होना स्वीकार करता है जबकि हैंड राईटिंग एक्सपर्ट पट्टे के लेखक तथा उसके कागज की उम्र के बारे में राये देने में असमर्थ हैं।

निष्कर्ष : मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि :—

(1) पुराने पट्टों से तुलना करने पर सर्व श्री जमाल एवं हनुमानसिंह के पट्टे पूर्णतया अवैधानिक एवं सन्देहास्पद हैं। पुराने पट्टों की तरह न तो इनमें पट्टा लिपिक के हस्ताक्षर ही हैं, न मिति डालने वाले के हस्ताक्षर हैं और न ही किसी साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इन कारण इन पट्टों को वास्तविक पट्टे नहीं माने जा सकते, जहां तक लेखक का सवाल हैं, इसमें किसी विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता ही नहीं रह जाती क्योंकि श्री शिवदान सिंह स्वयं ही इनका लेखक होना पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों के समक्ष स्वीकार करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है बाई पास रोड निकल जाने तथा मुंसिफ कोर्ट बन जाने से विवादास्पद भूमि के महत्व को देखते हुये पट्टा जारी करने वाले श्री

शिवदानसिंह तथा जिन लोगों का इस भूमि के पट्टे उनके द्वारा जारी किये गये है उसके द्वारा एक अपराधिक षडयंत्र किया जाकर भूमि के पट्टे फर्जी तौर से तैयार किये गये।

(2) पटवारी हल्का ने मौके पर जमाल का कब्जा होने के बाबत दो प्रमाण पत्र दिनांक 26.11.81 एवं 20.5.82 को जारी किये थे जो क्रमश: ईएक्स-17 एवं 18 हैं। इन प्रमाण पत्रों में पटवारी हल्का ने शेष भूमि पर जमाल सिलावट द्वारा कब्जा किया हुआ है की लिखावट बदयांति से एवं बिना किसी आधार के अंकित किया गया है। इस पूरे षडयंत्र में उसका हाथ होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे द्वारा की गई जिरह में उसने यह स्वीकार किया है कि रामेश्वरलाल पुत्र श्री नारायणराज पुरोहित साकिन रेण जो उसके सगे बहनोई लगते हैं तथा फौज में नौकरी करते हैं उन्होंने भी जमाल सिलावट से एक प्लोट खरीदा है। पटवारी के सहयोग के बिना जमाल उसके बहनोई को प्लोट दे देता यह संभव प्रतीत नहीं होता।

(3) कस्बा लाडनूं की बहुत सारी गैर मुमकिन अगोर भूमि पर तथाकथित पट्टों के आधार पर अथवा बेचान के आधार पर हजारों की संख्या में मकानात बनाये जा चुके हैं। इस बारे में विस्तृत सर्वे किया जाकर उनके नियमन अथवा उनको हटाने की कार्यवाही के बाबत एक नीतिगत निर्णय लिया जावे।

(4) आयकर विभाग से पूछताछ की जावे कि श्री जमाल सिलावट तथा आशाराम द्वारा लाखों रुपयों की बेची गई जमीन की आमदनी से उनके द्वारा इन व्यक्तियों से आयकर वसूल किया गया है अथवा नहीं।

(5) यह भी सिफारिश की जाती है कि अपराधिक षडयंत्र में लिप्त पाये गये श्री शिवदानसिंह कामदार, जमाल सीलावट, हनुमानसिंह राजपूत, देवीसिंह गौड एवं भंवरसिंह पटवारी के विरुद्ध पुलिस थाना लाडनूं में आई. पी. सी. की धारा 467, 471, 420 एवं 120 बी का मुकदमा दर्ज करावाया जावे तथा जिस केस के पूर्व में 1977 में एफ. आर. लगा दी गई है उसको पुन: खोला जाकर फिर से तफतीश शुरू की जावे। एस. एच. ओ से जांच नहीं कराई जाकर इस महत्वपूर्ण मामलों की तफतीश सी. ओ. डीडवाना से कराना उचित रहेगा ताकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जा सकें।

एस० डी०

गोरधन लाल शर्मा

अतिरिक्त जिलाधीश नागौर

(210)

परिशिष्ट–2

आरोप पत्र संख्या 1 विरूद्ध श्री भंवर सिंह पटवारी हल्का लाडनूं

आरोप पत्र सं.--1

कस्बा पटवारी लाडनूं के पद पर कार्यरत रहते हुये श्री जमाल पुत्र इब्राहीम साकिन लाडनूं को अपने पद का दुरूपयोग करते हुये श्री जमाल ने नाजायज फायदा उठाने की गरज से उसे राजकीय भूमि पर कब्जा होने का प्रमाण पत्र जारी किये और एक प्लाट स्वयं ने उससे लिया जिसका विक्रय अपने बहनोई श्री रामेश्वर लाल के नाम बेनामी करवाया। जिसके लिये आप दोषी हैं।

हस्ताक्षर

जिलाधीश, नागौर

परिशिष्ट–3

आरोप विवरण पत्र विरुद्ध श्री भंवरसिंह पटवारी हल्का लाडनूं

आरोप विवरण पत्र सं.--1

तहसील लाडनूं में पटवारी हल्का लाडनूं दिनांक 5-1-78 से अब तक रहते हुए आपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये एवं जमाल पुत्र इब्राहीम सिलावट सा लाडनूं से नाजायज फायदा उठाने की गरज से उसे राजकीय सिवाय चक भूमि ख. नं. 1688 पर उसका कब्जा होने के दो प्रमाण पत्र जारी क्रमशः दिनांक 26-11-81 एवं 20-5-82 को जारी किये और उससे एक प्लाट स्वयं ने प्राप्त किया जिसका बेनामी विक्रय पत्र अपने बहनोई श्री रामेश्वरलाल पुत्र नारायण राजपुरोहित साकिन रेण जो कि फौज में नौकरी करता है के नाम से करवाया। जो उक्त कार्यवाही की पुष्टि करता है। जिसके लिये आप दोषी हैं।

हस्ताक्षर

जिलाधीश, नागौर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं. 36 की सूची

प्रश्न के भाग संख्या 2 की सूची

1 अवेन्डेड हैंड पम्पों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	हैंड पम्पों की सं.
(अ)		
1.	खेडा जगपुरा	1
2.	काल्या खेडी	1
3.	डोवडा	1
4.	रायपुरा	1
5.	शम्भूपुरा	1
6.	खेडा	2
7.	रामनगर	1
8.	रंगपुर	1
		योग :– 9

2– सूखहैंड पम्प

1.	शम्भुपुरा	2
2.	पाचन कुई	2
		योग :– 4 नं.
		कुल योग : 13

3– ओभा मार्क

(व)

1.	राजपुरा	1	हैंडपम्प ठीक करवाये जा रहे हैं।

2. जामपुरा	2	हैंड पम्प ठीक करवाये जा रहे हैं।
3. गंदीकली	2	,,
	योग :- 5 नं.	

4- ग्राम वासी ठीक नहीं करवाना चाहते हैं

(स)

1. लाडपुरा कैथून	1 नं.	
	योग :- 1 नं.	

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 37 की सूची

भाग–1 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मीठडी, गांवों की सूची

क्र.सं.	गांवों का नाम	कोड नं.	आबादी 1961 की जनगणना
1.	फिरवासी	92	940
2.	लादडी	91	550
3.	खीवच	88	593
4.	कनवई	26	428
5.	लूनोदा	37	225
6.	ललासरी	33	1083
7.	मीठडी	90	1269
8.	हुसैनपुरा	93	563
9.	आस की ढाणी	—	420
10.	ध्यावा	86	1530
	निम्न गांवों को बाद में जोड़ा गया		
11.	इन्द्रपुरा	87	321
12.	अम्बापा	25	278
13.	जेसलाना	85	669
14.	साधो की ढाणी	—	178
15.	गिली की ढाणी	—	331

मूल योजना में जल स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	जल स्रोतों का प्रकार	संख्या	क्षमता
1.	खुला कुआ गांव फिरवासी	1	2000 गैलन घंटा
2.	नल कूप गांव झलमले	3	3000 से 4000 गैलन/घंटे.

भाग–2 क्षेत्रीय जलदाय योजना मीठडी अब सम्मलित गांवों की सूची

क्र०सं०	गांव का नाम	कोड नं०	आबादी 1961 की जनगणना पर	विशेष विवरण
1.	फिरवासी	92	940	
2.	सादडी	91	550	
3.	खीवच	88	593	
4.	कनवई	26	428	
5.	लूनोदा	37	225	
6.	ललासरी	33	1083	कनवई स्रोतों में
7.	मीठडी	90	1269	पानी कम होने से
8.	हुसैनपुर	93	563	नहीं दिया जा
9.	आस की ढाणी	—	420	रहा है।
10.	ध्यावा	86	1530	
11.	इन्द्रपुरा	87	321	
12.	अम्बापा	25	278	
13.	जैसलना	85	669	पिछले 4 माह पानी कम होने से पानी नहीं दिया गया।
14.	साधों की ढाणी	--	170	
15.	गिली की ढाणी	—	332	रास्ते के गांव की अत्यधिक जल डिमाण्ड होने से पानी नहीं दिया जा रहा है।

नोट—क्र०सं० 11 से 15 तक 5 गांवों को बाद में जोड़ा गया। कुल 15 में से 12 गांवों में जल सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है।

भाग संख्या-6. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, वृत नागौर के निरीक्षण प्रतिवेदन की एक्सट्रैक्ट प्रतिलिपि।

लाडनूं तहसील की विभिन्न योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन दि. 17-4-85

26-- हुसैनपुरा—इस गांव में पानी की सप्लाई नियमित हो रही थी।

28-- मीठडी—इस गांव में जल वितरण नियमित था लेकिन मीठडी से आगे के गांवों में पानी पम्प से दिया जा रहा था, उसके लिए पम्प सैट कार्य कर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह चलते समय इतनी जोर से आवाज कर रहा था कि कभी भी पानी टूट कर अलग हो सकता था।

फाउण्डेशन सही नहीं था। कपलिंग बुश कटे हुए थे। बोर्ड खराब हो चुका था ऐसा लग रहा था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मीठडी में बने जलाशय जिसको अभी ठीक कराया गया था। उसके पास बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा था तथा साथ ही पानी के फाउन्डेशन जाने की सम्भावना बनी हुई है। सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरन्त पानी के रिसाव को रोकें।

29-- आस की ढाणी - इस गांव का कनेक्शन कटा हुआ था। यहां पानी का वितरण नहीं हो रहा था। सहायक अभियन्ता ने बताया कि गांव वालों ने स्वयं ने पेयजल सप्लाई निजी कारणों से बन्द करा रखी है। गांव में ही गांवई कुए से ग्राम वासी पेय जल की पूर्ति कर रहे थे।

30-- ध्यावा - इस गांव में पानी की शिकायत थी। पानी कम पहुंचने के कारण जो पाया गया कि मीठडी से ध्यावा पाईप लाईनों में काफी बड़ा लीकेज होने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। इस गांव में पेयजल शिकायत अधिकतर होती रहती है। कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देश दिये गए हैं कि वे मिठडी से लेकर ध्यावा तक जितने भी लीकेज हैं उनको दुरुस्त करायें और इन लाईनों का सुपरवीजन अधिक करें। जिससे कि पेयजल की सप्लाई नियमित हो सके।

47-- खीवज—इस ग्राम में पानी की सप्लाई नियमित थी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी।

48-- कनवाई— इस गांव में गंवाई कुवे पर जनरेटिंग सेट चल रहा था लेकिन पानी सिर्फ कनवाई, लूणोदा, इन्द्रपुरा, अबावा, में पानी सप्लाई हो रही थी।

कनवाई कुए पर छोटा जनरेटिंग सेट लगा हुआ था। सहायक अभियन्ता ने बताया कि वे शीघ्र ही इस कुए पर बड़ा जनरेटिंग सेट लगा देंगे। जिससे गांव लालासरी व जैसलान में भी पानी सप्लाई हो सके। ग्राम कनवाई में नलकूप बनाने के लिए भी ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प नागौर को लिखने हेतु कहा गया था। अधिशाषी अभियन्ता डीडवाना को चाहिये कि ग्राम कनवाई में नलकूप बनाने के लिए ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प नागौर को लिखें।

49-- लुणदा--इस ग्राम में पानी की सप्लाई हो रही थी।

50-- वर्तमान में ग्रामवासी पेयजल की पूर्ति या तो कनवाई ग्राम में या अन्य कुओं तथा लालासरी गांव में ही बने हुए तालाबों से करते हैं।

51-- अब्बापा— इस गांव में पेयजल की कोई शिकायत नहीं थी।

53-- जेसलान –इस गांव में पानी की सप्लाई नहीं थी। सहायक अभियन्ताओं को निर्देश दिए गए कि कनवाई पर जनरेटिंग सैट तुरन्त लगा दिया जावे। और जेसलान गांव को भी पानी सप्लाई किया जावे।

भाग संख्या–7.

योजना पर स्वीकृत पदों की सूची

क्र०सं०	पद का नाम	संख्या	कार्यरत कर्मचारी
1.	फीटर II	2	1
2.	पम्प चालक II	3	एक भी नहीं
3.	पम्प चालक III	5	1
4.	हैल्पर	8	2
	कुल योग-	18	4

इनके अलावा निम्न स्टाफ कार्यरत है—

1.	चौकीदार (कार्यप्रभारित)	2
2.	बेलदार (कार्यप्रभारित)	3
3.	मस्टर रोल पर अस्थाई करण रु० 11/- प्रतिदिन	10
		15

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं. 39 का विवरण

जनवरी 1979 के बाद मास्टर प्लान से हटकर बनाई गई सड़कें

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कृ. उ. मं. स. का नाम व जिला	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी.	5/85 तक का खर्चा
1	2	3	4	5
1.	नोहर/श्री गंगानगर	सम्पर्क सड़क वेदास से ढाणी लालखां	7.00	—
2.	,, ,,	नोहर से सोती	3.00	—
3.	,,	जसाणा से खानपुरा	3.00	—
4.	,,	चक सरदारपुरा	3.00	1.69
5.	,,	फेफाणा से माधोसिंह थाना	2.00	0.51
6.	सूरतगढ़/श्री गंगानगर	सं. स. सरदारपुरा बीका से घमण्डिया	5.00	0.30
7.	,,	बीरजवालहैड से सरदारपुर लोडाना	5.00	2.93
8.	,,	सं. स. घमण्डिया से रामसूराना खारान	2.00	—
9.	मादरा ,,	सं. स. उत्तरादावास से अजीतपुरा	3.00	—
10.	अनूपगढ़ ,,	सं. स. 76 जी. बी.	2.00	0.62
11.	,,	6 एम. एम.	3.00	1.76
12.	,,	मुख्य मंडी यार्ड से औद्योगिक क्षेत्र	1.00	—
13.	पदमपुर ,,	सं. स. पदमपुर से बुदरमोर 14 बी. एस. बी.	1.00	—
14.	श्रीकरणपुर ,,	शेष सं.स. ईट पदमपुर-करणपुर सड़क से धारंगावाली	3.00	4.09
15.	,,	सं. स. ईट सड़क लालखान से 5 ओ.	1.05	1.30
16.	,,	शेष सं. स. 1 एक्स सड़क से घनूर	1.00	1.20
17.	,,	सं. स. ईट सड़क करणपुर मुकनपुर से 56 एफ	2.00	2.15

218

1	2	3	4	5
18.	,,	सम्पर्क ईंट से 15 एफ. एफ.	4.00	2.75
19.	,,	सम्पर्क ईंट सड़क से करणपुर गजसिंहपुर सड़क से 10 ओ.	2.00	—
20.	केसरीसिंहपुर ,,	सं. स. केसरीसिंहपुर सड़क से 20 एफ.	0.75	1.00
21.	सांगरिया ,,	सं. स. ढांवा से ढांवा रेल्वे स्टेशन	2.00	2.82
22.	पीलीबंगा ,,	सं. स. रावतसर सड़क से 24 एफ. टी. जी.	2.00	3.76
23.	,,	सं. स. हासलिया सड़क से सरायवाला	1.00	2.45
24.	,,	सं. स. गोलू वाला कैंची रोड़ से अमरसिंह वाला	1.00	—
25.	,,	सं. स. ग्राम ढ़ावा	1.00	2.91
26.	,,	सं. स. हासलिया से गोलूवाला	3.00	1.21
27.	गजसिंहपुर ,,	शेष सम्पर्क सड़क थान्डेवाला	2.00	2.21
28.	,,	गजसिंहपुरा करणपुर सड़क से लोहाड़ा	1.50	2.52
29.	,,	सं. स. विस्तार एफ. एफ. बी. माइनर से खालीवाला	2.00	0.51
30.	श्री विजयनगर ,,	शेष सं. स. 4 एफ. सी.	1.00	—
31.	,,	,, 12 जी. बी.	1.50	—
32.	,,	,, 7 जी. बी.	1.50	—
33.	,,	,, 72 जी. बी.	1.50	—
34.	हनुमानगढ़/श्री गंगानगर	सं. स. ढाणाकावाली ढ़ाणी जन्डोवाला से मल्कोका	3.50	0.55
35.	,,	मक्कासर से डबलीवारु पेमा	0.50	0.82
36.	,,	शेष सं. स. किशनपुरा से 22 एन. डी. आर.	0.50	0.63
37.	,,	सं. स. रावतसर हनुमानगढ़ रोड़ से 16 एम. डी.	0.75	—

1	2	3	4	5
38.	,,	सम्पर्क सड़क हनुमानगढ़ रावतसर रोड़ से ढाणी मटोरियन	0.75	1.27
39.	,,	सं. स. हनुमानगढ़ टा. से श्रीनगर	2.00	—
40.	श्री गंगानगर	सं. स. डालीवाला से डागावाली	2.50	5.38
41.	,,	सं. स. गणेशगढ़ रोड़ से रामगणेशगढ़ और डूंगरसिंहपुरा	1.50	1.87
42.	,,	सं. स. गंगानगर एस. टी. जी. रोड़ से लादूवाला वाया हिरनावाली और मक्तावाली	5.00	13.55
43.	,,	सं. स. गंगानगर पी. डी. पी. रोड़ से 16 जी. सांगरवाला		
44.	,,	सं. स. डूंगरसिंहपुरा से 19 एल.एन.पी.	3.45	8.47
45.	,,	सं. स. गंगानगर एन. एच. रोड़ से बिरदालियावाली	1.35	3.05
46.	,,	सं. स. गंगानगर एस. टी. जी. रोड़ से लादूवाला वाया हिरनावाली और मक्तावाली	3.50	9.67
47.	,,	सं. स. डालावाल से डींगावाली	5.00	9.34
48.	,,	सं. स. मिर्जावाली से दौलतपुरा	6.00	5.11
49.	,,	सं. स. विक्षकर चक से जोगियावाला	5.00	15.40
50.	,,	सं. स. कोटा पाखा से 1 ए वारा	6.00	2.49
51.	केसरीसिंहपुर	सं. स. 19 एच. 3 डब्लू. से 2 डब्लू. गूसरसर रोड़	2.600	2.39
52.	,,	सं. स. केसरीसिंहपुर करणपुर रोड़ से 3 टी	2.600	3.30
53.	,,	सं. स. बी. हैड धनूर रोड़ से धनूर का विस्तार	3.00	4.35

1	2	3	4	5
54.	,,	सं. स. 17 एच. से मलकाना खर्द का (विस्तार)	2.00	3.48
55.	,,	सं. स. वी हैड से घनूर रोड़ से 7 एस. पाया 2 वी सड़क का विस्तार ईटों की सड़क	3.50	3.00
56.	,,	सं. स. लाखियां से 7 डब्लू ईटों की सड़क	1.00	1.22
57.	,,	सं. स. 3 टी. से 19 एफ. पर (ईटों की बिछाई)	2.00	2.05
58.	,,	सं. स. लाखिया 7 डब्लू से 6 डब्लू पर ईटों की बिछाई का कार्य	3.00	2.48
59.	,,	सं. स. 3 डब्लू से 5 डब्लू ईटों की बिछाई	—	1.00
60.	,,	सं. स. सड़क रेल्वे क्रोसिंग से यूमिनार	0.500	2.04
61.	,,	सं. स. 2 डब्लू गुरसर से 25 एच. का विस्तार	3.50	4.63
62.	,,	सं. स. रोड़ से 7 एस. सड़क पर मेटलिंग श्रौर डामर कार्य	1.00	1.59
63.	,,	सं. स. पी. डब्लू. डी. रोड़ से 16–17 एच. रोड़ रेल्वे क्रोसिंग 300 की मीटर	0.300	0.66
64.	पदमपुर	सं. स. 30 बी. बी. से 4 जे. जे.	4.50	6.48
65.	,,	सं. स. रतीवाला से 4 वी. बी. ईटों की बिछाई	—	3.33
66.	,,	सं. स. पी. डी. पी. से रायसिहनगर रोड़ से गूगूवाला सखिन	5.750	4.72
67.	,,	सं. स. डेलवान से 9 डी. डी. ईटों की बिछाई	1.00	0.95
68.	,,	सं. स. जीवनदीसार से रणमलसर ईटों की बिछाई	2.50	1.05
69.	करणपुर	सं. स. रेल्वे लाईन से बाडोपाल वाया 49 एफ. श्रौर 48 एफ. से प्रथम जोन ईटों का कार्य	3.00	3.21

1	2	3	4	5
70.	करणपुर	सं. स. श्रीकरणपुर से माजीवाला 14 एस.	1.00	1.04
71.		सं. स. रेल्वे कर्व से 1 एक्स. से 28 एच. पर डामर का कार्य	2.00	4.43
72.		सं. स. 19 ओ. से रेल्वे कर्व पर डामर कार्य	2.50	4 30
73.		सं स. 4 एक्स. से 1 एक्स. पर डामर कार्य	3.00	4.90
74.		सं. स. श्रीकरणपुर से रामावाला पर पुन: डामर कार्य	2,00	1.64
75.		सम्पर्क सड़क श्री करणपुर से 23 ओ. वाया 19 ओ. और 42 एच.	3.00	2.91
76.		सं. स. 4 एक्स से 1 एक्स. धनूर डामर कार्य	300	4.98
77.		सं. स. श्री करणपुर से 1 एक्स रोड	100 मीटर	0.27
78.		सं. सं. श्री करणपुर से नागी रोड से 14 एल. पर ईटों की बिछाई का कार्य	1.00	1.22
79.		सं. स. श्रीकरणपुर से 23 ओ. बूटीवाला की तरफ	1.00	1.11
80.	रायसिंहनगर	सं. सं. रायसिंहनगर 26 पी. एस. से माडवाली	1.00	1.47
81.		रायसिंहनगर अनूपगढ़ रोड से रामजीवाला	3.00	5.09
82.		रायसिंहनगर अनूपगढ़ रोड से 41 एन. पी.	3 00	7.46
83.		रायसिंहनगर जीतसर रोड से 5 टी. के.	1.50	3.52
84.		सं. स. मसानी रेल्वे स्टेशन से करदावाली प्रथम पार्ट	2.00	4.68
85.		सं. स. उसनर सेल्कलवर्ट से 1 एम. के. बी	1.00	1.94
86.		सं. स. मसानी रेल्वे स्टेशन से करदावाली द्वितीय पार्ट	2.50	3.92
87.		सं. स. माडानवाली से 74 आर. वी.	2.00	4.35
88.		सं. स. खंडी से 25 एन. पी.	3.00	6.78
89.		सं. स. रायसिंहनगर श्री गंगानगर से ठांकरी	1.50	0.86

1	2	3	4	5
90.		सं. स. 22 एन. पी. 66 एन. पी.	1.00	2.64
91.		सं. 32 एन. पी. से रसलासर	—	2.02
92.		सं. स. रायसिंहनगर के अनूपगढ़ रोड़ से 73 एन. पी.	—	1.46
93.	हनुमानगढ़	सं. स. 28 बी. एन.	5.00	5.81
94.		सं. स. डाबली से सहजीपुरा का विस्तार	2.25	5.78
95.		सं. स. बोखासर से डबली वास पेमा का विस्तार	8.00	21.99
96.		सं. स. फतेहपुर से भरपुरा खेरी	3.00	8.09
97.		सं. स. मोहनमगरिया के डबली कलां	5.00	14.95
98.		सं. स. हनुमानगढ़ टी. बी. से कुमारी गांव तक	1.25	1.41
99.		सं. स. डालिया से मुरूवाल	0.75	0.83
100.	पीलीबंगा	सं. स. 40 एन डी आर. से खारावाली	7.00	12.30
101.		सं. स. लोंगवाला	0.09	2.04
102.		सं. स. 24 एस. टी. जी. से लाखूवाली	3-50	5.78
103.		सं. स सूरतगढ़ हनुमानगढ़ से घानमंडो	0.75	1.78
104.	सूरत	सं. स. भक्तपुरा	3.00	0.35
105.	सांगरिया	सं. स. झण्डेवाली से मोरजानदेसी खान	2.50	7.65
106.		सं स. नायवाना से कीकरवाली	3.00	6.80
107.	सादुलशहर	सं. स. किशनपुरा से रसूलवाला	3.00	7 23
108.	विजयनगर	सं. स. जी. बी. 5 से जी. बी. 10 तक	3.00	10.65
109.		सं. स. जी. बी. 14 से जी. बी. 15 तक	2.00	3.60
110.		सं. स. अनूपगढ़–सूरतगढ़ से 12 जी. बी.	1.25	2.92
111.		सं. 37 जी. बी. से चैनपुरा	2.50	3.75
112.		स. स. जेतसर रायसिंहनगर से 4 एल. सी.	2.50	4.58
113.		सं. स. 5 जी. बी. से 10 जी. बी.	—	4.12

1	2	3	4	5
114.	गजसिंहपुर	सं. सं. एफ. बी. माइनर से गांव थान्देवाला	1.50	3.00
115.		सं. स. एफ. बी. माइनर से कवरपुरा	1.00	1.17
116.		सं. स. रेल्वे लाइन से लोहारा	1.00	2.01
117.		सं. स. पदमपुर गजसिंहपुरा से 38 बी. जी. 13 आर. बी	1.75	3.73
118.		सं. स. रेल्वे लाइन 7058 हिस्सा	1.00	0.70
119.		सं. स. पदमपुर-गजसिंहपुर से 4 बी. जी. ए. प्रथम पार्ट	--	1.53
120.		सं. स. रेल्वे लाइन से मोटासर कुनी 19 एफ. प्रथम हिस्सा	--	1.81
121.		सं. स. 36 बी. बी.-9 आर.-बी. से 8 आर. बी. 5 बी. बी. रीध	0.75	1.26
122.		सं. स. पदमपुरा गजसिंहपुरा से 1 बी. बी. ए.	1.00	1.56
123.		सं. स. परवाली पुल से खापलीवाला	1.00	1.86
124.	नोहर	पेफाना से माधोसिधाना	3.00	0.61
125.		रामगढ से उज्जलवास	3.00	—
126.	अनूपगढ़	74 जी. बी. 74 जी बी.	2.00	—
127.	भादरा	अमरपुरा से अजीतपुरा	2.00	0.01
128.		अनूपशहर से भनाई	5.00	0.27
129.	गंगानगर	सं. स. दौलतपुरा से श्रीगंगानगर संगतपुरा	4.00	5.00
130.		बस स्टेण्ड के पीछे हनुमानगढ़ टाउन से 18 एच. एम. एच. ढाणियों की तरफ की सड़क	1.50	1.24

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र०सं०	नाम पार्टी	स्थान	अवधि	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी
1	2	3	4	5
1.	श्री मंगलाराम पुत्र नन्दराम	झालाना	25 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल.
2.	,, कल्याणचन्द्र पुत्र रेडूमल	,,	,,	,,
3.	एजन	,,	,,	,,
4.	एजन	,,	,,	,,
5.	,, नानगराम पुत्र खूबचन्द	,,	,,	,,
6.	,, चौथमल पुत्र रामदेव	,,	,,	,,
7.	,, विजयसिंह पुत्र महताबसिंह	,,	,,	,,
8.	श्रीमती गोविन्दी पत्नी नानगराम	,,	,,	,,
9.	,, मांगूराम पुत्र खूबचन्द	,,	,,	,,
10.	,, कन्हैयालाल पुत्र नानगराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
11.	श्री भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ	झालाना	20 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
12.	श्रीमती गुलाब पुत्री कानाराम	,,	,,	,,
13.	,, रूपनारायण पुत्र कल्याण मल	,,	,,	,,
14.	,, ग्यारसी लाल पुत्र चौथमल	,,	,,	,,
15.	,, दुर्गा शंकर पुत्र हीरालाल	,,	,,	,,
16.	,, ओम प्रकाश पुत्र नारायण	,,	,,	,,
17.	,, भीमा पुत्र पांचाराम	,,	,,	,,
18.	,, गोविन्दसिंह पुत्र मोहन सिंह	,,	,,	,,
19.	,, सर्वश्री जयपुर मैटल सप्लाई कम्पनी	,,	,,	,,
20.	,, मोहम्मद रफीक पुत्र मो. रजाक	,,	,,	,,
21.	एजन	,,	,,	,,
22.	एजन	,,	,,	,,
23.	,, फूलचन्द पुत्र भूराराम	,,	,,	,,
24.	,, पांचूराम पुत्र भौराराम	,,	,,	,,
25.	,, रामकुमार पुत्र दयाराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
26.	श्री भौरीलाल पुत्र गोविन्दनारायण	झालाना	20 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एम.टी.पी
27.	,, नाथूलाल पुत्र गोविन्द नारायण	,,	,,	,,
28.	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगाराम	,,	,,	,,
29.	,, श्रीमती सरला अग्रवाल	,,	,,	,,
30.	,, लादूराम पुत्र खुशीलाल	,,	,,	,,
31.	,, जगन्नाथ पुत्र हरलाल	,,	,,	,,
32.	,, मांगीलाल पुत्र नाथूराम	,,	,,	,,
33.	,, रामेश्वर पुत्र गोविन्दराम	,,	,,	,,
34.	,, श्रीमती वेद गुप्ता पुत्री चन्द्र गुप्ता	,,	,,	,,
35.	एजन	,,	,,	,,
36.	एजन	,,	,,	,,
37.	एजन	,,	,,	,,
38.	एजन	,,	,,	,,
39.	,, माधोलाल पुत्र श्योनाथ	,,	,,	,,
40.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मगतराम	,,	,,	,,
41.	,, हफीज खां पुत्र नूर खां	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
42.	श्री नन्दा पुत्र गणेश मगत	झालानी	25 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल/एस.टी.पी.
43.	,, रामकुमार पुत्र दयाराम	,,	,,	,,
44.	,, सरदार सिंह पुत्र लालसिंह	,,	,,	,,
45.	,, भगवाना पुत्र भूरा मीणा	,,	,,	,,
46.	,, रमेश सिंह पुत्र रामवीरसिंह	,,	,,	,,
47.	,, रामकरण पुत्र फलचन्द	पर्दा खोल	,,	,,
48	,, नन्दलाल पुत्र भंवरलाल	,,	,,	,,
49.	,, महादेव पुत्र सुडूराम	,,	,,	,,
50.	,, कृष्णस्वरूप पुत्र एस.आर. महला	,,	,,	,,
51.	,, गोपालसिंह पुत्र बृजमोहन शाह	,,	,,	,,
52.	,, अब्दुल मगद पुत्र रहीम खां		,,	,,
53.	एजन	,,	,,	,,
54.	,, छोटेलाल पुत्र मंगल जी	,,		,,
55.	एजन			
56.	,, राजीवकुमार पुत्र गुलाबचन्द	,,	,,	,,
57.	,, गोविन्दसिंह पुत्र कल्याणसिंह	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
58.	श्री रामसहाय पुत्र गोपालसहाय	पर्दा खोल	25 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी
59.	,, ओम प्रकाश पुत्र माधोराम	,,	,,	,,
60.	,, अमरजीत सिंह पुत्र गुरुवचनसिंह	मीमयाजीवली	,,	,,
61.	,, किशनाराम पुत्र मोडाराम	,,	,,	,,
62.	,, शिवराम पुत्र लादूराम	,,	,,	,,
63.	एजन	,,	,,	,,
64.	,, श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी मंगलराम	,,	,,	,,
65.	,, मेडूराम पुत्र मौरीलाल	,,	,,	,,
66.	,, विरदा पुत्र रामधन	,,	,,	,,
67.	,, सेडूराम पुत्र मौरीलाल	,,	,,	,,
68.	,, जगदीश पुत्र गिरधारीलाल	,,	,,	,,
69.	,, कालूराम पुत्र सालगराम	,,	,,	,,
70.	,, सुमतराम पुत्र मौरीलाल	,,	,,	,,
71.	,, श्रीमती मूरी पत्नी सेडूराम	,,	,,	,,
72.	,, भगवानसहाय पुत्र चौथूराम	,,	,,	,,
73.	एजन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
74.	श्रीमती बरजी पत्नी गुलाबराम	मौनियाजीवाली	25 वर्षों से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी
75.	श्री किशनाराम पुत्र गोपीराम	,,	,,	,,
76.	,, कृष्णाराम पुत्र मोरीलाल	,,	,,	,,
77.	,, रामचन्द्र पुत्र गोपीराम	,,	,,	,,
78.	,, छोटीलाल पुत्र गेंदाराम	,,	,,	,,
79.	एजन	,,	,,	,,
80.	,, इकबालसिंह पुत्र गोपालसिंह	,,	,,	,,
81.	,, गंगाराम पुत्र भूराराम	,,	,,	,,
82.	,, महेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचन्द	,,	,,	,,
83.	एजन	,,	,,	,,
84.	,, अब्दुल वहीद पुत्र छुट्टनजी	,,	,,	,,
85.	,, जहूरमोहम्मद पुत्र हसनअली	,,	,,	,,
86.	,, गोविन्दराम पुत्र चौथूराम	,,	,,	,,
87.	,, महमुदखां पुत्र मैरूखां	,,	,,	,,
88.	एजन	,,	,,	,,
89.	एजन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
90.	श्री भीमाराम पुत्र भौरीलाल	नागतलोई	25 वर्ष से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
91.	,, रामदयाल पुत्र भूराराम	,,	,,	,,
92.	—एजन—	,,	,,	,,
93.	,, रामनारायण पुत्र मुकुन्दराम	,,	,,	,,
94.	—एजन—	,,	,,	,,
95.	,, भौरीलाल पुत्र हुक्माराम	,,	,,	,,
96.	—एजन—	,,	,,	,,
97.	श्रीमती रमादेवी	,,	,,	,,
98.	श्री नाथूराम पुत्र कानाराम	,,	,,	,,
99.	—एजन—	,,	,,	,,
100.	—एजन—	,,	,,	,,
101.	,, सरदारमल पुत्र फूलचन्द	,,	,,	,,
102.	,, छाजूराम पुत्र गेंदीलाल	,,	,,	,,
103.	,, गुल्लाराम पुत्र छाजूराम	,,	,,	,,
104.	श्रीमती शोभादेवी पत्नी महादेव	,,	,,	,,
105.	श्री भोमाराम पुत्र नन्दाराम	,,	,,	,,
106.	,, कल्याण पुत्र नन्दलाल	,,	[illegible]	,,
107.	—एजन—	,,	,,	,,
108.	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी राधेश्याम	नाहरी का नाका ए/बी	,,	,,
109.	श्री नाथूराम पुत्र बद्रीनारायण	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
110.	श्री सीताराम पुत्र नाथराम	नाहरी का नाका	25 वर्ष से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
111.	श्रीमती कमला देवी पत्नी मालीराम	"	"	"
112.	" रमा देवी पत्नी पन्नालाल	"	"	"
113.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र सरदार मल	नाहरी का नाका ए/बी	"	"
114.	" शोराम पुत्र लक्ष्मीनारायण	"	"	"
115.	" सीताराम पुत्र नाथूराम	"	"	"
116.	श्रीमती गोरी पत्नी वालराम	"	"	"
117.	" गोरी पत्नी कालराम	"	"	"
118.	एजन	"	"	"
119.	" सरलादेवी पत्नी हीरासिंह	"	"	"
120.	—एजन—	"	"	"
121.	" गोरी पत्नी विरधीचन्द	"	"	"
122.	श्री अब्दुलगफूर पुत्र मेहराबजी	"	"	"
123.	श्रीमती चांपा पत्नी घोकलराम	"	"	"
124.	श्री सूजाराम पुत्र मूराराम	"	"	"
125.	" चिरन्जीलाल पुत्र रघुनाथ मोदी	"	"	"
126.	" जगन्नाथ पुत्र गणेश	"	"	"
127.	" सफीउल्ला पुत्र हबीबउल्ला	"	"	"
128.	" रामचन्द्र पुत्र सालगराम	"	"	"
129.	" चिरंजीलाल पुत्र रघुनाथ	"	"	"

232

1	2	3	4.	5
130.	श्रीमती मौरीबाई पत्नी बहादुरसिंह	नाहरी का नाका	25 वर्ष से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल/एस.टी.पी.
131.	श्री रामचन्द्र पुत्र गोपीराम	,,	,,	,,
132.	,, रमेशचन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल	,,	,,	,,
133.	, घीसाराम पुत्र लादूजी	,,	,,	,,
134.	,, बनवारीलाल पुत्र मगतुराम	,,	,,	,,
135.	,, रामकिशन पुत्र लल्लुराम	,,	,,	,,
136.	,, गोपाललाल पुत्र नानगराम	,,	,,	,,
137.	श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री छोटेराम	गेटोर	,,	,,
138.	श्री मांगीलाल पुत्र मन्नालाल	,,	,,	,,
139.	,, मोहन पुत्र छोटूराम	,,	,,	,,
140.	,, प्रहलाद पुत्र गेन्दीलाल	,,	,,	,,
141.	श्रीमती भूरीदेवी पुत्री छोटेलाल	,,	,,	,,
142.	श्री दयाशंकर पुत्र बद्रीनारायण तिवाडी	,,	,,	,,
143.	,, गंगाराम पुत्र मूलचन्द	,,	,,	,,
144.	,, आनन्दीलाल पुत्र छोटूराम	,,	,,	,,
145.	,, जेराम पुत्र सुजाराम	,,	,,	,,
146.	,, मिन्ना खां पुत्र गुलाब खां	,,	,,	,,
147.	,, महादेव पुत्र मांगीलाल	,,	,,	,,
148.	,, शंकरलाल पुत्र छोटेलाल	,,	,,	,,
149.	,, अलाउदीन पुत्र गुलाब खां	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
150.	श्री शीतलप्रसाद पुत्र मदनमोहन	गैटोर	25 वर्ष से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
151.	,, घन्नालाल पुत्र मदनमोहन	,,	,,	,,
152.	,, सत्यनारायण पुत्र छोटेलाल	,,	,,	,,
153.	,, पंकज पुत्र गोविन्दा	,,	,,	,,
154.	,, मंगताराम पुत्र पेमाराम	तलाई	,,	,,
155.	,, बोदरमल पुत्र मंगताराम	महसान हुक्मा	वर्ष 1978 के पश्चात से	,,
156.	,, महादेव पुत्र नन्दामगंत	,,	,,	,,
157.	,, गोपाल पुत्र मंगतलाल बलाई	,,	,,	,,
158.	,, नाथुराम पुत्र गंगावक्ष	,,	,,	,,
159.	श्रीमती नाथीदेवी पुत्री महेशराम रैगर	,,	,,	,,
160.	श्री घीसा पुत्र चूनाराम	,,	,,	,,
161.	,, मंगलाराम पुत्र घासीराम	,,	,,	,,
162.	,, प्रताप पुत्र मौरीलाल	,,	,,	,,
163.	,, मौरीलाल पुत्र नाथूलाल बलाई	,,	,,	,,
164.	,, जौहरीलाल पुत्र रूपनारायण	,,	,,	,,
165.	,, कालूराम पुत्र मांगूराम	,,	,,	,,
166.	श्रीमती मंगलीदेवी पत्नी देवीलाल	,,	,,	,,
167.	श्री मौरीलाल रुघाराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
168.	श्री रामनारायण पुत्र ताराचन्द	महसान हुक्मा	25 वर्ष से अधिक समय से चालू	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
169.	,, कजोड पुत्र भौरीलाल	,,	,,	,,
170.	श्रीमती भौरीदेवी पत्नी वीरमा मीना	,,	,,	,,
171.	श्री पेमाराम पुत्र रामपाल	,,	,,	,,
172.	, लक्ष्मीराम पुत्र सोहनलाल	,,	,,	,,
173.	,, नारायण पुत्र गौरीलाल	,,	,,	,,
174.	,, नानगराम पुत्र प्रताप माली	,,	,,	,,
175.	,, रामचन्द्र पुत्र घासी मीना	,,	,,	,,
176.	,, नवलकिशोर पुत्र रघुवरदयाल	,,	,,	,,
177.	,, रघुवरदयाल पुत्र चुन्नीलाल	,,	,,	,,
178.	,, नानगराम पुत्र चौथमल	,,	,,	,,
179.	,, गोविन्दराम पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,	,,	,,
180.	,, नूरमोहम्मद पुत्र समदू भाई	,,	,,	,,
181.	,, मोहनलाल पुत्र भैरू मीना	,,	,,	,,
182.	,, छोटेलाल पुत्र जगदीश यादव	,,	,,	,,
183.	श्रीमती चन्दीदेवी पत्नी नानगराम	,,	,,	,,
184.	श्री कालूराम पुत्र चन्दा खटीक	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
185.	श्री छोटेलाल पुत्र रामलाल	झलाना डुक्यों	सन् 1978 के पश्चात से	आर.सी.आर.एल/एस.टी.पी.
186.	श्रीमती छोटी पत्नी श्री राम खटीक	,,	,,	,,
187.	श्री सीताराम पुत्र मांगी लाल	,,	,,	,,
188.	,, पान्चू पुत्र नारायण मीणा	,,	,,	,,
189.	,, राम किशोर पुत्र गोविन्द मीणा	,,	,,	,,
190.	,, धन्ना पुत्र गिरधारी खटीक	,,	,,	,,
191.	,, भूया राम पुत्र भूरा राम	,,	,,	,,
192.	,, रामसिंह पुत्र जयसिंह	,,	,,	,,
193.	,, राम दयाल पुत्र मोडा राम	,,	,,	,,
194.	,, छोटू राम पुत्र महादेव	,,	,,	,,
195.	,, घासी राम पुत्र नानगराम	,,	,,	,,
196.	,, सेवा राम पुत्र जीवन राम	,,	,,	,,
197.	,, प्रभू पुत्र भूया खटीक	,,	,,	,,
198.	,, शिवनारायण पुत्र कल्याण मीणा	,,	,,	,,
199.	,, मूलचन्द पुत्र खेरू खटीक	,,	,,	,,
200.	,, खैरासी लाल पुत्र हनुमराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
201.	श्री राधेश्याम पुत्र लीलाराम	झालाना डूंगरी	सन् 1978 के पश्चात से	आर.सी.आर.एल/एस.टी.पी.
202.	,, फतुराम पुत्र पोकर राम	,,	,,	,,
203.	,, बन्सीलाल पुत्र मुरली राम	,,	,,	,,
204.	श्रीमती मूली देवी पत्नी गिरधारी	,,	,,	,,
205.	श्री बिरधाराम पुत्र पोखर राम	,,	,,	,,
206.	,, भगवान सहाय पुत्र गोविन्दराम	,,	,,	,,
207.	श्रीमती काली देवी पत्नी बिरधाराम	,,	,,	,,
208.	श्रीमती तीजा देवी पत्नी प्रभूदयाल	,,	,,	,,
209.	श्री जगदीश पुत्र सेडूराम	,,	,,	,,
210.	श्रीमती लादी पत्नी रामपाल	,,	,,	,,
211.	श्री चौथुराय पुत्र गुलाराम	,,	,,	,,
212.	,, घीसाराम पुत्र मंगलाराम	,,	,,	,,
213.	,, मोरीलाल पुत्र गुलाराम	,,	,,	,,
214.	,, कान्हा राम पुत्र मुलाराम	,,	,,	,,
215.	,, रामनारायण पुत्र मोती	,,	,,	,,
216.	,, छोटूराम पुत्र लादूराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
217.	,, कन्हैयालाल पुत्र सवालाल	झालाना डुक्यों	सन् 1978 के पश्चात से	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
218.	" रामनाथ पुत्र गोविन्द राम	"	"	"
219.	" शिवदत्त पुत्र पूनाराम	"	"	"
220.	" श्री गोपाल पुत्र सेडूराम	"	"	"
221.	" लालाराम पुत्र नन्दराम	"	"	"
222.	" रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण	"	"	"
223.	" प्रभात पुत्र चेनाराम	"	"	"
224.	" सुवा पुत्र कल्याण खटीक	"	"	"
225.	" नानगराम पुत्र केदार	"	"	"
226.	" ग्यारसा पुत्र नाथूराम	"	"	"
227.	" लल्लू पुत्र नानगराम	"	"	"
228.	श्रीमती नाथीदेवी पत्नी कल्याण मीणा	"	"	"
229.	श्री दयाल पुत्र गोपी	"	"	"
230.	,, नन्दा पुत्र गोरू योगी	,,	,,	,,
231.	" रामफूल पुत्र सेड राम	"	"	"

1	2	3	4	5
232.	” ओम प्रकाश पुत्र माधोराम	झालाना डुक्यों	सन् 1978 के पश्चात से	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी.
233.	” देवी राम पुत्र छोटू	”	”	”
234.	” रामदयाल पुत्र लीलाराम	”	”	”
235.	” रामधन पुत्र महादेव	”	”	”
336.	श्रीमती मोरी देवी पुत्री कान्हाराम	”	”	”
237.	श्रीमती प्रभाती पत्नी रामपाल	”	”	”
238.	श्री ओमप्रकाश पुत्र फूलचन्द	”	”	”
339.	” लालचन्द पुत्र ग्यारसीलाल	”	”	”
240.	” नानगराम पुत्र गोरू मीणा	”	”	”
241.	” किशना पुत्र नानगराम	”	”	”
242.	” रामनारायण पुत्र कालू	”	”	”
243.	” हरनाथ पुत्र माधोलाल	”	”	”
244.	” गुल्लाराम पुत्र महादेव खटीक	”	”	”
245.	” हनुमान पुत्र शंकर मीणा	”	”	”
246.	” रामू पुत्र राधेश्याम नाई	”	”	”

1	2	3	4	5
247.	श्री कल्याण पुत्र मोरीलाल	झालाना डुक्मों	सन् 1978 के पश्चात से	आर.सी.आर.एल./एस.टी.पी
248.	" कैलाश पुत्र मीठालाल यादव	"	"	"
249.	" हरिकिशन पुत्र घासी	"	"	"
250.	" कान्हीराम पुत्र खूबराम	"	"	"
251.	" रामसहाय पुत्र गणेश खटीक	"	"	"
252.	" गोपाल पुत्र हरलाल	"	"	"
253.	" रणजीत पुत्र गोविन्दराम	"	"	"
254.	" श्रीमती शांति देवी पत्नी श्रीनिवास	"	"	"
255.	" जयसिंह पुत्र मानसिंह	"	"	"
256.	" सैडूराम पुत्र मोरीनाथ	"	"	"
257.	" गुलाबचन्द पुत्र हरिनारायण	"	"	"
258.	" रशीद खां पुत्र गफूर खां	झालाना खेडा	"	"
259.	" यासीन खां पुत्र रूस्तम खां	"	"	"
260.	" लादुराम पुत्र नानगराम	"	"	"
261.	" प्रहलाद पुत्र चौथमल	"	"	"

1	2	3	4	5
262.	श्रीमती भौरी देवी पत्नी छोटेलाल	झालाना खेडा	सन् 1978 के पश्चात् से	आर. सी. आर. एस./ एस. टी. पी.
263.	श्री जयराम पुत्र खूबराम	”	”	”
264.	श्रीमती शांतीदेवी पत्नी गोविन्दमोहन	”	”	”
265.	श्री मांगीलाल पुत्र मन्नालाल	”	”	”
266.	” शीतल प्रसाद पारीक	”	”	”
267.	” आनन्दीलाल पुत्र छोटेलाल	”	”	”
268.	” नन्दलाल पुत्र मदन मोहन पारीक	”	”	”
269.	” महादेव पुत्र मांगीलाल सैनी	”	”	”
270.	” छुट्टनलाल सैनी	”	”	”
271.	” भौरीलाल पुत्र रामनाथ मीणा	”	”	”
272.	” प्रहलाद पुत्र गोविन्दलाल	”	”	”
273.	” श्री मूलचन्द पुत्र बूधाराम	पर्दाखोल	”	”
274.	” मांगीलाल खटीक	”	”	”
275.	” अर्जुन किशोर कुमावत	”	”	”
276.	” रामदेव पुत्र घासीलाल	”	”	”

1	2	3	4	5
277.	'' महादेव पुत्र सेडूराम	पर्दा खोल	सन् 1978 के पश्चात् से	आर.सी.आर.एस./एस.टी.पी.
278.	'' रामचन्द्र पुत्र सेडूराम	,,	,,	,,
279.	'' श्रवण पुत्र सेडूराम	,,	,,	,,
280.	'' लक्ष्मण पुत्र सेडूराम बलाई	,,	,,	,,
281.	'' गोविन्द सिंह पुत्र कल्याण सिंह	,,	,,	,,
282.	श्री चौथुराम पुत्र गणेश मीणा	निजरों का खोल	,,	,,
283.	श्रीमती मंगली पत्नी सोहनलाल	,,	,,	,,
284.	श्री गुलाबचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,	,,	,,
285.	,, प्रेमचन्द खटीक	,,	,,	,,
286.	,, गंगाराम पुत्र प्रभात	,,	,,	,,
287.	,, जगन पुत्र मोरीलाल	,,	,,	,,
288.	,, नारायण पुत्र मोरीलाल	,,	,,	,,
289.	,, किशनलाल पुत्र गोपी	,,	,,	,,
290.	,, प्रभुनारायण पुत्र हरी मोहन	,,	,,	,,
291.	,, घासी पुत्र बालू	,,	,,	,,
292.	,, छगनलाल पुत्र सोहन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
293.	श्री डूंगाराम खटीक	निजर का खोल	सन् 1978 के पश्चात् से	आर.सी.आर एस./ एस.टी पी.
294.	,, श्रीमती मुरी देवी खटीक	,,	,,	
295.	,, मगन लाल पुत्र सोहनलाल	,,	,,	,,
296.	श्रीमती छगनी देवी पुत्री नानगराम	,,	,,	,,
297	श्री कैलाश पुत्र गणेशीलाल	,,	,,	,,
298.	,, छाजूराम पुत्र गोपी	,,	,,	,,
299.	,, हीरालाल पुत्र ईश्वरलाल	दूधियाखोल	,,	,,
300.	,, बाबूलाल पुत्र गोपीराम	,,	,,	,,
301.	,, गोपाल पुत्र नन्दा	,,	,,	,,
302.	,, छोटीलाल पुत्र भौरीलाल	,,	,,	,,
303.	,, गोपीराम पुत्र पूराराम	,,	,,	,,
304.	,, सुवाराम पुत्र प्रभाती	,,	,,	,,
305.	,, गोपाल पुत्र भोरीलाल	,,	,,	,,
306.	,, हजारी पुत्र छोटू	,,	,,	,,
307.	,, बाबू पुत्र भौरी लाल	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
308.	श्री रमेश पुत्र किशनलाल	दूधिया खोल	सन् 1975 के पश्चात्	आर.सी.आर.एस./ एस.टी.पी.
309.	श्रीमती सेडी पत्नी गंगाराम	,,	,,	
310.	श्री पूराराम पुत्र जीवनराम	,,	,,	,,
311.	,, कालूराम पुत्र रमेश चन्द	,,	,,	,,
312.	,, नन्दा पुत्र रूड़ा खटीक	,,	,,	,,
313.	,, संजय पुत्र त्रिलोक खटीक	,,	,,	,,
314.	श्रीमती मांगी पत्नी गज्या	,,	,,	,,
315.	श्री नाथूराम पुत्र बद्रीनारायण	नाहरी का नाका	,,	,,
316.	श्रीमती गंगादेवी पत्नी बद्रीनारायण	,,	,,	,,
317.	श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र केदारनाथ	,,	,,	,,
318.	श्रीमती गोपी पत्नी कालूराम	,,	,,	,,
319.	एजर्न	,,	,,	,,
320.	श्री लल्लूराम पुत्र मूलचन्द	,,	,,	,,
321.	,, हनुमानसहाय पुत्र मूलचन्द	,,	,,	,,
322.	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी राधेश्याम	,,	,,	,,
323.	श्री सीताराम पुत्र नाथुराम शर्मा	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
324.	एजन	नाहरी का नाका	सन् 1978 के पश्चात् से	आर. सी. आर. एल./ एस. टी. पी.
325.	श्रीमती कमलादेवी पत्नी मालीराम	,,	,,	
326.	,, सरलादेवी पत्नी हीरासिंह	,,	,,	,,
327.	एजन	,,	,,	,,
328.	,, भोरी देवी पत्नी किशन चन्द	,,	,,	,,
329.	श्री चिरंजीलाल पुत्र रघुनाथ	,,	,,	,,
330.	,, चिरन्जीलाल पुत्र रघुनाथ	,,	,,	,,
331.	श्रीमती वापां पत्नी घोकलराम	,,	,,	,,
332.	श्री सफीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला	,,	,,	,,
333.	,, जगन्नाथ पुत्र गणेश मीणा	,,	,,	,,
334.	श्रीमती भौरी बाई	,,	,,	,,
335.	श्री भगवानाराम पुत्र केशूराम	,,	,,	,,
336.	,, फूलचन्द	भैरू खोल	,,	,,
337.	,, सुजाराम	,,	,,	,,
338.	,, राधाकिशन	,,	,,	,,
339.	श्रीमती गुलाबदेवी	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
340.	श्री घीसालाल	भैरू खोल	सन् 1978 के पश्चात् से	आर. सी. आर. एल./ एस. टी. पी.
341.	" प्रभातीलाल	"	"	"
342.	" नाथुराम	"	"	"
343.	" तोफाराम	गेटोर	"	"
344.	" गोविन्दसिंह	पर्दाखोल	"	"
345.	" ओमप्रकाश औड	"	"	"
346.	" शंकरलाल	नरबलदासखोला	"	"
247.	" रामकुमार मीणा	"	"	"
348.	श्रीमती नानीदेवी	"	"	"
349.	श्री कानाराम	"	"	"

खान अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
जयपुर

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सं. 41 की सूची

क्रमांक	नाम वस्तु	निर्दिष्ट दर	
1	2	3	
1	**मनुष्यों व पशुओं के खाने पीने की वस्तुएं :—**		
1	सर्व प्रकार का अनाज मय दालें	0.50 पैसे	प्रति क्विंटल
2	चावल व धान	1.00	,, ,,
3	सभी प्रकार के अनाजों का आटा व दलिया	0.50	,, ,,
4	चीनी, खण्डसारी और दानेदार मिश्री व पतासे	2.00	,, ,,
5	सूजी, मैदा व स्टार्च	1.00	,, ,,
6	मुश्ति, कडकड व गुड	1.00	,, ,,
7	रावसीरा और मोलसेर वगैरा	1.00	,, ,,
8	सब प्रकार के खाने के तेल	3.00	,, ,,
9	तिलहन (अलावा बिनौला) सरसों, तारामीरा, अलसी व अरंडी के बीज	1.00	,, ,,
10	खल व बिनौला	1.00	,, ,,
11	हाई स्पीड डीजल	0 03	प्रति लीटर
12	पेट्रोलियम उत्पादन	0 02	,, ,,
13	केरोसीन	0.02	,, ,,
14	पत्थर का कोयला कोक व चूरा जला हुआ लकड़ी का कोयला	1.80	प्रति टन
2	**मकान निर्माण व सड़क निर्माण की वस्तुएं :**		
15	सीमेन्ट	0.20	प्रति बैग
3	**टैक्स टाईल वस्त्र परिधान, पोशाकें व बनावटी वस्त्र, चमड़ा, इन्डिया रबर गट्टा व पारचा या बने हुए पदार्थ**		
16	(अ) सभी प्रकार के टैक्स टाइल वस्त्र व सूती वस्त्र	5.00	प्रति क्वि०

1	2		3	
17	सभी प्रकार का सूत	2.00	”	”
18	जूट व नारीयल की बनी वस्तुएं	2.00	”	”
19	बारदाना	2.00	”	”
20	कच्ची ऊन	2.00	”	”
21	कच्चा चमड़ा व खालें ।	5.00	”	”
4	**धातु व उससे बने हुए पदार्थ :—**			
22	लोहा जो कच्ची धातु के काम आवे, पिग आयरन, लोहा और लोहे की कटिंग जो भी पुन: रिमोडिंग व री-मोल्डिंग और जलाने व तपाकर मोल्ड करने हेतु मय धातु प्लेट मय डन्डे, छड़ व टकने लोहे के सरिये छड़ें प्लेट्स, टीन तार, गार्डर पटरी एंगल आयरन और इस प्रकार के लोहे के पदार्थ, स्क्रेप कटिंग सीट्स, प्लेट्स इत्यादि ।	5.00	”	”
23	लोहे के अतिरिक्त धातु से बना हुआ सामान, स्क्रेप, कटिंग-सीट्स, प्लेट्स और तार इत्यादि ।	5.00	”	”
5	**विविध :—**			
25	सिनेमा फिल्मस् (पेटी)	20.00	प्रति	नग
26	(अ) सिनेमा टेलर	05.00	”	”
27	बांस, लाठी, सिरकंडा, वल्ली वगैरा	01.00	”	क्वि.
28	सर्व प्रकार के सैनेट्री सामान व सैनेट्री फीडिंग	05.00	”	”
29	वनस्पति घी व रिफाईण्ड तेल जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो ।	05.00	”	”
30	मूंगफली	02.00	”	”
31	पत्थर की पट्टियां, सूर सागर का पत्थर खण्डा, कांकरी व अन्य प्रकार का पत्थर ।	05.00	”	ट्रक
32	(अ) चूना, खड़ी व कली	02.00	”	टन
	(ब) लादियां पॉलिस सामान वगैरा	02.50	”	[illegible]
	(द) ईटें	01.00	”	”
33	बीड़ी बनाने के पत्ते	02.00	”	क्वि.

२५४

1	2		3
34	कपास व रूई, काटन वेस्ट	02.00	,, ,,
35	निवार व सूती रस्से	05.00	,, ,,
36	मूंज, बाण, नारियल की रस्सी व दूसरे प्रकार के बाण व उससे बनी हुई वस्तुएं।	05.00	,, ,,
37	बोरियां, पटसन का कपड़ा, व इससे बना हुआ सभी प्रकार का कपड़ा।	05.00	,, ,,
38	हाथी दांत व उसकी बनी हुई वस्तुएं	05.00	प्रति कि.ग्राम
39	खाली बोतलें (कांच), पीपे, खाली डिब्बे लकड़ी के खोके वगैरा।	05.00	,, क्वि.
40	डामर	02.00	,, ,,
49	हड्डियां	02.00	,, ,,
50	जलाने की लकड़ी	03.00	,, टन
51	देशी घी	03.00	,, टन
52	पशु (जैसे बकरें, भेडें जो वध के लिये हों)	00.50	प्रति नग

मनुष्यों व पशुओं के खाने व पीने की वस्तुएं :—

1	अखाद्य तेल जो खनिज न हो (जैसे-डालडा, अरंडी, मक्का, अलसी, चावल, सोयाबीन, नीम, महुवा व अन्य तेल)	01.00	प्रतिशत
2	तरल पदार्थ (जैसे-बिस्कुट, शरबत, गैस युक्त जल, अर्क, जाम, (चटनी), मुरब्बा, फलों के रस, गुलकंद, वगैरहा जो टीन या बोतलों में, प्लास्टिक थैलियों में मोहर बन्द किसी भी प्रकार के थैले में हो।	02.00	,,
3	सूखे मेवे	01.00	,,
4	चाय, काफी व कोको	02.00	,,
5	देशी शराब	02.00	,,
6	विदेशी व भारत में बनी शराब विदेशी	03.00	,,
7	अफीम व डोड़े भांग, और तिजारे के छिलके	06,25	,,

(249)

2	3	
3 लुब्रीकेटिंग ग्रायल व ग्रीस इत्यादि	02.00	"
9 व्हाईट स्प्रीट ग्रादि	01.00	"
0 दियासलाई	01.00	सैंकड़ा
1 धुलाई, ब्लीचिंग ग्रौर ग्रन्मि विधि वाले पदार्थ मय कास्टिग सोडा, टेलेस्टी खनिज का सामान ब्लीचिंग पाउडर नहाने व कपड़े धोने का साबुन, निसंक्रामक तथा कीटनाशक इत्यादि ।	02.00	प्रतिशत
मकान व सड़क निर्माण की वस्तुएं :—		
2 रंगीन सफेद सीमेन्ट	01.00	प्रतिशत
3 सीमेन्ट से बना हुग्रा सामान	01.00	"
ग्रौषधियां व रासायनिक पदार्थ :—		
4 सर्व प्रकार की तैयार शुदा ग्रौषधियां, यूनानी, एलौपैथिक, होम्योपैथिक ।	01.00	"
5 सर्व प्रकार के रंग, सूखे व गीले रसायन व एसिड इत्यादि ।	02.00	"
तम्बाकू :—		
6 सिगरेट, सिगार, बीड़ी व बनी हुई तम्बाकू	02.00	"
7 बिना तैयार की हुई तम्बाकू	02.00	"
टैक्सटाइल वस्त्र परिधाने, पोशाकें व बनावटी वस्त्र कपड़ा, इण्डिया रबर गट्टा व पारचा या बने हुए पदार्थ :—		
8 रेशमी, ऊनी मय नायलॉन टैरीन, टैरेलीन पोलिस्टर, सिल्क जरी व रसायनिक पदार्थ द्वारा बनाये गए पदार्थ ।	01.00	"
9 तैयार शुदा पोशाक, होजरी, बुनने की ऊन, दरियें, तौलियें, चद्दरें, ग्रंगोछे, साड़ियां, धोती जोड़े, खालें रोंये दार, गलीचे, व सभी प्रकार के डोरे एवं नमदा वस्तुएं इत्यादि ।	01.50	प्रतिशत
0 गोटा, फीते, सलमा, सितारा, रिस स्वर्ण व चांदी की कटोरी, बादला इमीटेशन जरी, किनारी कच्ची व पक्की ।	02.00	"

250

1	2	3	
21	पकाया हुआ चमड़ा	02.00	,,
22	सर्व प्रकार का चमड़ा व केनवास का सामान मय जूते	02.00	,,
23	रबर का सामान मय टायर ट्यूब	01.50	,,
	धातु व उससे बने हुए पदार्थ :—		
24	(अ) स्टील और उससे बना सामान	02.50	,,
	(ब) लोहे व इस्पात से बने सामान जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो ।	02.00	,,
25	सोना बुलियन के रूप में	00.50	,,
26	सोने से बना सामान व जेवर	00.50	,,
27	चांदी बुलियन के रूप में	00.50	,,
28	चांदी से बना सामान व जेवर	00.50	,,
	विविध :—		
29	सर्व प्रकार के प्लास्टिक व उसका सामान जिलेटिन पेपर पोलीथीन इत्यादि ।	02.00	,,
30	सर्व प्रकार की मशीनरी व पार्ट्स	01.50	,,
31	हार्डवेयर, औजार मय उसके उपकरण व साज सामान	02 00	,,
32	साइकिल व उसके सामान	02.00	,,
33	सर्व प्रकार की स्टेशनरी	01.50	,,
	(अ) कागज, कार्ड बोर्ड व सभी प्रकार के निमन्त्रण पेपर्स चिक पेपर्स, बोर्ड, हार्डबोर्ड, पैकिंग पेपर्स व रद्दी इत्यादि ।	02.00	,,
34	मनिहारी व फैन्सी सामान, सभी प्रकार की चूड़ियां टूथपेस्ट, कांतिवर्धक श्रृंगार प्रसाधन, सैन्ट इत्र, नारियल तेल, रिफाइण्ड, बिना रिफाइण्ड बूट पालिस इत्यादि ।	02 50	,,
35	मोटर, स्कूटर, कार व अन्य गाड़ियों के पार्टस उसके हिस्से व सामान	02.50	,,
36	वायरलैस यंत्र और उसके हिस्से व औजार, रेडियो, रेडियो ग्रामोफोन, रेडियो एम्पलीफायर और टेप रिकार्ड, लाउड-स्पीकर इसके अतिरिक्त सामान व पुर्जे ।	03.50	,,

1	2	3	
37	सिनेमा का सामान एवं कैमरा, और प्रोजेक्टर साउन्ड रिकार्डिंग इन्यूपमेन्ट्स व इसके हिस्से और साथ में आने वाला सभी सामान।	03.50	,,
38	फोटो खींचने का कैमरा व इसके सम्बन्धित सभी प्रकार का सामान।	03.50	,,
39	सभी प्रकार की घड़ियां व उसके सामान	03.50	,,
40	सिगरेट केस व लाईटर वगैरा	02.00	,,
41	दूरबीन, टेलिस्कोप, दूरदर्शक ग्लास, चश्में	02.00	,,
42	टाईपराइटर्स, टेबूलेटिंग, कैलकुलेटिंग, डुप्लिकेटिंग, मशीन व उनके हिस्से।	03.00	,,
43	आतिशबाजी का समस्त प्रकार का सामान (बारूद, पोटाश फटाका वगैरा।	02.50	,,
44	हथियार और शस्त्र राईफल, रिवाल्वर और एम्यूनेशन व अनुशासनिक वस्तुयें।	03.00	,,

लकड़ी का बना हुआ सर्व प्रकार का फर्नीचर :—

45	इमारती लकड़ी, लट्ठे, स्लीपरर्स, तिलीज वगैरा	02.50	,,
46	सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, मार्बल का सामान, संगमरमर का सामान	02.50	,,
47	सर्व प्रकार का बिजली का सामान मय टार्च सैल, पंखे, वल्ब, अर्थ वायर व अनुसांगिक वस्तुएं।	02.50	,,
48	रंगपेन्ट्स वारनीस के अलावा रंगने के ब्रुश, सैण्ड पेपर्स, इनेमल वाइट वगैरा।	02.50	,,
49	सर्व प्रकार के वैक्यूम, फलास्क मय गर्म पानी, बर्फ व खाना रखने के बर्तन, बर्फ की पेटी, थर्मस फलास्क।	02.50	,,
50	सर्व प्रकार की क्राकरी	02.50	,,
51	सर्व प्रकार का कांच का सामान व कांच	02-50	,,
52	लादिया पालिश वाली	02.50	,,
53	कैमीकल और सूती धागा मय टेपी स्टेंड धागा सभी प्रकार की डोरियां व डोरे।	02.00	,,
54	प्लास्टिक निवार व रस्से सभी प्रकार के	02.00	,,

1	2	3	
55	तम्बू, पेटियां, तांगा व मोटर के हुड का कपड़ा सम्बन्धित पर्दे व जालियां, जिल्दसाजी व ट्रेसिंग सम्बन्धी कपड़ा।	02.00	”
56	ग्रायल क्लाथ, ऊनी कम्बल	02.00	”
57	सुरक्षित सक्सन होज पाईप अच्छे जस्ते की चद्दरे तथा जस्ता मोटा जी.आई. पाईप वगैरा।	02.00	”
58	सर्व प्रकार का किराना मय अम्बूल, अमचूर, धनिया, फिटकरी, सिंगाड़ा, गोंद, खजूर, सौंफ, मजीट, लाल मिर्च, हल्दी, अजवायन, लोंग, खुरवानीसुपारी, कत्था, जायफल, लाल मेथी, अनार जूट, आशलिया, केशर, कस्तूरी, जावित्री।	01.00	”
59	कच्चा रबर, रबर सोलेस, कार्क हार्न वेकेलाईटम, हाथीदांत, बनावटी, हड्डियां बनावटी आदि।	03.00	”
60	खेल कूद सम्बन्धित सामान	02.00	”
61	आलू, लहसन, प्याज	01.50	”
62	मांस, मछली व अण्डे वगैरा	02.50	”
63	जिसका कहीं भी अन्यत्र उल्लेख न हो	02.50	”

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न सं. 45 की प्रतिलिपि

Copy of Agreement Between Former Ruler of Bharatpur State And Government of U.P. Nand Gaon Deeg Escape.

1. The Bharatpur Darbar agree to pay the cost of construction, of an Escape Channel from the Nandgaon Distributory Agra Canal to the boundary of the Bharatpur state and in connection therewith to construct the necessary channels and work to their tanks at Deeg and else where.

2. Therefore, the portion of the channel within the United Provinces shall be maintained by and at the cost of the Irrigation Branech United Provinces, in an efficient condition to secure the due passage of escaped water to the Bharatpur State.

3. The Channels within the Bharatpur territory shall be similarly maintained by the Darbar, who agree that no bunds or regulation shall be introduced into these channels where by the water surface level be raised, or the out fall be impeded at the entrance of the escape channel into Bharatpur territory.

4. The United Provinces Government agree to pass down the Nandgaon Deeg Escape channel a supply of water, free of charge at times when the water is not required on the Agra Canal system save and except at such periods when the necessaries of work or other conditions, precbude the opening of the Agra Canal or the Nandgaon Distributory system, of which notice will be given to Darbar.

5. It is agreed that there shall be no restriction as to volume to be passed down, or period in which the escape channal may be opened, except that if desired by the Darbar, the escape channel shall not be opened for more than 24 hours at a time during the cold weather months without the express consent

of Bharatpur State Engineer conveyed through Superintending Engineer, Agra.

6. Within the limits of the Bharatpurt Sate the Darbar shall have free use of the escaped water for any purpose they think fit, Subject to the condition that the out fall from British territory shall not be in any way impeded.

7. The Darbar agree to accept any supply sent down to them under the conditions cited above, and that the short or non. supply of water in any season shall not be considered to create any grounds for compensation. No Irrigation shall be permitted from the Nandgaon Deeg Channel within British territory.

8. All communications regarding the supply of water to the Bharatpur State shall be dealt with by the Superintending Engineer, 3rd Circle, Irrigation works on behalf of the United Provinces Government and the State Engineer, on behalf of the Bharatpur State.

August 1985.

Further Rules for Running the Deeg Escape & Nandgaon Distributory

1. When water is required in the Deeg Escape, the State or State Engineer, Bharatpur should indent direct on the Executive Engineer, Agra Canal, Mathura, specifying the gauge with which the escape should be run.

2. The Deeg Escape should not be opened except on the request of the State or Assistant Engineer, Bharatpur or in a case of emergency. i. e. to prevent a breach in the Nandgaon Distributory.

3. On receipt of a request for the Deeg Escape to be opened, the Executive Engineer Should reply stating whether it will be possible to comply or not, and if so, he should give at least

24 hours notice of the date when lhe escape will be opened, so as to enable the State Engineer, Bharatpur to make his arrangements for receiving the water.

4. Whenever it is necessary to open the Deeg Escape in a case of emergency, intimation should be immediately sent to the State Engineer, Bharatpur and the escape should not be kept open for a longer period then is absolutely necessary,

Sd/-

Offg. Executive Engineer,

Lower Division, Agra Canal Mathura,

dated, 9-3-09

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न सं. 49 की सूची

पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(अ)

वर्ष	वायरलेस	ट्रांसपोर्ट	ट्रेनिंग	एफ.एस.एल.	सी.आई.डी. (सी.बी)	सी.आई.डी. (आई.बी.)	कम्प्यूटर	(रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980-81	20.00	30.09	—	1.13	0.70	0.50	5.00	57.42
1981-82	19.00	41.00	3.86	1.00	0.40	3.62	1.50	70.38
1982-83	10.00	21.00	0.19	4.00	—	—	—	35.19
1983-84	9.00	30.595	2.46	3.22	1.10	0.81	5.60	52.78
1984-85	17.00	25.125	2.25	5.25	1·60	1.06	0.50	52.79
1985-86	21.00	35.00	2.10	7.10	3.00	1.03	1.15	70.38
1986-87	21.52	47.38	3.00	6.79	0.11	0.76	0.84	80.40
1987-88	21.52	48.79	—	9.50	—	1.00	0.80	81.61
1988-89	20.40	47.38	—	6.45	1.10	—	0.80	76.13
1989-90	21.80	44.42	—	7.45	--	—	0.73	73.60
								650.68

पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(ब)

वर्ष	वायरलेस	ट्रांसपोर्ट	ट्रेनिंग	एफ०एस०एल०	सी०आई०डी०	योग (रुपये लाखों में)
1969-70	90,200	—	—	49,749	—	1.40
1970-71	6,34,988	—	—	66,458	—	7.01
1971-72	18,19,072	11,58,559	23,544	7,26,226	2,02,874	39.30
1972-73	20,36,925	8,16,805	38,605	8,27,254	36,344	37.56
1973-74	40,79,112	18,29,124	55,750	6,59,465	2,21,626	68.44
1974-75	35,33,256	19,31,702	1,07,232	5,64,289	4,13,521	65.50
1975-76	20,16,793	11,30,665	1,54,372	3,96,962	73,042	37.72
1976-77	20,27,486	10,91,917	17,737	29,502	18,920	31.86
1977-78	21,00,000	11,31,030	2,85,210	—	28,38,224	63.54
1978-79	12,54,040	9,37,881	2,43,930	—	36,15,661	60.62
1979-80	2,44,995	99,565	78,385	—	6,75,036	10.98
						423.93

257

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न सं. 50 की प्रति

रा. मु. जी. 45-4-83-2500 प्र. R P. Form No. 63

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 286 रा मु. रे.) No. 39

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्त दफा 146 जा फो. थाने पर चाक होती है)

थाना हाथीपोल जिला उदयपुर, राजस्थान

जुर्म नं. (पुर्जी में) 54/85 तारीख और वक्त वकुआ 19-5-85 करीब 7 बजे

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम-हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
तारीख 19-5-85 समय 8.30 PM रपट नं. 817	जाय. वकुआ चेटक सर्किल राज० हैण्डी क्राफ्ट के पास थाने से बसामिए उत्तर व फासला 1/2 Km. हलका O.P मधुवन .	

नाम व नम्बर······ ······हल्के में वकुआ अन्दर सजा नम्बर········ ······

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात. जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफसील जो असल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकद्दमा
श्री जयप्रकाश S/o नरेन्द्रसिंह जी बावेल उम्र 21 साल निवासी कानोड़, उदयपुर थाना अधिकारी थाना हाथीपोल उदयपुर (राज.)	1. सत्यनारायण व 8-10 लडके अन्य	प्रार्थी के काका जात भाई श्री प्रकाश चन्द बावेल की चाकू घोंपकर हत्या करना। अपराध धारा 302-341-323 / 147, 34 IPC	इत्तला तेहरीरी प्राप्त होते ही वाद कायमी मुकदमा व कतायगी चेक के मत S.H.O. मशगुम तफतीश हुआ।	

दस्तखत राजेन्द्रसिंह ओहदा S.H.O.

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुस्त पर)

श्रीमान S.H.O. साहब

थाना हाथीपोल, उदयपुर (राज.)

महोदय,

निवेदन है कि मैं जयप्रकाश बावेल निवासी कांद कानोड दिनांक 19-5-85 को अपने काका जात-भाई श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री मानगसिंह बावेल के साथ भ्रीमेट से नाथद्वारा होकर उदयपुर आ रहा था, हम लोग राज. रोडवेज की बस नं. 166 से सफर कर रहे थे, बस में काफी भीड़ थी जब बस एकलिंगजी पहुंची तो वहां से आठ सात लड़के उदयपुर के लिये सवार होने लगे जबकि बस में कोई जगह नहीं थी, इसलिये बस के कन्डक्टर ने मना किया मगर वे सभी लोग दादा (पहलवान) की तरह के थे। और जबरदस्ती बस पर सवार हो गये, कंडक्टर व उनकी तकरार में मेरा भाई-दोस्त प्रकाशचन्द भी बोला, इस पर आगे से सत्तु नाम का लड़का जो उनमें सबका अगुवा लग रहा था; बस करीब 7 बजे चेटक सर्किल पर सूर्य सितारा होटल के सामने रुका, उसी समय वे लोग जो कुछ छत पर कुछ अन्दर बैठे, प्रकाश के बस से नीचे उतरते ही टूट पड़े। मैं उसे बचाने के लिए गया तब तक सत्तु ने अपने पर्स से चाकू निकालकर प्रकाश के सीने में घोंप दिया और फौरन से बिखर गये। मगर उनमें से एक लड़के के भी सिर में चोट आई है. मैं उनको देखकर पहचान सकता हूं। प्रकाश पर हमला करने वाले पांच छः लड़कों में, कोई उसी भीड़ में बता रहा था कि सत्यनारायण व उसके भाई वगैरहा है। उसी समय प्रकाश को बस में लिटाकर अस्पताल ले गये। वहां एमरजेन्सी में जाने पर प्रकाश को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा उसकी लाश को मुर्दाघर में रखवाया है। आम खास कानूनी कार्यवाही की जावे।

दिनांक 19-5-85

प्रार्थी

S/D

जयप्रकाश बावेल

19/5/85

जयप्रकाश बावेल, कानोड़ (राज.)

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 19-5-86 वक्त 8.30 PM.

चैक लगातार FIR No. 54/85 धारा 302/147, 323/341

IPC थाना हाथीपोल जिला उदयपुर (राज.)

(1) यह लिखित रिपोर्ट श्री जयप्रकाश S/o नरेन्द्र सिंह बावेल नि० कानोड़ उम्र 21 साल ने थाने पर हाजिर होकर पेश की।

(2) मजिद दरियाफ्त पर बताया कि प्रकाशचन्द की हत्या सत्यनारायण द्वारा चाकू घोंपकर की गयी यह नाम वहीं पर पुकार रहा था, वैसे वह इस करीब 20 वर्ष का लड़का बिखरे हुए बाल, बड़ी-बड़ी ग्रांखें, सफेद डिजाइन वाला पूरी बाहों का शर्ट व कत्थई रंग का पेन्ट पहिने था जिसे मैं देखकर पहचान सकता हूं, मैंने नाम वहीं पर सुनकर ही बताया था।

(3) ग्रन्य मुलजिमान को जो कुल 10 थे, मैं देखकर पहचान सकता हूं वे सभी छोटे बालों वाले, छोटे कद के व 20 से 25 साल की उम्र के बीच के थे, इनमें से तीन लड़कों के भी झगड़े में चोटें भी ग्राई हैं. वे तीनों थोड़े लम्बे कद के थे, उनके कपड़ों पर भी खून लगा था, मेरे सिवाय बस का कन्डक्टर भी उनको देखकर पहचान सकता है।

(4) मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 302-147-341-323-34 I.P.C का वकुए में ग्राना पाये जाने से मु. न. 54/85 जुर्म सदर में फायल कर तफतीश शुरू की गयी।

(5) नकल F.I.R. फरियादी को निःशुल्क दी गयी।

S/d जयप्रकाश बावेल

S/d राजेन्द्रसिंह
S.H.O.
थाना हाथीपोल,
उदयपुर

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न सं. 53 की सूची

सूची "अ"

पंचायत समिति सांचोर आर०ई०सी० योजना में सम्मिलित
योजना के अतिरिक्त बचे हुये ग्रामों की सूची

पं०स० सांचोर एस०यू० योजना :—

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
1 अचलपुर	17/3/81	20. धमाणा	114
2 अगार	128	21. घुडवा	120
3 आकोली	94	22. दुगावा	158
4 अनखोल	52	23. गरडाली	125
5 अरणाय	109	24. गोलासन	124
6 बडसम	145	25. हुडेतर	133
7 बाली	156	26. हरियाली	98
8 बनदेव	157	27. जाजूसन	130
9 बरणपुरी	89	28. जाखल	91
10 बासन चौहाना	84	29. जेलातरा	104
11 बीजरोल	106	30. जेरोल	108
12 मादरूण	100	31. झाव	55
13 मडवल	119	32. जोधावास	53
14 मूतेल	103	33. कमालपुरा	115
15 चौरा	99	34. करावडी	96
16 डबाल	177	35. कारोला	113
17 डडुसन	86	36. कीलवा	118
18 डेडवा	90	37. खिरोड़ी	95
19 देवड़ा	102	38. कोड	123

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
39. लाछीवाड़ा	162	64. सिवाड़ा	60
40. लाछड़ी	131	65. सुरावा	159
41. लालपुर उर्फ धाधला	121	66. तेतरोल राठोडान	58
42. लियादरा	107	67. टिटोप	161
43. लुणियासर	148	68. विरोल	147
44. मालवाडा	93	69. बासनदेवडान	155
45 मेड़ाजागीर	17/3/143	70. बलाना	110
46 मूली	101	71. बावरला	85
47 नैनोल	149	72. माडकुम्रा	97
48 निम्बाउ	54	73. बीछावाडी	82
49 पहाडपुरा	127	74. बोढा	136
50 पलादर	146	75. छजारा	83
51 पालडीदेवडान	153	76. दवड़ा	160
52 पालडी सोलकिया	88	77. डांगरा	112
53 पमाना	105	78. दांता	141
54 पांचला	151	79. धान्ता	111
55 परावा	92	80. मुन्दाऊ	139
56 पथमेढा उर्फ पृथ्वीमेढा	144	81. कान्टोल	142
57 पालना	132	82. खारा	137
58 प्रतापपुरा 126	126	83. कुड़ा	152
59 सांकड	154	84. मीरपुरा	138
60 सरनाउ	140	85. नागोलडी	134
61 सेली	57	86. पादरली	59
62 सिद्धेश्वर	116	87. पुर	135
63 सीलू	122	88. तेतरोल देवडान	150

(263)

क्र.सं. ग्राम का नाम शेष बचे ग्राम	कोड नं.	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
1. अगडावा	17.3.60	27. गोमी	66
2. आकोडिया	24	28. गुढाहेमा	46
3. आमली	87	29. हडिंवा	69
4. आखा	9	30. हिंडवाडा	65
5. वगमुडी	71	31. होतीगांव	39
6. वालेरा	34	32. ईसरोल	68
7. वमल	51	33. इटादा	48
8. बांक	77	34. जैसला	80
9. बरणवा	32	35. जालवेरी	3
10. वेडिया	10	36. जानवी	72
11. मादरूण	36	37. झोटड़ा	17.3.61
12. भाटकी	29	38. जोड़ादर	27
13. भीटवास	34	39. काछेला	70
14. भवातडा	26	40. कलजी की बेरी	12
15. भवातडाजोर उर्फ सरदारपुरा	19	41. केरिया	42
16. भीमगुढा	13	42. केसुरी	73
17. भुवाना	75	43. खामराई	[illegible]1
18. बोरली	[illegible]6	44. खासरवी	33
19. चारणीम	43	45. खेजडियाली	22
20. दांतिया	78	46. मेढ़ा	35
21. डावल	62	47. मेलावास गुसाई	45
22. धारनावास	47	48. मंगली	28
23. धींगपुरा	30	49. मरटवा	38
24. डुंगरी	12	50. मेलवास चारणान	21
25. दूडवा	[illegible]9	51. नलधरा	74
26. गलीफा	37	52. निम्बज	15

क्र. सं.	ग्राम का नाम शेष बचे ग्राम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
53.	पावटा	16	63.	सांगड़वा	63
54.	रायपुरा	11	64.	सखना	76
55.	रामपुरा	50	65.	सायरकाकोसीटा	4
56.	रणखार	23	66.	सेंसावा	5
57.	रणोदर	44	67.	सूथडी	18
58.	रतनपुरा	64	68.	सुराचन्द	14
59.	रातोडा	67	69.	सुथाना	79
60.	रिडका	25	70.	तांपी	8
61.	सजानपुरा उर्फ फोगरवा	17	71.	तांतडा	49
62.	साकरिया	20	72.	सिलोसप	40

पंचायत समिति सांचोर में पेंडिग प्रार्थना पत्रों की वर्ष वार सूची 1

क्र. सं.	गांव का नाम	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लाहुडी	—	—	—	—	1	1
2.	जाजूसन	—	—	2	3	—	5
3.	हादीपर	—	2	10	5	5	22
4.	फालना	—	1	3	—	—	4
5.	मीडाजागीर	—	25	1	—	14	40
6.	कमलपुरा	—	2	—	3	—	5
7.	सिदेश्वर	—	1	—	—	—	1
8.	करोला	—	1	7	3	2	13
9.	धामाना	—	13	—	—	—	13
10.	गोलासन	—	—	14	15	3	32
11.	हरीयाली	—	—	25	15	10	50
12.	पथमीडा	—	—	—	—	—	—
13.	बंड़ासन	—	—	26	4	10	40

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	प्रतापपुरा	—	—	1	7	1	9
15,	प्लादर	—	—	6	4	7	17
16.	भाकल	—	—	4	3	2	9
17.	विरोल	—	—	71	—	—	71
18.	सरमाऊ	—	—	30	—	20	50
19.	दयोरा	—	—	58	7	30	95
20.	लुनियासर	—	—	12	45	3	60
21.	सांकड़	—	—	65	4	52	121
22.	अगर	—	—	1	—	3	4
23.	गरदली	—	—	18	1	—	19
24.	घोदया	—	—	—	—	—	—
25.	कोड़	—	—	10	—	—	10
26.	नाइनोल	—	—	26	1	29	56
27.	लालपुर	—	—	8	—	—	8
28.	अचलपुर	—	—	—	6	—	6
29.	किलवा	—	—	—	6	2	8
30.	सांचोरी	—	—	5	1	11	17
31.	भादराना	—	—	—	159	11	170
32.	मलवाडा	—	—	—	85	5	90
33.	करावडी	—	—	—	107	1	108
34.	परावा	—	—	—	81	6	87
35.	जेलन्तरा	—	—	—	106	26	132
36.	चोहरा	—	—	—	160	7	167
37.	लाईदरा	—	—	—	38	8	46
38.	भूटेल	—	—	—	57	14	71
39.	वीजरोल	—	—	—	75	34	109
40.	अरनाई	—	—	—	26	7	33

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	पमाना	—	—	—	—	73	73
42.	जीरोल	—	—	—	—	22	22
43.	मूली	—	—	—	—	62	62
44.	अकोली	—	—	—	—	65	65
45.	खीरोदी	—	—	—	—	33	33
46.	टीटरोल	—	—	—	—	14	14
47.	सिली	—	—	—	—	30	30
48.	निम्बाऊ	—	—	—	—	24	24
49.	पलारी दोरा	—	—	—	—	17	17
50.	वासन दोरा	—	—	—	—	20	20
51.	जोधावास	—	—	—	—	15	15
52.	टीटोप	—	—	—	—	38	38
53.	सिवारा	—	—	—	—	14	14
54.	सुरावी	—	—	—	—	50	50
55.	बनदेऊ खेडा	—	—	—	—	9	9
56.	बाली खेडा	—	—	—	—	10	10
57.	लाचीवाड़	—	—	—	—	87	87
58.	पचारपुरा	—	—	—	—	—	—
59.	बदवाल	—	—	—	—	—	—
60.	वासन	—	—	—	—	—	—
61.	भाल	—	—	—	—	—	—
62.	वारनपुरी	—	—	—	—	—	—
63.	डीडवा	—	—	—	—	—	—
64.	दादूसा	—	—	—	—	—	—
65.	दवाल	—	—	—	—	—	—
66.	पलारी सोलंकिया	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
167.	सिलोद	—	—	—	—		
168.	ग्र खोल	—	—	—	7	7	
169.	पनेहला	—	—	—	—		
170.	दुंगवा	—	—	—	—		

पंचायत समिति सांचोर में वर्ष वार कृषि कनेक्शन देने की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लाखेडी	....	14	....	....	....	14
2.	जाजूसन	....	23	....	....	....	23
3.	हादेतर	....	34	....	....	1	35
4.	फालना	....	4	....	....	....	4
5.	मेडाजागीर	....	5	8	....	1	14
6.	हरियाली	....	....	8	6	4	18
7.	देवरा	—	....	....	....	2	2
8.	कमलपुरा	....	....	4	....	1	5
9.	कारीला	....	....	....	6	2	8
0.	सिदेश्वर	....	....	1	....	....	1
1.	दामाना	....	....	12	....	1	13
2.	प्रतापपुरा	....	....	14	....	....	14
3.	भाकल	....	....	1	....	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8
[14.	पथमेडा	....	....	5	....	2	7
15.	पलादर	....	....	14	....	....	14
16.	बडासन	....	....	5	....	8	13
17.	सरनाउ	....	....	....	12	8	20
18.	लूनियासर	....	....	22	....	5	27
19.	विरोल	—	....	5	....	2	7
20.	नैनोल	....	....	19	....	10	29
21.	अगर	....	....	23	1	....	24
22.	चूडवा	....	....	5	....	....	5
23.	सांकड	....	—	38	....	33	71
24.	भदराना	....	....	....	....	19	19
25.	कारवाडी	....	....	....	....	13	13
26.	परवा	....	....	....	....	4	4
27.	मलवाडा	....	....	....	....	17	17
28.	जैलन्तरा	....	....	....	....	18	18
29.	पमाना	....	....	....	....	10	10
30.	किरोडी	—	—	—	—	1	1
31.	अकोली	—	—	....	—	9	9
32.	तेतरोल	....	....	....	....	5	5
33.	भूतेल	—	....	...	....	8	8
34.	मूली	—	....	....	....	3	3
35.	लियादरा	....	—	....	....	10	10
36.	बिजरोल	....	—	....	....	....	....
73.	चौरा	....	....	....	....	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	जेरोल	....	—	...	—	2	2
39.	पालडी देवोरा	....	....	....	....	7	7
40.	वासन देउरा	....	....	....	....	4	4
41.	टिटाप	...	....	....	....	6	6
42.	वान्दा खेड़ा	....	....	....	....	4	4
43	पालीखेड़ा	...	....	...	—	4	4
44.	सूरवा	...	....	...	...	2	2
45.	सांचोर	...	...	...	—	9	9

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न सं. 54 का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं 1971 के अनुसार	विद्युतीकरण की तिथि	कृषि कनेक्शन संख्या
1.	धौलपुर	6.11.8	27.2.78	230
2.	पुरानी छावनी	2/2	8.3.70	
3.	फ़ंचगांव	86	11.7.70	
4.	दुबाटी	95	30.11.71	
5.	तसीमा	18	31.1.74	
6.	बीछीया	210	24.3.79	
7.	शेखपुर	214	10.1.80	
8.	राजोरा कलां	21	24.1.81	
9.	विरोधा	146	30.11.71	
10.	घीमरी	193	29.2.84	
11.	बरा	69	31.3.83	
12.	रतनकापुरा	70	31.3.83	
13.	बिसातीपुरा	71	31.3.84	
14.	विरारपुरा	72	31.3.83	
15.	पुरैनी	79	13.9.83	
16.	जारखी	80	13.9.83	
17.	बरखेड़ा	70	31.1.84	
18.	नगला भरोरिया	81	5.10.83	
19.	भगपुरा	191	31.1.84	
20.	पथेना	77	31.1.83	
21.	घडी चटोला	42	31.1.83	
22.	कुम्हेरी	43	31.3.85	

क्र.सं.	गाँव का नाम	कोड नं. 1971 के अनुसार	विद्युतीकरण की तिथि	कृषि कनेक्शन संख्या
23.	कोलुआ	45	31.3.83	
24.	नगला दानी	6.11.73	31.3.83	
25.	करीमपुर	74	20.11.82	
26.	दुबेपुरा	75	10.1.83	
27.	जगरीमापुरा	76	31.1.83	
28.	तोरन डायल	148	31.3.84	
29.	बीलपुर	441	29.2.84	
30.	सकतपुर	93	29.2.84	
31.	मुस्ताकाबाद	149	31.3.84	
32.	सरकनखेड़ा	150	31.3.84	
33.	भोर	213	31.10.83	
34.	विसनोदा	198	21.3.70	
35.	जगवाली	182	8.3.70	
36.	जीरोली	183	8.3.70	
37.	मसोना	176	29.2.84	
38.	सलमपुर	177	31.1.84	
39.	बसईनीम	209	9.3.79	
40.	आदमपुर	19	15.9.83	
41.	एदलपुर	147	31.3.84	
42.	बसाउ	179	31.12.83	
43.	सुनोली	181	31.12.83	
44.	केथोरी	6.11.4	31.12.84	
45.	लहारोली	11	31.12.84	

272

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं. 1971 के अनुसार	विद्युतीकरण की तिथि	कृषि कनेक्शन संख्या
46.	राजोराखुर्द	7	31.12.84	
47.	नगलाराजा	9	31.12.84	
48.	बुहारी	158	31.12.84	
49.	कासिमपुर	175	31.12.84	
50.	जाटोली	160	31.12.84	
51.	खड़गपुर	178	31.12.84	
52.	सेपउ	20	—	

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न सं० 55 की सूची

वर्ष 1983–84 एवं 84–85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची

(सीकर वृत)

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रुपयों में)	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1.	रेकून तार खीचे 33 के वी मेहरोली–अजीतगढ़	40 स्पान	19770	अगस्त 83	
2.	तार खींचे	40 स्पान	2480		
3.	तार खींचे	40 स्पान	280		

क्र०सं०	लाइन का नाम	लम्बाई	राशि ठेके की (रुपये में)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	कोटा वृत			
1.	आरइसी पिपलाई में 11 केवी लाइन	5 किमी	7494.90	12-3-83
2.	" हिन्डोली में "	4 किमी	5670.00	28-2-83

1	2	3	4	5
3.	आरइसी बौली 11 केवी लाइन	5 कि.मी.	6639 00	20-3-83
4.	,, ,, ,, ,,	5 कि.मी.	7130.50	,,
5.	33 केवी लाइन माडौती से बौली	18 कि.मी.	16555.50	
6.	11 केवी लाइन किशनगंज से जीतपुरा		20875.61	,,
7.	आरइसी पिपलाइ में 11 केवी लाइन	19 कि.मी.	21212.00	,,
8.	,, ,, ,, ,,	25 कि.मी.	18545.50	,,
9.	एल. टी. लाइन पीपलवाड़ा सदरावता	5 कि.मी.	6890.00	31-3-83
10.	,, ,, ,, ,,	5 ,, ,,	6890.00	,,
11.	11 केवी लाइन कुशलपुरा लाखनपुर	5 ,, ,,	6062.00	,,
12.	आरइसी शाहबाद में 11 केवी लाइन	5 कि.मी.	9433.80	,,
13.	आरइसी पिपलाइ में 11 केवी लाइन	20 कि.मी.	31281.25	,,
14.	एल.टी.लाइन पिपलवाड़ा वासड़ा बने सिंह	5 ,, ,,	6890.00	,,
15.	आरइसी छबड़ा में 11 केवी लाइन व एसंएस		12354.00	,,
16.	आरइसी पिपलाइ में 11 केवी लाइन	25 कि.मी.	5088.00	31-3-83
17.	,, ,, ,, ,,	19 ,, ,,	4831.00	,,
18.	33 केवी लाइन कवाड़ से ब्यावर	10 कि.मी.	22950.00	
19.	आरइसी लाडपुरा में एल.टी लाइन	5 किमी.	6393.00	30-4-83
20.	33 केवी लाइन बूंदी से डबलाना	10 किमी.	21020.00	16-4-83

1	2	3	4	5
21.	आरइसी नेनवा में एलटी लाइन		28371.35	
22.	,, ,, 11 के.वी. लाइन	5 किमी.	7225.50	30-4-83
23.	,, ,, ,, ,, ,,	6 किमी.	8254.00	,,
24.	आरइसी अटरू में 11 केवी लाइन	5 किमी	5929.68	,,
25.	आरइसी अन्ता में ,, ,,	5 ,,	6641.00	,,
26.	,, ,, शहावाद ,, ,,		18812.52	,,
27.	33 केवी लाइन बूंदी से डबलाना		33230.00	,,
28.	आरइसी नेनवा में एल टी लाइन		12895.00	
29.	,, ,, ,, 11 केवी लाइन		7966.30	
30.	,, इटावा में 11 केवी लाइन		13291.05	
31.	33 केवी लाइन डबलाना बूंदी		12280.60	
32.	आरइसी सुल्तानपुर में 11 केवी लाइन		8135.00	
33.	,, ,, नेनवा में एल. टी लाइन	15 किमी.	5727.00	
34.	,, ,, ,, 11 केवी लाइन	6.3 किमी	7278.00	
35.	,, ,, ,, ,, ,,		5674.00	
36.	आरइसी किशनगंज में 11 केवी लाइन		26102.80	
37.	,, ,, 11 केवी मवरगढ से जैतपुरा		16277.75	
38.	33 केवी लाइन बूंदी डबलाना		10422.00	
39.	आरइसी गंगापुर सिटी में एल.टी लाइन	3 कि.मी.	6274.00	

1	2	3	4	5
40.	आरइसी पिपलाइ में 11 केवी लाइन	5 किमी	4688.50	
41.	" " नेनवा में " " "	5 "	5320.00	
42.	" " हिन्डोली में " " "	8 "	10278.00	
43.	आरइसी नेनवा में एलटी लाइन		6214.00	
44.	कालानाला " से हिडोती केवी लाइन		6925.00	21-12-83
45.	11 केवी लाइन क्नीजा		4834.00	31-12-83
46.	33 केवी लाइन बूंदी से डबलाना		12134.50	" "
47.	11 केवी लाइन पाली	10 कि.मी.	8713.50	" "
48.	11 केवी लाइन गड़ेपागंज	5 " "	5919.00	" "
49.	आरइसी पिपलाइ में एलटी लाइन	5 किमी.	4480.00	" "
50.	आरइसी लाडपुरा में 11 केवी लाइन	3 "	5858.40	31-1-84
51.	" " " "	2 "	3995.50	"
52.	33 केवी लाइन बूंदी डबलाना	3 किमी.	4591.50	"
53.	आरइसी पिपलाइ में 11 केवी लाइन	8 किमी.	13928.60	"
54.	आरइसी लाडपुरा में " " "	3 किमी	4756.00	"
55.	" " पिपलाइ में एल टी लाइन	5 "	6432.60	"
56.	" " शहाबाद में 11 केवी लाइन	15 "	23122.90	"
57.	11 केवी लाइन गरगपतपुरा	10 "	15735.60	
58.	11 केवी लाइन बूढाजी	3 किमी	58[illegible]0.50	28-2-84

1	2	3	4	5
59.	11 केवी लाइनें नेहारगढ से लक्ष्मीपुरा	13 किमी	19199.28	
60.	" " " इन्द्रपुरिया		16021.50	28-2-84
61.	आरइसी खण्डार में 11 केवी लाइन	8 किमी	10140.00	"
62.	11 केवी लाइन गढमोरा	5 "	7490.00	"
63.	11 केवी लाइन नेहारगढ लक्ष्मीपुरा		27211.50	"
64.	आरइसी गंगापुर सिटी में 11 केवी लाइन	6.5 किमी	10757.12	28-2-84
65.	" सुल्तानपुर में " " "		6450.00	
66.	" तलेडा में " " "		43514.00	
67.	" " " "		4652.96	31-3-84
68.	" " " "		9442.00	
69.	आरइसी शहाबाद में 11 केवी लाइन	24 किमी.	21743.00	
70.	" " बोरा में " " "	12 किमी	15736.00	31-3-84
71.	" " शहाबाद में " "	20 "	33326.78	
72.	33 केवी लाइन वसौली		18701.75	
73.	आरइसी बौली में एल.टी लाइन	5 किमी	6904.00	31-3-84
74.	" " पिपलाइ में " "	5 "	6447.40	"

1	2	3	4	5
75.	परिचालन एवं संधारण में 11 केवी लाइन		18381.98	31-1-84
76.	,, ,, ,, करौली में 11 केवी लाइन	4 किमी	5432.00	31-3-14
77.	11 केवी लाइन मांडा	5 ,,	7443.40	,,
78.	33 केवी लाइन बसौली	17 किमी	21685.55	,,
79.	आरइसी हिण्डौली में 11 केवी लाइन	6 किमी	8256.00	30-6-84
80.	आरइसी हिण्डौली में 11 केवी लाइन	16 किमी	18388.00	31-7-84
81.	ग्रामीण बूंदी में एलटीलाइन	6.5 ,,	8217.00	31-8-84
82.	,, ,, ,, 11 केवी लाइन	2 किमी	4074.00	,,
83.	ओ एण्ड एम लाखेरी में 11 केवी लाइन	31 किमी	4108.80	,,
84.	आरइसी नेनवा में 11 केवी लाइन	4.5 किमी	6005.50	,,
85.	ग्रामीण बूंदी में 11 केवी लाइन	3 किमी	4452.50	,,
86.	आरइसी नेनवा में 11 केवी लाइन	3.4 किमी	4516.50	31-10-84
87.	एल. टी. लाइन एल्फानगर	5 किमी	6576.20	31-12-84
88.	11 केवी लाइन ठीकरीया	4 किमी	6013.70	,,
89.	आरइसी नैनवा में एल.टी. लाइन	3.5 किमी	5911.00	,,
90.	,, ,, ,, ,,	5 किमी	7127.00	,,

1-2	3	4	5
91. ग्रो एण्ड एम लाखेरी में 11 केवी	4 किमी	6546.00	
92. [illegible] ,,	6 किमी	8787.00	
93. ग्रारईसी हिण्डोली में 11 केवी लाइन	20 किमी	24449.00	
94. ग्रामीण बून्दी 11 केवी लाइन	7.5 किमी	9827.40	
95. ग्रो एण्ड एम लाखेरी में एल.टी. लाइन	4.5 किमी	6000.50	
96. ग्रारईसी नैनवा में ,,	4.5 किमी	6232.00	
97. ,, ,,	4 किमी	5603.00	
98. किशनगंज में 11 केवी लाइन		32666.40	
99. 11 केवी लाइन बपूई गूगडोद	5 किमी	6239.00	31-3-84
100. ग्रारईसी बौली में एल टी लाइन	5 किमी	6705.50	,,
101. 11 केवी लाइन बौली से थड़ी	5 किमी	7287.30	,,
102. 11 केवी लाइन गौरीगढ़ मंडी	5 किमी	8245.98	,,
103. ग्रारईसी हिंडोली में एल टी लाइन	5 किमी	8728.00	,,
104. [illegible] बौली [illegible]	5 किमी	5514.00	,,
105. 11 केवी लाइन भवानीपुरा	6 किमी	10693.50	,,
106. 11 केवी लाइन नहारगढ से बालुपुरा	[illegible]	17439.05	,,

1	2	3	4	5
107.	आरइसी किशनगंज में 11 केवी लाइन		24359.40	31-5-84
108.	केवी लाइन नहारगढ लक्ष्मीपुरा		32990.84	
109.	11 केवी लाइन हरदेव गंज		13286.00	31-5-84
110.	11 केवी लाइन बोरावास		10629.13	"
111.	33 केवी लाइन किशनगंज से रामगढ		49363.75	
112.	11 केवी लाइन राजपुरा	5 किमी	12810.20	
113.	11 केवी लाइन कस्बा थाना		12810.40	
114.	11 केवी लाइन शहावाद फीडर		15488.02	
115.	" " " शाहबाड से कोथानी		18459.02	
116.	" " नहारगढ से लक्ष्मीपुरा		25654.12	
117.	" " " "		42660.00	
118.	33 केवी लाइन अलनिया से असकाली		42780.00	
119.	आरइसी बकानी में एल टी लाइन		37557.50	
120.	33 केवी लाइन काला से अन्ता		18402.34	
121.	33 केवी लाइन किशनगंज से रामगंज		45029.00	
122.	11 केवी लाइन शाहवाड फीडर		31324.07	
123.	33 केवी लाइन किशनगंज से रामगंज		34841.62	
124.	11 केवी लाइन मण्डावरा से डौली		13988 20	

वर्ष 1983-84 एवं वर्ष 1984-85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची :—

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रुपयों में)	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
उदयपुर वृत					
1.	आरईसी धारीयावाड में 11 के. वी. लाइन	26 की.मी.	99229.00	—	—
2.	आरईसी धारीयावाड़ में एल. टी लाइन	7 कि.मी.	21370.00	—	—
3.	आरईसी रेलमगरा में 11 के. वी./एल.टी लाइन	15 कि.मी.	28130.00	—	—
4.	आरईसी सलूम्बर में 11 के. वी. लाइन	25 कि.मी.	97350.00	—	—
5.	आरईसी सलूम्बर में एल. टी. लाइन	2 कि. मी.	7350.00	—	—
6.	आरईसी गोगुंडा में 11 के. वी. लाइन	10 कि. मी.	34850.00	—	—
7.	आरईसी झाडोल में एल. टी. लाइन	22 कि. मी.	85758.00	—	—
8.	आरईसी झाडोल में एल. टी. लाइन	3·5 कि. मी.	1270.00	—	—
9.	एस. यू. स्कीम दिगोद में 11 के.वी.	19 कि. मी.	54406.00	—	—
10.	आरईसी आनन्दपुरी में 11 के.वी.	4.5 कि. मी.	17060.00	—	—
11.	कागदी पैकवेयर बांसवाडा में एल. टी. लाइन	2 कि. मी.	7720.00	—	—
12.	आरईसी पीपलखूंट में 11 के.वी.	13.5 कि.मी.	57775.00	—	—
13.	आरईसी मूखिया में 11 केवी	11 कि.मी.	49260.00	—	—

1	2	3	4	5	6
14.	ग्रारईसी पी. एस. डूंगरपुर में 11 के.वी. लाइन	3 कि.मी.	12952.00	—	—
15.	ग्रारईसी पी. एस. डूंगरपुर में 11 के.वी. एस./सी. लाइन	3 कि.मी.	12662.00	—	—
16.	ग्रारईसी डूंगरपुर में 11 के.वी.	1.5 कि.मी.	5930.00	—	—
17.	,, ,, ,, ,,	3 कि.मी.	10380.00	—	—
18.	,, ,, ,, ,,	3.5 कि.मी.	12907.00	—	—
19.	,, ,, ,, ,,	3.5 कि.मी.	12990.00	—	—
20.	,, ,, ,, ,,	3.5 कि.मी.	12705.00	—	—
21.	,, ,, ,, ,,	3.5 किमी.	12773.00		
22.	,, ,, ,,	24 कि.मी.	74508.00		
23.	,, ,, ,,	3.5 कि.मी.	12662.00		
24.	परिचालन एवं संधारण डूंगरपुर में 11 के.वी. लाइन	3.5 कि.मी.	12936.00		
25.	ग्रारईसी सागवाड़ा में 11 के.वी.	3.5 कि.मी.	12926 00		
26.	,, ,, ,, ,,	3.5 कि.मी.	12926.00		
27.	डी डी उदयपुर में हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु एल. टी लाइन	23 किमी.	60487.38		31.3.85 तक

1	2	3	4	5	6
28.	पं. स. आमेट में 11 के.वी. एवं एल. टी. लाइन	32 कि.मी. 8 ,,	74409.06		31.3.85 तक
29.	पं. स. भीम में 11 के. वी. एवं एल. टी. लाइन	38.5 कि.मी. 4 कि.मी.	103025.78		"
30.	पं. स. मावली में 11 के. वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन	26.25 किमी. 28 कि.मी.	116775.08		"
31.	पं. स. वड़गांव में एस/एस हेतु 11 केवी एवं विद्युतिकरण हेतु	17 कि.मी. 15 कि.मी.	60495.80		"
32.	आरइसी गोगुंदा में 11 के.वी. एवं एल. टी लाइन	15 कि.मी. 7.5 कि.मी.	118153.08		"
33.	आरइसी केलवाड़ा में 11 के.वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन	7.75 किमी. 1.5 कि.मी.	64625.37		"
34.	आरइसी झाडोल में 11 के.वी. लाइन एवं एल. टी लाइन	46.5 कि.मी. 25 कि.मी.	200214.15		"
35.	आरइसी धारियावाड में 11 के.वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन	16.74 कि.मी. 13.5 कि.मी.	16888.70		"
36.	आरइसी खेरवाड़ा में 11 के.वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन	22 कि.मी. 23.5 कि.मी.	178240.65		"

1	2	3	4	5	6
37.	ग्रारइसी खेरवाड़ां में 11 केवी लाइन एवं एल. टी. लाइन	13.25 कि.मी 3.5 किमी.	94185.71		3-3-85 तक
38.	ग्रारइसी सलूम्बर में 11 के.वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन	13.25 कि.मी. 3.5 कि.मी.	154273.85		,,
39.	33 के.वी. लाइन सीसाराम सब स्टेशन से 33/11 के.वी. सब स्टेशन हिरनमगरी		120400.76		,,
40.	ग्रारइसी डूंगरपुर में 11 के.वी. लाइन	27.5 कि.मी.	98489.00		,,
41.	ग्रो एण्ड एम डूंगरपुर में 11 के.वी. लाइन	27 कि.मी.	97146.00		,,
42.	ग्रारइसी विच्छीवाड़ा में 11 के.वी.	35 कि.मी.	12252.25		,,
43.	,, ,, सीमलवाड़ा में 11 के.वी.	13.25 किमी.	48362.50		,,
44.	ग्रो एण्ड एम. सागवाड़ा में 11 के.वी,	12.75 ,,	46624.25		,,
45.	,, ,, बांसवाड़ा में 11 के.वी.	8 कि.मी.	24693.62		,,
	एवं एल. टी लाइन	15 कि.मी.	41792.85		,,
46.	ग्रारइसी धरी में 11 के.वी. लाइन	9 कि.मी.	28099.70		,,
47.	ग्रारइसी स्कीम बागीदौरा में 11 के.वी.	16.75 कि.मी.	54284.92		,,
	एवं एल. टी लाइन	15 कि.मी.	41792.85		
48.	ग्रारइसी ग्रानन्दपुरी में 11 केवी लाइन	21 कि.मी.	66427.04		,,
	एवं एल. टी लाइन	15 कि.मी.	41792.85		,,

1	2	3	4	5	6
49.	आरइसी सज्जनगढ़ में 11 केवी लाइन	17 कि.मी.	54832.75		31-3-85 तक
	एवं एल. टी. लाइन	15 कि.मी.	41792.85		,,
50.	33 के.वी. लाइन पीपलखूट से डूंगलवानी	20 कि.मी.			
51.	33 के.वी. सिंगल सर्किट लाइन डूंगलवानी से तेजपुर	20 कि.मी.			
52.	33/11 के.वी. लाइन डूंगलवानी में				
53.	पीपलखूंट में एलटीलाइन	15 कि.मी.	42110.73		,,
54.	पीपलखूंट में 11 के.वी. लाइन	28.5 कि.मी.	88894.70		,,
55.	लोडनी जीएसएस से कुतुम्बी 33 केवी लाइन	26 कि.मी.	250281.00		,,
56.	आरइसी खमनोर में 11 के.वी. लाइन	14.5 कि.मी.	76627.53		,,
57.	हरीजन बस्ती (डी. डी. उदयपुर में) एलटी		78909.63		,,
58.	ओवी स्कीम मावली में 11 के.वी./एलटी		54831.86		,,
59.	आरइसी खमनोर में एलटी व 11 के.वी.		65730.12		,,
60.	पं. स. डूंगरपुर की आरइसी स्कीम में एल. टी. लाइन		41982.00		,,
61.	आरइसी डूंगरपुर में एलटी लाइन		63000.00		,,
62.	ओ एण्ड एम डूंगरपुर में एलटी लाइन		30087.50		,,
63.	आरइसी स्कीम सागवाडा में एलटी लाइन		33000.00		,,

1	2	3	4	5	6
64.	ओ एण्ड एम सागवाड़ा में 11 के.वी. लाइन		172147.50		31.3.85 तक
65.	आरइसी सीमलवाड़ा में एल. टी		40032.00		,,
66.	,, पी. एस. आसपुर एवं डूंगरपुर में 11 केवी. लाइन	15.4 कि.मी.	139240.00		,,
67.	ओ एण्ड एम सागवाड़ा में 11 केवी. एवं एल. टी. लाइन		49415.75		,,
68.	,, ,, ,,		172147.50		,,
69.	आरइसी सीमलवाड़ा में 11 केवी. एवं एल. टी. लाइन		50873.75		,,
70	आरइसी बिछीवाड़ा में 11 केवी एवं एल. टी.		79011.25		,,

क्र. सं.	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि
ओ. एण्ड एम. जोधपुर				
1.	33 केवी. बाडमेर शिव लाइन	40 कि.मी.	160040.00	अप्रेल, 85

परिचालन एवं संधारण पाली वृत

क्र.सं.	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रु. में)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	11 केवी चावासरवाउ-पवजी, सरनाउ भीमजी, बिम्बलकोड, हुइसन पिता, मोखड़ा	50 किमी	142500.00	मई, 84
2.	11 केवी नेटकुडा लाइन	7 किमी.	16093.00	,,
3.	11 केवी चवा रवतसर	5.5 किमी	13194.50	,,
4.	11 केवी सिदरी सेरा मिडा, जुग्रामीठा खाड़ा माटा लाइन	23 किमी.	55775.00	,,
5.	11 केवी खुडानपुर सादवा लाइन	14 किमी	33320.00	,,
6.	11 केवी खडारा लाइन	6 किमी,	14094.00	,,
7.	,, ,, बोराम्रो का तला रवासर	13 ,,	33137.00	मार्च, 84
8.	33 केवी चौहनसाता लाइन	82 ,,	403850.00	
9.	,, ,, वायतु पदमसिंह	35 ,,	163975.00	
10.	11 केवी लाइन जालौर जिले में	95 ,,	244150.00	मार्च, 84
11.	11 केवी लाइन पं.स. चौहटन में	140 ,,	448140.00	मार्च, 85
12.	,, ,, ,, ,, धोरीमन्ना में	90 ,,	287910.00	

1	2	3	4	5
13.	11 केवी लाइन पं. स. सिवाना में	47 किमी.	145700.00	मार्च, 85
14. ,,	,, सिणधरी में	65 ,,	199062.50	,,
15. ,,	,, ,, बायतू में	80 ,,	250480.00	,,
16. ,,	,, सातावच्छवाला लाइन	15 ,,	48015.00	31.1.85
17. ,,	,, साता बेडिया लाइन	20 ,,	64020.00	15.3.85
18. ,,	,, स्पर–साता–बेडिया लाइन	12.5 किमी.	40012.50	31.3.85
19. ,,	,, साता अम्बाबालाइन	5 किमी.	16005.00	,,
20. ,,	,, अम्बाबा पांचरला लाइन	6 ,,	19206.00	,,
21. ,,	,, साता सिहानिया लाइन	13 किमी.	41613.00	30.4.85
22. ,,	,, सिहानीया फागलिया लाइन	6 ,,	19206.00	15.5.85
23. ,,	,, सुल्तानसिंह का भाटा मथे का तला लाइन	34 ,,	108834.00	18.6.85
24.	11 केवी सिंहानिया मवार लाइन	12 ,,	38412.00	
25. ,,	,, चौहटन इसरोलत लाइन	13 किमी.	41613.00	
26. ,	,, नगर घांघालावास लाइन	4 किमी.	12796.00	15.1.85
27. ,,	,, भाकरपुरा–रतनपुरा–भिडाना	19 किमी.	60781.00	10.5.85
28. ,,	,, घोरीमन्ना-खारी कबूलीलाइन	14 किमी.	44786.00	15.3.85
29. ,,	,, खार–बूल लाइन	14 किमी	44786.00	20.5.85

1	2	3	4	5
30.	11 केवी सदरामकी वेरी फांटा सोदणी	14 क़िमी.	44786.00	10.5.85
31.	11 केवी पीपराली–मानकी लाइन	18 ,,	57582.00	5.3.85
32.	,, ,, गांवव–केरिया लाइन	9 ,,	28791.00	30.4.85
33.	,, ,, मटला उंदीरी लाइन	15 किमी	45937.50	5.1.85
34.	,, ,, ,, ग्राडेल लाइन	16 किमी	49000.00	18.3.85
35.	,, ,, साजनटा–सरली–खुउसा	22 ,,	67375.00	12.6.85
36.	,, ,, जुनामीठाखेड़ा–दाखालाइन	12 ,,	36750.00	
37.	,, ,, डूंडा राइली लाइन	10 ,,	31310.00	28.6.85
38.	,, ,, खवास माडपुरा वरवाडा लाइन	9 ,,	28179.00	25.1.85
39.	,, ,, खवास मुरटिया लाइन	8 किमी	25048.00	31.1.85
40.	,, ,, हुडोकी ढाणी–पोसारिया	7 ,,	21917.00	24.2.85
41.	,, ,, वायतू से वायतू पनजी	7 किमी.	21917.00	15.3.85
42.	,, ,, पनावड़ा–कनोड़ लाइन	8 ,,	25048.00	21.2.85
43.	,, ,, सवाउ–पदमसिंह सवाई मूलराज	3 किमी	9393.00	28.3.85
44.	,, ,, सवाउ पदमसिंह–भाक लाइन	28 किमी	87668.00	23.6.85
45.	,, ,, कुसीप–थापना–इन्द्राना लाइन	21 किमी	65100.00	30.4.85

1	2	3	4	5
46.	11 केवी सिवाना–खानमाता–हिंगलाज	10 किमी.	31000.00	31.5.85
47.	,, ,, अर्जीत–चिरड़ुया लाइन	16 ,,	49600.00	15.6.85

भीलवाड़ा वृत

क्र.सं.	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण की तिथि
1.	33 केवी लाइन माण्डलगढ से वेगून	32 किमी.	24706 00	
2.	33 केवी लाइन माण्डलगढ से मानपुरा	15 ,,	18502.00	31.3.84
3.	33 केवी डबल सर्किट इन्टरकनेक्शन लाइन 132 केवी जीएस एस आसींद से 33 केवी जीएसएस आसींद	4 ,,	12410.00	31.1.85

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में ठेके पर कराई गई तार लाईनों की सूची

जयपुर जिला वृत

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई कि.मी.	ठेके की राशि (रुपयों में)	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मनोहरपुर गांव में हरिजन बस्ती हेतु एलटी लाइन खेंची गई।	2.3	3370.00	10.10.83	

1	2	3	4	5	6
2.	शाहपुरा गांव में 11 केवी लाइन खेंची गई।	2.6	4276[illegible]70	1.10.83	
3.	बैराठ कस्बे में हरिजन बस्ती हेतु एलटी लाइन खेंची गई।	2.5	4617.00	10.12.83	
4.	शाहपुरा में 11 केवी लाईन खेंची गई।	4	8418.00	24.12.83	
5.	11 केवी लाइन	3.20	6768.00	29.1.84	
6.	33 केवी लाइन रामगढ जीएसएस से शाहपुरा तक	9	12172.57	7.7.83	
7.	11 केवी लाइन दवीच से मांकरोटा तक	4.8	7938.00	3.1.84	

वर्ष 1983–84 एवं 84–85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची

अलवर वृत

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि (रुपयों में)	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1.	11 केवी लाइन पं.स. बाडी में खेंची गई	25.5 किमी.	46944.98	31.3.84	
2.	,, केवी लाइन पं.स. बसेडी में खेंची गई	8 ,,	12739.47	31.3.84	
3.	,, केवी लाइन पं.स. बाडी में खेंची गई।	23 ,,	74726.96	31.3.85	
4.	,, केवी लाइन पं.सं. बसेडी के गांवों में खीचने हेतु	17 ,,	63840.19	31.1.85	

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची

बीकानेर वृत

क्रमांक लाइन का नाम	लम्बाई किमी.	ठेके की राशि रुपयों में	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1. 33 केवी लाइन सीसी हेड से घुमरवाली तक	6.5	28054/-	22.6-84	

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची

झुन्झुनु वृत

क्रमांक लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि रुपयों में	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1. 33 के.वी लाइन बिरोल से धमौरा तक	16 कि.मी.	70.000/-	17-3-84	

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची

अजमेर वृत

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई कि.मी.	ठेके की राशि रुपयों में	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	राठी उंग गांव में एलटी लाइन	1 पोल	103.00	83-84	

1	2	3	4	5
2.	मोडल जेल पर एल टी लाइन का कार्य	13 पोल	1353.00	83–84
3.	बोरेज रोड, नागफनी पर एलटी लाइन	10 पोल	1035.00	,,
4	शास्त्री नगर एक्सटेंशन स्किम पर एलटी लाइन का कार्य ।	28 पोल	3282.00	,,
5.	हाथी खेडा रोड, रामनगर पर एलटी लाइन को कार्य	7 पोल	773.00	,,
6.	घनेरा गांव में एलटी लाइन का कार्य	5 पोल	525.00	,,
7.	कोटरा गांव में ,, ,,	3 ,,	315.00	,,
8.	दिनेश की रेटी, माल रोड ,,	11 ,,	1253.00	,,
9.	प्रेम नगर में एलटी लाइन का कार्य	3 ,,	264.50	,,
10.	कोटरा गांव में ,, ,,	4 ,,	502.50	,,
11.	शास्त्री नगर एक्सटेंशन स्किम में एलटी लाइन का कार्य	20 ,,	2210.50	,,
12	बाबू गेट श्यूडूल कास्ट बस्ति में एलटी लाइन का कार्य	35 ,,	4470.00	,,
13.	फाई सागर रोड पर एलटी लाइन का कार्य	6 ,,	612.00	,,
14.	पुष्कर रोड पर एलटी लाइन का कार्य	3 ,,	281.00	,,
15.	भोपान का बाड़ा में हरीजन बस्ति में एलटी लाइन का कार्य	7 ,,	820.00	,,

1	2	3	4	5	6
16.	क्रिश्चियन गंज अजमेर में एलटी लाइन का कार्य	4 पोल	461.50	8-3–84	
17.	राजेन्द्रपुरा में ,, ,,	25 ,,	2874.50	,,	
18.	पंचकुंड रोड़ पुष्कर में ,,	4 पोल	441.00	,,	
19.	रामनगर कोटरा गांव में ,,	14 ,,	1520.00	,,	
20.	घनेरा गांव में एलटी लाइन का कार्य	3 ,,	386.00	,,	
21.	कोटरा गांव में ,, ,,	2 ,,	226.00	,,	
22	घनेरा गांव मे ,, ,,	2 ,,	179.00	,,	
23.	घनेरा गांव में ,, ,,	3 ,,	282.50	,,	
24.	बाबू गेट पर ,, ,,	24 ,,	2846.00	,,	
25.	फाई सागर रोड पर ,, ,,	4 ,,	433.50	,,	
26.	रिचमालिया गांव में 11 केवी लाइन	9 किमी.	1415.16	83-84	
27.	किशनगढ़ गांव में ,,		1400.00	,,	
28.	एल.टी. लाइन खेंची 1	3 पोल	300.00	,,	
29.	11 केवी लाइन खेंची नसीराबाद सब डिवीजन में	10 पोल	4501.00	,,	
30.	एलटी लाइन खेंची ,,	3 पोल	139.00	,,	
31.	मकरवाली में 11 केवी लाइन खेंची	10 पोल	1629.00	,,	
32.	मकरवाली में एलटी लाइन खेंची	5 पोल	607.00	,,	
33.	एलटी लाइन एसमाईपी-3 नसीराबाद में खेंची		1290.00	84-85	

1	2	3	4	5	6
34.	एलटी 11-केवी लाइन रींचमालियो गांव में खेंची		14442.00	84-85	
35.	खारडा वाटर वर्क्स कुएं के लिये 11 केवी लाइन		2306.00	13-6-83	
36.	33 केवी लाइन नागौर-संखवास		7040.00	4-7-83	
37.	[illegible]		3690.00	15-7-83	
38.	33 केवी लाईन नागौर से खेमसर		6728.00	9-9-83	
39.	शंखवास गांव में वाटर वर्क्स के कनेक्शन के लिये एलटी लाइन खेंची		1643.00	14-11-83	
40.	कल्लू गांव में वाटर वर्क्स कनेक्शन के लिये एलटी लाईन खेंची		330.50	30-12-83	
41.	कारली गांव में वाटर वर्क्स कनेक्शन के लिये 11 केवी लाइन [illegible]		1990.00		
42.	खेरी गांव में एलटी लाइन खेंची		2046.50	[illegible] 9-9-83	
43.	11 केवी लाईन डिंगला मरवा एवं डंडोली में खेंची 33 केवी सब स्टेशन हरसो फिडर से		5520.00	26-12-83	
44.	11 केवी लाईन मुण्डवा गिरगोलिया गांव में खेंची		5382.00	26-6-83	
45.	11-केवी लाइन उण्डोली गांव में खेंची		455.00	12-9-83	
46.	कूरायां कलां गांव में विद्युतिकरण हेतु 11 केवी लाइन		4141.00	14-9-83	
47.	शंखवास गांव में एलटी लाइन		3151.50	30-9-83	
48.	11 केवी लाइन ' एस.यू. जायल'' स्किम में खेंची		6500.00	22-12-83	

1	2	3	4	5	6
49.	11 केवी लाइन गाडी कलां गांव में खेंची		4245.00	25-1-84	
50.	सारासी गांव में 11 केवी लाइन		41657.00	25-1-84	
51.	खेरली कलां ,,		4552.00	25-1-84	
52.	धोवडी खुर्द में 11 केवी लाइन खेंची		4978.00	28-3-84	
53.	11 केवी लाइन जायल स्किम के विद्युतिकरण हेतु खेंची		3489.00	28-12-83	
54.	मींजास गांव में एलटी लाइन		721.00	26-[illegible]-84	
55.	वकोरा गांव के पी एच ई डी के कनेक्शन हेतु 11 केवी लाइन		11538.00	16-12-83	
56.	कुचेरा गांव में एलटी लाइन		1550.00	2-1-84	
57.	मयो कलां गांव में 11 केवी लाइन खेंची		8420.00	28-3-84	
58.	सर्वासा गांव में ,,		8665.00	28-3-84	
59.	पटरी खेडा गांव में एलटी लाइन खेंची		2549.00	19-10-84	
60.	मंडोली गांव में 11 केवी लाइन खेंची		1330.00	2-1-84	
61.	मूण्डरिया ग्रासू-खुर्द गांव में ,,		27126.00	26-11-84	
62.	मूण्डवा गांव में एलटी लाइन ,,		1277.00	21-2-84	
63.	डूण्डवास गांव में 11 केवी लाइन खेंची		7651.00	2-1-84	
64.	एस.यू. जायल में 11 केवी लाइन		9879.00	27-12-83	
65.	पीएस नागौर में ,, ,,		20645.00	17-2-84	

1	2	3	4	5	6
66.	ग्रोवी स्किम नागौर में 11 केवी लाइन		12628.00	12-2-84	
67.	एसयू मूण्डवा स्किम में 11 केवी लाइन का कार्य किया।		157922.01	84-85	
68.	33 केवी लाइन जसनगर से रोहीसा		6184.00	28-3-83	
69.	मेडता सिटी में एलटी लाइन		996.00	19-3-84	
70.	कसौली गांव में ,,		1911.00	29-6-83	
71.	विश्नू सागर मन्दिर में ,,		600.00	6-6-83	
72.	33 केवी लाइन जसनगर से रोहिसा		20070.00	6-3-84	
73.	ब्रहम्पुरिया गांव में 11 केवी लाइन		866.00	29-9-83	
74.	हरवा गांव में ,,		1638.00	29-8-83	
75.	रोशी गांव में एलटी लाइन		2098.00	3-10-83	
76.	वासी गांव में ,,		2048.00	27-10-83	
77.	पचोरी गांव में वाटर वर्क्स कनेक्शन हेतु एलटी लाइन खेंची		2616.00	24-1-84	
78.	,, ,, घरेलू कनेक्शन हेतु		533.00	9-3-84	
79.	मीसोरा गांव में एलटी लाइन		2188.00	सितम्बर, 83	
80.	ग्रन्तोलिया खुर्द गांव में 11 केवी लाइन		2233.00	,,	
81.	11 केवी लाइन बकोलीया वाटर वर्क्स कनेक्शन हेतु अलग से लाइन खेंची		4268.00	23-6-83	

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में ठेके पर कराई गई तार लाइनों की सूची
सवाई माधोपुर वृत

क्रमांक	लाइन का नाम	लम्बाई	ठेके की राशि रुपयों में	कार्य पूर्ण की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	33 केवी लाइन हिण्डौन से मासलपुर	36 किमी	206512.00	1984-85	
2.	11 केवी लाइन हीरा नगर से (मासलपुर)	16 किमी	47522.00	,,	
3.	11 केवी लाइन मीसलपुर (भावेली व कसेरा)	15 किमी	31205.00	,,	
4.	11 केवी लाइन थाली गांव में	2.5 किमी	5367.00	,,	
5.	11 केवी लाइन मोहनपुर गांव में	4 किमी	8390.00	,,	
6.	11 केवी लाइन चोंदेसपुरा गांव में	4.5 किमी	7200.00	,,	
7.	33 केवी लाइन माटोली गांव में	1 किमी	2822.00	,,	
8.	11 केवी लाइन मच गांव में डाली गयी	8 किमी	14837.00	,,	
9.	11 केवी लाइन टोडाभीम से मेहन्दीपुर का बालाजी	1 किमी	2812.00	,,	
10.	11 केवी लाइन बसोखेड़ा गांव में खींची	0.6 किमी	1444.00	,,	
11.	11 केवी लाइन पाटाली से मौजपुरा	0.7 किमी	1466.00	,,	
12.	एलटी लाइन जीरोटा गांव में खेंची	1.139 किमी	2047.00	,,	
13.	एलटी लाइन खरोरी गांव में	1.2 किमी	2164.00	,,	
14.	11 केवी लाइन माची गांव में	3.5 किमी	7491.00	,,	

1	2	3	4	5	6
15.	11 केवी लाइन रुद्धपुर में	0.6 किमी	1036.50	1984–85	
16.	11 केवी लाइन खोड कलान गांव में खेंची	3 किमी	4503.00	,,	
17.	11 केवी लाइन बौंली एवं बारा कलान	2 किमी	3734.00	,,	
18.	11 केवी लाइन सवाई माधोपुर ग्रामीण क्षेत्र में खींची	1 किमी	2515.00	,,	
19.	11 केवी लाइन गियापुर एवं दलालपुर गांव में खींची	2.5 किमी	2913.00	,,	
20.	11 केवी लाइन कोंडर गांव में खींची	3 किमी	5934.00	,,	
21.	11 केवी लाइन माकनपुर गांव में खींची	3 किमी	5601.00	,,	
22.	एलटी लाइन पचनपुर गांव में खींची	1.608 किमी	3981.00	,,	
23.	11 केवी लाइन बोला खेरा गांव में खींची	2.5 किमी	4436.00	,,	
24.	11 केवी लाइन पाल गांव में खींची	3 किमी	4918.00	,,	
25.	11 केवी लाइन लालसर गांव में खींची	2 किमी	3578.00	,,	
26.	एलटी लाइन सूरत गांव में खींची	1 किमी	2119.00	,,	
27.	एलटी लाइन बोनली गांव में खींची	2.5 किमी	7091.00	,,	
28.	,, ,,	2 किमी	6910.00	,,	
29.	एलटी लाइन कोटरा गांव में खींची	1 किमी	1700.00	,,	
30.	11 केवी लाइन कोटरा गांव में खींची	1.5 किमी	2934.00	,,	
31.	11 केवी लाइन नादोती गांव डिवी. में	16 किमी	24635.00	,,	

सूची "ब"

प्रसारण एवं निर्माण शाखा द्वारा लाइनें डालने के ठेके पर दिये कार्य की सूची

क.सं. लाइन का नाम	लम्बाई/कार्य (किलोमीटर)	खर्च	कार्य पूर्ण होने का दिनांक
1. 220 के.वी दादरी–खेतड़ी–रींगस	175 किमी	36,94,139.00	23.11.84
2. (1) 220 के.वी. हीरापुरा–रींगस	62 किमी	8,24,600 00	5.12.83
(2) टी–आफ चौमू जी.एस.एस.	7.5 किमी	99,750.00	3.12.83
3. 132 के.वी. कोटपूतली–बहरोड़	70 लोकेशन (टावर)	58,590.00	17.1.84
4. 132 के.वी. कोटपूतली–बहरोड	25 किमी	1,06,875.00	17.1.84
5. 220 के.वी. हीरापुरा–रींगस	26 लोकेशन (टावर)	50,116.00	3.12.83
6. 132 के.वी. हीरापुरा–बगरू	60 लोकेशन (टावर)	42,552.00	31.12.84
7. 132 के.वी. बूंदी–केकड़ी	80 लोकेशन (टावर)	1,28,521.90	25.8.83
8. 132 के वी. नदबई–हिण्डौन	(1) 67 लोकेशन (टावर)	1,25,103.33	22.11.83
गंगापुर	(2) 125 लोकेशन (टावर)	99,509.55	22.11.83
9. 132 के.वी. नदबई–बैर	(1) 50 किमी	2,46,262.50	16.11.83
हिण्डौन–गंगापुर	(2) 10 किमी	49,252.50	16.11.63

1	2	3	4	5
10.	132 के.वी. भरतपुर–नदबई लाइन	(1) 35 लोकेशन (टावर)	51,673.41	5.10.83
		(2) 22 लोकेशन (टावर)	32,376.67	15.10.83
11.	132 के.वी. भरतपुर–नदबई	12 किमी	86,400.00	15.10.83
12.	132 के.वी. मकराना–कुचामन	21 लोकेशन (टावर)	19,172.00	2.4.84
13.	132 के.वी. मकराना–कुचामन	17.50 कि.मी.	70,000.00	8.6.84
14.	220 के.वी. भीलवाडा–जोधपुर	196.272 कि.मी.	19,11,580.00	मार्च 84
1984-85				
1.	132 के.वी. दौसा–बांदीकुई	80 लोकेशन (टावर)	63,936.00	21.1.85
2.	132 के.वी. हीरापुरा–बगरू	20 कि.मी.	81,900.00	31.12.84
3.	132 के.वी. नदबई–लक्ष्मणगढ़	20 लोकेशन (टावर)	15,904.00	9.6.84

परिशिष्ट 17

प्रता. प्रश्न सं. 57 की सूची

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुरा में विद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	विद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की संख्या
1.	19 एच	1
2.	26 एच	1
3.	30 जीजी	2
4.	11 एच एच	1
5.	9 एच एच	1
6.	6 जी-1	1
7.	6 जी-11	1
8.	3 जी	2
9.	12 एफ	1
10.	3 क्यू	3
11.	मादरी	1
12.	4 एच	1
13.	16 जैड	1
14.	18 जैड	2
15.	19 जैड	2
16.	23 जैड	1
17.	खाटला वाला	2
18.	3 डी	1
19.	13 क्यू	1
20.	12 क्यू	1
21.	14 क्यू	1
22.	2 पी	1
23.	5 एच	1
24.	6 एम	1
25.	5 एम	1
26.	50 जी जी	1
27.	3 टी	2
28.	7 ए-1	1
29.	7 ए-2	1

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	विद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की संख्या
30.	17 जैड	1
31.	5 सी	1
32.	माटली राधल	1
33.	3 एच	1
34.	1 एफ	1
35.	7 वी	1
36.	20 जी जी	1
37.	7 एफ	1
38.	20 एफ	1
39.	7 सी	1
40.	8 एच	1
41.	13 एफ	1
42.	3 जी	2

परिशिष्ट 18

प्रत: प्रश्न संख्या 58 की सूची

सूची "अ"

जिला जोधपुर वर्ष 1984–85 में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

1. पंचायत समिति लूनी

1.	मकराना	13/4/ 102
2.	पिपाराली	144
3.	रोहीचा खुर्द	143
4.	बिलासनी	165
5.	वासनी वेडा	72
6.	वासनी कुवा	68
7.	कानवास का पहा	67
8.	खाटावास	132
9.	रसीदा	66

2. पंचायत समिति मण्डोर

10.	लोरडी दाय–जगरा	91
11.	रोयला खुर्द (फलासिया)	95
12.	राजवा	85
13.	मेगलासिया	86
14.	सिरोडी	3
15.	जलेली फौजदाम	54

3. पंचादत समिति भोपालगढ़

16.	मुन्दाना	13/5/ 60
17.	मलार	63
18.	सलमा खुर्द	77

305

19.	सरगिया कलां		58
20.	सरगिया खुर्द		57
21.	काजल		59

.. पंचायत समिति ओसिया

22.	वर खुर्द	13/2/	46
23.	चन्दराख		45
24.	हतुण्डा		43
25.	चिन्दारी		80
26.	टप		38
27.	परसला	13/2/	34
28.	थोव	13/3/	36
29.	खिन्दकौर		37
30.	उनदेसर		78

5. पंचायद समिति वालेसर

31.	वल्लू कलां	13/3/	35
32.	वल्लू राजवान		36
33.	केतु मनावता		37
34.	दुगर		88
35.	दूदा वेरा		82

6. पंचायत समिति फलोदी

36.	घोलासर	13/1/	62
37.	मोजासर		94
38.	वरजासक (रानीपुरा)		93
39.	परियाल		57
40.	कालरा		81
41.	खारा		77

7. **पंचायत समिति बाप**

42 .	कानसिंह की सीड	13/1/ 15
43.	मालमसिंह की सीड़	17
44.	गुडहा	19
45.	कल्याण सिंह की सीड़	18
46.	वारी सीड	14
47.	बावरी वार सिंह	22
48.	मनचितिया	13
49.	भोजा की वाप चक नं० 1	26
50.	भोजा की वाप चक नं० 2	25

परिशिष्ट 19

प्रता: प्रश्न सं. 66 की प्रति

AGREEMENT

THIS AGREEMENT is made on ....day of April, 1980 BETWEEN M/s. Shri Ram ICE Factory. Nagour District Nagour Rajasthan) through its partner shri Shiv Prasad S/o Shri Heera Lalji Caste Sharma Resident of village Nagour Tehsil Nagour District Nagour (here-in-after) called the Milk Chilling Contractor or First Party, which expression shall, where context, so admits be deemed to include heirs, successors, executors & administrator) of the one Part.

AND M/s. Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Unit Jodhpur Dairy, Jodhpur through its General Manager (here-in-after called the Dairy Federation, which expression shall where the Context no admits be deemed to include heirs, successors, executors & administrator) of the other part as under :

1. That the Milk Chilling Contractor, M/s. Shri Ram ICE Factory Nagour is a partnership firm, duly registered under the provisions of Indian partnership Act, 1932 having its register office at Nagour and the following persons are the partners :—

(1) Shri Shiv Prasad S/o Shri Heera Lal Ji Cast Sharma aged 36 years Resident of Nagour Tehsil Nagour District, Nagour.

(2) Shri Akhey Raj S/o Heera Lalji Sharma aged 33 yrs. R/o Nagour, Dist. Nagour.

(3) Shri Brij Gopal S/o Shri Heera Lal ji Sharma aged 26 Yrs, R/o Nagour, District Nagour,

(4) Shri Man Mohan S/o Heera Lal ji Sharma aged 23 Yrs R/o Nagour, District Nagour,

2. That M/s, Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Unit-Jodhpur Dairy, Jodhpur is a cooperative society duly registered

(308)

under the provisions of Rajasthan Cooperative societies Act, 1965 and the rules framed thereunder. The Milk Composite plant and Feeder Balancing Dairy and four chilling centres are running under the management and control of the said Dairy Federation Unit-Jodhpur Dairy.

3. That M/s. R.C.D.F. Ltd., Unit Jodhpur Dairy, Jodhpur purchased the land for constructing the Chilling Centre at Nagour and is going to start the construction of Chilling Centre at Nagour.

4. That M/s. R.C.D.F. Ltd., Unit Jodhpur Dairy, Jodhpur is going to start the milk procurement and collection from the milk producers through the medium of primary village Cooperative Societies of Nagour District from 1.5.80 & the construction of Chilling Centre is under process and the facility of chilling milk is urgently needed, without which the activities of milk procurement cannot be effected in the Nagour District as such the Federation requested to M/s. Shri Ram ICE Factory Nagour to have the procured and collected milk chilled daily vide its letter No. 1614-17 dated 7.4.80.

5. That in compliance to the said letter No. 1614-17 dated 7.4.80 the milk chilling contractor is agreeable to chill the milk while agreeing and accepting the terms and conditions of Tender & Contract, by putting the signatures over the each paper of the terms & conditions of the tender & contract.

6. That it was mutually agreed between both the parties, or the Milk chilling contractor has agreed with the Federation to chill the procured the collected milk at Nagour in the manner setforth in the terms and conditions of tender & contract appended herewith and the rates setforth as under :—

	Quantity of Milk	Rate
1.	Upto 2500 Ltrs.	Rs. 125/-
2.	2501 Ltrs to 5000 Ltrs.	Rs. 3.75 P. Ltrs.
3.	5001 Ltrs. and above	Rs. 3.50 P. Ltrs.

No charges will be paid for accumulation of Milk upto 7,000 Ltrs. and thereafter the rates will be Rs. 3.50 P per Ltrs. per day.

The Milk Chilling contractor will get minimum charged of Rs. 125/- per day, irrespective of quantity of milk & no chilling charges will be paid upto 2500 Ltrs. The rate of chilling Rs. 125/- or any other amount includes the charges of unloading wasting & loading of Milk Cans.

The Minimum charges of Rs. 125/-would be paid from the date of handing of the milk by the milk chilling contractor.

7. That whereas the milk chilling contractor has deposited a sum of Rs. 1,000/-(Rupees one thousand only) in the office of the Federation vide Receipt No dated............................as security for the due performance of the aforeasaid agreement, and the Milk Chilling contractor would furnish the of....................two solvent persons of Rs. 10,000/- each on or before 1st May, 1980.

8. That in consideration of the payments to be made by the Federation by the cheque at the rates setforth in the tender here to appended or in clause 6 of this agreement the milk chilling contractor will chill the procured and collected milk, in the manner setforth in the conditions of the tender and contract, and provide facilities to the Federation as per terms and conditions of the tender and contract.

9. That the terms and conditions of the tender and contract appended to this agreement, will be deemed and considered as a part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

10. That the Federation hereby agree that if the Milk Chilling contractor chill the procured and collected milk regularly and duly performs the contract in the manner aforesaid and observe and keep the said terms and conditions of the Tender and Contract the Federation will pay or cause to be paid to the Milk Chilling Contractor, at the time and the manner setforth in the said terms and conditions of the tender and contract for chilling the milk.

11. That both the parties, hereby agree, that the mode of payment would be either by A/c payee's cheque or Demand Draft only.

12. That Federation shall have a right to terminate the contract in question, after the completion and commissioning of chilling plant at Nagour. The Federation shall have a right to terminate the contract at any time before without assigning any reasons by giving one months notice in advance at the address above mentioned and in that case the milk chilling contractor shall have no right to obtain any damage of any kind whatsoever for earlier termination of the contract. On completion of the chilling plant only one weeks will be sufficient to terminate the contract.

13. That in the case of non-fulfilment of all or any of the terms and conditions of the Tender and contract by the milk chilling contractor either the penalty can be levied at the prescribe rates, as per terms and conditons of the Tender of Contract or the contract in question can be terminated without assigning any reason and notice. The amount of penalty can be recovered by adjusting the amount of pending bills of the milk chilling contractor firm the amount of security or earnest money or by initiating and taking the legal actions against the milk chilling contractor. The Milk chilling contractor shall have no right to challenge the legallity or sufficiency of the penalty imposed. The decision of Dairy Federation shall be final and conclusive.

14. That the Federation shall not be required to serve any notice before imposing any penalty, to the Milk chilling contractor, and the milk chilling contractor hereby agreed to wive the said notice.

15. That the milk chilling contractor will have to bear the cost of sour/curdled milk as per terms and conditions of the Tender and contract appended to this agreement irrespective of the factum of break down of Machinery, failure of electricity and power strikes and lookout etc.

16. That the tender of this agreement is for the period of one year commencing from 1st May, 1980 to 30th April, 1981 or till the commissioning of chillling activities at chilling centre,

Nagour which ever is earlier. The Federation has right to extend this agreement for further period of six months.

17. That the dispute arrising out of this agreement during the terms of this agreement or thereafter and all question relating to the interpretations of this Agreement, and the terms and conditions of the Tender and Contract, shall be decided by the Chairman of the federation and the decision of the Chairman shall be final. No party shall have a right to go to the court of law without first referring the desp-ute for arbitration as above. The first party has agreed arbitration for knowing full with that the Chairman is the head of party no. 2.

18. That all the disputes, suit or procedings, arising out of this agreement shall be subject to the jurisdiction of Jodhpur court only.

In witness whereof, both parties have to set their hands on ....day of April, 1980.

Witnesses :

1........................

2........................

Sd/-
Signature of the
First Party.

Witness :

1........................

2........................

Sd/-
Signanure of the
Second party,

परिशिष्ट 20

तारांकित प्रश्न 67 की सूची

राजस्थान में संचालित होम्योपैथिक औषधालयों की सूची

क्र. सं.	नाम स्थान	जिला	क्र. सं.	नाम स्थान	जिला
1.	जोन्सगज "अ" श्रेणी	अजमेर	24.	आंतरदा	बून्दी
2.	केकड़ी	,,	25.	सांयेली	,,
3.	अलवर (हरिजन बस्ती)	अलवर	26.	बम्बोरी	,,
4.	आदर्श कालोनी-अलवर	,,	27.	बाछोला	,,
5.	बानसूर	,,	28.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
6.	नारायणपुर	,,	29.	राजगढ़	,,
7.	खैरवा	बांसवाड़ा	30.	चूरू	चूरू
8.	बांसवाड़ा	,,	31.	साखू	,,
9.	बाड़मेर	बाड़मेर	32.	बेडसा	डूंगरपुर
10.	भरतपुर	भरतपुर	33.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
11.	बरोली	,,	34.	पुरानी आबादी-गंगानगर	श्रीगंगानगर
12.	सिहांवली	,,	35.	हरिजन बस्ती-सूरतगढ़	,,
13.	नयावास	,,	36.	नोमला	,,
14.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	37.	विधानसभा-जयपुर	जयपुर
15.	शाहपुरा	,,	38.	जाटावली	,,
16.	भीलवाड़ा	,,	39.	सोडाला-जयपुर	,,
17.	बीकानेर	बीकानेर	40.	बापूनगर-जयपुर	,,
18.	पटेलनगर-बीकानेर	,,	41.	मोदीखाना-जयपुर	जयपुर
19.	बामनवाली	,,	42.	हीरापुरा-जयपुर	,,
20.	बरसलपुर	,,	43.	सांगानेर ,,	,,
21.	बीकमपुर	,,	44.	दौसा	,,
22.	करणीसर-राजसर	,,	45.	सचिवालय-जयपुर	,,
23	बून्दी	बून्दी	46.	पुलिसलाइन ,,	,,

क्र. सं.	नाम स्थान	जिला	क्र.सं.	नाम स्थान	जिला
47.	जग्गो की वावड़ी	जयपुर	64.	सीकर	सीकर
48.	जालौर	जालौर	65.	सिरोही	सिरोही
49.	जैसलमेर	जैसलमेर	66.	ग्राबू रोड़	,,
50.	झालावाड़	झालावाड़	67.	मण्डावरिया	,,
51.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	68.	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर
52.	मुकुन्दगढ़	,,	69.	परीता	,,
53.	कुग्राकालोनी-कालोनी-कोटा	कोटा	70.	करौली	,,
54.	गांधी चौक ,,	,,	71.	टौंक	टौंक
55.	रैलावन	,,	72.	मरणी	,,
56.	बालसमन्द-जोधपुर	जोधपुर	73.	लसाड़िया	उदयपुर
57.	पिचियाक	,,	74.	पई	,,
58.	नागौर	नागौर	75.	जसवन्तगढ़	,,
59.	फिरवासी	,,	76.	सुलई	,,
60.	पाली	पाली	77.	उदयपुर	उदयपुर
61.	सुमेल	,,	78.	सलूम्बर	,,
62.	सोनाईमांझी	,,	79.	झालरापाटन	झालावाड़
63.	नया गांव (चौपड़ा)	,,	80.	ब्यावर	ग्रजमेर

होम्योपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	स्थान ग्रोषधालय	नाम जिला
1.	जोन्सगंज-ग्रजमेर ("ग्र" श्रेणी)	ग्रजमेर
2.	ब्यावर	,,
3.	नारायणपुर	ग्रलवर
4.	बम्बोरी	बून्दी
5.	वाछोला	,,

क्र.सं.	स्थान औषधालय	नाम जिला
6.	बाड़मेर	बाड़मेर
7.	हरिजन बस्ती–बीकानेर	बीकानेर
8.	वामनवाली	,,
9.	बरसलपुर	,,
10.	करणीसर	,,
11.	खैरवा	बांसवाड़ा
12.	चूरू	चूरू
13.	राजगढ़	चित्तौड़गढ़
14.	वेडसा	डूंगरपुर
15.	नीमला	श्री गंगानगर
16.	झालारापाटन	झालावाड़
17.	नयावास	भरतपुर
18.	सुमेल	पाली
19.	सोनाईमांझी	,,
20.	नयागांव चोपड़ा	,,
21.	बांसवाडा	बांसवाड़ा
22.	आबूरोड़	सिरोही
23.	भरणी	टौंक
24.	करौली	सवाई माधोपुर
25.	सलूम्बर	उदयपुर
26.	टौंक	टौंक
27.	रेलावन	उदयपुर
28.	सुलई	,,

परिशिष्ट 21

अता. प्रश्न सं. 68 की सूची

पाली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं उप स्वास्थ्य केन्द, चिकित्सक, ए.एन.एम. आदि का विवरण

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
1-	प्रा. स्वा. केन्द्र रोहट	सी.ए.एस.
2-	प्रा. स्वा. केन्द्र. सेरवा	—
3-	प्रा. स्वा. केन्द्र, बूसी	—
4-	प्रा. स्वा. केन्द्र बाकली	....
5-	प्रा. स्वा. केन्द्र, चण्डावल	....
6-	प्रा. स्वा. केन्द्र, रायपुर	....
7-	प्रा. स्वा. केन्द्र, निमाच	...
8-	प्रा. स्वा. केन्द्र, खांरची	....
9-	प्रा. स्वा. केन्द्र, नाण्डोल	एक
10-	प्रा. स्वा. केन्द्र, वेड़ा	एक
11-	प्रा. स्वा. केन्द्र पीपलिया	एक
12-	प्रा. स्वा केन्द्र खुशालपुरा	एक
13-	प्रा. स्वा केन्द्र गोगुडा	एक
14-	प्रा. स्वा. केन्द्र दादाई	एक

उप केन्द्र

प्रा० स्वा० केन्द्र रोहट (9)		**ए०एन०एम**
1-	उपकेन्द्र आरदिया	—
2-	,, गेलावास	....
3-	,, फूलथाना	...
4-	,, सारडा	—
5-	,, निम्बलोहदा	—

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
6–	,, गडवाडा	ए.एन.एम.
7–	,, पंचपदरिया	1
8–	,, जेतपुरा	....
9–	,, सेवदला	1
प्रा० स्वा० केन्द्र खैरवा (8)		
1–	उपकेन्द्र लाम्बिया	....
2–	,, रपावास	—
3–	,, बोमरबडा	....
4–	,, भांवरी	...
5–	,, गुढाएन्दला	...
6–	,, डेन्डा	—
7–	,, वाला	....
8–	,, डिगाई	...
प्रा० स्वा० केन्द्र खारची (18)		
1–	उपकेन्द्र धुन्धला	ए.एन.एम.
2–	,, चिपटिया	...
3–	,, गुढा रामसिंह	...
4–	,, सिरयारी	—
5–	,, पुलाद	....
6–	,, खारडी	...
7–	,, देवली	...
8–	,, आउआ	—
9–	,, धामली	...
10–	,, मुसालिया	...
11–	,, कन्टालिया	...
12–	,, माण्डा (माण	...

क्र सं	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
13–	उपकेन्द्र जानूभा	....
14–	,, रेडावास	---
15–	,, वासनी	...
16–	,, गादाण	--
17–	,, पांचेतिया	...
18–	,, वागला	रिक्त

प्रा० स्वा० केन्द्र बूसी (12)

1–	उपकेन्द्र खोड	...
2–	,, खिवाडा	...
3–	,, खारडा	...
4–	,, किशनपुरा	...
5–	,, बिजोवा	...
6–	,, पिलावनी	...
7–	,, निपल	...
8–	,, चांचोडी	...
9–	,, निम्बेडा	रिक्त
10–	,, वरकाना	...
11–	,, सोमेसर	—
12–	,, कराडी	रिक्त

प्रा० स्वा० केन्द्र बांकली (11)

1–	उपकेन्द्र पोमावा	—
2–	,, दूजाना	—
3–	,, घणा	...
4–	,, विरागी	—
5–	,, वामनेरा	—
6–	,, ढोला	रिक्त

(318)

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
7.	,, पालडी	—
8.	,, पावा	रिक्त
9.	,, नीवी	—
10.	,, बसंत	—
11.	,, जवाई बांध	—

प्रा० स्वा० केन्द्र, बेडा (22)

1.	उपकेन्द्र बीजापुर	ए.एन.एम.
2.	,, पुरवा	—
3.	,, फालना गांव	—
4.	,, बोया	—
5.	,, ककराडी	—
6.	,, पच लबाडा	रिक्त
7.	,, नाना	—
8.	,, बिसलपुर	—
9.	,, बीटवाडा	रिक्त
10.	,, दुदनी	—
11.	,, चामडेरी	रिक्त
12.	,, शिवतालाम	—
13.	,, गुडालास	रिक्त
14.	,, विसाली	—
15.	,, गोरिया	रिक्त
16.	,, घमली	—
17.	,, खिमोल	—
18.	,, बादून	—
19.	,, कोयलवास	—
20.	,, मालुन	रिक्त
21.	,, ग्रमालिया	रिक्त
22.	,, घणी	रिक्त

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
	प्रा० स्वा० केन्द्र नाडोल (6)	
1.	उपकेन्द्र मगरतालाब	—
2.	,, डायलाना	—
3.	,, पनोता	रिक्त
4.	,, ढालोप	—
5.	,, मादा	रिक्त
6.	,, सिदरली	—
	प्रा० स्वा० केन्द्र चण्डावल (14)	
1.	उपकेन्द्र गुढावतरा	—
2.	,, करमावास	—
3.	,, सांडिया	—
4.	,, मांडला	—
5.	,, रेपडावास	—
6.	,, चोपडा	—
7.	,, शिवपुरा	रिक्त
8.	,, घपडी	—
9.	,, सियाट	—
10.	,, मुशडावा	—
11.	,, गांगडा	—
12.	,, चण्डावल स्टेशन	रिक्त
13.	,, वोयल	—
14.	,, चाडवास	—
	प्रा० स्वा० केन्द्र, पिपलियाकला (1)	
1.	उपकेन्द्र मोहराकला	ए.एन.एम.
2.	,, रामपुरा	—
3.	,, वर	—

(320)

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
4	उपकेन्द्र कानुजा	—
5.	उपकेन्द्र कुशालपुरा	—
6.	,, हाजीवास	—
7.	,, निम्बेडा कलां	—
8.	,, कालकोट	रिक्त
9.	,, मूठा	—
10.	, नानणा	—
11.	,, वगडी कलातियां	—

प्रा० स्वा० केन्द्र निमाज (28)

1.	उपकेन्द्र डिगरना	रिक्त
2.	,, बुडकी	—
3.	,, मोहराई	—
4.	,, निम्बोल	—
5.	,, सेवरियां	—
6.	,, गरनिया	रिक्त
7.	,, लांम्बियां	—
8.	,, ग्रासरलाई	रिक्त
9.	,, फालका	—
10.	,, ग्राकोदिया	रिक्त
11.	,, लाटोती	रिक्त
12.	,, राबडियावास	—
13.	,, टोकडी	—
14.	,, विरोल	रिक्त
15.	,, देवरिया	—
16.	,, जानेवा	--
17.	,, पीपलिया खर्द	रिक्त
18.	,, पाटवा	—

क्र.सं.	नाम संस्थान	रिक्त पद का विवरण
19.	उपकेन्द्र चांवडिया	—
20.	,, बेडकला	रिक्त
21.	,, रामावास	रिक्त
22.	,, आगेवा	[illegible]
23.	,, सिंमला	रिक्त
[illegible]	,, खारडी	[illegible]
	,, वीकोसनी	रिक्त
	,, घनेरिया	रिक्त
	,, लालकी	रिक्त
	,, बाकलू	रिक्त

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न सं. 70 की सूची

भाग-1 की सूची

नाम स्कीम	वेतन (रुपये में)	दवाईयां (रुपये में)
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (14)	1150705	276504
2. एड पोस्ट (8) डिस्पेन्सरी (2)	1210635	247456
3. उप केन्द्र	395090	15555
4. उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (1)	127658	57462

भाग-2 की सूची

	रुपये
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुडामलानी	25716
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखड़ा	8396
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिघरी	29152
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोरीमन्ना	25906
5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वायुतु	23775
6. परिवार कल्याण केन्द्र, सरनू	17778

———